[2021] 12 एस. सी. आर 903

टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित

बनाम

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 440-441 2020 का)

26 मार्च, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

कम्पनी अधिनियम, 2013-ss. 241 और 242-आयोजित: द साइन क्वा

एस के आह्वान के लिए नहीं। 241 यह है कि कंपनी के मामलों को

कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या प्रतिकूल तरीके से संचालित किया गया है या किया जा रहा है-एक याचिका में यू / s.241, न्यायाधिकरण यह सवाल नहीं पूछ सकता है कि क्या निदेशक को हटाना कानूनी रूप से वैध था और/या उचित था या नहीं।

यह पूछा जाना चाहिए कि क्या इस तरह का निष्कासन एक आचरण के समान है

न्यायाधिकरण ने पाया कि एक निदेशक को हटाने में नहीं था कानून के अनुसार या तथ्यों पर उचित नहीं था, न्यायाधिकरण

राहत नहीं दे सकते / s.242 जब तक निष्कासन दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं था-ऐसे मामले हो सकते हैं जहां निदेशक को हटाने को कानून के अनुसार पूरी तरह से किया गया हो और फिर भी हितों पर अत्याचार या पूर्वाग्रह करने के लिए एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हो सकता है

कुछ सदस्यों का-यह केवल ऐसे मामलों में है कि न्यायाधिकरण कर सकता है

यू/को राहत दें s.242-किसी व्यक्ति को हटाने की वैधता और औचित्य कभी भी न्यायाधिकरण का प्राथमिक ध्यान नहीं हो सकता है। s.242 जब तक कि यह किसी दमनकारी आचरण को आगे बढ़ाने में न हो या

तथ्यों पर, कार्यकारी अध्यक्ष के पद से किसी व्यक्ति को हटाने को दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं कहा जा सकता है-कुछ सदस्यों के लिए कार्रवाई का मूल कारण

शिकायतकर्ता कंपनियों ने एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने के लिए सी. पी. एम. को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, हालांकि शिकायतकर्ता कंपनियों ने विभिन्न ऐतिहासिक मुद्दों के साथ अपनी वास्तविक शिकायत को बढ़ा दिया था।

तथ्यों को भ्रामक रूप देने के लिए, शिकायत का कारण कार्यपालिका के कार्यालय से सीपीएम को हटाना था

अध्यक्ष-निदेशक पद से उनका निष्कासन बाद में हुआ।

मूल शिकायत दर्ज करने के लिए और वह भी वैध और

न्यायोचित कारण और इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. ने ऐसा काम नहीं किया होगा।

सी. पी. एम. को हटाने पर, यू/एस. एस. राहत देने के लिए। 241 और 242।

कंपनी कानून-आयोजित: कंपनी न्यायाधिकरण एक श्रम न्यायालय या एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है जो किसी व्यक्ति को निदेशक पद से हटाने के तरीके पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है।

कंपनी कानून-न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर आदेश को समाप्त करना-आयोजित किया गया: कंपनी के मामलों के संचालन और प्रबंधन में विश्वास की न्यायोचित कमी होनी चाहिए, बंद करने के लिए आवेदनों की नींव पर-हाथ में मामला न्यायसंगत और न्यायसंगत मानक के करीब कहीं नहीं आता है, सरल कारण के लिए कि यह वही शिकायत करने वाला अल्पसंख्यक था जिसकी

प्रतिनिधि को न केवल बोर्ड में स्थान दिया गया था, बल्कि अध्यक्ष पद के उत्तराधिकारी के रूप में भी पेश किया गया था-न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के आह्वान के लिए, निदेशकों के आचरण पर विश्वास की न्यायोचित कमी होनी चाहिए-केवल बहुसंख्यक शेयरधारकों और अल्पसंख्यक के बीच विश्वास की कमी।

शेयरधारक ऐसे व्यक्ति या निगमित निकाय नहीं हैं जिनके पास गहरी जेब है जिसमें लाभांश अपना रास्ता खोज लेते हैं यदि कंपनी अच्छा काम करता है और लाभांश की घोषणा करता है-न्यासों को जो लाभांश मिलता है वह अंततः धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपना रास्ता खोजना है-इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. को सबसे अधिक धन जुटाना चाहिए था।

बुनियादी सवाल यह है कि क्या कंपनी को बंद करना न्यायसंगत होगा और इस तरह उन धर्मार्थ न्यासों को भूख से मार दिया जाएगा,

विशेष रूप से दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण के गैर-धर्मार्थ आरोपों के आधार पर-एन. सी. एल. ए. टी. का यह निष्कर्ष कि तथ्य अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत कंपनी को समाप्त करने को उचित ठहराते हैं, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था।

कम्पनी अधिनियम, 2013-ss. 241 और 242-एसएस। 241 और 242 विशेष रूप से बहाली की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, और न ही कोई है

यह अभिनिर्धारित करने की गुंजाइश कि पुनर्स्थापित करने की ऐसी शक्ति विशेष रूप से प्रदत्त किसी भी शक्ति से निहित या अनुमानित की जा सकती है -

एसएस की वास्तुकला। 241 और 242 न्यायाधिकरण को पढ़ने की अनुमति नहीं देता है

धाराओं में, एक आदेश (बहाली के लिए) करने की शक्ति जो कानून द्वारा वर्जित है। 14 2018 में संशोधन के साथ या उसके बिना विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

उत्पीड़न से संबंधित कंपनी कानून और

कुप्रबंधन-आयोजित: दमन और कुप्रबंधन से संबंधित कानून में कई बदलावों के बावजूद, एक न्यायाधिकरण को एक आदेश पारित करते समय जिस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए उत्पीड़न और कुप्रबंधन की शिकायत करने वाला आवेदन, है

दशकों तक वही रहा-इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधिकरण, अपने आदेश द्वारा, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करे-अंग्रेजी कानून के तहत और दोनों के तहत एक आदेश का उद्देश्य

भारतीय कानून, चाहे वह शासन "दमनकारी आचरण" या "अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण" या केवल "पूर्वाग्रहपूर्ण" हो।

"आचरण", एक समाधान प्रदान करके शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना है-उद्देश्य बीमारी से भी बदतर उपचार प्रदान करना नहीं हो सकता है-उद्देश्य शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना होना चाहिए और न कि कंपनी को समाप्त करना, अन्य हितधारकों के हितों को त्यागना।

कंपनी कानून-एक कंपनी के संघ के लेख-आयोजित: यह कि किसी कंपनी के संघ के लेख शेयरधारकों के बीच एक अनुबंध का गठन करते हैं, कंपनी कानून का आधार है-एक व्यक्ति जो

स्वेच्छा से एक शेयरधारक बन गया और इस प्रकार संघ के अनुच्छेदों की सदस्यता ली और जो उन अनुच्छेदों में किए गए संशोधनों के लिए एक इच्छुक और सहमति देने वाला पक्ष था, बाद में उन

अनुच्छेदों को वापस नहीं कर सकता और उन अनुच्छेदों को चुनौती नहीं दे सकता-यह अदालत से एक अनुबंध को फिर से लिखने का अनुरोध करने के समान होगा, जिसके लिए वह एक पक्ष बन गया था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.241 - s.241 का उद्देश्य भविष्य के संभावित आचरण के संबंध में प्रबंधन को अनुशासित करना नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 - s.242-एक कंपनी के संगठन के लेख आयोजित किए गए: न्यायाधिकरण के पास यू / s.242 अलग रखने के लिए

उन अनुच्छेदों में कोई भी संशोधन जो शेयरधारकों के मान्यता प्राप्त स्वामित्व अधिकारों को छीन लेते हैं-लेकिन यह इस आधार पर है कि संशोधन लाना अपने आप में एक ऐसा आचरण था जो दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण था-तथ्यों पर, एनसीएलएटी का अनुच्छेदों के अनुच्छेद 75 के तहत उपलब्ध शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने का आदेश पूरी तरह से था

अस्थिर।

तत्काल मामले में, टाटा संस (प्राइवेट) लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) (i) द्वारा पारित अंतिम आदेश, [2021] 12 एस. सी. आर. को अवैध मानते हुए चुनौती दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टाटा संस लिमिटेड के निदेशक मंडल की छठी बैठक की कार्यवाही जहां तक यह श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री ("सीपीएम") को हटाने से संबंधित है; (ii) इसे बहाल करना। टाटा संस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सीपीएम की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप टाटा कंपनियों के निदेशक के रूप में

शेष कार्यकाल के लिए; (iii) कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सीपीएम के स्थान पर किसी और की नियुक्ति को अवैध घोषित करना;

(iv) श्री रतन एन. टाटा ("आरएनटी") और टाटा ट्रस्ट के नामितों को पहले से कोई निर्णय लेने से रोकना; (v) कंपनी, उसके निदेशक मंडल और शेयरधारकों को असाधारण परिस्थितियों और कंपनी के हित को छोड़कर अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 75 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से रोकना; और (vi) टाटा संस लिमिटेड की स्थिति को सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में बदलने के लिए कंपनी पंजीयक के निर्णय को अवैध घोषित करना।

विचार के लिए उठे कानून के प्रश्न थे:

(i) क्या अपीलीय द्वारा राय का गठन

न्यायाधिकरण कि कंपनी के मामले कुछ लोगों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण और दमनकारी तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं

सदस्यों और यह कि तथ्य अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर कंपनी को समाप्त करने को उचित ठहराते हैं, अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों और मापदंडों के अनुरूप है, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि तथ्यों पर एन. सी. एल. टी. के निष्कर्षों को व्यक्तिगत रूप से और विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उलट नहीं दिया गया था?

((ii) क्या सीपीएम की बहाली सहित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत और जारी किए गए निर्देश।

टाटा संस और अन्य टाटा कंपनियों के बोर्ड में हैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 की उप-धारा (2) के तहत की गई दलीलों, मांगी गई राहतों और उपलब्ध शक्तियों के अनुरूप?

(iii) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण, कानूनी रूप से, अनुच्छेदों के अनुच्छेद 75 के तहत कंपनी की शक्ति को मौन कर सकता था। एसोसिएशन का, किसी भी सदस्य से अपने सामान्य शेयरों को स्थानांतरित करने की मांग करना, केवल कंपनी को अनुच्छेद को अलग किए बिना इस तरह के अधिकार का प्रयोग करने से रोककर?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

((iv) क्या न्यायाधिकरण द्वारा अनुच्छेद 121 के तहत उपलब्ध सकारात्मक मतदान अधिकारों का वर्णन

अनुच्छेद 104 बी के संदर्भ में न्यासों द्वारा नामित निदेशकों को दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण के रूप में न्यायोचित ठहराया जाता है, विशेष रूप से इन अनुच्छेदों को चुनौती देने को स्पष्ट रूप से छोड़ने के बाद और क्या न्यायाधिकरण आरएनटी और नामित निदेशकों को इन अनुच्छेदों के प्रभाव को वस्तुतः रद्द करने का निर्देश दे सकता था?

(v) क्या टाटा संस का जनता से पुनः रूपांतरण

एक निजी कंपनी में कंपनी के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता होती है या कम से कम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43ए (4) के तहत 2000 (जब 2000 का अधिनियम 53 लागू हुआ) से 2013 (जब 2013 अधिनियम लागू किया गया था) की अवधि के दौरान कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जैसा कि एनसीएलएटी ने माना था?

टाटा समूह के पक्ष में कानून के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:

प्रश्न संख्या 1

1.1 . शिकायतकर्ता कंपनियों द्वारा सी. पी. एम. की बहाली के लिए दबाव नहीं डालने का वास्तविक कारण यह है कि वे काफी चतुराई से उचित समझती हैं।

कि निदेशक पद की मात्र समाप्ति को ऐसी चीज के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है जो धारा 241 और 242 के तहत समापन या राहत देने के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड को प्रेरित करेगी।

[पैरा 16.21] [1002-A-B]

1.2 . यह याद रखना चाहिए: ((i) इसके लिए एक प्रावधान

निदेशक मंडल में छोटे शेयरधारकों के प्रतिनिधि को शामिल करना, धारा 151 के तहत हाल ही में उत्पन्न हुआ है। कंपनी अधिनियम, 2013 और यह केवल एक सूचीबद्ध कंपनी पर लागू होता है; (ii) कि टाटा सन्स एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है; (iii) कि टाटा सन्स के संघ के लेख, जिसके लिए शिकायतकर्ता कंपनियां हैं,

सीपीएम और उनके पिता ने सदस्यता ली थी, कोई प्रावधान नहीं है

प्रतिनिधित्व; (iv) कि कोई वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं होने के बावजूद, टाटा संस ने वर्ष 1980 में सीपीएम के पिता को बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल किया और उन्हें लगभग 25 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा; (v) कि सीपीएम को खुद को किसी भी वैधानिक या संविदात्मक दायित्व, [2021] 12 एस. सी. आर. के संदर्भ के बिना फिर से शामिल किया गया था।

अगस्त, 2006 में बोर्ड में निदेशक के रूप में; और (vi) कि इस तरह के शामिल होने के 6 वर्षों के भीतर, सीपीएम की पहचान इसके उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी

आर. एन. टी. और उन्हें कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया। [पैरा 16.22] [1002-B-E]

1.3 . यह एक विडंबना है कि वही व्यक्ति जो शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास कुल चुकता शेयर पूंजी का केवल 18.37% है। और फिर भी साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले, उसी बोर्ड पर आचरण, दमनकारी और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुचित रूप से पूर्वाग्रह का आरोप लगाने का विकल्प चुना है। [पैरा 16.23]

[1002 - ई-एफ] 1.4 . तथ्य यह है कि सीपीएम को हटाना केवल कार्यकारी अध्यक्ष पद से था न कि कंपनी के निदेशक पद से।

याचिका दायर करने की तारीख और इस तथ्य के अनुसार कि कानून में निदेशक पद से हटाने को भी कभी भी गैर-कानूनी नहीं माना जा सकता है। दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण, धारा 241 के तहत याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त था, विशेष रूप से क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. ने कुछ व्यावसायिक निर्णयों पर तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया। [पैरा 16.24] [1002-G-H; 1003-A]

1.5 . सी. पी. एम. की ओर से उसके दिनांकित 25-10-2016 के मेल को प्रेस में लीक करने और उन्हें जवाब भेजने का बाद का आचरण

1.6 . कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के तहत एक याचिका में, न्यायाधिकरण यह सवाल नहीं पूछ सकता है कि क्या निष्कासन निदेशक का पद कानूनी रूप से वैध और/या न्यायोचित था या नहीं। पूछा जाने वाला सवाल यह है कि क्या इस तरह का निष्कासन कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण के समान है। ऐसे मामलों में भी जहां न्यायाधिकरण पाता है कि निदेशक को हटाना कानून के अनुसार नहीं था या तथ्यों के आधार पर उचित नहीं था, न्यायाधिकरण धारा 242 के तहत तब तक राहत नहीं दे सकता जब तक कि हटाना दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण न हो। [पैरा 16.28] [1003-H; 1004-A-B]

1.7 . ऐसे मामले हो सकते हैं जहां किसी निदेशक को हटाने का काम कानून और टाटा परामर्श सेवाओं के अनुसार पूरी तरह से किया गया हो।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

1.8 . किसी व्यक्ति को हटाने की वैधता और औचित्य कभी भी धारा 242 के तहत न्यायाधिकरण का प्राथमिक ध्यान नहीं हो सकता है जब तक कि यह कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण को आगे बढ़ाने में न हो। वास्तव में कार्यकारी अध्यक्ष का पद वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त या विनियमित नहीं है, हालांकि निदेशक का पद है। सीपीएम को केवल कार्यकारी अध्यक्ष के पद (या पदनाम) से हटा दिया गया था न कि कंपनी याचिका दायर होने तक निदेशक। लेकिन सीपीएम ने खुद एक पूर्ण युद्ध की घोषणा करके परेशानी को आमंत्रित किया, जिसके कारण उन्हें निदेशक पद से हटा दिया गया। [पैरा 16.31] [1004-E-F]

1.9 . यह सच है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्षय के अनुसार बोर्ड की बैठक से पहले उनसे पद छोड़ने का अनुरोध किया गया था।

कार्यकारी अध्यक्ष का पद। यह उस कार्य के पूर्व-ध्यान किए जाने के समान नहीं है। 8.8.2016 पर नए सदस्यों को बोर्ड और बोर्ड में कानूनी राय हासिल करने के लिए शामिल करना। बोर्ड की बैठक से पहले, अधिनियम को पूर्व-ध्यान से नहीं किया जा सकता है। एक सुविचारित योजना और एक पूर्व-ध्यानित

योजना के बीच सीमांकन की एक पतली रेखा होती है और रेखा को कई बार धुंधला किया जा सकता है। [पैरा 16.32] [1004-G-H]

पूर्वाग्रहपूर्ण। शिकायतकर्ता कंपनियों द्वारा एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का मूल कारण सी. पी. एम. को एन. सी. एल. टी. से हटाना था। कार्यकारी अध्यक्ष का पद। हालाँकि शिकायतकर्ता कंपनियों ने अपनी वास्तविक शिकायत को विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़ दिया

एक भ्रामक उपस्थिति बनाते हुए, शिकायत का कारण कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यालय से सीपीएम को हटाना था। निदेशक पद से उनका निष्कासन मूल शिकायत दर्ज होने के बाद हुआ और वह भी वैध और उचित कारणों से और इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. धारा 241 और 242 के तहत राहत देने के लिए सी. पी. एम. को हटाने पर इतना परिश्रम नहीं कर सकता था। [पैरा 16.42] [1008-बी-सी] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.11 . एन. सी. एल. ए. टी. ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है, हालांकि इस पर आधारित नहीं है।

कोई भी तथ्यात्मक आधार, कि तथ्य अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर समापन आदेश के निर्माण को उचित ठहराते हैं। लेकिन जैसा कि लोच बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था। जॉन ब्लैकवुड ने कहा, "कंपनी के मामलों के संचालन और प्रबंधन में विश्वास की एक न्यायोचित कमी होनी चाहिए, जो बंद करने के लिए आवेदनों की नींव पर है।" इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि "आत्मविश्वास की कमी बाहर होने पर असंतोष से पैदा नहीं होनी चाहिए-व्यावसायिक मामलों पर मतदान या जिसे कंपनी की घरेलू नीति कहा जाता है"। लेकिन, "जहां भी कंपनी के मामलों के संचालन में ईमानदारी की कमी पर विश्वास की कमी होती है, तो बाद वाले द्वारा पहले वाले को उचित ठहराया जाता है।" [पैरा 16.43] [1008-D-F]

1.12 . हाथ में मामला कहीं भी न्यायसंगत और न्यायसंगत मानक के करीब नहीं आएगा, सरल कारण के लिए कि यह बहुत था

वही शिकायत करने वाले अल्पसंख्यक जिनके प्रतिनिधि को न केवल बोर्ड में स्थान दिया गया था, बल्कि उन्हें अध्यक्ष पद के उत्तराधिकारी के रूप में भी पेश किया गया था। [पैरा 16.45] [1009-C-D]

1.13 . न्यायसंगत और न्यायसंगत मानक को लागू करने के लिए, अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि न्यायालय को या तो संतुष्ट होना चाहिए।

कि साझेदार एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं या उनमें से एक निश्चित रूप से दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। [पैरा 16.50] [1011-C]

1.14 . हाथ में मामले में कभी भी अर्ध साझेदारी की प्रकृति में कोई संबंध नहीं था और कभी नहीं हो सकता था

टाटा समूह और एस. पी. समूह के बीच एस. पी. समूह टाटा संस की यात्रा के बीच में ट्रेन में सवार हो गया। कार्यात्मक डेड लॉक का अनुरोध भी नहीं किया जाता है और न ही साबित किया जाता है। [पैरा 16.51] [1011-C-D]

1.15 . न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के आह्वान के लिए, के आचरण पर विश्वास की उचित कमी होनी चाहिए निर्देशक। बहुसंख्यक शेयरधारकों और अल्पांश शेयरधारकों के बीच विश्वास की कमी ही पर्याप्त नहीं होगी।

[पैरा 16.52] [1011-E]

1.16 . टाटा संस एक प्रमुख निवेश धारक कंपनी है।

जिनमें से अधिकांश हिस्सेदारी परोपकारी न्यासों के पास है। बहुसंख्यक शेयरधारक ऐसे व्यक्ति या निगमित निकाय नहीं होते हैं जिनके पास गहरी जेब होती है जिसमें लाभांश अपना रास्ता खोज लेते हैं यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और लाभांश घोषित करती है। लाभांश न्यासों को अंततः टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v की पूर्ति के लिए अपना रास्ता खोजना होता है।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. को यह मुद्दा उठाना चाहिए था सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या कंपनी को बंद करना और इस तरह उन धर्मार्थ न्यासों को भूख से मारना न्यायसंगत होगा, विशेष रूप से दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण के गैर-धर्मार्थ आरोपों के आधार पर। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. का निष्कर्ष कि तथ्य अन्यथा समापन को उचित ठहराते हैं

न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत कंपनी पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। [पैरा 16.54] [1012-A-C]

प्रश्न संख्या 2

2.1 . कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242

यह विशेष रूप से बहाली की शक्ति प्रदान नहीं करता है, और न ही यह मानने की कोई गुंजाइश है कि पुनर्स्थापित करने की ऐसी शक्ति को विशेष रूप से प्रदत्त किसी भी शक्ति से निहित या अनुमान लगाया जा सकता है।

[पैरा 17.17] [1024-C]

2.2 . 242 की उप-धारा (1) के अंत में निम्नलिखित शब्द "न्यायाधिकरण, को समाप्त करने की दृष्टि से

जिन मामलों की शिकायत की गई है, वे ऐसे आदेश दें जो वह उचित समझे "न्यायाधिकरण को कोई निहित शक्ति प्रदान करने के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है कंपनी के किसी निदेशक या अन्य अधिकारी की बहाली का निर्देश देना जिसे ऐसे कार्यालय से हटा दिया गया है। ये शब्द

इसकी व्याख्या केवल ऐसे आदेश देने की शक्ति प्रदान करने के रूप में की जा सकती है जो न्यायाधिकरण उचित समझे, जहां ऐसा आदेश देने की शक्ति विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है, लेकिन किसी भी संदेह को दूर करने और उस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक पाई जाती है जिसके लिए - शक्ति विशेष रूप से प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, धारा 242 की उप-धारा (2) कई कार्यों को निर्देशित करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। जिन शब्दों द्वारा धारा 242 की उप-धारा (1) समाप्त होती है, उपर्युक्त शब्दों का अर्थ इस प्रकार के आदेश देने की शक्ति माना जा सकता है -

जिन मामलों के लिए धारा 242 की उप धारा (2) के तहत निर्देश दिए गए हैं, उन्हें समाप्त करें। [पैरा 17.18] [1024-C-F]

2.3 . धारा 241 और 242 की संरचना न्यायाधिकरण को धाराओं को पढ़ने की अनुमति नहीं देती है, जो एक आदेश (बहाली के लिए) करने की शक्ति है जो 2018 में संशोधन के साथ या उसके बिना विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 द्वारा कानून द्वारा वर्जित है। [पैरा 17.19] [1024-F-G] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.4 . उत्पीड़न से संबंधित कानून के बावजूद और

कई परिवर्तनों से गुजर रहा कुप्रबंधन, वह उद्देश्य जिसे एक न्यायाधिकरण को एक आदेश पारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए उत्पीड़न और कुप्रबंधन की शिकायत करने वाला आवेदन दशकों से वही बना हुआ है। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधिकरण को अपने आदेश से शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना चाहिए। [पैरा 17.33] [1029-B-C]

2.5 . अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून दोनों के तहत एक आदेश का उद्देश्य, चाहे शासन हो

"दमनकारी आचरण" या "अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण" या केवल "पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण" में से एक, समाधान प्रदान करके शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना है। उद्देश्य बीमारी से भी बदतर उपचार प्रदान करना नहीं हो सकता है। उद्देश्य शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना होना चाहिए और दूसरों के हितों को त्यागते हुए स्वयं कंपनी को समाप्त नहीं करना चाहिए।

हितधारक। [पैरा 17.34] [1029-D]

2.6 . एन. सी. एल. ए. टी. (i) सी. पी. एम. की बहाली (ii) अनुच्छेद 75 को लागू करने के अधिकार पर प्रतिबंध (iii) आर. एन. टी. और नामित निदेशकों को पहले से निर्णय लेने से रोकना और (iv) टाटा संस को एक निजी कंपनी में परिवर्तित करने को दरकिनार करने की राहत नहीं दे सकता था। [पैरा 17.35] [1029-F-G]

प्रश्न संख्या 3

3.1 . धारा 241 को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि कंपनी के कार्य संचालित किए जाने चाहिए थे या किए जा रहे हैं।

कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। अनुच्छेद 75 के आह्वान का एक भी उदाहरण, दुरुपयोग की तो बात ही छोड़िए, मुख्य कंपनी याचिका या याचिका में नहीं दिया गया है।

संशोधन के लिए आवेदन। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. प्रतिबंध का आदेश पारित करके अनुच्छेद 75 को पूरी तरह से अप्रभावी नहीं बना सकता था और न ही बनाना चाहिए था। [पैरा 18.3] [1030-ई-एफ] 3.2 . वास्तव में, एन. सी. एल. ए. टी. ने पहले सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की है कि उसके पास संघ के किसी भी अनुच्छेद को अवैध घोषित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सही ढंग से एक मानदंड निर्धारित करने के बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर अनुच्छेद 75 को बेअसर कर दिया। धारा 241 (1) (ए) केवल एक उपचार का प्रावधान करती है।

अतीत और वर्तमान आचरण या अतीत और वर्तमान निरंतर टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

आचरण करें। एन. सी. एल. ए. टी. ने भविष्य में बुरे आचरण की संभावना को कवर करने के लिए धारा 241 (1) (ए) का विस्तार किया है, जो कानून में अस्वीकार्य है। [पैरा 18.4] [1030-जी]

3.3 . कि एक कंपनी के संघ के लेख एक का गठन करते हैं

शेयरधारकों के बीच अनुबंध, कंपनी कानून का आधार है। वास्तव में, अनुच्छेद 75 टाटा संस में हाल ही में उत्पन्न होने का आविष्कार नहीं था। यह लगभग एक सदी से किसी न किसी रूप में रहा है।

दूसरा। कंपनी को वर्ष 1917 में निगमित किया गया था और एस. पी. समूह ने लगभग 50 वर्षों के बाद वर्ष 1965 में शेयरों का अधिग्रहण किया। उस समय भी अनुच्छेद 75 एक अलग रूप में अस्तित्व में था। 1965 के बाद, अनुच्छेद 75 में कई दौर के संशोधन हुए, जिसमें एस. पी. समूह, सी. पी. एम. के पिता और सी. पी. एम. पक्ष थे। सीपीएम स्वयं 13.09.2000 पर अनुच्छेद 75 में किए गए संशोधन का एक पक्ष था। अपने वर्तमान रूप में अनुच्छेद केवल 13.09.2000 पर बनाया गया था और संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया गया था

सीपीएम की उपस्थिति में और उसकी सहमति से। [पैरा 18.5] [1030-एच; 1031-ए-सी]

3.4 . एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से शेयरधारक बन गया और

इस प्रकार संघ के अनुच्छेदों की सदस्यता ली और जो किए गए संशोधनों के लिए एक इच्छुक और सहमति देने वाला पक्ष था

3.5 . ऐसा नहीं है कि सी. पी. एम. या उनके पिता, जो लगभग 25 वर्षों तक निदेशक भी रहे, उन्हें इसके बारे में पता नहीं था या वे इसके बारे में नहीं जानते थे। अनुच्छेद 75 का अस्तित्व। की ओर से निवेदन

शिकायतकर्ता कंपनियाँ अनुच्छेद 75 को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थीं, क्योंकि यह एक वास्तविक आचरण से संबंधित नहीं था, बल्कि भविष्य के आचरण की संभावना से संबंधित था। धारा 241 का उद्देश्य नहीं है -

भविष्य में संभावित आचरण के संबंध में प्रबंधन को अनुशासित करना। [पैरा 18.7] [1031-डी-जी]

3.6 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण के पास धारा 242 के तहत उन अनुच्छेदों में किसी भी संशोधन को दरकिनार करने की शक्ति है जो

शेयरधारकों के मान्यता प्राप्त स्वामित्व अधिकारों को दूर करना। लेकिन यह

यह इस आधार पर है कि संशोधन लाना अपने आप में एक ऐसा आचरण था जो दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण था। [पैरा 18.8] [1031-जी-एच] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.7 . उपलब्ध बिजली के साथ एन. सी. एल. ए. टी. से छेड़छाड़ का आदेश

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 75 के तहत पूरी तरह से अस्थिर है। [पैरा 18.11] [1032-D]

प्रश्न संख्या 4

4. कानून का चौथा प्रश्न-क्या न्यायाधिकरण द्वारा इसके तहत उपलब्ध सकारात्मक मतदान अधिकारों की विशेषता

अनुच्छेद 104 बी के संदर्भ में न्यासों द्वारा नामित निदेशकों के लिए अनुच्छेद 121, दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण के रूप में, विशेष रूप से इन अनुच्छेदों को चुनौती देने को स्पष्ट रूप से छोड़ने के बाद उचित है।

और क्या न्यायाधिकरण आर. एन. टी. और नामित निदेशकों को इन अनुच्छेदों के प्रभाव को वस्तुतः रद्द करने का निर्देश दे सकता था-इसका जवाब भी टाटा समूह के पक्ष में दिया जाना है और

सकारात्मक मतदान अधिकारों और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रति अपील में दावा अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है। [पैरा 19.1 और 19.50] [1032-F; 1052-B]

प्रश्न संख्या 5

5. कानून का पांचवां सवाल तैयार किया गया-क्या टाटा संस का सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में रूपांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत आवश्यक अनुमोदन या कम से कम धारा 43 के तहत कार्रवाई की आवश्यकता है।

एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 2000 (जब 2000 का अधिनियम 53 लागू हुआ) से 2013 (जब 2013 अधिनियम लागू किया गया था) की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के ए (4) का उत्तर -

टाटा संस और इसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 181,186 और 187 (iv) में अपीलार्थियों और कंपनियों के पंजीयक के खिलाफ की गई सभी टिप्पणियों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 20.1 और पैरा 20.44] [1052-C-D; 1069-C-D]

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1288; एम. आई. बिल्डर्स प्रा. सीमित वी। राधे श्याम साहू और अन्य (1999) 6 एस. सी. सी. 464: [1999] 3 एससीआर 1066 और वोडाफोन इंटरनेशनल

होल्डिंग्स बीवी वी। भारत संघ (2012) 6 एससीसी 613:

[2012] 1 एससीआर 573-प्रतिष्ठित।

हनुमान प्रसाद बागड़ी और अन्य। वी. थैले के अनाज प्रा. लिमिटेड (2001) 4 एससीसी 420: [2001] 2 एससीआर 811;

राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति निगम। लिमिटेड वी.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

नागेश्वर राव [1955] 2 एससीआर 1066; एस. पी. जैन बनाम

कलिंग ट्यूब लिमिटेड. ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1535: [1965] 2 एससीआर

720 ; राम परशोतम मित्तल बनाम। हिलक्रेस्ट रियल्टी (2009) 8

एससीसी 709 [2009] 10 एससीआर 1121 और डेरियस रटन

कावासमानेक बनाम। घरदा केमिकल्स लिमिटेड (2015) 14 एससीसी

277 : [2014] 11 एससीआर 1119-पर भरोसा किया गया।

नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। वी. सुई

इंडस्ट्रीज नेवे (इंडिया) लिमिटेड और ओआरएस। (1981) 3 एससीसी

333 : [1981] 3 एस. सी. आर. 698; राज कुमार डे बनाम तारापदा

डे (1987) 4 एससीसी 398: [1988] 1 एस. सी. आर. 118; मो.

[2000] 2 एससीआर 871 और डॉ. एस. बी. दत्त बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय [1959] एस. सी. आर. 1236-संदर्भित।

बेयर्ड वी. लीज़, (1924) एससी 83 स्कॉटिश सुप्रीम कोर्ट; इब्राहिमी वी। वेस्टबोर्न गैलरीज लिमिटेड [1972] 2 डब्ल्यूएलआर

1289 ; लाऊ वी. चू [2020] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 4656; इन री सेलिंग

जहाज केंटमेरे कं. [1897] डब्ल्यू. एन. 58; नेल्सन बनाम। जेम्स

नेल्सन 1914-2 के. बी. 770; सेंट्रल बैंक ऑफ इक्वाडोर और

अन्य वी। कॉन्टिकॉर्प एसए और अन्य (बहामास) (2015)

यू. के. पी. सी. 11 प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति

(यू. के.) और रे: नीथ रग्बी लिमिटेड (2010) बी. सी. सी. 597 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 2 एससीआर 811

उस पर भरोसा करें

पैरा 16.21

पैरा 16.40

आकाशवाणी 1965 एससी 1288

प्रतिष्ठित

[1999] 3 एससीआर 1066

प्रतिष्ठित

पैरा 16.41

[1955] 2 एससीआर 1066

उस पर भरोसा करें

पैरा 16.52

[1965] 2 एससीआर 720

उस पर भरोसा करें

पैरा 16.52

[1981] 3 एससीआर 698

संदर्भित किया गया है

पैरा 16.53

[1988] 1 एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.11

[2000] 2 एससीआर 871

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.11

[1959] एससीआर 1236

पैरा 17.16

[2021] 12

एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 1 एससीआर 573

प्रतिष्ठित

पैरा

19.31

[2009] 10 एससीआर 1121

उस पर भरोसा करें

पैरा

20.36

[2014] 11 एससीआर 1119

उस पर भरोसा करें

पैरा

20.39

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 440

441 2020 से।

राष्ट्रीय संविधान के 18.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने कंपनी अपील सं। 254 और 2018 का 268।

के साथ सिविल अपील सं। 13-14 , 442-443 , 19-20 , 444-445 , 448-449 ,

263-264 , 1802 2020 से।

तुषार मेहता, एस. जी., बलराम सिंह, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., हरीश एन.

साल्वे, डॉ. ए. एम. सिंघवी, एस. एन. मुखर्जी, मोहन परासरन, मोहन परासरन, जल अंधारुजिना, सी. ए. सुंदरम, श्याम दीवान, जनक द्वारकादास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री फेरेस्ते डी. सेठना, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री सुमन यादव, हरिस फाजिली, अधिराज मल्होत्रा, हसमुख रवारिया, आदित्य सरीन, श्रेयश टपारिया, कुणाल दत्त, सुश्री राशी वर्मा, सुश्री अबोली मंडलिक, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, ध्रुव दीवान, सुश्री ताहिरा करंजावाला, अनुपम प्रकाश, अविष्कार सिंघवी, रोहन बत्रा, सुश्री रीना चौधरी, अर्जुन शर्मा, श्रवण साहनी, आशुतोष P.Shukla, उत्कर्ष मारिया, एल. निधिराम शर्मा, सुश्री हर्षिता चौबे, ध्रुव सेठी। करंजावाला एंड कंपनी, नितेश जैन, अनुज बेरी,

सिद्धार्थ शर्मा, चैतन्य सफाया, कोस्तुभ देवनानी, अदरिश मजूमदार, एस. एस. श्रॉफ, रोहन बत्रा, सुश्री अदिति दानी, अश्विन कुमार डी. एस., मेसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, अक्षय अमृतांशु, नवान्जय

महापात्रा, पीयूष बेरीवाल, कानू अग्रवाल, सुश्री वंशजा शुक्ला, मोहम्मद। अखिल, अरविंद कुमार शर्मा, जे. एन. मिस्त्री, सुश्री नम्रता पारिख, सास्वत पटनायक, हसन मुर्तजा, सोमशेखर सुंदरेसन, माणिक डोगरा, सुश्री रोहिणी मूसा, रोहन जेटली, अपूर्वा दीवानजी, सुश्री सोनाली जेटली बख्शी, रुज़बेह मिस्त्री, अनुज मेनन, अभिषेक वेंकटरमण, रवि त्यागी, शुभांशु गुप्ता, सुश्री रिनी बडोनी, प्रगलभ भारद्वाज, गुंजन शाह, अक्षय डॉक्टर, हिमांक सिंह, पी. वी. योगेश्वरन, अक्षय मखीजा, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, आशीष प्रसाद, महफूज़ अहसान नाज़की, पोलंकी।

गौतम, अमिताभ सिन्हा, श्रेय शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया:

न्याय

1. लिस इन द अपील्स

1.1 टाटा संस (प्राइवेट) लिमिटेड ने सिविल अपील संख्या में दो अपीलें की हैं। 13-14 2020 का, एक अंतिम आदेश दिनांक 18-12 को चुनौती देते हुए

2019 राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित (" एन. सी. एल. ए. टी. "संक्षेप में) (i) अवैध ठहराते हुए, टाटा संस लिमिटेड के निदेशक मंडल की छठी बैठक की कार्यवाही आयोजित की गई

24.10.2016 जहाँ तक इसका संबंध श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (संक्षेप में "सीपीएम") को हटाने से है; (ii) टाटा संस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सीपीएम की स्थिति को बहाल करना और इसके परिणामस्वरूप शेष कार्यकाल के लिए टाटा कंपनियों के निदेशक के रूप में; (iii) कार्यकारी के रूप में सीपीएम के स्थान पर किसी और की नियुक्ति को अवैध घोषित करना। अध्यक्ष; (iv) श्री रतन एन. टाटा (संक्षेप में "आर. एन. टी".) और टाटा ट्रस्ट के नामित लोगों को पहले से कोई निर्णय लेने से रोकना; (v) कंपनी, उसके निदेशक मंडल और शेयरधारकों को संघ के अनुच्छेद 75 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से रोकना।

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अल्पसंख्यक सदस्यों के विरुद्ध और

कंपनी के हित में; और (vi) टाटा संस की स्थिति को बदलने के लिए कंपनी पंजीयक का निर्णय अवैध घोषित करना।

एक सार्वजनिक कंपनी से एक निजी कंपनी में सीमित।

1.2 आर. एन. टी. ने सिविल अपील सं. में दो स्वतंत्र अपीलें की हैं। 19-20 एन. सी. एल. ए. टी. के उसी आदेश के विरुद्ध 2020 का समान

आधार।

1.3 सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट नामक दो न्यासों के न्यासियों ने दो स्वतंत्र अपीलें की हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी डाउनस्ट्रीम कंपनियों ने 2020 की सिविल अपील Nos.440-441,442-443 में अलग-अलग अपीलें की हैं। 2020 का और 2020 का 448-449। आर. एन. टी. के साथ-साथ दोनों न्यासों के न्यासियों की शिकायत, उन्हें कोई भी निर्णय लेने से रोकने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के निषेधाज्ञा आदेश के संबंध में है। 6 दीवानी अपील दायर करने वाली तीन परिचालन कंपनियों की शिकायत यह है कि सीपीएम को विवादित आदेश द्वारा शेष कार्यकाल के लिए इन कंपनियों के निदेशक के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

1.4 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एन. सी. एल. टी".) के समक्ष मूल शिकायतकर्ता, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के तहत कार्यवाही शुरू की, अर्थात् (i) साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ii) स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2020 की सिविल अपील No.1802 में एक क्रॉस अपील के साथ आए हैं। उनकी शिकायत यह है कि पहले से दी गई राहतों के अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. को उन्हें प्रदान करने का निर्देश भी देना चाहिए था। टाटा संस के निदेशक मंडल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व

ये अपीलें कंपनी पंजीयक द्वारा दायर दो अंतर्वर्ती आवेदनों में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 06-01-2020 पर पारित एक आदेश से उत्पन्न होती हैं। मुंबई ने मुख्य अपीलों में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित अंतिम आदेश में संशोधन की मांग की। कंपनी पंजीयक होने का कारण था

अपीलों के निपटारे में 2 अंतर्वर्ती आवेदन दायर करने के लिए विवश,

यह था कि 2 कंपनी अपीलों में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 18-12-2019 पर पारित अंतिम आदेश में, के पंजीयक के खिलाफ कुछ टिप्पणियां थीं

"सार्वजनिक" शब्द को हटाकर और "निजी" शब्द को जोड़कर टाटा संस को निगमन का संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनियाँ। एन. सी. एल. ए. टी. ने इन 2 आवेदनों को दिनांक 06 01-2020 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसमें न केवल यह कहा गया कि कंपनियों के पंजीयक के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी, बल्कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 420 के तहत उपलब्ध शक्ति के कथित प्रयोग में अपीलों के निपटारे में अपने निष्कर्षों को सही ठहराने के लिए अतिरिक्त कारण भी दिए गए थे। इसलिए, टाटा संस ने C.A.Nos में ये 2 अपीलें की हैं। 263 और 2020 का 264।

1.6 इस प्रकार हमारे पास 15 दीवानी अपीलें हैं, जिनमें से 14 एक तरफ हैं, जो पूरी तरह से एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश का समर्थन करती हैं। शेष अपील

न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत से अधिक राहत की मांग करते हुए विरोधी समूह द्वारा दायर किया जाता है।

1.7 आसान मूल्यांकन के उद्देश्य से, हम 14 सिविल अपीलों के सेट में अपीलकर्ताओं को "टाटा समूह" या "टाटा परामर्श सेवा सीमित v" के रूप में संदर्भित करेंगे।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

अपीलकर्ता "। हम दूसरे समूह को "एसपी समूह" (शापूरजी पालोनजी समूह) या "उत्तरदाताओं" के रूप में संदर्भित करेंगे। इसी तरह हम टाटा सन्स लिमिटेड (या टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड) को केवल 'टाटा सन्स' के रूप में संदर्भित करेंगे, क्योंकि 'लिमिटेड' शब्द से पहले 'प्राइवेट' शब्द के उपयोग के बारे में विवाद है।

2. मुकदमे की पृष्ठभूमि 2.1
08.11.1917 पर, टाटा संस को एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत कंपनी।

2.2 साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो कंपनियाँ

और एस. पी. समूह का हिस्सा बने स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने क्रमशः श्रीमती रोडाबेह साहनी नाम की एक मौजूदा सदस्य से टाटा संस की चुकता शेयर पूंजी के 48 तरजीही शेयर और 40 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया। इन वर्षों में, टाटा संस में एस. पी. समूह की हिस्सेदारी बढ़कर कुल चुकता शेयर पूंजी का 18.37% हो गई है।

2.3 टाटा संस लिमिटेड का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

((i)

दो टाटा ट्रस्टों के शेयर

65.89

%

18.37

%

एस. पी. समूह के शेयर

((ख)

परिचालन कंपनियों द्वारा रखे गए शेयर

(iii)

12.87

%

कुल

97.13

%

शेष राशि आर. एन. टी. और कुछ अन्य लोगों के पास है।

2.4 25.06.1980 से 15.12.2004 श्री पालोनजी एस. मिस्त्री,

सीपीएम के पिता टाटा संस के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक थे। 10.08.2006 पर CPM को बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2.5 टाटा संस के निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव द्वारा दिनांकित

16.03.2012 , सीपीएम को 01.04.2012 से 31.03.2017 तक पांच साल की अवधि के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि एक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन। आम बैठक ने 01.08.2012 पर अपनी मंजूरी दे दी।

2.6 18.12.2012 दिनांकित एक प्रस्ताव द्वारा, के निदेशक मंडल

टाटा संस ने आर. एन. टी. को मानद अध्यक्ष के रूप में नामित करते हुए भी, 29.12.2012 से प्रभाव के साथ सी. पी. एम. को अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया।

2.7 आई. डी. 1 पर पारित एक प्रस्ताव द्वारा, टाटा संस के निदेशक मंडल ने सी. पी. एम. को आर. एन. टी. के साथ अंतरिम गैर-कार्यकारी के रूप में बदल दिया। सभापति। यह ध्यान देने योग्य है कि सीपीएम को केवल कार्यकारी अध्यक्ष के पद से बदल दिया गया था और टाटा संस के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहना या न रहना उनकी पसंद पर छोड़ दिया गया था।

2.8 एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, कुछ चीजें हुईं और अलग-अलग

टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरधारकों की बैठकों में प्रस्ताव पारित किए गए

लिमिटेड, सीपीएम को उन कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया था। सीपीएम ने उन्हें निदेशक पद से हटाने के आसन्न प्रस्तावों के बारे में जानने के बाद इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जैसी कुछ अन्य परिचालन कंपनियों के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

2.9 इसके बाद, साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां

एस. पी. समूह, जिसमें सी. पी. एम. का नियंत्रण हित है, ने राष्ट्रीय कंपनी के समक्ष 2016 के सी. पी. No.82 में एक कंपनी याचिका दायर की। अनुचित पूर्वाग्रह, उत्पीड़न और उत्पीड़न के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के साथ पठित धारा 241 और 242 के तहत विधि न्यायाधिकरण

कुप्रबंधन।

2.10 लेकिन इन दोनों कंपनियों, जिन्हें इसके बाद 'शिकायतकर्ता-कंपनियां' कहा जाता है, के पास कुल जारी किए गए धन का केवल 2 प्रतिशत था।

टाटा संस की शेयर पूंजी। यह धारा 241 और 242 को लागू करने के लिए धारा 244 (1) (ए) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता से बहुत कम है। इसलिए, शिकायतकर्ता कंपनियों ने धारा 244 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत एक विविध आवेदन दायर किया, जिसमें धारा 244 (1) (ए) की आवश्यकता को माफ करने की मांग की गई है, जिसमें कंपनी के कम से कम एक सौ सदस्यों के लिए एक शेयर पूंजी या निश्चित सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा या किसी भी सदस्य या सदस्य के लिए आवेदक/आवेदक होने का हकदार होना आवश्यक है।

2.11 धारा 244 (1) (ए) की आवश्यकता को माफ करने के लिए आवेदन के साथ, शिकायतकर्ता कंपनियों ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. की एक असाधारण आम बैठक (संक्षिप्त में "ईजीएम") पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन भी दायर किया।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

टाटा सन्स, जिसमें टाटा सन्स के निदेशक के रूप में सीपीएम को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। एन. सी. एल. टी. ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप

जिसे ई. जी. एम. ने निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ाया और सी. पी. एम. को टाटा संस के निदेशक पद से हटा दिया गया, एक प्रस्ताव दिनांक 16.02.2017 द्वारा।

2.12 इसके बाद, दिनांक 06.03.2017 के एक आदेश द्वारा, NCLT ने मुख्य कंपनी याचिका को व्यक्तियों के कहने पर बनाए रखने योग्य नहीं माना। जारी की गई शेयर पूंजी का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा। इसके बाद 17.4.2017 का एक और आदेश आया, जिसके द्वारा NCLT ने छूट के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

2.13 शिकायतकर्ता कंपनियों ने एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर की

दोनों दिनांकित 06.03.2017 और 17.04.2017 आदेशों के विरुद्ध। इन अपीलों को 21.09.2017 पर अनुमति दी गई थी, जिसमें धारा 244 (1) (ए) की आवश्यकता को माफ कर दिया गया था और गुण-दोष पर निपटारे के लिए मामले को NCLT को वापस भेज दिया गया था। टाटा समूह ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी।

2.14 इसके बाद, एन. सी. एल. टी. ने योग्यता के आधार पर कंपनी की याचिका पर सुनवाई की और इसे 09.07.2018 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

2.15 एन. सी. एल. टी. के आदेश को चुनौती देते हुए, दोनों शिकायतकर्ता कंपनियों ने एक अपील दायर की। सीपीएम ने एक और अपील दायर की। इन दोनों अपीलों को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 18.12.2019 दिनांकित अंतिम आदेश द्वारा निम्नलिखित राहत प्रदान करते हुए अनुमति दी गई थी:

बोर्ड की छठी बैठक की कार्यवाही

((i)

श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें प्रत्यर्थी) के खिलाफ हटाए जाने और की गई अन्य कार्रवाइयों के संबंध में सोमवार, 24 अक्टूबर, 2016 को आयोजित 'टाटा संस लिमिटेड' के निदेशकों की संख्या को अवैध घोषित किया जाता है और अलग कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें उत्तरदाता) को 'टाटा संस लिमिटेड' के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और परिणामस्वरूप 'टाटा कंपनियों' के निदेशक के रूप में अपने मूल पद पर बहाल कर दिया गया है।

शेष कार्यकाल के लिए।

इसकी अगली कड़ी के रूप में, वह व्यक्ति जो

श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें प्रतिवादी) के स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, उनकी परिणामी नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री रतन एन. टाटा (द्वितीय उत्तरदाता) और नामित व्यक्ति

((ख)

'टाटा ट्रस्ट' के सदस्य पहले से कोई भी निर्णय लेने से बचेंगे जिसके लिए निदेशक मंडल या वार्षिक सामान्य में बहुमत निर्णय की आवश्यकता होती है।

बैठक होती है।

'पूर्वाग्रहपूर्ण' और 'दमनकारी' निर्णय को देखते हुए

(iii)

पिछले कुछ वर्षों के दौरान ली गई कंपनी, इसके निदेशक मंडल और शेयरधारक जिन्होंने

स्थापना के बाद से अनुच्छेद 75 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलार्थियों और अन्य अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ अनुच्छेद 75 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह की शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और कंपनी के हित में किया जा सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित को सूचित किया जाना चाहिए।

शेयरधारक जिनका अधिकार प्रभावित होगा।

कम्पनी पंजीयक का निर्णय

((iv)

कंपनी ('टाटा संस लिमिटेड') को 'सार्वजनिक कंपनी' से 'निजी कंपनी' में बदलना अवैध घोषित किया जाता है और अलग रखा जाता है। कंपनी (टाटा संस लिमिटेड) को 'सार्वजनिक कंपनी' के रूप में दर्ज किया जाएगा। 'कंपनी पंजीयक' सुधार करेगा।

कंपनी को दिखाने वाले अपने रिकॉर्ड में (टाटा सन्स)

लिमिटेड ')' पब्लिक कंपनी 'के रूप में।

2.16 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 18 12-2019 के अपने आदेश द्वारा अपीलों का निपटारा करने के बाद, कंपनियों के पंजीयक ने उनके खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए 2 अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए। इन आवेदनों को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांक 06-01 2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, 2019 के एन. सी. एल. ए. टी. के अंतिम आदेश के विपरीत, (i) टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (ii) आर. एन. टी. (iii) दो टाटा ट्रस्टों के न्यासियों और (iv) टाटा समूह की तीन परिचालन कंपनियों ने 2-2 दीवानी अपील (कुल 12 अपील) दायर की हैं और शिकायतकर्ता कंपनियों ने एक दीवानी अपील दायर की है। इसके अलावा, टाटा संस ने पंजीयक के आवेदनों पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 06-01-2020 आदेश के खिलाफ 2 और अपीलें भी की हैं।

कम्पनियों से।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

3. शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी याचिका में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के तहत मामला दर्ज किया गया और राहत की मांग की गई

3.1 कंपनी की याचिका में क्योंकि यह मूल रूप से एस. पी. समूह द्वारा दिसंबर, 2016 में एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर की गई थी, शिकायतकर्ता-कंपनियों ने दावा किया कि टाटा संस के मामलों को इस तरह से चलाया जाता है जैसे कि यह एक स्वामित्व वाली कंपनी हो।

आर. एन. टी. की चिंता और यह कि प्रत्यर्थियों का दमनकारी आचरण ऐसा था कि टाटा संस को बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत होगा, लेकिन इस तरह का बंद करना याचिकाकर्ताओं के हित को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा और इसलिए न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश पारित करने चाहिए ताकि उत्पीड़न और कुप्रबंधन के कृत्यों को समाप्त किया जा सके।

3.2 उत्पीड़न और कुप्रबंधन के कृत्यों के खिलाफ शिकायत की गई

टाटा संस (i) ट्रस्टों और उनके नामित निदेशकों को निदेशक मंडल पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाने के लिए, विशेष रूप से अनुच्छेद 121,121 ए, 86,104 बी और 118 का कथित दुरुपयोग; (ii) बिना किसी सूचना के सीपीएम को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवैध रूप से हटाने और उन्हें टाटा समूह की सभी परिचालन कंपनियों के निदेशक पद से हटाने का पूरा प्रयास; (iii) टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड के संबंध में श्री सी. शिवशंकरन के साथ कथित संदिग्ध लेनदेन; (iv) आरएनटी कथित रूप से टाटा संस के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि कठपुतली के रूप में काम करने वाले अन्य सभी लोगों के साथ स्वामित्व की चिंता, जिसके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल निष्पक्षता और ईमानदारी की परीक्षा में विफल रहा (v) ब्रिटेन के कोरस समूह पी. एल. सी. का बढ़े हुए मूल्य पर अधिग्रहण और फिर थिसेन क्रुप के साथ इसके विलय के लिए बातचीत को खतरे में डालना (vi) नैनो कार परियोजना एक आपदा बन गई,

जिसमें साल दर साल नुकसान जमा हो रहा था और आर. एन. टी. को नैनो ग्लाइडर की आपूर्ति में हितों का टकराव था।

कंपनी जिसमें उनकी हिस्सेदारी थी; (vii) स्टर्लिंग को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के लिए आई. एल. एंड. एफ. एस. ट्रस्ट कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करना (viii) स्टर्लिंग को अंतर-कॉर्पोरेट ब्रिज ऋण प्रदान करने के लिए टाटा स्टील की सहायक कंपनी कालीमती इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बनाना; (ix) एनटीटी डोकोमो और स्टर्लिंग के साथ लेनदेन के परिणामस्वरूप एक चौंका देने वाली राशि के लिए मध्यस्थता पुरस्कार; (x) स्टर्लिंग के शिवा को जानकारी लीक करना जिसके परिणामस्वरूप शिवा ने टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा संस को कानूनी नोटिस जारी किए (xi) आर. एन. टी. ने मेहली मिस्त्री को टाटा समूह की कंपनी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट की बिक्री के माध्यम से अपने लिए व्यक्तिगत लाभ कमाया; (xii) मेहली मिस्त्री द्वारा नियंत्रित कंपनियों को देय अनुग्रह प्राप्त करना।

3.3 उपरोक्त के आधार पर, शिकायतकर्ता-कंपनियाँ

एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रतिवादः - (i) कि टाटा संस के निदेशक शेयरधारकों के लिए और उनकी ओर से अपनी प्रत्ययी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएनटी और दो न्यासों के न्यासियों द्वारा नियंत्रित केवल कठपुतली बन गए हैं; (ii) कि संघ के अनुच्छेदों में निहित शक्तियों का दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के हित और सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल; (iii) कि विभिन्न परिचालन निर्णय या तो भावनात्मक कारणों से लिए जाते हैं।

या आर. एन. टी. के अहंकार को लुभाने के लिए; (iv) एयर एशिया में धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को बचाने के प्रयास किए जाते हैं; (v) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि शिवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

जिनका रु. बकाया है। 694 (vi) कि रतन टाटा ने अपने सहयोगियों को टाटा संस की कीमत पर अन्यायपूर्ण तरीके से खुद को समृद्ध करने में सक्षम बनाया; और (vii) कि टाटा संस के वर्तमान निदेशक अपने हितों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

टाटा संस के शेयरधारक और टाटा समूह की विभिन्न परिचालन कंपनियों के शेयरधारकों के हित।

3.4 उपरोक्त दलीलों और तर्कों के आलोक में,

एन. सी. एल. टी. के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने लगभग 21 राहतों का एक सेट मांगा, जिसका संक्षिप्त संस्करण इस प्रकार है:

" (ए) के मौजूदा निदेशक मंडल को हटा दें

प्रत्यर्थी संख्या 1 और एक प्रशासक नियुक्त करें;

उपरोक्त प्रार्थना (ए) के विकल्प में, एक नियुक्त करें

(बी)

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्यर्थी के निदेशक मंडल के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में

संख्या 1 और इतनी संख्या में नए स्वतंत्र नियुक्त करें।

निदेशक;

तथाकथित "अंतरिम अध्यक्ष" को रोकें अर्थात

(सी)

प्रत्यर्थी संख्या 2 की किसी भी बैठक में भाग लेने से

निदेशक मंडल;

प्रत्यर्थी संख्या 14 को हस्तक्षेप करने से रोकें

(डी)

प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले;

(ई)

प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई प्रतिभूति जारी नहीं करने का निर्देश

जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान चुकता इक्विटी कमजोर हो जाती है।

पूँजी; संरक्षण सेवाएँ सीमित v. साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

उत्तरदाताओं को निर्देश दें कि वे उत्तरदाता संख्या 11 को उत्तरदाता मंडल से निदेशक के रूप में न हटाएं नंबर 1;

उत्तरदाताओं को उत्तरदाता संख्या 1 के संघ के लेखों में कोई भी बदलाव करने से रोकें;

प्रत्यर्थी संख्या 1 और/या टाटा समूह की कंपनियों के संचालन में टाटा ट्रस्ट के न्यासियों की भूमिका की जांच का आदेश दें और न्यासियों को इन मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकें। उत्तरदाता संख्या 1 और/या टाटा समूह की कंपनियाँ;

संचालन के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करें

प्रत्यर्थी संख्या 1 के लेन-देन और लेन-देन में फोरेंसिक ऑडिट, विशेष रूप से C.Sivasankaran और उसकी व्यावसायिक संस्थाओं के साथ सभी लेन-देन और श्री मेहली मिस्त्री और उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े सभी लेनदेन और ऑडिट और जांच के ऐसे निष्कर्षों को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

एस. ई. बी. आई. (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन की जांच के लिए एक निरीक्षक (लागू कानून के तहत) की नियुक्ति और/या इस तरह की जांच के निष्कर्षों को गंभीर विभाग को भेजें।

मंत्रालय का धोखाधड़ी जांच कार्यालय

निगमित मामले, भारत सरकार।

उत्तरदाता सं. 2 को उत्तरदाता सं. 1 को बख्तावर फ्लैट की उप-किरायेदारी के समर्पण के कारण उत्तरदाता सं. 2 को अर्जित अन्यायपूर्ण संवर्धन की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना; एयरएशिया द्वारा भारत और सिंगापुर में संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन की पुनः जांच के लिए एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करें और ऑडिट के ऐसे निष्कर्षों को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजा जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट मामलों के विभाग, भारत सरकार; [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(एम)

अनुच्छेद संख्या 86,104 (बी), 118,121 और 121 ए अपनी संपूर्णता में और जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 के संघ के लेखों के अनुच्छेद 124 का संबंध है, उक्त अनुच्छेद के निम्नलिखित भाग, जो अपमानजनक और/या अप्रिय है, को हटा दिया जाना चाहिए: " ..... जिन मामलों पर बोर्ड निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, उन पर निर्णय लेने के लिए सशक्त किसी भी समिति के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 104 बी के अनुसार कम से कम एक निदेशक की नियुक्ति होगी। द.

कोरम से संबंधित प्रावधान और जिन तरीकों से मामलों का निर्णय किया जाएगा वे अनुच्छेदों में निहित हैं।

115 और 121 क्रमशः उत्परिवर्तन लागू करेंगे।

समिति की कार्यवाही के लिए उत्परिवर्तन "। प्रत्यर्थी संख्या 1 के संघ के लेखों से; और इन अनुच्छेदों को ऐसे अनुच्छेदों से प्रतिस्थापित करें जिनकी इस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के लिए आवश्यकता हो सकती है;

उत्तरदाताओं को निर्देश दें (उत्तरदाता संख्या को छोड़कर।

(एन)

4 , 10 & 11) उत्तरदाता संख्या 1 में वापस लाने के लिए, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के लिए उपयोग की गई धनराशि

टाटा मोटर्स की;

उत्तरदाता संख्या 1 को कोई नया कार्य शुरू करने से रोकें।

(0)

व्यवसाय की रेखा या कोई नया व्यवसाय प्राप्त करना;

न्यास के न्यासियों को इसमें हस्तक्षेप करने से रोकें

(पी)

प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले और विभिन्न मामलों में

कंपनियाँ;

मौजूदा चयन समिति को कार्य करने से रोकें

(क्यू)

किसी भी आगे।

निर्देश दें कि चयन द्वारा कोई भी उम्मीदवार नहीं चुना गया है

(आर)

इस माननीय न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना नियुक्त किए जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के संघ के अनुच्छेद 118 के अनुसार गठित समिति;

प्रत्यर्थी संख्या 1 को मांग नहीं करने और/या

(एस)

टाटा के भीतर किसी भी सूचीबद्ध परिचालन कंपनी से कोई भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करें।

समूह; टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

के संदर्भ में अंतरिम और विज्ञापन अंतरिम राहत प्रदान करें

(टी)

प्रार्थना (ए) से (एस) ऊपर; और

इस तरह के और आदेश पारित करें कि यह माननीय न्यायाधिकरण

(यू)

अधिनियमों को समाप्त करने के लिए आवश्यक समझा जा सकता है

दौड़ में उत्पीड़न और कुप्रबंधन का

प्रत्यर्थी संख्या 1 ".

4. अभिवचनों में संशोधन, राहतों को जोड़ना और हटाना

4.1 उपरोक्त अध्याय-3 की विषय-वस्तु कंपनी की याचिका में की गई दलीलें और मांगी गई राहत हैं, जैसा कि मूल रूप से इस पर दायर किया गया था।

20.12.2016 . लेकिन दलीलों और प्रार्थनाओं में कार्यवाही के दौरान कुछ बदलाव हुए, आंशिक रूप से बाद के विकास के कारण और आंशिक रूप से रणनीति/बेहतर परामर्श में बदलाव के कारण।

4.2 यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दलीलों और मांगी गई राहतों में कुछ बदलाव उचित आवेदनों के माध्यम से किए गए थे

संशोधन के लिए और कुछ अन्य केवल अतिरिक्त शपथपत्रों के माध्यम से थे। हम इस भाग में उन्हें विज्ञापन देंगे। 4.3 20.12.2016 पर दायर कंपनी की याचिका को 22.12.2016 पर लिया गया और NCLT ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक आदेश पारित किया:

" सभी पक्षों ने भी इस पर सहमति जताई है।

विशेष रूप से याचिकाकर्ता वकील, या आर-11 वकील और जवाब देने वाले उत्तरदाताओं की ओर से वकील द्वारा कि वे कोई अंतरिम आवेदन दायर नहीं करेंगे या कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे या

इस विषय पर कार्यवाही इस के निपटारे के लिए लंबित है

कंपनी याचिका '।

4.4 जल्द ही मामला तूल पकड़ने लगा। यह दावा करते हुए कि सीपीएम ने चार डिब्बे भेजे-जिनमें टाटा एजुकेशन से संबंधित कई दस्तावेज थे ट्रस्ट, आयकर उपायुक्त को परेशानी पैदा करने के उद्देश्य से, टाटा संस के निदेशक के रूप में सीपीएम को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 06.02.2017 पर टाटा संस की ईजीएम बुलाने के लिए एक विशेष नोटिस जारी किया गया था।

4.5 इसलिए, शिकायतकर्ता-कंपनियों ने अवमानना याचिका दायर की

आवेदन। उक्त आवेदन को एन. सी. एल. टी. द्वारा एक आदेश द्वारा निपटाया गया था।

दिनांक 18.01.2017, शिकायतकर्ता-कंपनियों और CPM को [2021] 12 एस. सी. आर. की अनुमति देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.6 तदनुसार, 21.01.2017 पर एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने दिनांक 31.01.2017 के एक आदेश द्वारा प्रार्थना को खारिज कर दिया। ई. जी. एम. के ठहरने के लिए एस. पी. समूह का 06.02.2017 पर आयोजित किया जाना है।

4.7 एस. पी. समूह ने रोक से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील दायर की

सीपीएम की स्थिति में एस. पी. समूह संशोधन के लिए याचिका दायर करेगा ई. जी. एम. में हटाया जा रहा है। 06.02.2017 पर आयोजित EGM में, CPM को हटा दिया गया था।

अर्थात्: - (i) उत्तरदाताओं को प्रतिनिधि को बहाल करने का निर्देश देना। शिकायतकर्ता-टाटा संस के बोर्ड की कंपनियाँ; और (ii) निर्देश देना।

निदेशक मंडल में शेयरधारकों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करने के लिए टाटा संस के संघ के लेखों में संशोधन

4.9 लेकिन अवमानना के लिए याचिका, ई. जी. एम. पर अंतरिम रोक के लिए याचिका और अतिरिक्त प्रार्थनाओं को शामिल करने के लिए संशोधन के लिए आवेदन, सभी व्यर्थ में अभ्यास साबित हुए, जिसमें एन. सी. एल. टी. ने दो पास किए

ऑर्डर, एक 06.03.2017 पर और दूसरा 17.04.2017 पर। पहले आदेश से

दिनांक 06.03.2017, NCLT ने कंपनी की याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं माना,

इस आधार पर कि दो शिकायतकर्ता कंपनियों के पास कम से कम स्वामित्व नहीं था

10 % टाटा संस की जारी की गई शेयर पूंजी। दूसरे आदेश दिनांक 17.04.2017 द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने धारा 244 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत दायर छूट देने के आवेदन को खारिज कर दिया।

4.10 लेकिन एन. सी. एल. टी. के दिनांकित उपरोक्त आदेश 06.03.2017 और

17.04.2017 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 21.09.2017 के आदेश द्वारा उन्हें उलट दिया गया और मामले को एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दिया गया।

4.11 इसके बाद, शिकायतकर्ता-कंपनियों ने एक अतिरिक्त याचिका दायर की

शपथ पत्र, संशोधन के लिए एक आवेदन, रोक के लिए एक आवेदन और पहले से मांगी गई कुछ राहतों को छोड़ने के लिए एक ज्ञापन।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

इनसे संबंधित तथ्यों को एक सारणीबद्ध स्तंभ में संकुचित किया जा सकता है।

इस प्रकार है:

Sl.No।	दिनांकित अतिरिक्त शपथ पत्र	क्या दाखिल किया गया था	यह अतिरिक्त हलफनामा मांगा गया था	राहत की मांग की
1 .	31.10.2017	टाटा संस के रूपांतरण को चुनौती दें	पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने से	एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में।

संशोधन के लिए आवेदन

2 .

इस आवेदन के माध्यम से, शिकायतकर्ता

निम्नलिखित प्रार्थनाएँ मांगी:

दिनांकित 31.10.2017

(एम-1):

संकल्प को अलग रखें

21 सितंबर को प्रतिवादी संख्या 1,

2017 जहाँ तक वह संशोधन करना चाहता है

लेख

संघ और

में से

एसोसिएशन का ज्ञापन

के रूपांतरण के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1

प्रत्यर्थी संख्या 1 एक निजी में

कंपनी।

अनुच्छेद 75 को हटा दें/हटा

दें

(एम-2):

उसी के हाथों में एक उपकरण है

बहुसंख्यक शेयरधारकों का दमन करना

अल्पसंख्यक; और

(एम-3):

अंतिम सुनवाई का इंतजार

कंपनी याचिका का निपटान,

संकल्प का प्रभाव और संचालन

दिनांक 21 सितंबर, 2017 को रोक लगा दी जाए।

(एफ-1):

प्रत्यक्ष उत्तरदाता संख्या 1

बोर्ड में याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 1

निर्देश दें कि के लेख

(जी-1):

उत्तरदाता सं. 1 का संगठन

आनुपातिक प्रावधान के लिए संशोधन किया गया

शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व

उत्तरदाता संख्या 1 का निदेशक मंडल

स्थगन तिथि के लिए आवेदन

इस आवेदन के माध्यम से,

3 .

शिकायतकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग की

31.10.2017

में से

टाटा संस का निजी संगठन में रूपांतरण लिमिटेड कंपनी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस ज्ञापन से मूल रूप से कुछ राहतें मिली हैं।

मेमो दिनांकित 12.01.2018

4 .

और एक विशेष राहत मांगी गई थी सीमित रहें। ज्ञापन में प्रार्थना

यह इस प्रकार था:

प्रार्थना एम, जिसकी मांग की गई

ए।

अनुच्छेद 86,104 (बी), 118,

121 और 121 ए, और एक की हड़ताली

अनुच्छेद 124 का भाग इस प्रकार प्रतिबंधित है -

इसके अंतर्गत:

आई.

एक की आवश्यकता

सकारात्मक मतदान

अधिकांश निदेशक

न्यासों द्वारा नामित,

जिनमें से अधिकांश

शेयरधारकों को हटा दिया जाए;
याचिकाकर्ताओं को अधिकार है

ii.

को

आनुपातिक

बोर्ड में प्रतिनिधित्व

उत्तरदाता के निदेशक

नंबर 1;

याचिकाकर्ताओं को अधिकार है

iii.

सभी का प्रतिनिधित्व करना

द्वारा गठित समितियाँ

निदेशक मंडल

प्रत्यर्थी संख्या 1; और

एसोसिएशन के लेख

iv.

तदनुसार संशोधन किया जाए।

प्रार्थना ए, बी और सी नहीं थी

बी।

दबाया गया।

प्रार्थनाएँ एफ, क्यू और आर

सी.

निष्फल को दबाया नहीं गया था।

5. में लगाए गए आरोपों पर टाटा संस की प्रतिक्रिया

कंपनी याचिका

5.1 टाटा संस ने कंपनी की याचिका का जवाब दायर किया

अन्य बातों के साथः (i) सी. पी. एम., जिसे 9 में से 7 निदेशकों का विश्वास खोने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था, ने शिकायतकर्ता कंपनियों का उपयोग टाटा समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए करने की मांग की है; (ii) जिन निर्णयों में सी. पी. एम. एक पक्ष था, उनमें भी टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित हैं।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

याचिका में सवाल किया गया है; (iii) कि 1868 में स्थापित टाटा समूह एक वैश्विक उद्यम है, जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसमें सौ से अधिक परिचालन कंपनियां शामिल हैं, जिनकी छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में उपस्थिति है, जो सामूहिक रूप से 6,60,000 लोगों को रोजगार देती हैं; (iv) कि 2015-16 में टाटा समूह का राजस्व $103.51 बिलियन था; (v) कि टाटा समूह में 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिनका संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग $116.41 बिलियन है; (vi) कि 65.3% का

टाटा संस की सामान्य शेयर पूंजी परोपकारी न्यासों के पास है।

जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सृजन और कला और संस्कृति का समर्थन करते हैं; (vii) यह सीपीएम के कहने पर था कि आरएनटी को मानद अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे एक विशेष और स्थायी आमंत्रित के रूप में बोर्ड की बैठकों में भाग लें और बोर्ड का मार्गदर्शन करना जारी रखें; (viii) कि अनुच्छेद 104 बी और 121 को 13.09.2000 पर आयोजित टाटा संस की वार्षिक आम बैठक में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के एक नए संस्करण के माध्यम से पेश किया गया था और अनुच्छेद 121 को बाद में प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया गया था। दिनांक 09.04.2014; (ix) कि शिकायतकर्ता कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री पालोनजी शापूरजी मिस्त्री, 13.09.2000 पर आयोजित आम बैठक में उपस्थित थे; (x) कि सीपीएम स्वयं शेयरधारकों द्वारा अनुच्छेद 121 ए और 121 बी को पेश करते हुए अनुच्छेद 121 ए पर पारित प्रस्ताव में एक पक्ष था; (xi) कि सीपीएम के नेतृत्व ने कुछ मुद्दों को जन्म दिया जैसे कि पूंजी आवंटन निर्णयों पर अपर्याप्त विवरण और अनुशासन, पहचानी गई समस्याओं पर धीमी निष्पादन, विशिष्टता की कमी और रणनीतिक योजना और व्यावसायिक योजना में पालन, नए विकास व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए सार्थक कदम उठाने में विफलता, कमजोर शीर्ष प्रबंधन टीम और संघ के लेखों को अपनाने में अनिच्छा जो शासन को स्पष्ट करते हैं।

कंपनी की संरचना और टाटा ट्रस्ट के अधिकार; (xii) कि टाटा के निदेशक मंडल के बीच विश्वास की कमी बढ़ रही थी। सन्स और सीपीएम कई कारणों से, जैसे कि एस. पी. ग्रुप ऑफ कंपनीज को अनुबंध देने के मामले में हितों का टकराव और अन्य प्रमुख टाटा कंपनियों के बोर्डों में टाटा सन्स के निदेशकों के प्रतिनिधित्व में उनकी व्यवस्थित और योजनाबद्ध कमी; (xiii) वह भी

जब टाटा संस के निदेशकों ने आई. डी. 1 पर सी. पी. एम. को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बदलने का निर्णय लिया, तो बोर्ड ने टाटा संस के निदेशक के रूप में उनके बने रहने पर सहमति व्यक्त की; (xiv) हालांकि सी. पी. एम. ने झूठे आरोप लगाते हुए निदेशकों को आई. डी. 2 पर एक तीखे मेल को संबोधित किया; (xv) हालांकि मेल को गोपनीय चिह्नित किया गया था, लेकिन साथ ही प्रेस में लीक कर दिया गया था; (xvi) कि सी. पी. एम. ने भी टाटा संस से संबंधित गोपनीय जानकारी और दस्तावेजों को तीसरे पक्ष को प्रकट करके अपने प्रत्ययी और संविदात्मक कर्तव्यों का उल्लंघन किया; (xvii) कि सी. पी. एम. ने [2021] 12 एस. सी. आर. को अभ्यावेदन दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी परिचालन कंपनियों के शेयरधारक, अप्रमाणित और झूठे आरोपों के साथ, इस प्रकार संचालन कंपनियों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए गोपनीय डेटा उपलब्ध कराने के लिए असुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं; (xviii) कि टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड के शेयरधारकों ने क्रमशः 12.12.2016,13.12.2016 और 14.12.2016 पर सीपीएम को निदेशक पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किए; (xix) इसलिए, सीपीएम ने अन्य कंपनियों के निदेशक पद से भी 19.12.2016 पर इस्तीफा दे दिया, जब उन्हें आसन्न बैठकों में हटाए जाने की संभावना का सामना करना पड़ा; (xx) कि 24.10.2016 के बाद सीपीएम के कार्यों और आचरण ने टाटा संस को उन्हें निदेशक पद से हटाने के लिए एक विशेष नोटिस और मांग जारी करने के लिए मजबूर किया; (xxi) कि कंपनी की याचिका कॉर्पोरेट प्रशासन के कारण का समर्थन करने या उत्पीड़न और दमन के लिए उपाय करने के बारे में नहीं थी।

टाटा संस का कुप्रबंधन; (xxii) कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके निष्कासन से पहले, सीपीएम ने कभी भी किसी उत्पीड़न या कुप्रबंधन के बारे में कोई चिंता नहीं जताई; (xxiii) कि शिकायतकर्ता कंपनियों द्वारा शिकायत किए गए उत्पीड़न के कई कार्य कंपनी की याचिका दायर करने की तारीख से बहुत पहले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी की याचिका में देरी और बाधाओं के कारण निराशाजनक रूप से रोक लगा दी गई थी।

5.2 उत्पीड़न और कुप्रबंधन के आरोपों पर टाटा संस की प्रतिक्रिया इस प्रकार थीः (i) कि शिकायतकर्ता कंपनियों ने तीखा हमला करने के लिए कुछ व्यावसायिक निर्णय लिए हैं। टाटा ट्रस्ट पर; (ii) शिकायतकर्ता कंपनियों ने कोरस अधिग्रहण और नैनो परियोजना जैसे खराब व्यावसायिक सौदों के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड द्वारा टेटली अधिग्रहण, टाटा मोटर्स द्वारा अत्यधिक सफल जगुआर लैंड रोवर अधिग्रहण और टाटा की अभूतपूर्व सफलता के बारे में बात करना छोड़ दिया है।

परामर्श सेवाएँ; (iii) कि कोरस का अधिग्रहण, नैनो परियोजना, श्री मेहली मिस्त्री की व्यावसायिक संस्थाओं को दिए गए अनुबंध और श्री सी. शिवशंकरन द्वारा किए गए निवेश का खुलासा होने के बाद ही

हुआ है। श्री साइरस मिस्त्री का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रतिस्थापन; (iv) कि सी. पी. एम. वर्ष 2006 से टाटा संस का निदेशक रहा है और दिसंबर, 2012 से अक्टूबर, 2016 तक कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा है और इन परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों के बारे में पूरी तरह से अवगत था जब वे लिए गए थे; (v) कि इन परियोजनाओं के निदेशक मंडल के वाणिज्यिक निर्णयों पर निर्णय लेने के लिए अदालतों को नहीं बुलाया जा सकता है।

कंपनियाँ; और (vi) कि निदेशक मंडल के व्यावसायिक गलत निर्णयों को भी उत्पीड़न और गलत निर्णयों के उदाहरण के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है।

प्रबंधन।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

5.3 उत्पीड़न और कुप्रबंधन के विशिष्ट कृत्यों पर, में उठाया गया

कंपनी की याचिका, जैसे कि (i) यू. के. की कोरस पी. एल. सी. की अधिक कीमत और भारी अधिग्रहण; (ii) बर्बाद नैनो कार परियोजना; (iii) कालिमती इन्वेस्टमेंट्स द्वारा शिवा को दिया गया ऋण; (iv) मेहली मिस्त्री को आवासीय फ्लैट की बिक्री; (v) मेहली मिस्त्री और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों का अन्यायपूर्ण संवर्धन, उनके साथ आर. एन. टी. के व्यक्तिगत समीकरण के कारण; (vi) विमानन उद्योग के दुस्साहस; और (vii) टाटा मोटर्स के शेयरों की खरीद के कारण भारी नुकसान, टाटा संस द्वारा दायर जवाब में एक विस्तृत और ग्राफिक खंडन शामिल था। हम इस सवाल पर विचार करते हुए बाद में उन पर ध्यान देंगे कि क्या आरोप अधिनियम की धारा 241 और 242 के तत्व हैं या नहीं।

6. एनसीएलटी का दृष्टिकोण

6.1 एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 9.7.2018 के आदेश में उत्पीड़न, कुप्रबंधन और पूर्वाग्रह के प्रत्येक आरोप की जांच की और दर्ज किया।

श्रेणीबद्ध निष्कर्ष। संक्षेप में, ये निष्कर्ष, आरोप-वार, इस प्रकार थेः

शिवा और स्टर्लिंग समूह के इर्द-गिर्द घूमते आरोपों पर

कंपनियाँ

टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों का अधिग्रहण वर्ष 2006 में किया गया था।

((i)

बोर्ड की मंजूरी के साथ और इसलिए लगभग 10 साल बाद, इसे एक मुद्दे के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। यह भी एक तथ्य है

कि शिकायतकर्ता कंपनियों ने दो महीने पहले वही टी. टी. एस. एल. शेयर प्रति शेयर Rs.15 के लिए हासिल किए थे।

कालीमती निवेश से लिया गया ऋण पहले से ही था।

((ख)

शिवा ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा भुगतान किया गया और कंपनी को स्वयं शिवा द्वारा अपने उपक्रम से मुक्त कर दिया गया, जिन्होंने उनसे लिए गए ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक।

(iii)

इस आरोप के बारे में कि शिव ने बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया

एन. टी. टी. डोकोमो @Rs.117 को प्रति शेयर, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि ये शेयर वर्ष में बेचे गए थे।

2008 एनटीटी डोकोमो के लिए, जबकि एनटीटी डोकोमो था

टी. टी. एस. एल. के साथ-साथ टी. टी. एस. एल. के कुछ शेयरधारकों से थोक में शेयर प्राप्त करना, जिसमें सी. पी. एम. के भाई और पिता और शिवा भी शामिल हैं। टी. टी. एस. एल. के शेयर एन. टी. टी. डोकोमो को बेचने से जिस तरह शिवा समूह को लाभ हुआ, उसी तरह उन्हें भी लाभ हुआ।

लेकिन यह [2021] 12 एस.
सी. आर. नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायतकर्ता कंपनियों द्वारा या तो अपनी याचिका में या अपने प्रत्युत्तर में खुलासा किया गया। जिस दर पर याचिकाकर्ताओं ने टी. टी. एस. एल. के शेयर हासिल किए थे, वह उस दर से कम है जिस दर पर शिवा समूह ने अधिग्रहण किया था और याचिकाकर्ताओं ने एन. टी. टी. डोकोमो को शेयर बेचकर जो लाभ कमाया था।

शिव समूह को शेयर बेचने से मिले लाभ से अधिक

एनटीटी डोकोमो।

याचिकाकर्ता या उसके द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

((iv)

सीपीएम द्वारा यह दिखाने के लिए कि कोई भी जानकारी लीक की गई थी

शिवा समूह या तो आर. एन. टी. द्वारा या किसी और द्वारा।

(v)

डोकोमो का मुद्दा 2016 में सामने आया, जब पुरस्कार Rs.8450 करोड़ के भुगतान के लिए पारित किया गया था। जिस पत्र को लेकर विवाद उठाया गया है, वह आर. एन. टी. द्वारा वर्ष 2013 में लिखा गया था। इसलिए उस पत्र को डोकोमो मुद्दे से जोड़ा नहीं जा सकता है ताकि यह दिखाया जा सके कि आर. एन. टी. उत्साहजनक था।

श्री शिवा कंपनी को पैसे न दें।

एयर एशिया से संबंधित आरोपों पर

एयर एशिया इंडिया प्रा. लिमिटेड एयर के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

((i)

एशिया बरहाद (मलेशियाई कंपनी) और टाटा संस, 28.03.2013 पर निगमित। इससे संबंधित आरोप ज्यादातर श्री भरत वसानी द्वारा भेजे गए ईमेल पर आधारित हैं, जो इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं हैं और इसलिए इन आरोपों का परीक्षण नहीं किया जा सका।

((ख)

06.12.2012 पर आयोजित बैठक में, सीपीएम ने संयुक्त उद्यम की मंजूरी या एयर एशिया इंडिया में धन डालने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जब तक कि उन्हें कंपनी के अध्यक्ष के पद से हटा नहीं दिया गया।

(iii)

शून्य से एक मामला बनाने के उनके हताश प्रयास में,

शिकायतकर्ता कंपनियाँ एक ओर दावा करती हैं कि एयर एशिया लेनदेन में सी. पी. एम. की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर, उनका दावा है कि सी. पी. एम. ने 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी तक अपने जोखिम को सीमित करके और यह सुनिश्चित करके कि कंपनी पर कोई वापसी देयता न आए, कंपनी के हितों की रक्षा की।

लेन-देन के लिए गोपनीय व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है

((iv)

इस पर सवाल उठाते हुए, लेकिन शिकायतकर्ता कंपनियाँ और सीपीएम परामर्श सेवाएँ सीमित v.

साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

सभी कानूनी सिद्धांत। वे ऐसे आगे बढ़े जैसे कि उन्होंने एयर एशिया निगमन में सक्रिय भाग नहीं लिया हो और मानो सी. पी. एम. ने आगे के वित्तपोषण के लिए 15.09.2016 पर बैठक की अध्यक्षता नहीं की थी। इसके अलावा, उन्होंने बिना कागज के एक टुकड़े के एक भद्दा बयान दिया है कि आर. एन. टी. ने हवाला के माध्यम से एक आतंकवादी को धन दिया था।

एयर एशिया इंडिया कोष का डायवर्जन।

मेहली मिस्त्री के साथ लेन-देन, बिक्री सहित

युद्ध) और एक भूमि (अलीबाग)

इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरएनटी कंपनी की कीमत पर समृद्ध हुआ। फोर्ब्स गोलक को पार्टी नहीं बनाया गया था और लेन-देन वर्ष 2002 में कहीं हुआ था, लेकिन आरोप वर्ष 2016 में लगाया गया है।

मेहली द्वारा भारी लाभ प्राप्त करने से संबंधित इन आरोपों के बारे में, याचिकाकर्ताओं और सीपीएम का एकमात्र दस्तावेज

श्री मेहली द्वारा टी. पी. सी. के श्री पद्मनाभन को संबोधित एक ईमेल दायर किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है। ट्रॉम्बे में ड्रेजिंग के लिए 1993 के अनुबंध के संबंध में, इसे टाटा पावर द्वारा एम. पी. सी. एल. को 9 साल के लिए दिया गया था।

तीन विक्रेताओं में से उन्हें चुनने के बाद। इसके बाद अक्टूबर 2002 से सितंबर 2014 तक विभिन्न कार्यकालों के लिए इसे 5 बार नवीनीकृत किया गया। आवश्यक अनुमोदन। जब ये मंजूरी दी गई थी, तब सीपीएम टाटा पावर का निदेशक था। उन्होंने 1996 से 2006 तक और फिर 2011 से 2016 तक निदेशक पद संभाला, लेकिन कभी कोई आपत्ति नहीं जताई।

कार परियोजना और टाटा मोटर्स को हुए नुकसान

टाटा मोटर्स और जयेम ने जे. टी. स्पेशल व्हीकल प्राइवेट के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया। लिमिटेड के साथ 50: 50 जुलाई 2016 में हिस्सेदारी। इस संयुक्त उद्यम को स्वयं सीपीएम के नेतृत्व में शामिल किया गया था। इसलिए यह कहना पूरी तरह से गलत है कि आर. एन. टी. द्वारा दिए गए किसी भी संरक्षण से जयम को अनुचित लाभ हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोरस का अधिग्रहण

कोरस का अधिग्रहण एक सामूहिक निर्णय था

((i)

टाटा स्टील और इसे सी. पी. एम. द्वारा टाटा स्टील के बोर्ड के निदेशक के रूप में अनुमोदित किया गया था। यह पूरा अधिग्रहण टाटा स्टील के निदेशक मंडल की देखरेख में टाटा के किसी भी शेयरधारक की असहमति के बिना उचित शासन प्रक्रिया के बाद किया गया था।

स्टील।

((ख)

टाटा स्टील ने इसे बढ़ी हुई कीमत पर नहीं खरीदा, लेकिन ऐसा हुआ कि टाटा स्टील ने प्रति शेयर 608 पाउंड प्रति शेयर की कीमत का हवाला देने का सर्वसम्मत निर्णय लिया।

प्रतियोगी सी. एस. एन. की अंतिम बोली जी. बी. पी. 603 पेंस प्रति शेयर थी। सीपीएम या शिकायतकर्ता कंपनियों ने विनिवेश या विनिवेश की मांग करते हुए कोई पत्र या ईमेल नहीं दिया है।

कोरस का पुनर्गठन।

निजी कंपनी बनाम सार्वजनिक कंपनी

कंपनियों की धारा 43ए (2ए) के प्रभाव पर

((i)

अधिनियम, 1956 और टाटा संस को निगमन के संशोधित प्रमाण पत्र के जारी होने पर यह देखना होगा कि टाटा संस ने संघ के किसी भी अनुच्छेद में कोई बदलाव नहीं किया था ताकि लेखों में कोई नई खाई लाई जा सके और

कि प्रबंधन ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे अल्पांश शेयरधारकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

इस तर्क पर कि कुछ अनुच्छेद दमनकारी थे या कि

दुर्व्यवहार किया गया।

यह तर्क कि अनुच्छेद 104 बी, 121,121 ए और के 75

((i)

एसोसिएशन के लेख अपने आप में दमनकारी थे और

यह कि उनका उपयोग उत्पीड़न और कुप्रबंधन के औजार के रूप में किया गया है, अस्वीकार्य है क्योंकि सीपीएम के पिता संविधान के अनुच्छेदों में किए गए संशोधनों के पक्षकार थे। 13.09.2000 पर संगठन। अनुच्छेद 118 का संशोधन 06.12.2012 पर पारित किया गया था जब CPM कार्यकारी उपाध्यक्ष था। सी. पी. एम. आई. डी. 1 पर पारित प्रस्तावों का भी पक्षकार था, जिसमें अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था ताकि न्यास के निदेशकों के पक्ष में सकारात्मक अधिकार प्रदान किए जा सकें।

जहाँ तक सफलता सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

अनुच्छेद 75 का संबंध है, यह पूरे समय अस्तित्व में था और इसलिए सवाल यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जानबूझकर ऐसी कंपनी के शेयर हासिल किए हैं, इसके बावजूद

अनुच्छेद 75 की उपस्थिति, बाद में बदल सकती है और परियोजना

उन्हें दमनकारी के रूप में, बड़ा करघा।

तथ्य यह है कि नामित निदेशक बाहर निकल गए

29.06.2016 पर आयोजित बोर्ड की बैठक

अधिग्रहण के मुद्दे पर आर. एन. टी. से निर्देश टाटा पावर द्वारा वेलस्पन, एक के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है

घटना जहाँ अनुच्छेद 121 का दुरुपयोग किया गया था, क्योंकि अनुच्छेद 121 ए-(एच) को देखते हुए वेलस्पन के अधिग्रहण का मुद्दा टाटा पावर के निर्णय लेने से पहले ही टाटा संस के बोर्ड के सामने आना चाहिए था। टाटा पावर के बाद से

अधिग्रहण के लिए कागजात पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे

12.06.2016 पर ही वेलस्पन, CPM ने वास्तव में बनाया टाटा सन्स के निदेशक उचित कार्य के रूप में। इसलिए यह

सीपीएम की कार्रवाई थी जो इसके लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थी टाटा संस के हित और इसके विपरीत नहीं।

अतीत में किसी भी समय शिकायतकर्ता कंपनियों या सीपीएम द्वारा किसी भी अनुच्छेद का विरोध नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 75 शिकायतकर्ता कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण से पहले से ही लागू है।

निदेशकों द्वारा प्रत्ययी कर्तव्यों के उल्लंघन पर

उनके आरोप के समर्थन में कि उल्लंघन हुआ था

न्यास द्वारा नामित निदेशकों द्वारा प्रत्ययी कर्तव्य और यह साबित करने के लिए कि कंपनी के निदेशक अनुसूची IV (स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 166 के तहत कर्तव्यों में लापरवाही के दोषी थे, शिकायतकर्ता कंपनियों ने 24.10.2016 (जिसमें CPM को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था) पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं रखी थी। इसके अलावा सीपीएम को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हटाना शिकायतकर्ता कंपनियों के शेयरधारकों के रूप में किसी भी अधिकार से वंचित नहीं था और उनके हटाने का शिकायतकर्ता कंपनियों के साथ उनके जुड़ाव से कोई लेना-देना नहीं था। सीपीएम का निष्कासन

कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है अल्पसंख्यक शेयरधारकों का उत्पीड़न केवल इसलिए कि वह [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी में लगभग 18.40% हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों में भी नियंत्रित रुचि होती है।

((ख)

अधिकांश लोगों को नियुक्त करने के उनके अधिकार में कटौती बोर्ड के निदेशक और इसलिए इसे अल्पसंख्यकों के दमनकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

सीपीएम को हटाने पर

((i)

आई. डी. 1 पर सी. पी. एम. को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हटाना और आई. डी. 2 पर निदेशक के रूप में उन्हें हटाना विश्वास की कमी के कारण था और इस मामले में चयन समिति के जाने का कोई सवाल ही नहीं था। उसे हटाने का मुद्दा।

((ख)

ऐसा मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि सीपीएम को कथित विरासत के मुद्दों के कारण हटा दिया गया था। सीपीएम ने एक बनाया

ऐसी स्थिति जहाँ वह बहुसंख्यक शेयरधारकों या न्यास द्वारा नामित निदेशकों के प्रति जवाबदेह नहीं है।

और इसलिए उनका निष्कासन।

सी. पी. एम. द्वारा जारी किया गया दिनांकित 25.10.2016 पत्र जारी नहीं हो सका।

(111)

सीपीएम के अलावा किसी और द्वारा मीडिया को लीक किया गया है और इसलिए उन्हें निदेशक पद से हटा दिया गया है

06.02.2017 अपरिहार्य हो गया।

6.2 हमने पिछले पैराग्राफ में जो प्रदान किया है, वह है

मुख्य कंपनी याचिका में निहित सभी आरोपों पर एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का संक्षिप्त संस्करण। फैसले के मुख्य भाग में दर्ज उन निष्कर्षों के अलावा, एन. सी. एल. टी. ने स्वयं एक

इसके निर्णय के पैराग्राफ 581 में निष्कर्षों का सारांश। इसे निकाला जाता है।

इस प्रकार शब्दशः

" क) श्री साइरस मिस्त्री को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाना।

24.10.2016 पर इसलिए है क्योंकि निदेशक मंडल और अधिकांश शेयरधारकों, यानी, टाटा ट्रस्ट ने अध्यक्ष के रूप में श्री साइरस पर विश्वास खो दिया है, इसलिए नहीं कि

यह विचार करते हुए कि श्री साइरस श्री टाटा, श्री सूनावाला और अन्य उत्तरदाताओं को कथित विरासत NSULTANCY SERVICES LIMITED v पर असुविधा का कारण बनेंगे।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

मुद्दे। निदेशक मंडल कार्यकारी अध्यक्ष को हटाने के लिए सक्षम है; कोई चयन समिति नहीं

उसे हटाने से पहले सिफारिश की आवश्यकता होती है कार्यकारी अध्यक्ष।

श्री साइरस मिस्त्री को निदेशक के पद से हटाने का कारण यह है कि उन्होंने कंपनी की जानकारी आयकर अधिकारियों को भेजी थी, कंपनी की जानकारी मीडिया को लीक की थी और बोर्ड और न्यासों के खिलाफ खुले तौर पर सामने आए थे, जो शायद ही कभी सामने आए। यह कंपनी के सुचारू रूप से काम करने के लिए अच्छा है, और हमें यह मानने के लिए कोई योग्यता नहीं मिली है कि निदेशक के रूप में उनका निष्कासन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 के दायरे में आता है।

हमें यह मानने के लिए कोई योग्यता नहीं मिली है

याचिकाकर्ताओं की हिस्सेदारी के अनुपात में बोर्ड पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व संभव है, इसलिए

जब तक कि अनुच्छेदों के पास ऐसा अधिदेश नहीं है

कंपनी अधिनियम की धारा 163 के तहत परिकल्पित,

2013 .

हमें कथित विरासत में कोई योग्यता नहीं मिली है।

शिवा मुद्दा, टी. टी. एस. एल. मुद्दा, नैनो कार जैसे मुद्दे मुद्दा, कोरस मुद्दा, श्री मेहली मुद्दा और एयर एशिया मुद्दा यह बताने के लिए कि वे मुद्दे इसके दायरे में आते हैं

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 247 और 242।

हमें यह कहने का भी कोई औचित्य नहीं मिला है कि

धारा 14 के तहत आवेदन दाखिल करने वाली कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 इस न्यायाधिकरण से इसे बनाने के लिए कहता है

कंपनियों की धारा 247 और 242 के अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक से निजी विचार के लिए आता है।

अधिनियम 2013।

हमें यह कहने में भी कोई योग्यता नहीं मिली है कि श्री टाटा

& श्री सूनावाला सलाह और सुझाव दे रहे हैं

कंपनी के मामलों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना, ताकि उनके आचरण पर विचार किया जा सके

कंपनी के हित के लिए हानिकारक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली है कि श्री.

जी)

टाटा और श्री सूनावाला ने कंपनी पर अपनी इच्छा थोपते हुए छाया निदेशक के रूप में काम किया ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 और 242 के तहत कार्रवाई की जा सके।

हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली है कि

ज)

संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 75,104 बी, 118,121 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दमनकारी हैं।
हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली है कि कंपनी अधिनियम, 2013 में निगमित शासन की शुरुआत से बहुमत नियम पीछे हट गया है।

(i)

यह ऐसा है जैसे निगमित लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है, और निगमित शासन एक प्रजाति है। वे कभी नहीं होते हैं

एक-दूसरे के साथ संघर्ष; प्रबंधन वर्तमान व्यवस्था के तहत शेयरधारकों के प्रति अधिक जवाबदेह है। निगमित शासन सामूहिक जिम्मेदारी है, न कि स्वतंत्र शासन पर आधारित जो सामूहिक शासन की अवधारणा से परे है।

बोर्ड को दी गई जिम्मेदारी।

हमने देखा है कि पूर्वाग्रह उपचार किया गया है

जे)

पहले से मौजूद दमनकारी उपचार के अलावा 2013 के अधिनियम में शामिल किया गया था और इसमें कुप्रबंधन के मुद्दों में किसी भी राहत को पारित करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में "न्यायसंगत और न्यायसंगत" आधार का उपयोग भी शामिल था, जो पुराने अधिनियम के तहत मामला नहीं था।

7. एनसीएलएटी का दृष्टिकोण

7.1 जबकि एन. सी. एल. टी. ने मुख्य कंपनी याचिका में निहित सभी आरोपों को निपटाया और अपने निष्कर्षों को दर्ज किया, दिलचस्प रूप से एन. सी. एल. ए. टी. ने केवल (i) सी. पी. एम. को हटाने (ii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में 2 न्यासों द्वारा नामित निदेशकों के सकारात्मक मतदान अधिकारों और (iii) आर. ओ. सी. द्वारा जारी निगमन के संशोधित प्रमाण पत्र, "सार्वजनिक" शब्द को हटाने और इसे एक निजी कंपनी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।

एक बार फिर। 7.2 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को काफी हद तक एन. सी. एल. ए. टी. की भाषा में ही प्रस्तुत किया गया है:

संरक्षण सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

धारा 241 में 'अनुचित रूप से प्रतिकूल' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय कानून (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242) किसी भी कार्य को पूर्वाग्रहपूर्ण या दमनकारी ठहराने के लिए 'वैध अपेक्षा' शब्द को मान्यता नहीं देता है। (आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 101 और 102)

'टाटा संस लिमिटेड' या निदेशक मंडल के शेयरधारकों की आम बैठक में बहुमत का निर्णय पूरी तरह से नामित लोगों के सकारात्मक मतों पर निर्भर करता है।

'टाटा ट्रस्ट' के निदेशक। 'टाटा ट्रस्ट' द्वारा नामित निदेशकों के सकारात्मक मत का एक प्रबल प्रभाव पड़ता है और बहुमत के निर्णय को इसके अधीन कर देता है। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 115) न्यायाधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण के पास किसी भी अनुच्छेद को अवैध या मनमाना ठहराने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिन नियमों और शर्तों पर शेयरधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की जा रही है। हालाँकि, यदि कोई कार्रवाई कानून के अनुसार भी की जाती है जो किसी सदस्य या सदस्य के लिए 'पूर्वाग्रहपूर्ण' या 'दमनकारी' या कंपनी के लिए 'पूर्वाग्रहपूर्ण' है या

' लोक हित के लिए प्रतिकूल, न्यायाधिकरण नोटिस कर सकता है कि क्या तथ्यों को समाप्त करने को उचित ठहराएंगे कंपनी और ऐसे मामले में, यदि न्यायाधिकरण का मानना है कि यह

सदस्य या सदस्यों या कंपनी के सार्वजनिक हित या हित को अनुचित रूप से प्रभावित करेगा, यह पारित हो सकता है

धारा 242 के संदर्भ में उपयुक्त आदेश। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 119)

18.07.2013,28.02.2014,11.03.2015,28.05.2015,03.11.2015 आदि दिनांकित ईमेल पत्राचार से पता चलता है कि CPM अनजान था और यह समझने की स्थिति में नहीं था कि टाटा संस के निदेशक मंडल के निर्णय से पहले टाटा ट्रस्ट द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं और CPM ने एक शासन ढांचे के विकास की आवश्यकता महसूस की। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 126) सी. पी. एम. और

श्री नितिन नोहरिया के बीच 13 मार्च, 2016; 30 अप्रैल, 2016 और 10 मई, 2016 के ईमेल से पता चलता है कि सी. पी. एम. ने एक शासन ढांचा तैयार किया था।

श्री नितिन नोहरिया से [2021] 12 एस. सी. आर. को प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'टाटा संस लिमिटेड' की निर्णय लेने की प्रक्रिया में 'टाटा ट्रस्ट' के न्यासियों की भूमिका को स्पष्ट करें। इसके बाद सीपीएम द्वारा 15 मई, 2016 को भेजा गया ई-मेल आया।

शासन का एक मसौदा आर. एन. टी. को अग्रेषित करना

फ्रेमवर्क। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 127)

उत्तरदाताओं के बीच संचार

(vi)

2013 2016 से यह पता चलता है कि कंपनी (टाटा संस लिमिटेड) के शासन ढांचे के बारे में बोर्ड में पूरी तरह से भ्रम था क्योंकि किसी भी मामले पर निर्णय लेने से पहले या बोर्ड द्वारा कोई भी प्रस्ताव लेने के लिए आरएनटी द्वारा 'टाटा ट्रस्ट' के लिए निर्णय लिया जाता था, जिसमें श्री नितिन नोहरिया और श्री एन. ए. सूनावाला ले रहे थे।

सक्रिय भाग। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 129)

(vii)

24 अक्टूबर, 2016 को आयोजित बोर्ड की बैठक से पहले

सीपीएम को हटाने से पहले, उसी तारीख को आरएनटी द्वारा श्री नितिन नोहरिया की उपस्थिति में सीपीएम को हटाने का निर्णय पहले ही ले लिया गया था, जिन्होंने उन्हें सीपीएम के 'कार्यकारी अध्यक्ष' के पद से हटने के लिए कहा था।

कंपनी ("टाटा संस लिमिटेड")। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 130)

आर. एन. टी. इससे पहले भी सी. पी. एम. को हटाने के लिए दृढ़ था

(viii)

बोर्ड की बैठक और टाटा ट्रस्ट के अधिकांश शेयरधारकों को पता था कि इसकी आवश्यकता थी

सीपीएम को हटाने से पहले अग्रिम सूचना। इसलिए उन्होंने प्रख्यात वकीलों और उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश से राय ली थी। (का अनुच्छेद 133

आक्षेपित आदेश)

(ix)

रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि बोर्ड

निदेशकों या किसी भी न्यास, अर्थात् सर दोराबजी टाटा न्यास या सर रतन टाटा न्यास ने किसी भी समय सीपीएम के प्रदर्शन के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त की। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 134)

दिनांकित 'प्रेस वक्तव्य' के प्रारंभिक वाक्य से

(x)

10 टाटा संस द्वारा नवंबर, 2016 में जारी यह स्पष्ट है कि सीपीएम को कार्यकारी के रूप में अचानक और जल्दबाजी में हटा दिया गया है 'टाटा संस लिमिटेड' के अध्यक्ष ने औद्योगिक समूह में चिंता जताई। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 137)

ए. टी. ए. परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

दिनांकित 'प्रेस वक्तव्य' में लगाए गए आरोप

(xi)

10 नवंबर, 2016 एक पश्चात्वर्ती विचार प्रतीत होता है क्योंकि उपरोक्त मामले पर किसी भी बैठक में चर्चा नहीं की गई थी।

निदेशक मंडल की बैठकें। 'प्रेस स्टेटमेंट' में रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं होने के आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 139)

सीपीएम, आरएनटी, श्री नितिन नोहरिया के बीच पत्राचार

(xii)

यह इंगित किया जा रहा था कि कुछ 'टाटा कंपनियों' को नुकसान हो रहा था और यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह भविष्य में और बढ़ सकता है। इस तरह के संचार के बावजूद पुनरुद्धार के लिए कोई निर्णय नहीं या टाटा कंपनियों का पुनर्गठन किया गया। (अनुच्छेद

140 आक्षेपित आदेश का)

(xiii)

यदि एक या दूसरे के कारण विफलता और हानि हुई थी

टाटा कंपनी, जिसने 'टाटा संस लिमिटेड', 'टाटा ट्रस्ट' या निदेशक मंडल को भी प्रभावित किया, को विशेष रूप से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सका।

जब टाटा ट्रस्ट के नामित निदेशक जिनके पास सकारात्मक मत है, वे बहुमत के निर्णय को उलटने के लिए मतदान करते हैं।

(आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 141)

(xiv)

यदि सभी प्रमुख निर्णय 'टाटा' द्वारा पहले से लिए जाते हैं

न्यास 'और प्रत्येक निर्णय लेने के लिए, मामलों को' टाटा न्यास 'के समक्ष रखा जाना है, कंपनी के निदेशक मंडल की स्वतंत्रता बन जाती है

अप्रासंगिक। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 143)

सुशासन के लिए सी. पी. एम. द्वारा दिए गए सुझाव

(xv)

बोर्ड द्वारा और 'टाटा मोटर्स', 'डोकोमो' आदि सहित टाटा कंपनियों की देखभाल करने के लिए, आर. एन. टी. या 'टाटा ट्रस्ट' द्वारा इसके अक्षर और भावना में नहीं लिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप सीपीएम पर कोई विश्वास नहीं हुआ। (का अनुच्छेद 144

आक्षेपित आदेश)

(xvi)

रिकॉर्ड से पता चलता है कि सीपीएम को हटा दिया गया था

प्रदर्शन की कमी से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी ओर, अभिलेख की सामग्री से पता चलता है कि सीपीएम के नेतृत्व में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया जो था

नामांकन और पारिश्रमिक [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा प्रशंसित।

28 जून, 2016 को धारा 178 के तहत एक सांविधिक समिति, यानी उन्हें हटाए जाने से कुछ महीने पहले। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 146)

(xvii)

'टाटा' की ओर से नामित निदेशक श्री विजय सिंह

ट्रस्ट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि सीपीएम का प्रदर्शन संतोषजनक था और अनुच्छेदों को संचालित करने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता थी। (अनुच्छेद 149 का

आक्षेपित आदेश)

(xviii) नामांकन की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और

पारिश्रमिक समिति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई

'टाटा संस' के निदेशक मंडल द्वारा अगले दिन यानी 29 जून, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में। (अनुच्छेद

150 आक्षेपित आदेश का)

(xix)

तीन निदेशक जिन्होंने भी सीपीएम को हटाने के पक्ष में मतदान किया,

वे इससे पहले सिर्फ एक बोर्ड बैठक में शामिल हुए थे 24 अक्टूबर, 2016 को हुई बैठक। (का अनुच्छेद 151

आक्षेपित आदेश)

(एक्सएक्स)

निदेशक में से दो, श्री रणेंद्र सेन और श्री विजय

सिंह, एक न्यास नामित निदेशक, जिन्होंने सीपीएम को हटाने के पक्ष में मतदान किया, 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' के सदस्य थे, जिसने 28 जून, 2016 को उन्हें हटाने से ठीक चार महीने पहले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सीपीएम के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। इन दोनों निदेशकों ने भी केवल चार महीने में सीपीएम के खिलाफ मतदान किया।

जिसके बाद श्री द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की गई है।

रणेंद्र सेन और श्री विजय सिंह। इसके अलावा, जो स्वीकार किया जाता है वह यह है कि 24 तारीख को आयोजित बैठक से पहले

अक्टूबर, 2016 में दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच 'टाटा ट्रस्ट' ने एक अलग बैठक में सीपीएम को हटाने का फैसला किया। 'टाटा ट्रस्ट' के निर्णय से पहले ही आर. एन. टी. ने श्री नितिन नोहरिया की उपस्थिति में सी. पी. एम. और

उनसे इस्तीफा देने को कहा। (आक्षेपित का अनुच्छेद 152

आदेश)

कुशलता सेवाएँ सीमित v. साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

जो हुआ उसे देखते हुए, यह खुला नहीं है

उत्तरदाताओं का कहना है या आरोप है कि नुकसान अलग-अलग 'टाटा' में है

'कंपनियाँ' सीपीएम के कुप्रबंधन के कारण थीं। यदि ऐसा है, तो नामित निदेशक जिनके पास बहुमत के निर्णय पर सकारात्मक मतदान का अधिकार है, वे क्यों बोर्ड या वार्षिक आम बैठक में

शेयरधारकों ने 'टाटा कंपनियों' को इस तरह से काम करने की अनुमति दी जिससे नुकसान हुआ, जैसा कि प्रेस में स्वीकार किया गया था।

10 नवंबर, 2016 को जारी किया गया। पत्राचार से सामने आने वाली घटनाओं की लगातार श्रृंखला

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कंपनी के मामलों के संचालन के संदर्भ में विश्वास की हानि का कारण सीपीएम की ईमानदारी नहीं थी, बल्कि अन्य उत्तरदाताओं की ओर से शक्तियों का अनुचित दुरुपयोग था। (अनुच्छेद

155 आक्षेपित आदेश का)

यहां तक कि अल्पसंख्यक सदस्यों ('शापूरजी पालोनजी समूह') के अधिकार के अभाव में भी, स्वस्थ वातावरण और दो समूहों के बीच स्पष्ट समझ के कारण। टाटा समूह और शापूरजी पालोनजी समूह पिछले 40 वर्षों से, इसके बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर, 'शापूरजी पालोनजी समूह' के व्यक्तियों में से एक को कार्यकारी अध्यक्ष या निदेशक बनाया गया था, जो

इनमें सी. पी. एम. और उनके पिता श्री पालोनजी शापूरजी शामिल हैं।

' शापूरजी पालोनजी ग्रुप ', अल्पसंख्यक शेयरधारकों को हर समय निर्णय लेने की शक्ति पर भरोसा था मित्रता के रूप में 'टाटा संस लिमिटेड' का निदेशक मंडल

और दोनों समूहों के बीच सद्भावना प्रबल हो गई। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 161)

'टाटा ट्रस्ट', इसके नामित निदेशकों, और आर. एन. टी. और श्री नितिन नोहरिया के हाल के कार्यों के कारण, जो वर्ष 2013 से लिए गए हैं, जैसा कि देखा गया और चर्चा की गई और अचानक और

24 अक्टूबर, 2016 को बिना किसी आधार के और अनुच्छेद 118 के तहत सामान्य प्रक्रिया का पालन किए बिना सीपीएम को जल्दबाजी में हटाने पर अल्पसंख्यक समूह ('शापूरजी पालोनजी समूह') (अपीलकर्ता) और अन्य ने कोई विश्वास और अनिश्चितता की भावना पैदा नहीं की है। (अनुच्छेद 162 का

आक्षेपित आदेश)

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

प्रतिकूल कार्रवाई, 24 अक्टूबर, 2016 के बाद भी समाप्त नहीं हुई, जब सीपीएम को कंपनी (टाटा संस लिमिटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के रूप में हटा दिया गया था। इसके बाद भी यह जारी रहा जब सी. पी. एम. को अन्य समूह कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया और एन. सी. एल. टी. के निर्णय के बाद टाटा संस लिमिटेड को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी से एक निजी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 165)

टाटा संस लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी बन गई।

औसत वार्षिक कारोबार के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 (1ए), डब्ल्यू. ई. एफ. 01.02.1975। (पैरा 165) धारा 43ए की उप-धारा (2) के संदर्भ में टाटा संस ने पंजीयक को सूचित किया और पंजीयक ने पंजी पर कंपनी के नाम से "निजी" शब्द को हटा दिया। उप-धारा (4) के आधार पर, ऐसी कंपनी

केंद्र की मंजूरी से एक निजी कंपनी बनने तक एक सार्वजनिक कंपनी बनी रहेगी

कंपनी को एक निजी कंपनी के रूप में परिवर्तित करने के लिए धारा 14 (2) और 14 (3) के साथ पठित धारा 14 (1) (बी) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके। (पैरा 173 से 175)। 2013 का सामान्य परिपत्र संख्या 15 दिनांकित आई. डी. 1 और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक आई. डी. 2 अधिनियम की धारा 14 (पैरा 177) को ओवरराइड नहीं कर सकती है और इसलिए एन. सी. एल. टी. के आदेश के बाद टाटा संस द्वारा निगमन के प्रमाण पत्र में "सार्वजनिक" शब्द को हटाने के लिए जल्दबाजी में की गई कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है।

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कंपनी की ओर से उपरोक्त कार्रवाई और इसकी

निदेशक मंडल जल्दबाजी में बदलाव के लिए कार्रवाई करेगा

कंपनी (टाटा संस लिमिटेड) 'पब्लिक' से

बोर्ड के बहुमत निर्णय पर 'टाटा ट्रस्ट' के नामित निदेशकों की सकारात्मक मतदान शक्ति; श्री रता एन. टाटा (दूसरे उत्तरदाता) द्वारा की गई कार्रवाई, श्री नितिन नोहरिया (7 वें उत्तरदाता) और श्री एन. ए.

सूनावाला (14 वां उत्तरदाता) और अन्य जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है; तथ्य यह है कि कंपनी (टाटा संस लिमिटेड) को निदेशक मंडल द्वारा लिए गए 'प्रतिकूल' निर्णयों के कारण नुकसान हुआ है; तथ्य यह है कि निर्णय लेने के बावजूद कई 'टाटा कंपनियों' को नुकसान हुआ है। निदेशक मंडल के पास निहित शक्तियाँ

'टाटा ट्रस्ट' के नामित निदेशकों की सकारात्मक शक्ति; जिस तरह से श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें उत्तरदाता) को बिना किसी कारण के और बिना किसी चर्चा के अचानक और जल्दबाजी में हटा दिया गया था।

24 तारीख को हुई निदेशक मंडल की बैठक

अक्टूबर, 2016 और विभिन्न 'टाटा कंपनियों' के निदेशक के रूप में उनके निष्कासन के साथ-साथ इस तरह के निष्कासन के वैश्विक प्रभाव, जैसा कि कंपनी ने अपने 'प्रेस वक्तव्य' में स्वीकार किया है, ने संचयी प्रभाव के साथ घटनाओं की एक श्रृंखला बनाई है, जो न्यायाधिकरण को यह ठहराने के लिए उचित ठहराती है कि अपीलकर्ताओं ने श्री रतन एन. टाटा (दूसरे प्रतिवादी), श्री नितिन सहित प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं द्वारा 'पूर्वाग्रहपूर्ण' और 'दमनकारी' कार्रवाई का एक स्पष्ट मामला बनाया है। नोहरिया (7 वां उत्तरदाता) और श्री एन. ए. सूनावाला (14 वां उत्तरदाता) और अन्य नामित निदेशक। (अनुच्छेद

183 आक्षेपित आदेश का)

(XXX) कंपनी के मामले अपीलकर्ताओं, श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें प्रतिवादी) सहित सदस्यों के लिए 'पूर्वाग्रहपूर्ण' और 'दमनकारी' तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं और साथ ही कंपनी और उसकी समूह कंपनियों यानी 'टाटा' के हितों के लिए भी 'पूर्वाग्रहपूर्ण' हैं।

कंपनियों और कंपनी को बंद करने से सदस्यों को अनुचित रूप से पूर्वाग्रह होगा, लेकिन अन्यथा तथ्य,

जैसा कि ऊपर वर्णित है, यह इस आधार पर एक समापन आदेश को उचित ठहराएगा कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत था कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार, यह पारित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के तहत आदेश।

24 अक्टूबर, 2016 को पारित प्रस्ताव

(XXX)

कंपनी के अध्यक्ष ("टाटा संस") अवैध हैं; ऐसी कंपनियों के निदेशक के रूप में श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें प्रतिवादी) को हटाने के लिए "टाटा कंपनियों" द्वारा लिए गए सभी परिणामी निर्णय भी अवैध हैं।
(आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 184)

(XXXI) सभी हितधारकों के हितों की बेहतर सुरक्षा के साथ-साथ अल्पसंख्यक समूह के हितों की रक्षा के लिए, भविष्य में कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक और निदेशकों की नियुक्ति के समय, 'टाटा समूह' जो बहुसंख्यक समूह है, को अल्पसंख्यक समूह यानी 'शापूरजी पालोनजी समूह' से परामर्श करना चाहिए और जिस किसी भी व्यक्ति पर दोनों पक्षों को भरोसा है, उसे कार्यकारी अध्यक्ष या निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कंपनी के हित में होगा और दोनों समूहों के बीच अविश्वास को दूर करने के लिए स्वस्थ वातावरण बनाएगा, जो पहले से ही विकसित हो चुका है और दुनिया भर में फैला हुआ है।

प्रभाव जैसा कि कंपनी के 'प्रेस वक्तव्य' में स्वीकार किया गया है। (आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 185)

8. एन. सी. एल. टी. के दृष्टिकोण के बीच महत्वपूर्ण अंतर और

एनसीएलएटी का दृष्टिकोण

8.1 जैसा कि अध्याय 7 की शुरुआत में बताया गया है, एन. सी. एल. टी. ने उत्पीड़न और कुप्रबंधन के सभी आरोपों से निपटा और

तर्कपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किए गए। लेकिन तथ्यों की अंतिम अदालत होने के बावजूद, एन. सी. एल. ए. टी. ने एक-एक करके आरोपों पर विचार नहीं किया और न ही एन. सी. एल. ए. टी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

निष्कर्षों की शुद्धता या अन्यथा पर कोई राय दें

एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज। इसके बजाय, एन. सी. एल. ए. टी. ने एक पैराग्राफ में संक्षेप में कहा,

अर्थात् अनुच्छेद 183, बिना किसी तर्क के कुछ आरोपों पर इसका निष्कर्ष। यह अनुच्छेद 183 इस प्रकार है:

" तथ्य, जैसा कि ऊपर देखा गया है, जिसमें 'टाटा ट्रस्ट' के नामित निदेशकों की सकारात्मक मतदान शक्ति शामिल है।

बोर्ड का बहुमत निर्णय; श्री रतन एन. टाटा (दूसरे उत्तरदाता), श्री नितिन नोहरिया (7 वें उत्तरदाता) और श्री N.A.Soonawala (14 वें उत्तरदाता) और अन्य द्वारा की गई कार्रवाई

ऊपर चर्चा की गई; तथ्य यह है कि कंपनी (टाटा संस लिमिटेड) को निदेशक मंडल द्वारा लिए गए 'प्रतिकूल' निर्णयों के कारण नुकसान हुआ है; तथ्य यह है कि कई 'टाटा कंपनियों' को नुकसान हुआ है; सकारात्मक निर्णय लेने की शक्ति के बावजूद निदेशक मंडल के पास निहित है। 'टाटा ट्रस्ट' के नामित निदेशकों की शक्ति; कार्रवाई

सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तन करने में

कंपनी '; जिस तरह से श्री साइरस पालोनजी मिस्त्री (11 वें प्रत्यर्थी) को बिना किसी कारण के और 24 अक्टूबर, 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में दिखाई गई किसी भी चर्चा के अभाव में अचानक और जल्दबाजी में हटा दिया गया था और बाद में विभिन्न टाटा कंपनियों के निदेशक (ओं) के रूप में उन्हें हटा दिया गया था, इस तरह के निष्कासन के वैश्विक प्रभाव के साथ, जैसा कि कंपनी द्वारा अपने' प्रेस स्टेटमेंट 'में स्वीकार किया गया था, संचयी प्रभाव के साथ घटनाओं की एक श्रृंखला बनाता है जो हमें यह मानने के लिए उचित ठहराता है कि अपीलकर्ताओं ने एक स्पष्ट मामला बनाया है

' चुनाव लड़कर पूर्वाग्रहपूर्ण 'और' दमनकारी 'कार्रवाई

श्री रतन एन. टाटा (द्वितीय उत्तरदाता), श्री नितिन नोहरिया (7 वें उत्तरदाता) और श्री N.A.Soonawala (14 वें उत्तरदाता) और अन्य नामित निदेशकों सहित उत्तरदाता।

8.2 (i) कोरस द्वारा अधिक कीमत पर अधिग्रहण (ii) विनाशकारी नैनो कार परियोजना (iii) शिवा और स्टर्लिंग को अनुचित लाभ (iv) कालीमती द्वारा शिव को ऋण (v) मेहली मिस्त्री को फ्लैट की बिक्री

(vi) मेहली मिस्त्री द्वारा नियंत्रित कंपनियों के अन्यायपूर्ण संवर्धन (vii) विमानन उद्योग के दुस्साहस (viii) टाटा मोटर्स आदि के शेयरों की खरीद के कारण हुए नुकसान से संबंधित आरोपों को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं निपटाया गया था, हालांकि एन. सी. एल. टी. ने इनमें से प्रत्येक मुद्दे को संबोधित किया था और टाटा संस के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किए थे। इसलिए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने स्पष्ट रूप से निष्कर्षों को उलट नहीं दिया।

इन आरोपों पर एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज किए गए तथ्य। हम [2021] 12 एस. सी. आर. तक सीमित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. पी. समूह के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान द्वारा उठाए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 के तहत एक अपील में, यह अदालत आम तौर पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा किए गए तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक कि यह पूरी तरह से विकृत नहीं पाया जाता है, शुरुआत में ही इस पर ध्यान दें।

9. टाटा संस, समूह कंपनियों की ओर से दलीलें

और न्यासी

9.1 एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले पर श्री हरीश साल्वे और डॉ.

टाटा संस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने निम्नलिखित तर्क दिया:

(i) एन. सी. एल. ए. टी. का पूरा ध्यान केवल टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से सी. पी. एम. को हटाने के औचित्य पर था, इस तथ्य के बावजूद कि शिकायतकर्ता कंपनियों के साथ-साथ सी. पी. एम. का सकारात्मक मामला यह था कि वे मांग नहीं कर रहे थे।

सीपीएम की बहाली;

(ii) टाटा संस की कार्यकारी अध्यक्षता से सी. पी. एम. को हटाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. ने कानून का मार्ग खो दिया कि इस तरह के निष्कासन को उत्पीड़न या दमन नहीं कहा जा सकता है।

कुप्रबंधन;

(iii) एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश देकर पूरी तरह से ओवरबोर्ड कर दिया

टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सीपीएम की बहाली और नए अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को भी रद्द करना;

(iv) एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश देने में पूरी तरह से चूक की।

सी. पी. एम. की संचालन कंपनियों के निदेशक के रूप में बहाली, जिनके मामलों का प्रबंधन भी विषय नहीं था। विषय केवल संबंधित है

टाटा संस के मामलों का प्रबंधन, न कि उसके समूह का

कंपनियाँ;

(v) एन. सी. एल. ए. टी. यह देखने में विफल रहा कि "न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड" केवल दो स्थितियों में शुरू किया गया है: (क) जहाँ भी कार्यात्मक गतिरोध था; और (ख) जहाँ भी एक निगमित अर्ध-साझेदारी थी जिसमें टूटना था।

विश्वास और विश्वास। इस मामले में टाटा समूह और एस. पी. समूह के बीच पहले से कोई साझेदारी नहीं थी। एस. पी. समूह टाटा संस के निगमन के 48 वर्षों के बाद ही शेयरधारक बना और उनके पास कोई टी. ए. परामर्श सेवा सीमित भी नहीं थी।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

जून-1980 तक निर्देशन की स्थिति। इसलिए एस. पी. समूह को कभी भी प्रबंधन का कोई अधिकार नहीं था और न ही ऐसा कोई अधिकार था जो विश्वास और विश्वास के पहले से मौजूद संबंध से उत्पन्न हो सकता था।

कंपनी का निगमन;

टाटा सन्स "टू ग्रुप" कंपनी नहीं थी, जिसमें से एक बहुसंख्यक और दूसरी अल्पसंख्यक थी। एस. पी. समूह कंपनी के निगमन के लंबे समय बाद शेयरधारक बन गया और

उन्होंने कोई विशेषाधिकार, विशेषाधिकार या अधिकार प्राप्त नहीं किया। एसपी।

अधिकार स्वीकार करते हुए समूह शेयरधारक बन गया और

शेयरधारकों के बीच दायित्व, जैसा कि संघ के लेखों द्वारा स्पष्ट किया गया है। एस. पी. ग्रुप ने भी बिना किसी विरोध के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए गए सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जब पालोनजी मिस्त्री बोर्ड में थे और तब भी जब सी. पी. एम. बोर्ड पर था;

सीपीएम को हटाना सीपीएम में विश्वास की कमी और दोनों के बीच विश्वास के पूरी तरह से टूटने के कारण था।

बोर्ड और सीपीएम के अन्य सदस्य। यह कहना कि उन्हें हटाने के लिए चयन समिति की मंजूरी की मुहर की आवश्यकता थी, पूरी तरह से गलत है।

एन. सी. एल. ए. टी. इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या टाटा संस एक निजी कंपनी होगी या एक सार्वजनिक कंपनी, धारा 43ए और 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत 'एक सार्वजनिक कंपनी मानी जाने वाली' पर 2000 के संशोधन अधिनियम 53 के प्रभावों को सही परिप्रेक्षय में समझने में विफल रही। एन. सी. एल. ए. टी. ने बिना किसी औचित्य के कंपनी पंजीयक के खिलाफ संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुचित टिप्पणी की।

एन. सी. एल. टी. के फैसले के बाद निगमन, हालांकि आरओ. सी. था

पार्टी नहीं। जब आरओसी ने एक आवेदन दायर करके उन टिप्पणियों को हटाने की मांग की, तो एन. सी. एल. ए. टी. ने केवल पहले से दिए गए कारणों में सुधार करने के उद्देश्य से,

इस प्रकार उस मानसिकता को दर्शाते हुए जिसके साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने मामले का रुख किया;

एन. सी. एल. ए. टी. ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 75 को हटाने में गंभीर त्रुटि की, हालांकि उक्त अनुच्छेद को अवैध नहीं पाया गया।दिलचस्प बात यह है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कोई वास्तविक दुरुपयोग नहीं पाया, जिसमें नामांकित [2021] 12 एस. सी. आर. के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई थी।

दोनों न्यासों के निदेशक। सी. पी. एम. ने स्वयं एक प्रस्ताव रखा था

शासन ढांचा जो न्यासों के साथ पूर्व-परामर्श को मान्यता देता है। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्ष जैसे कि पूर्व-परामर्श के साथ-साथ न्यास द्वारा नामित निदेशकों को दिए गए सकारात्मक मतदान अधिकार, टाटा संस के निदेशक मंडल की भूमिका को पूरी तरह से कमजोर करते हैं। विकृत;

(xi) एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बहुमत (टाटा समूह) को कार्यकारी अध्यक्ष या निदेशक की भविष्य की सभी नियुक्तियों के लिए एस. पी. समूह से परामर्श करने के लिए जारी किया गया निर्देश कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। यह निर्देश अनुच्छेद 104 बी और 118 को निरस्त करने के समान है, भले ही इन अनुच्छेदों को चुनौती देना पहले ही छोड़ दिया गया था।

10. एस. पी. समूह की ओर से दलीलें:

10.1 एस. पी. समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने निम्नलिखित तर्क उठाए, दोनों में

एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय के उस हिस्से का बचाव जो उनके पक्ष में गया था और आगे नहीं बढ़ने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. पर हमला करने के लिए भी:

टाटा संस को दो समूह वाली कंपनी माना जा सकता है।

((i)

जहाँ समूहों के बीच संबंध एक अर्ध साझेदारी की प्रकृति में था, जिसने न्यायसंगत दायित्वों का निर्माण किया। सी. पी. एम. और टाटा परिवार के बीच संबंध सात दशकों से अधिक समय तक चले हैं और यह विश्वास और आपसी संबंधों वाला था।

आत्मविश्वास। एस. पी. समूह ने टाटा समूह के हितों के संरक्षक के रूप में काम किया था जब ट्रस्ट के पास कोई सकारात्मक मतदान अधिकार नहीं था। एक अर्ध साझेदारी के अस्तित्व की कल्पना कभी भी की जा सकती है।

((ख)

यह पाया जाता है कि (क) पारस्परिक विश्वास और विश्वास से जुड़े संबंध के आधार पर एक संघ का गठन किया गया था या जारी रखा गया था; (ख) यह समझ थी कि कुछ सदस्य कंपनी के प्रबंधन में भाग लेंगे; या (ग)

कि कंपनी में सदस्य के हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध था। इनमें से एक या अधिक तत्व टाटा समूह और एस. पी. समूह के बीच संबंधों में मौजूद पाए गए थे और इसलिए यह अर्ध साझेदारी की प्रकृति में था।

(iii)

न्यासियों ने संघ के अनुच्छेदों को कमजोर करने के लिए उनका दुरुपयोग किया

टाटा संस के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निर्णय लेने और ए. टी. ए. परामर्श सेवा सीमित v. में कार्य करने की उनकी क्षमता का क्षरण भी किया।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कंपनी का हित। आर. एन. टी. के साथ-साथ सूनावाला ने बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले कार्यसूची विषयों पर पूर्व परामर्श और पूर्व मंजूरी की मांग की। ऐसे उदाहरण थे (क) जब न्यास-नामित निदेशकों ने न्यास की मंजूरी के बिना बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले मामलों पर आपत्ति जताई, (ख) जब आर. एन. टी. ने बोर्ड

की बैठकों के कार्यवृत्त को संपादित किया जिसमें वह शामिल नहीं हुए, (ग) जब आर. एन. टी. ने कुछ परिचालन और व्यवसाय पर सवाल उठाए।

टाटा मोटर्स के निर्णय, (घ) जब न्यासियों ने डोकोमो विवादों में टाटा समूह के कानूनी सलाहकार के विचारों को खारिज कर दिया और (ङ) जब न्यासियों ने वेलस्पन अधिग्रहण और टाटा मोटर्स के अधिकार मुद्दे जैसे व्यावसायिक निर्णयों में हस्तक्षेप किया;

टाटा संस रूप और आचरण में एक सार्वजनिक कंपनी थी, क्योंकि उन्होंने सितंबर 2002 तक आईडी1 के बाद भी सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार की थी और इसलिए आरओसी के एक हस्तलिखित आदेश द्वारा कंपनी को एक निजी कंपनी में परिवर्तित किया गया था, जो एनसीएलएटी की अपीलों की सुनवाई से ठीक पहले रात में प्रभावी हुआ था।

चौंकाने वाला। कंपनी को एक निजी कंपनी में बदलने का उद्देश्य सार्वजनिक कंपनियों के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक उच्च मानक की जांच से बचना था। इस रूपांतरण ने टाटा संस की धन जुटाने की क्षमता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ गई। इस रूपांतरण के कारण, टाटा संस बन गया

कंपनी द्वारा जारी किए गए उपकरणों में पर्याप्त निवेश। इसलिए कंपनी का एक निजी कंपनी में रूपांतरण ईमानदारी का अभाव था और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के स्वामित्व अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह था;

सीपीएम को हटाना अनुच्छेद 118 के प्रावधानों के विपरीत था, जिसमें नियुक्ति के साथ-साथ हटाने के लिए एक चयन समिति के गठन की आवश्यकता थी। वास्तव में अनुच्छेद 121 बी 15 दिनों के नोटिस पर विचार किया गया, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। इसलिए, बिना किसी एजेंडे के और बिना किसी विचार-विमर्श या चर्चा के सीपीएम को हटाना पूरी तरह से अवैध था। जिस तरह से तीन निदेशकों को नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा जाँच किए बिना बोर्ड में शामिल किया गया था और जिस तरह से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, वह दर्शाता है कि यह पूर्व नियोजित था। यह बहुत अजीब बात थी कि जून-2016 में नामांकन और पारिश्रमिक समिति और इस समिति [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा सी. पी. एम. के प्रदर्शन की सराहना की गई।

दो सदस्य थे, जो बाद में प्रस्ताव के पक्षकार बन गए

उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाना; सी. पी. एम. को टाटा संस के निदेशक पद से हटाने के रूप में

साथ ही अन्य समूह कंपनियों के निदेशक ने दिखाया

ईमानदारी की पूरी कमी, क्योंकि प्रच्छन्न धमकियाँ भेजी गई थीं

अन्य समूह कंपनियों के निदेशक मंडल के लिए टाटा ब्रांड की वापसी, यदि वे कतार में आने में विफल रहे।

10.2 श्री आर्यमा सुंदरम से बैटन लेकर, यह विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान द्वारा इस प्रकार निकाला गया था:

((i)

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के साथ, कानून 'निगमित बहुमत' या 'निगमित लोकतंत्र' से 'निगमित शासन' की ओर बढ़ गया है, जिसमें निष्पक्षता के सिद्धांत शामिल हैं। यह धारा 135 से देखा जाता है,

148 , 151 , 166 और 177।

((ख)

कानून अब कंपनियों को संचालित और प्रबंधित करने का आदेश देता है

एस के अनुसार, एक वैधानिक ढांचे के भीतर यानी निदेशक मंडल द्वारा और कोई और नहीं। 149 2013 का अधिनियम।

कंपनियों के निदेशकों की एक प्रत्ययी भूमिका होती है

(111)

उच्चतम स्तर के शुल्क वाली कंपनी, जो नहीं कर सकती

आउटसोर्स या प्रत्यायोजित किया जाए और उनकी निष्ठा होनी चाहिए

केवल कंपनी के लिए ही रहें।

((iv)

एक बार निदेशक नियुक्त हो जाने के बाद, उसका कर्तव्य केवल

कंपनी और कोई और नहीं, चाहे वह कैसा भी हो

नियुक्त किया गया।

(v)

उत्पीड़न के कृत्यों की एक शृंखला थी, जिसमें शामिल थे

अनुच्छेदों का उल्लंघन, अनुच्छेदों का दुरुपयोग और दोनों समूहों के बीच आवश्यक समझ का भी उल्लंघन।

एन. सी. एल. ए. टी. ने यह पाया।

(vi)

में ईमानदारी और ईमानदारी की स्पष्ट कमी थी

बहुमत के सौदे। ईमानदारी की अवधारणा बहुत अधिक है।

अखंडता से व्यापक और व्यापक।

(vii)

दोनों के बीच लंबे समय से अच्छे विश्वास का रिश्ता था।

टाटा समूह और एस. पी. समूह, कई क्षेत्रों में विकसित हुए

दशकों तक और इसे एक प्रभावी सेवा सीमित v के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

विशिष्ट वैधानिक ढांचा जो 1964 से अस्तित्व में था

2000 .

इस प्रकृति के मामलों में, न्यायालय बाध्य है, अपने

न्यायसंगत अधिकारिता, की स्थिति पर ध्यान देने के लिए विचाराधीन कंपनी, जो शीर्ष (शीर्ष) पर है

अल्पसंख्यक सहित कई हितधारकों के साथ पिरामिड

स्वयं कंपनी के शेयरधारक, कर्मचारी और

द्वारा नियंत्रित संचालन कंपनियों के शेयरधारक

कम्पनी आदि।

एन. सी. एल. ए. टी. ने तथ्यों पर विस्तृत निष्कर्ष दर्ज किए हैं और वहाँ

उन निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है। इसलिये यह वास्तव में इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

कंपनी की याचिका में मांगी गई राहत सुसंगत है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों सहित

धारा 163 (आनुपातिक प्रतिनिधित्व) और उप

अधिनियम की धारा 242 की धारा (1), (5), (7) और (8)।

जनक द्वारकादास, विद्वान वकील जो उनकी ओर से पेश हुए

इस संगीत दल के कठोर संगीतकार ने उठाया

संज्ञाएँ:

वित्तीय ईमानदारी की कमी एकमात्र आधार नहीं है जिस पर

समाप्त करने के लिए 'न्यायसंगत और न्यायसंगत' खंड हो सकता है

आह्वान किया। कानूनी और/या स्वामित्व अधिकार का उल्लंघन है

इसे लागू करने के लिए भी एक आधार है।

स्वामित्व अधिकार में शासित होने का अधिकार शामिल है

संघ के लेखों के अनुसार और

अधिनियम के प्रावधान। की स्वतंत्रता और स्वायत्तता

शेयरधारक जो बोर्ड का अतिक्रमण करते हैं स्वायत्तता और स्वतंत्रता, पर एक उल्लंघन है

अल्पांश शेयरधारकों के स्वामित्व अधिकार।

कला. 104 बी, 121 और 121 ए की गलत व्याख्या की गई है।

गलत अर्थ लगाया गया और इसका गलत अर्थ लगाया गया कि बहुमत शेयरधारकों को पूर्व परामर्श लेने का अधिकार है या

मामलों को पेश करने से पहले पूर्व-मंजूरी

टाटा संस या टाटा ऑपरेटिंग कंपनियों का बोर्ड। द. टाटा ट्रस्ट (A.104B), [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा एक तिहाई निदेशकों को नामित करने का अधिकार।

नामनिर्देशित निदेशकों के बहुमत (A.121) और अनुच्छेद 121A के सकारात्मक वोट की आवश्यकता इस तथ्य को नहीं बदलती है कि नामनिर्देशित निदेशकों का इन शक्तियों का प्रयोग करने में न्यासी कर्तव्य है कि वे नामनिर्देशित निदेशकों के हितों में कार्य करें।

अकेले कंपनी। अनुच्छेद 122 (बी) में प्रावधान किया गया है कि टाटा संस बोर्ड-प्रबंधित होगी। लेकिन इन अनुच्छेदों के वास्तविक कानूनी दायरे और अर्थ को कभी नहीं समझा गया।

((iv)

नामित निदेशकों की भूमिका और कर्तव्य होने चाहिए

अच्छी तरह से परिभाषित किया गया और कानून की सीमा के भीतर रखा गया।

(v)

नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अपने

28 जून, 2016 को हुई बैठक में टाटा संस के बोर्ड के कामकाज पर स्पष्टता की आवश्यकता व्यक्त की गई।
टाटा ट्रस्ट के साथ-साथ इसकी भूमिका के संबंध में

समूह कंपनियाँ।

एन. सी. एल. ए. टी. ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि 3 प्रयास किए गए थे

(vi)

सी. पी. एम. द्वारा टाटा संस के बोर्ड के समक्ष एक शासन संरचना रखने के लिए बनाया गया और यह प्रमुख बन गया।

उसे हटाने का कारण। तथ्य के इस निष्कर्ष को निर्धारित नहीं किया जा सकता है

इस अदालत द्वारा कुछ भी नहीं।

11 टाटा ट्रस्ट की ओर से दलीलेंश्री मोहन परासरन ने एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि

न्यासों की ओर से पेश वकील ने इस प्रकार तर्क दिया:

विवादित निर्णय विस्तृत निष्कर्षों से संबंधित नहीं था

(1)

एन. सी. एल. टी. द्वारा प्रस्तुत तथ्य, और न ही टाटा ट्रस्ट के न्यासियों की ओर से दी गई दलीलें।

((ख)

विवादित निर्णय गलत परीक्षणों को नियोजित करता है

2013 अधिनियम की धारा 241 के तहत उत्पीड़न का निर्धारण करना।

(iii)

केवल अविवेकपूर्ण या घाटे में व्यावसायिक निर्णय लेना आदि।

इसे कुप्रबंधन के कृत्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि न्यायसंगत और न्यायसंगत आधारों पर समापन को उचित ठहराया जा सके। बहुमत को दोषी ठहराने के लिए (ए) याचिका दायर करने की तारीख तक घटनाओं की एक क्रमिक श्रृंखला होनी चाहिए; (बी) आचरण बोझिल, कठोर और गलत होना चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यक; और (सी) परामर्श सेवा सीमित का एक तत्व होना चाहिए।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

सत्यनिष्ठा की कमी शेयरधारकों के रूप में एस. पी. समूह के स्वामित्व अधिकारों से वंचित करती है।

यह अर्ध-साझेदारी का मामला नहीं है।

विवादित निर्णय तथ्य के गलत निष्कर्षों से भरा होता है जो निकाले गए निष्कर्षों और राहतों को प्रभावित करते हैं।

प्रदान किया गया

विवादित निर्णय आर. एन. टी. को सी. पी. एम. के प्रतिस्थापन का गलत श्रेय देता है और उन राहतों को प्रदान करता है जिनकी प्रार्थना नहीं की गई थी।

के लिए।

:)

हालांकि न्यास-नामांकित निदेशक ने पेश किया

सीपीएम को हटाने के लिए प्रस्ताव, यह अंततः बोर्ड का बहुमत था जिसने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

विवादित निर्णय मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है

(i)

के बुनियादी अधिकारों को छीनकर कॉर्पोरेट लोकतंत्र शेयरधारक

यह निर्देश देकर कि टाटा संस में निदेशक पदों पर भविष्य की सभी नियुक्तियां केवल एसपी समूह के साथ आपसी "परामर्श" के माध्यम से की जा सकती हैं और केवल एक व्यक्ति " जिन पर दोनों समूहों को भरोसा है, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, एनसीएलएटी ने बहुमत की भूमिका को कम कर दिया है। यह हो सकता है

अल्पमत देकर गतिरोध और गतिरोध पैदा करें

शेयरधारकों को एक वीटो शक्ति है। यह निर्देश कला के तहत निदेशकों को नामित करने के लिए टाटा ट्रस्ट के अधिकार को भी मूक बना देता है। 104 बी भले ही इसकी वैधता को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

सकारात्मक मतदान की विवादित निर्णय की व्याख्या

0

अनुच्छेद 121 के तहत अधिकार अवधारणात्मक और कानूनी रूप से गलत है।

:)

एन. सी. एल. ए. टी. ने एकतरफा अर्थ रखने का सकारात्मक अधिकार लिया

निर्णयों को लागू करने की शक्ति (अनुच्छेद 155 का संदर्भ)

निर्णय)।

एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले के एक हिस्से का उल्लेख करते हुए जिसने एकसी. पी. एम. को निदेशक के रूप में बहाल करने के लिए टी. सी. एस. की ओर से पेश सुश्री फेरेश्ते डी. सेठना ने इस प्रकार तर्क दिया:

एन. सी. एल. ए. टी. के पास सी. पी. एम. को निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

((i)

बहाली, क्योंकि टी. सी. एस. मूल कार्यवाही या अपीलीय कार्यवाही में पक्षकार नहीं था। न तो सपा समूह और न ही सीपीएम ने सीपीएम की बहाली के लिए प्रार्थना की थी टी. सी. एस. के निदेशक मंडल

सीपीएम को हटाने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था

((ख)

टी. सी. एस. बोर्ड। सीपीएम को मौका दिया गया था

कंपनी अधिनियम की धारा 169 के अनुपालन में उसे हटाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव के खिलाफ अभ्यावेदन करना। टी. सी. एस. के निदेशक मंडल ने अपनी दिनांकित बैठक में सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

17.11.2016 सी. पी. एम. को निदेशक मंडल से हटाने के लिए ई. जी. एम. बुलाने के लिए। सी. पी. एम. द्वारा 05.12.2016 पर उनके प्रस्तावित निष्कासन के खिलाफ प्रतिनिधित्व का प्रसार सदस्यों को किया गया था। आवश्यक बहुमत शेयरधारकों (93.11%) ने CPM को हटाने के लिए दिनांक 13.12.2016 पर EGM में प्रस्ताव पारित किया। 57.46 % सार्वजनिक संस्थागत शेयरधारक उनके लिए प्रस्ताव के पक्ष में थे

निकालना। इसके अलावा, 71.88% सार्वजनिक शेयरधारक थे

उसे हटाने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में।

(iii)

टी. सी. एस. के खिलाफ कार्रवाई एस. पी. समूह द्वारा बनाए रखने योग्य नहीं है।

क्योंकि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के तहत अपेक्षित सीमा को पूरा नहीं करते थे। एस. पी. समूह के पास टी. सी. एस. में केवल 0.24% प्रत्यक्ष इक्विटी ब्याज था जो 13.12.2016 पर 0.55% था, और तब से इसे 18.12.2019 पर 0.05% कर दिया गया है-विवादित आदेश की तारीख।

उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं था और

((iv)

टी. सी. एस. के खिलाफ कुप्रबंधन किया गया।

(v)

टी. सी. एस. को सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया था जो था

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत।

(vi)

एन. सी. एल. ए. टी. के पास बहाली देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि

सीपीएम का कार्यकाल 16.06.2017 पर समाप्त हो गया।

13. दूसरों की दलीलें

13.1 श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, पेश हुए

कंपनी पंजीयक ने संशोधित प्रमाण पत्र टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v जारी करने में आरओसी की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए निवेदन किए।

साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

पुत्रों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो मानकों के भीतर आते हैं अधिनियम की धारा 2 (68) के तहत 'निजी कंपनी' की परिभाषा। संशोधन ने केवल एक पूर्व-विद्यमान वास्तविकता और आरओसी को मान्यता दी

2010 में बोर्ड की मंजूरी। इसलिए सी. पी. एम. समय-समय पर टाटा संस के वित्तीय मामलों पर सलाह के लिए उनसे संपर्क करती थी। सूनावाला ने अपनी पहल पर सी. पी. एम. और आर. एन. टी. को केवल दो नोट भेजे हैं जो विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति के थे और जिन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता है " उससे निर्देश "या" निर्देश "। आई. डी. 2 दिनांकित नोट टाटा संस के पिछले वित्तीय परिणामों का एक विश्लेषण था जो चिंता के क्षेत्रों की ओर इशारा करता था और आई. डी. 1 दिनांकित ज्ञापन टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित था, जो वित्तीय समस्याओं वाली एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी थी। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने उन्हें टाटा संस के मामलों में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत था।

14. विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न

14.1 हालाँकि पक्षों के विद्वान वकील ने हर पहलू, सूक्ष्म या स्थूल, को छूते हुए असंख्य तर्क उठाए हैं,

और जिसे हमने ऊपर पैराग्राफ 9 से 13 में ईमानदारी से दर्ज किया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता मुख्य रूप से न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही से उत्पन्न कानून के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए है।

14.2 इसलिए, प्रतिद्वंद्वी विवादों से, कानून के जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन्हें निम्नानुसार तैयार किया जाता है:

(i) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राय का गठन कि कंपनी के मामले कुछ सदस्यों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण और दमनकारी तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं और तथ्य अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर कंपनी को समाप्त करने को उचित ठहराते हैं, अच्छी तरह से तय [2021] 12 एस. सी. आर. के अनुरूप है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धांत और मापदंड, विशेष रूप से तथ्य के प्रकाश में तथ्यों पर एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं थे और

विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पलट दिया गया?

((ii) क्या टाटा संस और अन्य टाटा कंपनियों के बोर्ड में सीपीएम की बहाली सहित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी राहत और निर्देश इस प्रकार हैं। की गई दलीलों, मांगी गई राहतों और धारा 242 की उप-धारा (2) के तहत उपलब्ध शक्तियों के अनुरूप?

(iii) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण, कानूनी रूप से, के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 75 के तहत कंपनी की शक्ति को मौन कर सकता था

एसोसिएशन, किसी भी सदस्य से अपने सामान्य शेयरों को स्थानांतरित करने की मांग करने के लिए, बस कंपनी को इस तरह के प्रयोग करने से रोककर

अनुच्छेद को अलग किए बिना एक अधिकार?

((iv) क्या न्यायाधिकरण द्वारा अनुच्छेद 104 बी के संदर्भ में न्यासों द्वारा नामित निदेशकों को अनुच्छेद 121 के तहत उपलब्ध सकारात्मक मतदान अधिकारों को दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण के रूप में वर्णित करना, विशेष रूप से अनुच्छेद 104 बी के बाद उचित है।

इन अनुच्छेदों को चुनौती देना स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया है और क्या न्यायाधिकरण आर. एन. टी. और नामित निदेशकों को इस प्रभाव को वस्तुतः रद्द करने का निर्देश दे सकता था।

ये लेख?

(iv) क्या टाटा संस को सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में बदलने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता है या कम से कम कंपनी

अधिनियम, 1956 की धारा 43ए (4) के तहत 2000 (जब 2000 का अधिनियम 53 लागू हुआ) से 2013 (जब 2013 अधिनियम लागू किया गया था) की अवधि के दौरान कार्रवाई की आवश्यकता है, जैसा कि कहा गया था।

एनसीएलएटी द्वारा?

15. दमन, कुप्रबंधन का विधायी इतिहास और

अनुचित पूर्वाग्रह

15.1 इससे पहले कि हम ऊपर तैयार किए गए कानून के प्रश्नों को विचार के लिए लें, हम सोचते हैं कि इंग्लैंड और भारत दोनों में उत्पीड़न, कुप्रबंधन और पूर्वाग्रह/अनुचित पूर्वाग्रह के विधायी इतिहास को देखना उपयोगी होगा, क्योंकि औपनिवेशिक युग हमें (सौभाग्य से या दुर्भाग्य से) विधायी प्रारूपण और न्यायिक निर्णय लेने दोनों में आज तक परेशान कर रहा है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

इंग्लैंड में

15.2 निगमित विनियमन के लिए विधायी कार्रवाई का इतिहास

इंग्लैंड में कंपनियाँ केवल 176 साल पुरानी हैं। यह संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम, 1844 से शुरू होता है। तब तक, सरकार ने एक शाही चार्टर या संसद के एक अधिनियम के तहत निगमों का निर्माण किया

एक निर्दिष्ट क्षेत्र पर एकाधिकार का अनुदान। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने केप ऑफ गुड होप के पूर्व में सभी देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया था। इस अवधि के दौरान, निगम अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से कार्य करते थे, विदेशों में अपने कारनामों से राजस्व लाते थे।

15.3 एक चार्टर्ड कंपनी (ईस्ट इंडिया कंपनी के समान), जिसे साउथ सी कंपनी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1711 में स्पेनिश दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों में व्यापार करने के लिए की गई थी। साउथ सी कंपनी के एकाधिकार अधिकार

माना जाता है कि 1713 में स्पैनिश उत्तराधिकार के युद्ध के बाद एक समझौते के रूप में हस्ताक्षरित यूट्रेक्ट की संधि द्वारा समर्थित थे। यू. के. में निवेशकों को अकल्पनीय अनुपात के उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, जिसके कारण कंपनी के शेयरों का व्यापार लालची निवेशकों द्वारा उच्च प्रीमियम पर किया जा रहा था। 1717 तक, साउथ सी कंपनी कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं करने के बावजूद इतनी अमीर हो गई कि उसने यूके सरकार का सार्वजनिक ऋण ले लिया। यह पहला सट्टा बुलबुला था जिसे देश (या शायद दुनिया) ने देखा था, लेकिन 1720 के अंत तक बुलबुला "फट" गया था, जिससे दिवालियापन हो गया और बुलबुला अधिनियम, 1720 पारित हो गया।

15.4 यूके बबल एक्ट, 1720 ने रॉयल चार्टर के बिना कंपनियों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया और यह तब तक लागू रहा जब तक कि

1825 में निरस्त। 1825 तक, औद्योगिक क्रांति ने गति पकड़ ली थी, जिसके लिए एक कानूनी परिवर्तन की आवश्यकता थी। बबल कंपनी अधिनियम 1825 ने प्रतिबंधों को हटा दिया, लेकिन इसने समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया। 15.5 इसलिए 1843 में, विलियम ग्लैडस्टोन की अध्यक्षता में संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट बनाई, जिसके कारण संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम 1844 लागू किया गया। इस अधिनियम ने आम लोगों के लिए एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कंपनियों को शामिल करना संभव बना दिया। हालाँकि, इसने सीमित दायित्व की अनुमति नहीं दी।

15.6 इसके बाद सीमित देयता अधिनियम, 1855 आया, जिसने निवेशकों को व्यावसायिक विफलता की स्थिति में अपने दायित्व को सीमित करने की अनुमति दी।

कंपनी में निवेश की गई राशि। इन दो विशेषताओं-एक सरल पंजीकरण प्रक्रिया और सीमित देयता-को बाद में संहिताबद्ध किया गया [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहले आधुनिक कंपनी कानून अधिनियम, अर्थात् संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम 1856 में। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, 1856 ने किसी भी 7 व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्तिगत रूप से शेयरों की सदस्यता लेते हैं, एक सीमित देयता कंपनी बनाना संभव बना दिया। यह बाद में एक के साथ समेकित किया गया था कंपनी अधिनियम 1862 में अन्य कानूनों की संख्या, जिसे फ्रांसिस पामर ने सहकारी उद्यमों के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया था।

15.7 कंपनी अधिनियम, 1862 ने व्यापारिक कंपनियों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित कानूनों को समेकित किया और

अन्य संगठन। हालांकि इस अधिनियम में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के उत्पीड़न और कुप्रबंधन के संबंध में किसी भी उपाय का प्रावधान नहीं किया गया था, धारा 79 ने अदालत को किसी भी कंपनी को बंद करने का अधिकार दिया जब भी अदालत की राय थी कि कंपनी को बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत है। इस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान भी था जो एक असंतुष्ट सदस्य को एक सीमित अधिकार प्रदान करता है, जब भी कंपनी के समापन के दौरान व्यवसाय या संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण होता है। कार्यवाही।

15.8 हालांकि, जब कंपनियों के गठन और प्रबंधन के संबंध में धोखाधड़ी की प्रथाएं सामने आईं, तो

लॉर्ड डेवी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जाँच का आदेश दिया गया था। समिति ने जून, 1895 में एक मसौदा विधेयक के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह विधेयक कंपनी अधिनियम, 1900 बन गया। इस अधिनियम में उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित कोई प्रावधान भी नहीं था। कंपनी (समेकन) अधिनियम, 1908 का भी यही हाल था। 1908 के अधिनियम की जांच 1918 में लॉर्ड व्रेनबरी की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा और फिर 1926 में ग्रीन, के. जी. की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की गई, जिसके कारण कंपनी अधिनियम, 1929 बना।

15.9 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लॉर्ड कोहेन की अध्यक्षता में एक कंपनी कानून सुधार समिति (1943 में) द्वारा नियुक्त की गई थी

व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष विचार करें और रिपोर्ट करें कि क्या प्रमुख है

1929 के अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, विशेष रूप से "कंपनियों के गठन और मामलों के संबंध में निर्धारित आवश्यकताओं और निवेशकों के लिए और सार्वजनिक हित के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए"। इस समिति की रिपोर्ट में विशेष रूप से 2 समस्याओं पर विचार किया गया, अर्थात् (i) शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के कारण शेयरों के निपटान के मामले में एक निजी कंपनी के मृत शेयरधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को हुई कठिनाई और (ii) निदेशकों द्वारा भारी मुनाफे की हेराफेरी में पद का दुरुपयोग।

छोटे शेयरधारकों के नुकसान के लिए पारिश्रमिक।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का विश्लेषण करने के बाद। सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।2 उदाहरणात्मक मामलों के रूप में पैराग्राफ 58 और 59 के मुद्दों पर, कोहेन समिति ने सिफारिश की कि "सही दिशा में एक कदम यह कहते हुए एक समापन आदेश देने के लिए न्यायालय की बड़ी शक्ति होगी कि एक वैकल्पिक उपाय के बावजूद शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है"।

रिपोर्ट के पैराग्राफ 58 से 60 इस प्रकार हैं:

58. शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। - यह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि शेयरों के हस्तांतरण के प्रतिबंध के लिए एक निजी कंपनी के लेखों में जोड़े गए प्रावधान

कठिनाइयाँ पैदा की हैं, विशेष रूप से जहाँ कानूनी

अल्पांश शेयरधारकों के प्रतिनिधियों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए धन जुटाना पड़ता है। कंपनी के निदेशक, जो आमतौर पर प्रमुख शेयरधारक होते हैं, कभी-कभी बाहरी लोगों को हस्तांतरण पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं।

इसके परिणामस्वरूप निष्पादक, जिन्हें संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने वसीयतकर्ताओं के शेयरों का भुगतान करना होगा, उन्हें निदेशकों या उनके द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को उनसे बहुत कम कीमतों पर बेचना होगा।

संपत्ति शुल्क। यह कठिनाई कानून में निजी कंपनियों के लिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है जिसके लेखों में हस्तांतरण का प्रावधान है। स्टॉक होते हुए भी निदेशकों की मंजूरी के लिए शेयरों का

जहां सौदा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, एक्सचेंज इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रतिबंध को परिवार रखने के साधन के रूप में महत्व दिया जाता है।

परिवार के नियंत्रण में व्यवसाय और हम नहीं देखते हैं इसे हटाने के लिए पर्याप्त कारण, विशेष रूप से यदि हमारा सुझाव है

पैराग्राफ 60 में अपनाया गया है। 59. निदेशकों का अत्यधिक पारिश्रमिक। - एक और दुर्व्यवहार जो पाया गया है वह यह है कि निर्देशक इसे स्वीकार करते हैं

कंपनी के लाभ का अनुचित अनुपात

उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक ताकि लाभांश के रूप में शेयरधारकों के बीच वितरण के लिए बहुत कम या कुछ भी न बचे। ऐसा तब हो सकता है जब, उदाहरण के लिए, साझेदारी में व्यापार करने वाले दो व्यक्ति एक सीमित कंपनी में अपना व्यवसाय बनाते हैं और एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है-अपने शेयरों को अपनी विधवा को छोड़ देते हैं जो अपने हिस्से का भुगतान करती है।

व्यवसाय में कोई सक्रिय भाग नहीं लेना। वर्तमान में अल्पांश शेयरधारक के लिए एकमात्र उपाय [2021] 12 एस. सी. आर. के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी को इस आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान करने से रोकें कि इस तरह का भुगतान अल्पसंख्यकों के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि न्यायालय कंपनी को बंद करने का आदेश नहीं देगा।

वैकल्पिक उपचार।

60. अल्पसंख्यकों का दमन। - हमने बहुमत द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने में एक निजी कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों को मजबूत करने के उद्देश्य से दिए गए सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की है। जिन कठिनाइयों का हमने पिछले दो पैराग्राफ में उल्लेख किया है, वे वास्तव में एक सामान्य समस्या के केवल उदाहरण हैं। प्रत्येक को शामिल करने के लिए एक सिफारिश तैयार करना असंभव है।

मामला। हम मानते हैं कि सही दिशा में एक कदम यह होगा कि न्यायालय की समापन आदेश देने की शक्ति को बढ़ाया जाए और यह प्रावधान किया जाए कि शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

एक वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद। में।

हालाँकि, कई मामलों में, कंपनी को बंद करने से अल्पांश शेयरधारकों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि परिसंपत्तियों का विभाजित मूल्य छोटा हो सकता है, या एकमात्र उपलब्ध खरीदार वह हो सकता है जिसका अधिकांश हिस्सा उत्पीड़न के कारण था।

निवारण की मांग करने के लिए अल्पसंख्यक। इसलिए, हम सुझाव देते हैं कि न्यायालय के पास, इसके अलावा, पक्षों पर अधिरोपण करने की शक्ति होनी चाहिए।

किसी विवाद के लिए जो भी समझौता न्यायालय न्यायसंगत और न्यायसंगत मानता है। यह विवेकाधिकार निरंकुश होना चाहिए, क्योंकि इसके समाधान के लिए एक सामान्य मार्गदर्शक निर्धारित करना असंभव है।

अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत मामले। हमें नहीं लगता कि अदालत

प्रत्येक मामले में एक समाधान खोजने और लागू करने की उम्मीद की जा सकती है; लेकिन हमारे प्रस्ताव से न्यायालय को एक ऐसा अधिकार क्षेत्र मिलेगा जिसका वर्तमान में अभाव है, और इस तरह कम से कम उसे एक अधिकार क्षेत्र लागू करने का अधिकार मिलेगा।

उन मामलों में समाधान जहां एक मौजूद है।

15.10 अंततः, रिपोर्ट के पैरा 153 में, समापन से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने के लिए एक सिफारिश की गई है।

विंगः

एक नया खंड है जिसके तहत, एक शेयरधारक पर

याचिका, न्यायालय, यदि संतुष्ट हो कि अल्पमत

शेयरधारकों पर अत्याचार किया जा रहा है और यह कि एक समापन आदेश अल्पसंख्यक के साथ न्याय नहीं करेगा, एक समापन आदेश देने के बजाय, इस तरह के अन्य आदेश करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बहुमत द्वारा खरीद का आदेश भी शामिल है।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर अल्पमत के शेयर,

न्यायालय के बारे में न्यायसंगत लग सकता है

15.11 लॉर्ड कोहेन समिति की रिपोर्ट ने पेनी अधिनियम, 1948 को अधिनियमित किया, जिसमें धारा में एक प्रावधान शामिल किया गया था, धारा को दिया गया शीर्षक था, "दमन के मामलों में शामिल होने का वैकल्पिक उपाय"। यह प्रावधान इस प्रकार है:

" 210. उत्पीड़न के मामलों में समाप्त करने का वैकल्पिक उपाय

(1) कंपनी का कोई भी सदस्य जो शिकायत करता है कि कंपनी के मामलों को दमनकारी तरीके से चलाया जा रहा है

सदस्यों के किसी भाग को (स्वयं सहित) या इस अधिनियम की धारा एक सौ उनसठ की उप-धारा (3) के अंतर्गत आने वाले मामले में, व्यापार बोर्ड इस धारा के तहत आदेश के लिए याचिका दायर करके अदालत में आवेदन कर सकता है।

(2) यदि ऐसी किसी याचिका पर अदालत की राय है (क) कि कंपनी के कार्य उपरोक्त रूप में संचालित किए जा रहे हैं; और

(ख) कंपनी को बंद करने से सदस्यों के उस हिस्से पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्यथा तथ्य इस आधार पर समापन आदेश देने को उचित ठहराएंगे कि कंपनी को बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत था।

अदालत, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से, ऐसा आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह भविष्य में कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए हो, या कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी के अन्य सदस्यों द्वारा या कंपनी द्वारा और,

कम्पनी द्वारा कम्पनी की पूँजी में तदनुसार कमी के लिए या अन्यथा की गई खरीद का मामला। (3) जहां इस धारा के तहत कोई आदेश किसी कंपनी के ज्ञापन या लेखों में कोई बदलाव करता है, तो इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी होने के बावजूद।

लेकिन आदेश के प्रावधानों के अधीन, संबंधित कंपनी के पास अदालत की अनुमति के बिना शक्ति नहीं होगी।

में या उसके अतिरिक्त कोई और परिवर्तन करना आदेश के प्रावधानों के साथ असंगत ज्ञापन या लेख; लेकिन, इस [2021] 12 एस. सी. आर. के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन।

उपखंड, आदेश द्वारा किए गए परिवर्तन या परिवर्धन यह उसी प्रभाव का होगा जैसे कि कंपनी के संकल्प द्वारा विधिवत किया गया हो और इस अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू होंगे।

ज्ञापन या लेख जो इस प्रकार परिवर्तित किए गए हैं या तदनुसार जोड़े गए हैं।

(4) इस धारा के तहत किसी कंपनी के ज्ञापन या वस्तुओं को बदलने या जोड़ने, या बदलने या जोड़ने की अनुमति देने वाले किसी आदेश की एक कार्यालय प्रति, उसे बनाने के चौदह दिनों के भीतर, कंपनी द्वारा पंजीकरण के लिए कंपनियों के पंजीयक को दी जाएगी; और यदि कोई कंपनी इस उप-धारा का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है, एक -

डिफ़ॉल्ट रूप से ठीक।

(5) इस धारा के तहत एक याचिका के संबंध में, इस अधिनियम की धारा तीन सौ पैंसठ लागू होगी जैसा कि यह एक समापन याचिका के संबंध में लागू होती है, और इस धारा के तहत कार्यवाहियां, अर्थव्यवस्था (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1926 के भाग V के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियां मानी जाएंगी।

कंपनियाँ।

15.12 लेकिन 1948 के अधिनियम की धारा 210 में दिखाई देने वाले "दमनकारी" शब्द का अर्थ स्कॉटिश सहकारी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया गया था।

थोक समाज बनाम मेयर 1 का अर्थ है "बोझिल, कठोर और गलत"। "गलत" अभिव्यक्ति ने कुछ अनिश्चितता को जन्म दिया कि क्या इसके लिए वास्तविक अवैधता या कानूनी अधिकारों के आक्रमण की आवश्यकता है।

इसके अलावा, प्रावधान ने 2 आलोचनाओं को आमंत्रित किया, अर्थात् (i) न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत समापन को उचित ठहराने वाले आधारों को स्थापित करने की आवश्यकता अपने आप में कठोर थी और (ii) यह कि धारा 210 एक पृथक अधिनियम पर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल एक आचरण प्रक्रिया पर लागू होगी। 15.13 इसलिए, 1962 की जेनकिंस समिति ने "अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण" शब्द के उपयोग की सिफारिश की। संसद ने इसे कंपनी अधिनियम, 1980 की धारा 75 में अपनाया। बाद में, 1980 के अधिनियम की यह धारा 75, एक संशोधन के साथ, कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 459 बन गई। कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 459 से 461 को भाग XVII में "अनुचित पूर्वाग्रह के खिलाफ कंपनी के सदस्यों का संरक्षण" शीर्षक के तहत शामिल किया गया था। धारा 459 से 461 निम्नानुसार है:

1 1959 A.C.324 टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

459. कम्पनी सदस्यक आवेदन पर आदेश।

(1) कम्पनीक कोनो सदस्य एहि आधार पर एहि भागक अन्तर्गत आदेशक लेल याचिका द्वारा न्यायालयमे आवेदन कऽ सकैत अछि जे कम्पनीक

कार्य इस तरह से किए जा रहे हैं या किए गए हैं जो सदस्यों के कुछ हिस्से (कम से कम स्वयं सहित) के हितों के लिए अनुचित रूप से प्रतिकूल है या कि कंपनी का कोई वास्तविक या प्रस्तावित कार्य या चूक (इसकी ओर से एक कार्य या चूक सहित) इतना प्रतिकूल है या होगा।

किसी सदस्य या सदस्य के संदर्भ का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाना चाहिए। 460 राज्य सचिव के आवेदन पर आदेश

(1) यदि किसी कंपनी के मामले में -

(क) राज्य सचिव ने धारा 437 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त की है, या इस अधिनियम की धारा 447 या 448 या [1982 ग की धारा 44 (2) से (6) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। 50.] बीमा कंपनी अधिनियम 1982 (कंपनी की पुस्तकों का निरीक्षण और

कागजात), और

(ख) उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के कार्य इस तरह से किए जा रहे हैं या किए गए हैं जो अनुचित रूप से प्रतिकूल है।

सदस्यों के कुछ भाग के हितों के लिए, या कि कंपनी का कोई वास्तविक या प्रस्तावित कार्य या चूक (जिसमें एक

इसकी ओर से किया गया कार्य या चूक) इतना प्रतिकूल है या होगा। वह स्वयं (कंपनी को बंद करने के लिए धारा 440 के तहत याचिका प्रस्तुत करने के अलावा या उसके बजाय) इस भाग के तहत आदेश के लिए याचिका द्वारा अदालत में आवेदन कर सकता है।

461 इस भाग के तहत याचिकाओं और आदेशों के बारे में प्रावधान (1) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि इस भाग के तहत एक याचिका अच्छी तरह से स्थापित है, तो वह ऐसा आदेश दे सकता है जो वह शिकायत किए गए मामलों के संबंध में राहत देने के लिए उचित समझे।

(क) भविष्य में कंपनी के कार्यों के संचालन को विनियमित करना, (बी) कंपनी से याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत किए गए कार्य को करने या जारी रखने से बचने या एक ऐसा कार्य करने की अपेक्षा करता है जिसे याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि उसने करने में चूक की है,

(ग) कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा और ऐसी शर्तों पर दीवानी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करें जो अदालत निर्देशित करे,

(घ) अन्य सदस्यों द्वारा या स्वयं कंपनी द्वारा कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयरों की खरीद के लिए प्रावधान करें और कंपनी द्वारा ही खरीद के मामले में, तदनुसार कंपनी की पूंजी में कमी करें।

लेख, कंपनी के पास तब अदालत की अनुमति के बिना उस के उल्लंघन में ऐसा कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। आवश्यकताएँ।

(4) इस भाग के तहत एक आदेश के आधार पर कंपनी के ज्ञापन या वस्तुओं में कोई भी परिवर्तन उसी प्रभाव का है जैसे कि कंपनी के संकल्प द्वारा विधिवत किया गया है, और इस अधिनियम के प्रावधान ज्ञापन या वस्तुओं पर लागू होते हैं जैसा कि तदनुसार परिवर्तित किया गया है।

(5) इस भाग के तहत किसी कंपनी के ज्ञापन या वस्तुओं को बदलने या बदलने की अनुमति देने वाले आदेश की एक कार्यालय प्रति, आदेश देने के 14 दिनों के भीतर या ऐसी लंबी अवधि के भीतर, जिसे अदालत अनुमति दे, कंपनी द्वारा पंजीकरण के लिए कंपनियों के पंजीयक को दी जाएगी; और यदि कोई कंपनी इस उप-धारा का पालन करने में चूक करती है,

कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, जुर्माने और निरंतर उल्लंघन के लिए दैनिक चूक जुर्माने के लिए उत्तरदायी है।

(6) धारा 663 (समापन नियम) इस भाग के तहत एक याचिका के संबंध में लागू होती है जैसा कि समापन याचिका के संबंध में होता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

धारा 459 में उपरोक्त उद्धरण में मोटे अक्षरों में शब्द थे

बाद में "अनुचित रूप से प्रतिकूल" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया इसके सदस्यों के हित आम तौर पर या इसके कुछ हिस्से के

सदस्य "1989 के संशोधन द्वारा जो 1991 में लागू हुआ।

15.14 कंपनी अधिनियम, 1985 को कंपनी अधिनियम, 2006 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसे 1300 धाराओं और 16 अनुसूचियों के साथ इसके संसदीय इतिहास में सबसे लंबा अधिनियम होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त था। (जब तक निगम कर अधिनियम, 2009 द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था)। अधिनियम के भाग 30 में धारा 994 से 996 (अन्य के अलावा) में 3 प्रावधान हैं, जिन्हें "अनुचित पूर्वाग्रह से सदस्यों का संरक्षण" शीर्षक से वर्गीकृत किया गया है। 2006 के अधिनियम के व्याख्यात्मक टिप्पणियों का आलेख 1265 इस बात की पुष्टि करता है कि 994-998 1985 के अधिनियम की धारा 459,460 और 461 को दोहराता है।

15.15 कंपनी अधिनियम, 2006 की धारा 994 से 996 के रूप में पढ़ा जाता है

कमियाँ:

" 994 कंपनी के सदस्य द्वारा याचिका

(1) कंपनी का कोई सदस्य न्यायालय में आवेदन कर सकता है -

जमीन पर इस भाग के तहत एक आदेश के लिए याचिका

(a) कि कंपनी के मामले चल रहे हैं या रहे हैं

इस तरह से आयोजित किया जाता है जो अनुचित रूप से प्रतिकूल है आम तौर पर सदस्यों के हितों या इसके सदस्यों के कुछ हिस्से (कम से कम स्वयं सहित), या

(ख) कि एक वास्तविक या प्रस्तावित कार्य या चूक

कंपनी (उसकी ओर से एक अधिनियम या चूक सहित) है या

इतना पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

(2) इस भाग के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो

किसी कंपनी का सदस्य नहीं है, लेकिन जिसमें वह हिस्सेदारी रखता है कंपनी को संचालन द्वारा स्थानांतरित या प्रेषित किया गया है

कानून के रूप में वे एक कंपनी के सदस्य पर लागू होते हैं।

(3) इस धारा में, और जहाँ तक लागू हो

इस भाग के अन्य प्रावधानों में इस धारा के उद्देश्य,

" कम्पनी "का अर्थ है

(क) इस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक कंपनी, या

((ख) ऐसी कंपनी जो ऐसी कंपनी नहीं है लेकिन

वैधानिक के अर्थ के भीतर वैधानिक जल कंपनी

जल कंपनी अधिनियम 1991 (सी। 58)।

[2021] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

995 राज्य सचिव द्वारा याचिका

(1) यह धारा किसी कंपनी पर लागू होती है -

जो

(क) राज्य सचिव को कंपनी अधिनियम 1985 (ग) की धारा 437 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 6) (निरीक्षक का

रिपोर्ट); (ख) राज्य सचिव ने उस अधिनियम की धारा 447 या 448 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

दस्तावेज़ और जानकारी या परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए);

(ग) राज्य सचिव या वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने अधिनियम के भाग 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

वित्तीय सेवा और बाजार अधिनियम 2000 (सी। 8) (जानकारी)

एकत्र करना और जांच करना); या

(घ) राज्य सचिव को उसके या वित्तीय सेवाओं द्वारा नियुक्त एक अन्वेषक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

उस भाग के अधीन प्राधिकरण।

(2) यदि राज्य सचिव को यह प्रतीत होता है कि ऐसी कंपनी के मामले में (ए) कंपनी के मामलों को इस तरह से संचालित किया जा रहा है या किया गया है जो कंपनी के लिए अनुचित रूप से प्रतिकूल है।

आम तौर पर सदस्यों या इसके सदस्यों के कुछ हिस्सों के हित,

या (बी) कंपनी का एक वास्तविक या प्रस्तावित कार्य या चूक (इसकी ओर से एक कार्य या चूक सहित) है या

वह इतना प्रतिकूल होगा कि वह इस भाग के तहत आदेश के लिए याचिका दायर करके अदालत में आवेदन कर सकता है।

(3) राज्य सचिव इसे समाप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने के अलावा या उसके बजाय ऐसा कर सकता है।

कंपनी।

(4) इस धारा में और जहां तक इस भाग के अन्य प्रावधानों में इस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू हो,

" "कंपनी" से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है जो उत्तरदायी है

दिवाला अधिनियम 1986 (सी। 45) या

दिवाला (उत्तरी आयरलैंड) आदेश 1989 (एस. आई. 1989/2405 (एन. आई. 19)।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

996 इस भाग के अधीन न्यायालय की शक्तियाँ

(1) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि इस भाग के तहत एक याचिका अच्छी तरह से स्थापित है, तो वह ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

शिकायत किए गए मामलों के संबंध में राहत देने के लिए।

(2) उप-धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

(1) , अदालत का आदेश हो सकता है -

(क) कंपनी के कार्यों के संचालन को विनियमित करता है

भविष्य;

(बी) कंपनी से अपेक्षा करता है-(i) शिकायत किए गए कार्य को करने या जारी रखने से बचना, या (ii) ऐसा कार्य करना जिससे -

याचिकाकर्ता ने शिकायत की है कि उसने ऐसा करने में चूक की है;

(ग) कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दीवानी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करना।

और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय निर्देशित करे;

(घ) कंपनी से किसी भी, या किसी भी तरह का निर्माण नहीं करने की अपेक्षा करता है।

विनिर्दिष्ट, अनुमति के बिना इसके लेखों में परिवर्तन

अदालत; (ङ) अन्य सदस्यों द्वारा या स्वयं कंपनी द्वारा कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयरों की खरीद के लिए प्रावधान करें और कंपनी द्वारा ही खरीद के मामले में, तदनुसार कंपनी की पूंजी में कमी करें।

भारत में विधायी इतिहास

15.16 भारत में, 'पंजीकृत संयुक्त स्टॉक कंपनियों के विनियमन' के लिए बनाया गया सबसे पहला कानून अधिनियम सं। 1850 का XLIII। यह

अधिनियम में भागीदारों की प्रत्येक गैर-निगमित कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रावधान किया गया है, जो एक विलेख के तहत संबद्ध है जिसमें एक प्रावधान है कि उक्त कंपनी के स्टॉक या व्यवसाय में शेयर सभी भागीदारों की सहमति के बिना हस्तांतरणीय हैं। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि 1850 के इस अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के सर्वोच्च न्यायालयों को कोई सम्मान नहीं दिया गया था।

केवल ऐसी कंपनियों के पंजीकरण की शक्ति के साथ, लेकिन अधिनियम या साझेदारी विलेख के तहत अपने किसी भी कर्तव्य के निदेशकों द्वारा प्रदर्शन को लागू करने की शक्ति के साथ। इन अदालतों के पास अदालत के आदेश की कोई अवज्ञा होने पर किसी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित करने की परिणामी शक्ति भी थी। अल्पमत जैसी अवधारणाएँ,

बहुसंख्यक, उत्पीड़न, कुप्रबंधन आदि, 1850 के इस अधिनियम के लिए विदेशी थे।

15.17 इसके बाद 1857 का अधिनियम No.XIX आया जिसमें संयुक्त स्टॉक कंपनियों और अन्य के निगमन और विनियमन का प्रावधान था।

अपने सदस्यों के सीमित दायित्व के साथ या उसके बिना संघ। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों और अन्य संघों के सदस्यों को उन कंपनियों और संघों से संबंधित ऋणों और अनुबंधों के लिए अपने दायित्व को सीमित करने में सक्षम बनाना था। इस अधिनियम के तहत पहली बार यह प्रिस्क्रिप्शन पेश किया गया था कि किसी भी वैध उद्देश्य के लिए जुड़े 7 या अधिक व्यक्ति एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने नाम की सदस्यता लेकर सीमित दायित्व के साथ या उसके बिना एक निगमित

कंपनी में खुद को बना सकते हैं। इसी अधिनियम द्वारा 20 या उससे अधिक व्यक्तियों के लिए व्यापार या व्यवसाय में किसी भी साझेदारी को जारी रखने का निषेध भी लागू किया गया था, जब तक कि वे एक कंपनी के रूप में पंजीकृत न हों। लेकिन इस अधिनियम में भी उत्पीड़न और कुप्रबंधन आदि जैसी अवधारणाओं पर विचार नहीं किया गया।

किसी व्यक्ति या शेयरधारकों/सदस्यों के समूह के लिए उत्पीड़न, कुप्रबंधन या किसी अनुचित पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार के खिलाफ निवारण की मांग करना। 15.20 इसके बाद भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का अधिनियम No.VII) आया जिसने 1882 के अधिनियम और उसमें किए गए संशोधनों को निरस्त कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1913 के इस अधिनियम ने भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1899 के एक विशेष प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। हालांकि 1913 के मूल अधिनियम में उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, 1951 के संशोधन अधिनियम 52 ने भारतीय संविधान में धारा 153 सी को शामिल किया।

कंपनी अधिनियम, 1913। यह धारा 153 सी इस प्रकार है -

" 153 सी. अदालत की कार्रवाई करने की शक्ति जब कंपनी एक में कार्य करती है

पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से या अपने सदस्यों के किसी भी हिस्से पर अत्याचार करता है। - (1) इस अधिनियम या उस समय के लिए किसी अन्य कानून के अनुसरण में की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टी. ए. परामर्श सेवाएँ सीमित v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।लागू होने पर, कंपनी का कोई भी सदस्य जो शिकायत करता है कि कंपनी के ई-कार्य किए जा रहे हैं

के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से

(अ)

कंपनी, या

सदस्यों के कुछ हिस्से के लिए दमनकारी तरीके से

(ख)

(स्वयं सहित) धारा के तहत आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा सकता है यदि यह संतुष्ट है कि

कंपनी का संचालन उपरोक्त के अनुसार किया जा रहा है।

) उप-धारा (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

y सदस्य, जब तक कि

(क) शेयर पूँजी वाली कंपनी के मामले में सदस्य शिकायत करता है।

(i) कंपनी के सदस्यों की संख्या में कम से कम एक सौ या कम से कम दसवें हिस्से की लिखित सहमति प्राप्त की है।

सदस्य, जो भी कम हो या

(ii) कंपनी की जारी की गई शेयर पूंजी का कम से कम दसवां हिस्सा रखता है, जिस पर सभी कॉल और अन्य देय राशियों का भुगतान किया गया है; और

(ख) शेयर पूँजी न रखने वाली कंपनी के मामले में

शिकायत करने वाले सदस्य ने सहमति प्राप्त कर ली है

सदस्यों की संख्या में कम से कम पांचवें हिस्से का लेखन, और जहां समान संख्या रखने वाले कई व्यक्ति हैं। ऐसे किसी भी आवेदन में ब्याज और निर्दिष्ट शर्त

इस उप-धारा के खंड (ए) या खंड (बी) में ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक के संदर्भ में किसी एक या

उनमें से अधिक, अदालत की अनुमति से, सभी की ओर से या उनके लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस तरह के इच्छुक व्यक्ति और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) की पहली अनुसूची के आदेश I के नियम 8 के प्रावधान ऐसे किसी भी आवेदन पर लागू होंगे जो उस नियम के अर्थ के भीतर किसी भी मुकदमे पर लागू होते हैं।

(4) यदि ऐसे किसी आवेदन पर अदालत की राय है

(क) कि कंपनी के कार्य उपरोक्त रूप में संचालित किए जा रहे हैं, और

(ख) कंपनी को समाप्त करने से कंपनी या उसके सदस्यों के किसी भी हिस्से के हितों पर अनुचित और भौतिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्यथा तथ्य इस आधार पर समापन आदेश देने को उचित ठहराएंगे कि कंपनी को समाप्त करना न्यायसंगत और न्यायसंगत है।

न्यायालय, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से, उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह सोचता है।

फिट।

(5) उप-धारा (4) के तहत किसी न्यायालय में निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप-धारा के तहत किया गया कोई भी आदेश निम्नलिखित प्रावधान कर सकता है:

(बी) कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयरों या हितों की खरीद उसके अन्य सदस्यों द्वारा या कंपनी;

(ग) शेयर पूंजी वाली कंपनी होने के नाते कंपनी द्वारा शेयरों या ब्याज की खरीद के मामले में, कंपनी की पूँजी में तदनुसार कमी या

अन्यथा;

(घ) कंपनी और उसके प्रबंधक, प्रबंध अभिकर्ता के बीच किसी भी समझौते की समाप्ति, चाहे जो भी हो,

प्रबंध निदेशक या इसके किसी अन्य निदेशक; (ङ) कंपनी और खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए गए किसी समझौते की समाप्ति या संशोधन, बशर्ते कि -

संबंधित पक्ष को उचित सूचना के बाद और ऐसे किसी समझौते के संशोधन के मामले में, सहमति प्राप्त करने के बाद, ऐसे समझौते को समाप्त या संशोधित किया जाएगा।

संबंधित पक्षकार; टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(च) तीन महीने के भीतर कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ की गई या की गई संपत्ति से संबंधित किसी भी हस्तांतरण, माल की डिलीवरी, भुगतान, निष्पादन या अन्य कार्य को अलग करना।

उप-धारा (I) के तहत आवेदन की तारीख से पहले, जो, यदि किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जाता है या किया जाता है, तो उसकी दिवालियापन में एक धोखाधड़ी पसंद माना जाएगा।

(6) जहाँ इस धारा के तहत कोई आदेश कोई परिवर्तन करता है। किसी भी कंपनी के ज्ञापन या लेखों में, या उनके अतिरिक्त,

तब इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन आदेश के प्रावधानों के अधीन, संबंधित कंपनी को अदालत की अनुमति के बिना ज्ञापन या प्रावधानों के साथ असंगत वस्तुओं में कोई और परिवर्तन करने या उसके अतिरिक्त करने की शक्ति नहीं होगी।

आदेश के, लेकिन इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा किए गए परिवर्तनों या परिवर्धनों का वही प्रभाव होगा जो कंपनी के संकल्प द्वारा विधिवत किया गया है, और इस अधिनियम के प्रावधान उस ज्ञापन या वस्तुओं पर लागू होंगे जो तदनुसार इस प्रकार परिवर्तित या जोड़ी गई हैं।

(7) इस धारा के तहत प्रत्येक आदेश की एक प्रमाणित प्रति, जिसमें परिवर्तन करना या जोड़ना, या इसमें परिवर्तन करने या जोड़ने की अनुमति देना

किसी भी कंपनी के ज्ञापन या वस्तुओं को बनाने के पंद्रह दिनों के भीतर, कंपनी द्वारा पंजीकरण के लिए पंजीयक को दिया जाएगा, और यदि कोई कंपनी इस उप-धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।

आवेदन के संबंध में अंतिम आदेश देना। (9) जहाँ कोई प्रबंधक, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंध निदेशक या कोई अन्य निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति जिसे इस धारा के तहत किसी भी आवेदन के लिए प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, उसे उसमें पक्षकार बनाने के लिए आवेदन करता है, यदि अदालत का समाधान हो जाता है कि अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति आवश्यक है [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय को प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय लेने और मामले में शामिल सभी प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए। आवेदन, निर्देश दें कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए

आवेदन के लिए। (10) किसी भी मामले में जिसमें अदालत कंपनी और उसके प्रबंधक के बीच किसी भी समझौते को समाप्त करने का आदेश देती है,

प्रबंध अभिकर्ता या प्रबंध निदेशक या इसका कोई अन्य अभिकर्ता

धन या संपत्ति या उसके किसी भाग को क्रमशः उस दर पर ब्याज के साथ पुनर्स्थापित करना जो न्यायालय उचित समझता है, या कंपनी की परिसंपत्तियों में ऐसी राशियों का योगदान करने के लिए - इस अधिनियम की धारा 235 और 236 के प्रावधान लागू होंगे जैसा कि वे समाप्त होने के दौरान किसी कंपनी पर लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 21 जुलाई, 1951 के बाद किसी कंपनी के नियंत्रण में या उस कंपनी के मामले में जिसमें प्रबंध अभिकर्ता की संरचना में एक प्रबंध अभिकर्ता है, जो एक -

फर्म या प्रबंध अभिकर्ता के नियंत्रण में जो एक कंपनी को अदालत द्वारा एक तथ्य माना जा सकता है जो इस आधार पर समापन आदेश देने को उचित ठहराएगा कि कंपनी को समाप्त करना न्यायसंगत और न्यायसंगत होगाः

बशर्ते कि न्यायालय का समाधान हो कि

कंपनी या उसके सदस्यों के किसी भी हिस्से के हितों में परिवर्तन अनुचित और भौतिक रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण है या होने की संभावना है "

15.21 देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा एक कंपनी विधि समिति नियुक्त की गई थी।

भारतीय व्यापार और उद्योग के विशेष संदर्भ में कंपनी अधिनियम। समिति ने मार्च-1952 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी राज्य सरकारों, वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों और अन्य निकायों को रिपोर्ट प्रसारित करने के बाद और इनपुट की जांच करने के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 1) पारित किया गया था। इसमें भाग VI के अध्याय VI में एक पूरा अध्याय शामिल था, जिसमें उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम के लिए विस्तृत संकेत शामिल थे। इस पद को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें भाग ए न्यायालय/न्यायाधिकरण की शक्तियों से संबंधित था और भाग बी केंद्रीय शासन की शक्तियों से संबंधित था। अधिनियम की धारा 397,398 और 402 महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए, उन्हें निम्नानुसार निकाला जाता है:

" 397. उत्पीड़न के मामलों में राहत के लिए न्यायालय में आवेदन। (1) कंपनी का कोई भी सदस्य जो शिकायत करता है कि कंपनी के कार्य किसी भी सदस्य या सदस्य (स्वयं में से किसी एक या अधिक सहित) के लिए दमनकारी तरीके से किए जा रहे हैं, वह इस धारा के तहत आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे सदस्यों को इस तरह से आवेदन करने का अधिकार हो।

(2) यदि, उप-धारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर, न्यायालय राय है

(क) कि कंपनी के कार्य किसी भी सदस्य या सदस्य के लिए दमनकारी तरीके से किए जा रहे हैं; और

(ख) कंपनी को बंद करने से ऐसे सदस्य या सदस्यों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्यथा तथ्य इस आधार पर समापन आदेश देने को उचित ठहराएंगे कि कंपनी के लिए यह न्यायसंगत और न्यायसंगत था।

घायल होना चाहिए;

न्यायालय, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

398. के मामलों में राहत के लिए न्यायालय में आवेदन कुप्रबंधन। - (1) कंपनी का कोई भी सदस्य जो

शिकायत करें

((क) कि कंपनी के कार्य कंपनी के हितों के प्रतिकूल तरीके से किए जा रहे हैं; या

(ख) कि एक भौतिक परिवर्तन (परिवर्तन नहीं होने के कारण लाया गया)

कंपनी के डिबेंचर धारकों, या शेयरधारकों के किसी वर्ग सहित किसी भी लेनदार के बारे में या उनके हितों में) कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में हुआ है, चाहे उसके बोर्ड में बदलाव द्वारा।

निदेशक, या इसके प्रबंध अभिकर्ता या सचिव और [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट कोषागार, या उसके प्रबंध अभिकर्ता या सचिवों के रूप में कार्य करने वाली फर्म या निकाय कॉर्पोरेट के संविधान या नियंत्रण में

अन्य तरीका जो भी हो, और इस तरह के कारण से परिवर्तन, यह संभावना है कि कंपनी के मामलों को हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित किया जाएगा

कंपनी;

इस धारा के तहत आदेश के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे सदस्यों को धारा 399 के आधार पर आवेदन करने का अधिकार हो।

(2) यदि, उप-धारा (1) के तहत किसी भी आवेदन पर, न्यायालय की राय है कि कंपनी के कार्य किए जा रहे हैं

जैसा कि ऊपर कहा गया है या इसके प्रबंधन या नियंत्रण में किसी भी भौतिक परिवर्तन के कारण किया गया है कंपनी, यह संभावना है कि कंपनी के मामलों को उपरोक्त के रूप में संचालित किया जाएगा, न्यायालय, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने या रोकने की दृष्टि से या

पकड़े जाने पर, ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे।

402 धारा 397 या 398 के तहत आवेदन पर न्यायालय की शक्तियाँ। - की शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना न्यायालय धारा 397 या 398 के तहत, किसी भी धारा के तहत कोई भी आदेश प्रदान कर सकता है

(क) भविष्य में कंपनी के कार्यों के संचालन का विनियमन;
(बी) कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयरों या हितों की खरीद उसके अन्य सदस्यों द्वारा या

कंपनी; (ग) कंपनी द्वारा अपने शेयरों की खरीद के मामले में, इसके परिणामस्वरूप उसकी शेयर पूंजी में कमी;

(घ) एक ओर कंपनी और दूसरी ओर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी के बीच किसी भी समझौते को समाप्त करना, अलग करना या संशोधित करना, चाहे जो भी हो, अर्थात्:

((i) प्रबंध निदेशक,

((ii) कोई अन्य निदेशक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

((ग) प्रबंध अभिकर्ता,

((iv) सचिव और खजानेदार, और

((घ) प्रबंधक।

मामला। (ङ) कंपनी और खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी समझौते को समाप्त करना, अलग करना या संशोधित करना, बशर्ते कि ऐसा कोई भी समझौता संबंधित पक्ष को उचित सूचना के बाद के अलावा समाप्त, अलग या संशोधित नहीं किया जाएगा और आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई समझौता नहीं है।

सहमति प्राप्त करने के बाद के अलावा समझौते में संशोधन किया जाएगा।

संबंधित पक्ष का;

(च) किसी भी हस्तांतरण, माल की डिलीवरी, भुगतान को अलग करना,

तारीख से तीन महीने पहले कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ की गई या की गई संपत्ति से संबंधित निष्पादन या अन्य कार्य धारा 397 या 398 के तहत आवेदन, जो, यदि किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जाता है या किया जाता है, तो उसके अधिनियम में माना जाएगा।

दिवालियापन एक धोखाधड़ी पसंद है;

(छ) कोई अन्य मामला जिसके लिए न्यायालय की राय में यह है

न्यायसंगत और न्यायसंगत प्रावधान किया जाना चाहिए।

15.22 देश की अर्थव्यवस्था के खुलने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल के बदलने के बाद, सरकार ने

1956 के अधिनियम को एक नए अधिनियम के साथ बदलने का निर्णय लिया। तदनुसार, कंपनी विधेयक, 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन इस विधेयक को वापस ले लिया गया और कंपनी विधेयक, 2011 पेश किया गया। यह अंततः कंपनी अधिनियम 2013 बन गया। लाए गए कई बदलावों में से

इस कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, जो अल्पसंख्यक शेयरधारकों के संरक्षण से संबंधित हैं, वे हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। वास्तव में, अनुच्छेद 5 (ix)

कंपनी अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण अल्पसंख्यक शेयरधारकों के संरक्षण के मुद्दे से संबंधित है। वह इस प्रकार है:

" 5. (ix) अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए संरक्षण:

(क) असहमति की स्थिति में शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प

जिसके लिए सार्वजनिक मुद्दा बनाया गया था।

(ख) विलय के प्रभाव के बारे में विशिष्ट प्रकटीकरण

लेनदार, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, प्रवर्तक और गैर प्रवर्तक शेयरधारक प्रदान किए जा रहे हैं। न्यायाधिकरण है

असहमति जताने वालों को बाहर निकलने का प्रस्ताव देने का अधिकार होना

समझौता या व्यवस्था के मामले में शेयरधारक। (ग) बोर्ड में छोटे शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक हो सकता है जिसे इस तरह से चुना जा सकता है कि

नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।

एजीमेंट "। धारा 241 और 242 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि इसे निम्नानुसार निकाला गया है:241. उत्पीड़न के मामलों में राहत के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन, सी। (1) कंपनी का कोई भी सदस्य जो शिकायत करता है कि

(क) कंपनी के कार्य लोक हित के लिए प्रतिकूल या उसके या किसी अन्य सदस्य या सदस्यों के लिए प्रतिकूल या दमनकारी तरीके से या उनके लिए प्रतिकूल तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं।

कंपनी के हित; या

((ख) कंपनी के डिबेंचर धारकों या शेयरधारकों के किसी वर्ग सहित किसी भी लेनदार द्वारा या उसके हितों में लाए गए भौतिक परिवर्तन, कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में हुए हैं, चाहे वह बोर्ड में परिवर्तन द्वारा हो।

निदेशक, या प्रबंधक, या कंपनी के शेयरों के स्वामित्व में, या यदि इसकी सदस्यता में, या किसी अन्य तरीके से कोई शेयर पूंजी नहीं है, और इस तरह के परिवर्तन के कारण, यह संभावना है कि कंपनी के कार्य एक तरह से संचालित किए जाएंगे।

इसके हितों या इसके सदस्यों या किसी भी वर्ग के लिए हानिकारक

सदस्यों का,

न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे सदस्य को धारा 244 के तहत इस आदेश के लिए आवेदन करने का अधिकार हो।

अध्याय।

(2) केंद्र सरकार, यदि यह राय है कि कंपनी के कार्य टी. ए. परामर्श सेवा सीमित तरीके से संचालित किए जा रहे हैं।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

लोक हित के लिए प्रतिकूल, यह स्वयं लागू हो सकता है

इस अध्याय के तहत एक आदेश के लिए न्यायाधिकरण:

12. न्यायाधिकरण की शक्तियाँ। — (1) यदि धारा 241 के अधीन किए गए किसी आवेदन पर न्यायाधिकरण की राय है

(क) कि कंपनी के कार्य किसी भी सदस्य या सदस्य के लिए प्रतिकूल या दमनकारी या सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल या कंपनी के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं; और

(ख) कंपनी को बंद करने से ऐसे सदस्य या सदस्यों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अन्यथा तथ्य इस आधार पर बंद करने का आदेश देने को उचित ठहराएंगे कि कंपनी का बंद करना न्यायसंगत और न्यायसंगत था।

घाव होना चाहिए,

ई न्यायाधिकरण, मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से

इसके कारण, ऐसा आदेश दें जो उसे उचित लगे।

(2) ख-धारा (1) के तहत शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप-धारा के तहत एक आदेश प्रदान कर सकता है

आर

(ए) में कंपनी के मामलों के संचालन का विनियमन

भविष्य;

((ख) कंपनी के अन्य सदस्यों द्वारा या कंपनी द्वारा कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयरों या हितों की खरीद;

(ग) कंपनी द्वारा अपने शेयरों की खरीद के मामले में, इसके परिणामस्वरूप उसकी शेयर पूंजी में कमी;

((घ) शेयरों के हस्तांतरण या आवंटन पर प्रतिबंध

कंपनी का;

(ङ) कंपनी और प्रबंध निदेशक, किसी अन्य निदेशक या प्रबंधक के बीच किसी भी समझौते को समाप्त करना, अलग करना या संशोधित करना, चाहे जो भी हो,

मामला; (च) कंपनी और खंड (ङ) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी समझौते को समाप्त करना, अलग करना या संशोधित करना: बशर्ते कि ऐसा कोई [2021] 12 एस. सी. आर. न हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित सूचना के बाद और समझौते की सहमति प्राप्त करने के बाद के अलावा समझौते को समाप्त, अलग या संशोधित किया जाएगा।

संबंधित पक्ष:

(छ) इस धारा के तहत आवेदन की तारीख से तीन महीने पहले कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ की गई या की गई संपत्ति से संबंधित किसी भी हस्तांतरण, माल की डिलीवरी, भुगतान, निष्पादन या अन्य कार्य को अलग करना, जो यदि किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ किया जाता है या किया जाता है, तो उसकी दिवालियापन वरीयता में धोखाधड़ी माना जाएगा;

(ज) प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या इनमें से किसी को भी हटाना।

कंपनी के निदेशक;

((i) किसी भी प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या निदेशक द्वारा अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान किए गए अनुचित लाभ की वसूली।

इस प्रकार और पुनर्प्राप्ति के उपयोग का तरीका

निवेशक शिक्षा और संरक्षण को हस्तांतरण सहित पहचान योग्य पीड़ितों को धन या पुनर्भुगतान;

(जे) एक आदेश के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति करने का तरीका। के मौजूदा प्रबंध निदेशक या प्रबंधक को हटाना

खंड (एच) के तहत बनाई गई कंपनी;

(ट) निदेशकों के रूप में इतनी संख्या में व्यक्तियों की नियुक्ति,

जिसे न्यायाधिकरण द्वारा रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है

ऐसे मामलों पर न्यायाधिकरण जो न्यायाधिकरण निर्देशित करे; (1) न्यायाधिकरण द्वारा उचित समझी जाने वाली लागतों का अधिरोपण;

(एम) कोई अन्य मामला जिसके लिए, न्यायाधिकरण की राय में, यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि प्रावधान होना चाहिए

बनाया गया।

(3) उप के तहत न्यायाधिकरण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति

धारा (1) कंपनी द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश के तीस दिनों के भीतर पंजीयक के पास दायर की जाएगी।

(4) न्यायाधिकरण, किसी भी पक्ष के आवेदन पर

कार्यवाही, कोई भी अंतरिम आदेश दें जिसे वह कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए उचित समझता है नियम और शर्तें जो इसे न्यायसंगत और न्यायसंगत लगती हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(5) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण का आदेश हो।

ज्ञापन या लेखों में कोई परिवर्तन करता है

कंपनी, तब, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कंपनी के पास आदेश में अनुमत सीमा, यदि कोई हो, के अलावा, कंपनी की अनुमति के बिना बनाने की शक्ति नहीं होगी।

न्यायाधिकरण, कोई भी परिवर्तन जो इसके साथ असंगत है

आदेश, या तो ज्ञापन में या लेखों में।
(6) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के ज्ञापन या लेखों में आदेश द्वारा किए गए परिवर्तनों का, सभी मामलों में, वही प्रभाव होगा जैसे कि वे कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत किए गए थे और उक्त प्रावधान लागू होंगे।

इस प्रकार परिवर्तित ज्ञापन या लेखों के अनुसार।

इसके अंकन के तीस दिन बाद, कंपनी द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए। पंजीयक के साथ जो इसे पंजीकृत करेगा।

(8) यदि कोई कंपनी उप-धारा (5) के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी जुर्माने से दंडनीय होगी जो -

एक लाख रुपये से कम नहीं लेकिन जो पच्चीस लाख रुपये तक हो सकता है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बीस -पाँच हजार रुपये से कम
लेकिन जो बढ़ सकता है

एक लाख रुपये, या दोनों के साथ।

15.24 इस प्रकार प्रावधानों का अंग्रेजी विधायी इतिहास

उत्पीड़न, कुप्रबंधन और पूर्वाग्रह से संबंधित, दिखाएँ 3

मील के पत्थर, अर्थात् (i) वर्ष 1862 में समाप्त करने के लिए 'न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड' की शुरूआत और असंतुष्ट सदस्य को सीमित अधिकार प्रदान करना, जब भी समापन कार्यवाही के दौरान कोई स्थानांतरण या बिक्री होती है, (ii) समाप्त करने के लिए एक वैकल्पिक उपाय का प्रावधान, के दमन की स्थिति में

अल्पमत, वर्ष 1948 में और (iii) 1980/1985 में उत्पीड़न से 'अनुचित पूर्वाग्रह' भाग में बदलाव। यात्रा, अन्य में शब्द, "न्यायसंगत और न्यायसंगत कारण को समाप्त करने" से "उत्पीड़न" से "अनुचित पूर्वाग्रह" तक था।

15.25 लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, इसमें क्या शामिल किया गया था

अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1948 की धारा 210 ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153-सी को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। 1951 में संशोधन। इसके बाद 1956 के अधिनियम की धारा 397 और 398 आई।

कुछ संशोधनों के साथ। इन प्रावधानों में सुधार के परिणामस्वरूप

2013 के भारतीय अधिनियम की धारा 241 और 242, के मॉडल पर (और नहीं

अंग्रेजी कंपनियों की धारा 459 से 461 का सटीक पुनरुत्पादन अधिनियम, 1985 और 2006 के अंग्रेजी अधिनियम की धारा 994 से 996 तक।

15.26 भाषा का परिवर्तन और इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन

उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित जांच के लिए मापदंड

1951 से 1956 तक और 1956 से 2013 तक और उसके बाद सबसे अच्छा हो सकता है।

समझा जाता है, यदि वैधानिक प्रावधानों की शरीर रचना विच्छेदित है और एक मेज में प्रस्तुतः

1913 अधिनियम

1956 अधिनियम

2013

अधिनियम

(संशोधन के साथ

(संशोधन के बाद

1951 का अधिनियम 52)

के अधिनियम 53 के तहत बनाया गया

1963)

(1) कंपनी के मामले हैं (1) कंपनी के मामले।

(1) कंपनी के मामले

में आयोजित किया जा रहा है

में आयोजित किया जा रहा है या किया जा रहा है

एक तरह से आयोजित

तरीका -

तरीका

(ए) के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण

(ए) के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण

(ए) के लिए

पूर्वाग्रहपूर्ण

कोई भी

सदस्य या

जनहित;

कम्पनी '

सदस्य;

ब्याज;

या

(ख) किसी के लिए भी दमनकारी

या

(ख) दमनकारी

सदस्य

(ख) न्यायोचित

या

जनहित;

इसका कुछ हिस्सा

सदस्य;

सदस्य;

या

या

(ग) के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण

और

(2) बंद करने की इच्छा

के हितों

(ग) के लिए

पूर्वाग्रहपूर्ण

अनुचित और भौतिक रूप से

कंपनी;

हितों के प्रति पूर्वाग्रह

और

के हितों

कंपनी का या कोई भी

कंपनी; या

इसके सदस्यों का हिस्सा

(2)

बंद करने की इच्छा

((घ) दमनकारी

अनुचित रूप से ऐसा पूर्वाग्रह

कोई भी

सदस्य या

सदस्य या सदस्य।

(3) वस्तु होनी चाहिए

सदस्य।

अंत करने के लिए, शिकायत किए गए मामले।

(2) बंद करने की इच्छा

अनुचित रूप से ऐसा

पूर्वाग्रह

सदस्य या सदस्य।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

15.27 ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि समय के साथ भारत में लाए गए परिवर्तन भौतिक थे। ये हैं बदलाव इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) जबकि कंपनी के मामलों का संचालन इस तरह से किया जाता है कि

वारंट हस्तक्षेप, के तहत "मौजूद और जारी" होना चाहिए

1913 अधिनियम और 1956 अधिनियम, जैसा कि शब्दों के उपयोग से देखा जाता है

"होने के नाते, आचरण" अतीत या वर्तमान और निरंतर "भी हो सकता है।

2013 के अधिनियम के तहत जैसा कि शब्दों के उपयोग से देखा गया है "किया गया है या (लेकिन आचरण दूर के अतीत का नहीं हो सकता है);

((ii) जनहित के प्रति पूर्वाग्रह और जनता के हितों के प्रति पूर्वाग्रह

कोई भी सदस्य या सदस्य निर्धारित मापदंडों में शामिल नहीं थे

1913 का अधिनियम, लेकिन 1956 के अधिनियम के तहत जनहित के प्रति पूर्वाग्रह था

उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान के तहत और इसके तहत भी शामिल

कुप्रबंधन से संबंधित प्रावधान। हितों के प्रति पूर्वाग्रह

कंपनी को केवल कुप्रबंधन से संबंधित प्रावधान में शामिल किया गया था। लेकिन 2013 के अधिनियम के तहत किसी भी सदस्य के लिए प्रतिकूल या प्रतिकूल आचरण करना। लोक हित में या कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल सभी उत्पीड़न के साथ जोड़े जाते हैं;

(iii) 1913 के अधिनियम के तहत, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि समापन

न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत न केवल अनुचित रूप से पूर्वाग्रह होगा, बल्कि कंपनी या किसी भी हिस्से के हितों को "भौतिक रूप से पूर्वाग्रह" भी होगा। अपने सदस्यों से। लेकिन 1956 के अधिनियम और 2013 के अधिनियम में "और" शब्द हैं।

भौतिक रूप से "अनुचित रूप से" शब्द का पालन न करें। इसके अलावा, के तहत 1956 अधिनियम और 2013 अधिनियम में केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या बंद करने से "ऐसे सदस्य या सदस्यों" पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा।

ताकि शिकायत करने वाले/प्रभावित सदस्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

15.28

इस प्रकार भारतीय विधायी नीति में बदलाव देखा गया है

1951 के अधिनियम 52 (1913 के अधिनियम में संशोधन) और फिर 1956 के तहत 1963 के अधिनियम 53 द्वारा संशोधित अधिनियम और उसके बाद 2013 के अधिनियम के तहत, आइए हम यह भी देखें कि विधायी नीति में बदलाव कैसे हुआ

यूनाइटेड किंगडम। पैरा 15.26 में दी गई तालिका के समान एक तालिका प्रस्तुत की गई है।

जहाँ तक अंग्रेजी कानून का संबंध है, नीचे दिया गया है:

1948 अंग्रेज़ी अधिनियम

1985 अंग्रेजी अधिनियम के साथ

2006

अधिनियम

1991 में संशोधन

((a) कंपनी का

((i) कंपनी के मामले

((i) कंपनी के मामले

बात चल रही है

किया जा रहा है या किया गया है

किया जा रहा है या किया गया है

ए में आयोजित

एक तरह से आयोजित

एक तरह से आयोजित

अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण के लिए दमनकारी तरीके से

अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण
सदस्यों के हित

इसके कुछ हिस्सों के हित

इसका कुछ हिस्सा

आम तौर पर या कुछ भाग के

सदस्यगण

सदस्य या:

इसके सदस्य और:

((ii) कि कोई वास्तविक या

प्रस्तावित अधिनियम इस प्रकार होगा

((ii) कि कोई वास्तविक

या

((ख) समाप्त करने के लिए

होगा।

प्रस्तावित अधिनियम इस

प्रकार होगा

पूर्वाग्रहपूर्ण

कंपनी

पूर्वाग्रहपूर्ण

अनुचित रूप से पूर्वाग्रह है कि

सदस्यों का हिस्सा,

तब न्यायालय पारित कर सकता है

तब न्यायालय पारित कर

सकता है

हालांकि समाप्त हो रहा है

ऐसा आदेश जो वह उचित समझे

के संबंध में राहत देने के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत

ऐसा आदेश जो वह उचित

समझे

शिकायत किए गए मामले हो सकते हैं

के संबंध में राहत देने के

लिए

जमीन

जिन मामलों की शिकायत

की गई।

न्यायसंगत है।

((ग) आदेश का

अदालत को करना चाहिए

बनो।

एक दृष्टि के साथ पारित किया

अंत करने के लिए

शिकायत किए गए मामले।

15.29 इस बदलाव की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं जो हुई हैं

इंग्लैंड में। वे हैं (i) "सदस्यों के कुछ हिस्से के लिए दमनकारी आचरण" से "आम तौर पर सदस्यों के हितों के लिए या इसके कुछ हिस्से के लिए अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण" पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सदस्यों का: ((ii) सार्वजनिक हित के लिए प्रतिकूल या कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल आचरण करना, अंग्रेजी कानून की योजना का हिस्सा नहीं है;

(iii) किसी भी वास्तविक या प्रस्तावित कार्य या चूक को अंग्रेजी कानून के तहत इस आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है कि यह पूर्वाग्रहपूर्ण साबित होगा; (iv) यह राय बनाने वाले न्यायालय का सवाल कि तथ्यों को अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर समाप्त करने के लिए एक आदेश की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कि यह शिकायत करने वाले सदस्यों के लिए अनुचित रूप से पूर्वाग्रह पैदा करेगा, अब अंग्रेजी कानून के तहत उत्पन्न नहीं होता है।

15.30 लेकिन इंग्लैंड में भारी बदलाव के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि

भारत और इंग्लैंड दोनों में सभी अधिनियमों में एक समान धागा चल रहा है। सभी 3 भारतीय अधिनियमों, अर्थात् 1913 अधिनियम, 1956 अधिनियम और 2013 अधिनियम में, न्यायालय को आम तौर पर "शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से" ऐसे आदेश पारित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह वाक्य यह 1913 के अधिनियम की धारा 153सी (4) में पाया जाता है। यह धारा 397 (2) में पाया जाता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

साथ ही 1956 के अधिनियम की धारा 398 (2) और यह 2013 के अधिनियम की धारा 242 (1) में भी पाया जाता है। यह आम धागा भी है जो 1948,1985 और 2006 के अंग्रेजी अधिनियमों में निहित वैधानिक निर्देशों के माध्यम से चलता है। इसलिए, इन प्रावधानों के तहत एक आवेदन में राहत देने के चरण में, अंतिम प्रश्न जो न्यायालय को खुद से पूछना चाहिए वह यह है कि क्या पारित किया जाने

वाला आदेश शिकायत किए गए मामलों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार कानून के विकास को देखने के बाद, आइए अब हम एक के बाद एक कानून के प्रश्नों पर विचार करें।

16. प्रश्न संख्या 1

16.1 विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का पहला सवाल यह है कि क्या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राय का गठन कि कंपनी का

न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर कंपनी का समापन, इसके अनुरूप है अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों और मापदंडों, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि तथ्यों पर एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से नहीं थे और

विशेष रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पलट दिया गया?

16.2 धारा 242 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और खंड (बी) के साथ पठित धारा 241 (1) (ए) के प्रावधानों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन प्रावधानों के तहत राहत केवल तभी दी जा सकती है जब न्यायाधिकरण

राय -

" (1) कि कंपनी के कार्य इस तरह से किए गए हैं या किए जा रहे हैं -

किसी भी सदस्य या सदस्य के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण या

(अ)

(ख)

लोक हित के लिए प्रतिकूल या कंपनी के हितों के लिए प्रतिकूल या

((ग)

किसी भी सदस्य या सदस्य के लिए दमनकारी

((घ)

और

(2) कि हालांकि तथ्य एक समापन के निर्माण को उचित ठहराएंगे न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के आधार पर आदेश देने से ऐसे सदस्य या सदस्यों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा।

16.3 उपरोक्त वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए, यदि हम अभिवचनों पर वापस जाते हैं, तो यह देखा जाएगा कि शिकायतकर्ता कंपनियाँ

एस. पी. समूह का हिस्सा बनने वाले समूह ने अपनी मूल याचिका में इस आधार पर अपना दावा पेश किया:

(i) कि टाटा संस के मामलों को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कि यह था

आर. एन. टी. की स्वामित्व संबंधी संस्था; और

((ii) यद्यपि उत्तरदाताओं का दमनकारी आचरण ऐसा था कि धारा 241 के तहत टाटा संस को समाप्त करना न्यायसंगत और न्यायसंगत होगा, लेकिन इस तरह का समापन अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

शिकायतकर्ताओं के हित।

16.4 जिन विशिष्ट आरोपों पर शिकायतकर्ता कंपनियों (एस. पी. समूह की) ने राहत मांगी, वे इस प्रकार हैं:

(i) संघ के कुछ अनुच्छेदों का दुरुपयोग और टाटा ट्रस्ट और उसके नामित निदेशकों द्वारा प्रयोग किए गए नियंत्रण

टाटा संस का निदेशक मंडल;

((ख) सी. पी. एम. को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाना।

(iii) स्टर्लिंग इन्फोटेक के श्री सी. शिवशंकरन के साथ लेन-देन और वे लेन-देन जिनमें टाटा टेलीसर्विसेज उलझी हुई थी;

(iv) यू. के. के कोरस ग्रुप इंक. का अधिग्रहण।;

(v) डूम्ड नैनो कार परियोजना;
(vi) स्टर्लिंग को अंतर-निगमित सेतु ऋण का अनुदान

कंप्यूटर;

(vii) एन. टी. टी. डोकोमो के साथ लेन-देन जिसके परिणामस्वरूप अंततः

एक बड़ी राशि के लिए एक मध्यस्थता पुरस्कार;

(viii) मेहली मिस्त्री को एक फ्लैट की बिक्री और भारी अनुदान

मेहली द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित कंपनियों के लिए व्यक्तिगत पक्ष

मिस्त्री।

16.5 शिकायत के आधार बनाने वाले प्रत्येक आरोप को एन. सी. एल. टी. और स्पष्ट निष्कर्षों के आधार पर निपटाया गया था।

एन. सी. एल. टी. द्वारा साक्षय दर्ज किया गया था। एन. सी. एल. टी. के आरोपों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष ऊपर पैराग्राफ 6.1 में बताए गए हैं।

16.6 सी. पी. एम. को हटाने से संबंधित निष्कर्ष को छोड़कर उपरोक्त किसी भी निष्कर्ष को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से उलट दिया गया था।

इसके अलावा एन. सी. एल. ए. टी. ने टाटा संस को एक सार्वजनिक कंपनी से एक निजी कंपनी में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया।

16.7 आसानी से सराहना के लिए, हम निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत करते हैं, शिकायत में लगाए गए आरोप, एनसीएलटी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष एक संकेत कि क्या एन. सी. एल. ए. टी. ने उसी से निपटा है:

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

क्या

एनसीए

लएटी

एनसीएलटी के निष्कर्ष

आरोप

निपटा लिया

गया

विशेष रूप से

शिवा ग्रुप कं. - 1. 03.10.2013 पर, शिव ने नो स्पेसिफिक 1 लिखा। निष्कर्ष की मांग करने वाले सी. पी. एम. को पत्र का भुगतान न करना। शिवा द्वारा देय राशि के बदले में टी. टी. एस. एल. से बाहर निकलें

समूह (स्टर्लिंग) के रूप में

आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था।

प्रति मध्यस्थ पुरस्कार

08.10.2013 पर, आर. एन. टी. ने लिखा

टी. टी. एस. एल.-एनटीटी

सीपीएम ने उनसे मिलने का अनुरोध किया

में

चर्चा करने के लिए

डोकोमो सौदा (पैरा

शिवा

संकट, इसके बदले में

218-234)

बाद वाला

2. का अधिग्रहण

इससे पहले

इतिहास में योगदान के आधार पर टी. टी. एस. एल. में हिस्सेदारी टी. टी. एस. एल. के शिवा और टेमासेक। हालांकि, यह था

3. तीन साल पहले जानकारी लीक

डोकोमो मुद्दे पर, जो सामने आया

संबंधित

कार्रवाई की शुरुआत

2016 में ऊपर। (पैरा 222,233)

शिव के खिलाफ

2. एक के द्वारा दिया गया ऋण

4. टाटा समूह की कंपनियों का अधिग्रहण

डिशनेट डीएसएल (कालीमती) से शिवा कंपनी

(डी. डी. एस. एल.) शिव से वापस किया गया था और समूह

कंपनी को जारी किया गया। शिवा

स्वयं व्यक्तिगत प्रदान किया

लिए गए ऋण की गारंटी

मानक चार्टर्ड से

बैंक। इसके अलावा, कोई टाटा नहीं

समूह कंपनी ने कोई भी भुगतान किया

अधिग्रहण के लिए धन

(पैरा 228)

3. अंततः शिव को भुगतान करना पड़ा

इसका समूह समर्थक हिस्सा

डोकोमो पुरस्कार। शिवा, पर

19.09.2016 , फिर तलाश की

टाटा संस से नुकसान

टी. टी. एस. एल. का, आगामी के लिए

इससे होने वाला नुकसान।

लेकिन यह साबित नहीं हुआ

[202 के साथ कोई विशेष संबंध

आरएनटी। (पैरा 221,230,233,234)

4. शिवा और टेमासेक दोनों द्वारा टी. टी. एस. एल. के अधिग्रहण मूल्य को शेयरधारकों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। (पैरा 230) 5. लेन-देन सीपीएम और संबंधित दलों के पीछे नहीं किया गया था। (पैरा 230)

6. इसका कारण

टेमासेक (Rs.26/शेयर) और शिवा समूह (रु। 17/शेयर) टेमासेक के साथ अधिक शेयरधारिता अधिकारों के कारण था। (पैरा 230) 7. सी. पी. एम. ने शिवा समूह की तुलना में टी. टी. एस. एल. के शेयरों के अधिग्रहण से अधिक लाभ कमाया। (बाद वाले ने 2008 में अपने शेयर एनटीटी-डोकोमो को बेच दिए थे)।

शिकायतकर्ता

याचिकाकर्ताओं ने टी. टी. एस. एल. के शेयरों का अधिग्रहण उस दर से कम किया है जिस दर पर शिवा ने उन्हें हासिल किया था और याचिकाकर्ताओं द्वारा एन. टी. टी. के शेयरों को बेचकर किया गया लाभ कम है।

डोकोमो टैन्सी सर्विसेज लिमिटेड v से अधिक था। साइरस टिमेन्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

शिव समूह द्वारा किया गया लाभ। (पैरा 230)

9. अधिग्रहण 2006 में हुआ था और इसे 10 वर्षों के बाद जुटाने की मांग की गई है, इस अवधि के दौरान सीपीएम उस बोर्ड का हिस्सा था और एक अवधि के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी था। 10. जानकारी के रिसाव को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है

13. 2004 में शिवा समूह से डिशनेट डीएसएल (डी. डी. एस. एल.) का अधिग्रहण किया गया था। सीपीएम ने तर्क नहीं दिया है। कि वह इस अधिग्रहण से अनजान था। न ही यह तर्क दिया गया है कि आर. एन. टी. ने कोई काम किया है।

उससे अवैध लाभ। वास्तव में, यह टी. टी. एस. एल. का व्यावसायिक निर्णय था। यह मुद्दा अक्टूबर, 2013 में सीपीएम के ध्यान में लाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले कभी शिकायत नहीं की थी। (पैरा 235)

न तो टी. टी. एस. एल. और न ही कालीमती और न ही टाटा कैपिटल को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था।

वैश्विक 06.12.2012 के माध्यम से धन का डायवर्जन संयुक्त उद्यम रखा गया था, CPM चर्चाओं में सक्रिय था और एक था आतंकवादी।

सहमति देने वाला पक्ष

एक ही। उक्त संयुक्त

उद्यम को शामिल किया गया था

किसी भी मुद्दे को तब तक उठाएँ जब तक कि वह 2016 में निष्कासन। (पैरा 242

244)

सीपीएम का कहना है कि सौदा

रेज़ा मालाकोटीपुर जो था वैश्विक के रूप में वर्गीकृत

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी राष्ट्र। हालांकि,

इस तरह के तीसरे की भागीदारी पार्टियाँ, गंभीर हैं और

अपमानजनक। (पैरा 241)

यह दावा करने के बाद कि उसके पास नहीं है एयरएशिया में कहें

लेन-देन, सीपीएम का दावा है ब्याज की रक्षा की है

फॉलबैक देयता। ये दोनों दावा प्रत्येक के साथ संघर्ष करता है

अन्य। (पैरा 242)

संयुक्त के संबंध में

सिंगापुर के साथ उद्यम

विस्तारा स्थापित करने के लिए एयरलाइंस, सभी

एयर एशिया का निर्णय उसके लिए उचित है, और इस प्रकार, वह इनकार करने से वंचित है।

इनके बारे में जानकारी

लेन-देन। (पैरा 244)

यह बेतुका होगा कि

आरोप है कि आर. एन. टी. ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को वित्त पोषित किया। सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

हवाला के माध्यम से आतंकवादी

एयर एशिया के डायवर्जन के साथ

इंडिया फंड्स। (पैरा 245)

नो स्पेसिफिक पर ड्रेजिंग के लिए अनुबंध

मेहली मिस्त्री: 1. खोज में ट्रॉम्बे का पुरस्कार दिया गया। ड्रेजिंग और 1993 और विभिन्न के लिए नवीनीकृत

2002 से शिपिंग अनुबंध (5 बार)

आयोजित किया गया

(बिना निविदा के) से

2014 .

सीपीएम

—

टाटा पावर द्वारा टाटा पावर की मेहली की कंपनी निदेशक। 1996-2006 और 2011 2 से। 2016 की खरीद, लेकिन कभी भी आपत्ति द्वारा कोई कृषि भूमि नहीं उठाई। (पैरा 258) 1993 में अलीबाग में आर.

एन. टी. जहां फार्मों के संबंध में एक्वा अनुबंध (जिसमें टाटा श्री मेहली द्वारा अनुबंध का पुरस्कार एम. पी. सी. एल. को एक शक्ति थी, एक भागीदार है) यह साबित करने के लिए सामग्री पर कुछ भी नहीं था कि इससे टी. पी. सी. को नुकसान हुआ। बिक्री विलेख। (पैरा 259)

3 .

बिक्री

2006 का नौवहन अनुबंध

टाटा पावर द्वारा कंसोर्टियम (जिसमें कोलाबा से लेकर एम. पी. सी. पी. एल. एम. पी. एस. पी. एल. और मर्केटर लाइन्स शामिल हैं) में एक अपार्टमेंट को बख्ता प्रदान किया गया।

(जो लिमिटेड से संबंधित है)-श्री फोर्ब्स गोकाक लिमिटेड द्वारा लिखा गया पत्र)

मेहली ने टाटा पावर को तारीख दी

04.05.2013 संबंधित

कोयला भंडारण का मुद्दा, जो

किसी भी साबित नहीं करता है

उसे। जिसके बाद से कंपनी

श्री मेहली ठेकेदार थे,

उन्होंने केवल टाटा पावर को लिखा था

को

उचित

सुनिश्चित करें

बनाए रखने के लिए निर्णय लेना

एक सुचारू आपूर्ति श्रृंखला

यह (अलीबाग) नियमित था।

स्थानांतरण जो हुआ

1993. इससे पहले, एक्वा सुपर कोर्ट रिपोर्ट

खेतों ने भुगतान किया था

मूल जमींदार के लिए

खरीद, लेकिन बिक्री विलेख

फल नहीं मिला। एक्वा फ़ार्म्स को एक पुष्टि करने वाला पक्ष बनाया गया था, क्योंकि आर. एन. टी. ने एक्वा की प्रतिपूर्ति की थी

मूल के लिए खेत

भुगतान जो उसने किया था

मूल भूमि मालिक।

सीधे शब्दों में कहें तो आर. एन. टी.

प्रतिपूर्ति एक्वा फ़ार्म्स,

जमीन के विक्रेता करेंगे

बिक्री विलेख को निष्पादित करें

केवल बिक्री लेनदेन

दो पक्षों के बीच

यह तर्क देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है कि अनुबंध दिए गए थे

कोई अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं

कंपनी की कीमत पर आर. एन. टी.

- फोर्ब्स गोकाक लिमिटेड नहीं

एक पार्टी के रूप में आयोजित

2016 में लगाए गए आरोप

घटनाएँ जो हो सकती हैं

2002 में वापस पता चला-यह

कंपनी से संबंधित नहीं था

मामला, जैसे ही आर. एन. टी. सेवानिवृत्त हुआ

कंपनी और नहीं है

तब से प्रबंधन में है

2012 – कोई मामला नहीं गिर रहा है

241 के तहत। (पैरा 252)

कोरस का अधिग्रहण आरोप है कि टाटा एन

स्टील ने एक बार में कोरस का अधिग्रहण किया

बढ़ी हुई कीमत बिना

आधार। (पैरा 301)

टाटा द्वारा उद्धृत कीमत स्टील जीबीपी 608 पेंस था

प्रति शेयर, जबकि उनके

प्रतियोगियों की अंतिम बोली थी

जीबीपी 603 पेंस प्रति शेयर।

(पैरा 301)

सहायता सेवाएँ सीमित v. साइरस वेस्टमेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कोरस का अधिग्रहण एक था

टाटा द्वारा सामूहिक निर्णय

स्टील। सीपीएम (टाटा में निदेशक)

स्टील) स्वीकृत

हर एक

टाटा स्टील का संकल्प

नीलामी में प्रवेश करना और

अंतिम

इसकी पुष्टि करते हुए अधिग्रहण शेयर मूल्य।

अधिग्रहण किया गया था उचित शासन का पालन करना

प्रक्रिया के तहत

द.

बोर्ड का पर्यवेक्षण,

बिना किसी असहमति के

टाटा स्टील के शेयरधारक।

(पैरा 300)

कंपनी को बचाने के लिए से होने वाले नुकसान

कोरस अधिग्रहण, टीएसएल के साथ विलय में प्रवेश किया

थिसेनक्रुप। वहाँ कोई नहीं है

यह साबित करने के लिए सामग्री कि आरएनटी

रोकने में कोई भूमिका थी

एक ही। (पैरा 303)

एनो यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई विशिष्ट नहीं

टाटा में से किसी एक का प्रबंधन मोटर या उसके बाद की कंपनी

सेवानिवृत्ति। वहाँ एक नहीं है

एकल उदाहरण जहाँ

आर. एन. टी. की सलाह सीधे थी बिना लागू किए

द्वारा विचार किया गया

संबंधित बोर्ड। (पैरा 267)

टाटा मोटर्स और जयम ऑटो

निगमित

संयुक्त

ए

साहस। यह हुआ।

के नेतृत्व में

सीपीएम। (पैरा 275)

सीपीएम ने कभी किसी पर आपत्ति नहीं जताई।

भेंट, पत्राचार या

जायेम में आर. एन. टी. द्वारा निवेश

ऑटो. (पैरा 272)

[202

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिर्फ इसलिए कि टाटा मोटर्स वित्त (टी. एम. एफ.) को एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 392 (आई. डी. 1 करोड़ में से नैनो की ओर)

नैनो का वित्तपोषण, यह नहीं हो सकता है मामला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है

के खिलाफ कुप्रबंधन

आरएनटी। (पैरा 280)

व्यक्तिगत यात्राओं के संबंध में

आर. एन. टी. से लेकर जेयम ऑटो तक

कारखाना और इसके बारे में

पूछताछ के लिए अनुरोध किया गया

परियोजनाएं, कोई व्यक्तिगत नहीं

आर. एन. टी. को लाभ या हानि

टाटा मोटर्स साबित हो चुका है।

(पैरा 281-282)

यूपीएसआई का कोई सबूत नहीं

के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करना

टाटा मोटर्स की रुचि है सीपीएम द्वारा रखा गया था, जिन पर सबूत का बोझ था।

जानकारी ढूँढना

संचालन के लिए राशि नहीं

कंपनी के मामले। (पैरा

285)

आर. एन. टी. के पत्राचार

आपूर्ति के संबंध में सीपीएम को ओला/उबर के लिए कारों की, थे

प्रवेश करने की कोशिश करें

दोनों में से किसी एक के साथ व्यापार

दो। (पैरा 290-293)

एन के अधिग्रहण के बाद से

टाटा वेलस्पन द्वारा वेलस्पन अधिग्रहण को टाटा संस के बोर्ड के सामने नहीं रखा गया था।

शक्ति

पूर्व अनुमोदन और यह सामने आया

टाटा पावर के बाद ही

कागजात पर हस्ताक्षर किए

बेटों को एक उचित उपलब्धि, नामित निदेशकों को करना था

परामर्श और टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v में शामिल हों। सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

हस्तक्षेप करने के लिए ट्रस्ट। (पैरा 384,385,543)

दमनकारी

सी. पी. एम. के पिता निदेशक थे

उस समय वस्तुओं की प्रकृति जब उन्हें पाया जाता है। 104 बी, 121,121 ए

किए गए थे संशोधन

और 75

एसोसिएशन के लेख

13/09/2000 पर। (पैरा 371)

अनुच्छेद 118 में किया गया था संशोधन

06/12/2012 सीपीएम कब था

09/को पारित प्रस्ताव 04/2014 , संशोधन करना

प्रदान करने के लिए लेख

पक्ष में सकारात्मक अधिकार

न्यास का-मनोनीत

निर्देशक। (पैरा 373)

अनुच्छेद 75 हमेशा से था अस्तित्व और न ही सीपीएम

शिकायतकर्ता कंपनियाँ

कभी शिकायत की।

(पैरा 393)

के लेख एसोसिएशन

पूरी तरह से निदेशक मंडल

दोनों को अधिकार देना

अपने उम्मीदवारों के साथ। लेकिन

एक तिहाई होने के लिए न्यास

उन्होंने अनुच्छेदों की अनुमति दी

निदेशकों का

एसोसिएशन केवल है

सकारात्मक के साथ

न्यूनतम आवश्यकता और

वोट, पूर्वाग्रहपूर्ण है

इसलिए एक ही नहीं हो सकता है

के हितों के लिए

दमनकारी कहा जाता है

सदस्यों और

अल्पसंख्यक। (पैरा 419)

के हितों

कंपनी [2021]

12 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.8 एन. सी. एल. ए. टी., एक अपीलीय न्यायाधिकरण होने के नाते, धारा 421 की उप-धारा (4) के तहत एन. सी. एल. टी. के आदेश की पुष्टि करने, संशोधित करने या उसे दरकिनार करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे तथ्य का अंतिम न्यायालय माना जा सकता है। एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश से धारा 423 के तहत इस न्यायालय में अपील केवल कानून के प्रश्न पर है। एन. सी. एल. ए. टी. को प्रदत्त अधिकारिता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष, जिन्हें एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विशेष रूप से संशोधित या अलग नहीं किया गया है, को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जब तक कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस तरह के गैर-हस्तक्षेप से पीड़ित पक्षों ने इसे एक मुद्दे के रूप में उठाते हुए इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। हालाँकि एस. पी. समूह ने 2020 की सी. ए. संख्या 1802 में भी एक अपील दायर की है, लेकिन उसमें प्रसारित शिकायत, जैसा कि अपील ज्ञापन के पैरा 3 से देखा गया है, कुछ राहत देने में एन. सी. एल. ए. टी. की विफलता तक सीमित है। एन. सी. एल. टी. द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों को विशेष रूप से पलटने में एन. सी. एल. ए. टी. की विफलता, एस. पी. समूह की अपील में शामिल नहीं है। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि संबंधित आरोप

(i) शिवा और स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ लेनदेन;

((ii) एयर एशिया;

((ग) मेहली मिस्त्री के साथ लेन-देन;

((iv) नैनो कार परियोजना में टाटा मोटर्स को हुए नुकसान; और

(v) कोरस का अधिग्रहण

अंत तक पहुँच गया।

16.9 राहत देने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, मुख्य रूप से सी. पी. एम. को हटाने, सकारात्मक मतदान के इर्द-गिर्द घूमते थे।

अधिकार, नामित निदेशकों द्वारा हस्तक्षेप और टाटा संस का एक निजी कंपनी में रूपांतरण। दूसरे शब्दों में, ये 4 क्षेत्र हैं जिनमें एन. सी. एल. ए. टी. की जांच की जा सकती है और एन. सी. एल. टी. के निष्कर्षों को उलट दिया जा सकता है। इसलिए, कानून के पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें मुख्य रूप से इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिन पर एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।

16.10 इन 4 विशिष्ट मुद्दों में से जिन पर एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. को खारिज कर दिया, 3 मुद्दों को भी हमारी चर्चा में शामिल किया जाएगा।

इसलिए, हम इस अध्याय में इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि (i) क्या सीपीएम को हटाना इस आरोप का आधार हो सकता है कि कंपनी के कार्य कुछ सदस्यों के हितों के लिए दमनकारी या प्रतिकूल तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं और (ii)

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

क्या न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के अस्तित्व के बारे में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार हैं।

सीपीएम को हटाया जाना

16.11 सी. पी. एम. को पहले केवल टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था, लेकिन निदेशक पद से नहीं, बोर्ड के दिनांक 24.10.2016 के प्रस्ताव द्वारा। इसने सीपीएम के लिए आक्रामक शुरुआत करने के लिए प्रेरक बिंदु के रूप में काम किया। अगले ही दिन, सी. पी. एम. ने एक मेल लिखा जिसमें निगमित शासन की पूर्ण कमी और निदेशकों की ओर से अपने प्रत्ययी कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता का आरोप लगाया गया। उन्होंने न्यास के सभी नामित निदेशकों को डाकिया भी कहा। हालांकि मेल को 'गोपनीय' के रूप में लेबल किया गया था, लेकिन मेल की एक प्रति मीडिया के सामने आई जिससे "सनसनी" फैल गई। एन. सी. एल. टी. ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि सी. पी. एम., जिसका गोपनीय मेल के इस रिसाव की व्याख्या करने का कर्तव्य है, एक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका और इसलिए, साक्षय अधिनियम की धारा 106 के आधार पर, रिसाव का पता सी. पी. एम. से लगाया जाना चाहिए। एनसीएलएटी ने इसे खारिज नहीं किया।

ढूँढना।

16.12 मेल ने टाटा सन्स को 10.11.2016 पर एक प्रेस वक्तव्य जारी करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद सीपीएम को हटा दिया गया।

टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का निदेशक पद लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, जो सभी इस दौरान हुए

12 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2016 तक की अवधि। नियति की दिशा को स्पष्ट रूप से देखते हुए (जिसे वास्तव में उनके अलावा किसी और ने शुरू नहीं किया था), सीपीएम ने टाटा की अन्य परिचालन कंपनियों जैसे द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड और टाटा पावर लिमिटेड से इस्तीफा दे दिया, उन कंपनियों की असाधारण आम बैठकों की पूर्व संध्या पर, जो उन्हें हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थीं। अगले ही दिन, शिकायतकर्ता कंपनियों, जिनमें से सीपीएम प्रमुख है, ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 244 के साथ पठित धारा 241 और 242 के तहत एन. सी. एल. टी., मुंबई के समक्ष 2016 की एक याचिका दायर की।

16.13 इस समय के आसपास, मानो संयोग से, टाटा संस के प्रधान अधिकारी को डिप्टी से 29.11.2016 दिनांकित एक पत्र मिला। आयकर आयुक्त (छूट) ने टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के

मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 (6) के तहत कुछ जानकारी मांगी है। टाटा संस ने दिनांक 09.12.2016 के जवाब के माध्यम से [2021] 12 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया।

अनुरोधित दस्तावेजों के साथ आवश्यक जानकारी। आयकर उपायुक्त ने भी बाद के पत्रों द्वारा कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी, और इस प्रकार मांगी गई जानकारी भी प्रस्तुत की गई।

16.14 यह दावा करते हुए कि आयकर उपायुक्त द्वारा धारा के तहत आगे की जानकारी के लिए 20.12.2016 दिनांकित एक मेल

133 (6) सीपीएम ने आयकर विभाग को इस बात की पुष्टि करते हुए एक जवाब भेजा कि (i) टाटा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त निदेशकों ने सकारात्मक मतदान अधिकारों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया; (ii) कि आरएनटी और सूनावाला ने कई अवसरों पर पूर्व जानकारी और परामर्श मांगा है; (iii) कि न्यासियों के आचरण ने कई नियामक जोखिम पैदा किए हैं; और (iv) कि आरएनटी के कार्यालय को, अध्यक्ष एमेरिटस के रूप में उनकी क्षमता में, टाटा संस द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसमें निजी विमान से उनकी विदेश यात्रा की लागत भी शामिल थी। आयकर उपायुक्त को लिखे इस पत्र के साथ कथित रूप से कुछ फाइलें संलग्न की गई थीं।

जिसमें मांगी गई जानकारी होती है। 16.15 आयकर उपायुक्त को सीपीएम के पत्र के बारे में पता चलने पर टाटा संस ने एक शिकायत के माध्यम से विरोध दर्ज कराया।

दिनांकित पत्र 26.12.2016। इसके बाद टाटा संस द्वारा सी. पी. एम. को 27.12.2016 पर एक कानूनी नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वह गोपनीयता के उल्लंघन का दोषी था और उसने गोपनीय और संवेदनशील जानकारी दी थी। बिना किसी अधिकार के 4 बॉक्स फाइलों में निहित जानकारी। सीपीएम ने 05.01.2017 दिनांकित एक कानूनी जवाब भेजा जिसमें दावा किया गया कि आयकर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए उनका वैधानिक दायित्व था। मानो अपने दृढ़ विश्वास के साहस को प्रदर्शित करने के लिए, सीपीएम ने आयकर उपायुक्त को एक और फाइल भेजकर एक और पत्र भेजा और अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह रिकॉर्ड की जांच करना जारी रखेंगे और जब भी उपलब्ध होगा कोई भी अतिरिक्त डेटा/जानकारी जमा करेंगे।

16.16 जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो कुछ भी हुआ उसके आलोक में, एक "विशेष सूचना और अनुरोध" 03.01.2017 पर आयोजित किया गया था।

टाटा संस के निदेशक के रूप में सीपीएम को हटाने पर विचार करने के लिए टाटा संस की ईजीएम। इस स्तर पर यह याद रखना चाहिए कि टाटा संस के बोर्ड के दिनांक 24.10.2016 के प्रस्ताव द्वारा सीपीएम को केवल हटा दिया गया था कार्यकारी अध्यक्ष के पद से, लेकिन वह 24.10.2016 के बाद भी

एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बोर्ड के सदस्य बने रहे। यह भी याद रखना चाहिए कि बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके बने रहने के दौरान ही सीपीएम ने पत्राचार/कानूनी नोटिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v का आदान-प्रदान किया था।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

टाटा संस के साथ और कुछ फाइलों के साथ जानकारी भी दी, एक बहुत ही "कानून का पालन करने वाला नागरिक" होने का दावा करने वाले आयकर अधिकारियों को।

16.17 चूँकि टाटा सन्स की ई. जी. एम. 06.02.2017 पर आयोजित की जानी थी, इसलिए सी. पी. एम. को हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए

निदेशक, कंपनियां (एस. पी. समूह) जिन्होंने एन. सी. एल. टी. के समक्ष शिकायत दर्ज की, ई. जी. एम. पर रोक लगाने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया। एन. सी. एल. टी. ने रोक लगाने से इनकार कर दिया और रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ अपील को भी एन. सी. एल. ए. टी. ने खारिज कर दिया। इसलिए, ई. जी. एम. 06.02.2017 पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ी और सी. पी. एम. को टाटा संस के निदेशक पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर श्री एन. चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष।

16.18 कंपनी याचिका में जैसा कि यह मूल रूप से दायर किया गया था

प्रशासक की नियुक्ति। खंड (बी) में प्रार्थना उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति और स्वतंत्र निदेशकों के एक नए समूह की नियुक्ति के लिए थी। 16.19 06.02.2017 पर आयोजित होने वाली ई. जी. एम. को रोकने के लिए अंतरिम आवेदन को खारिज करने के बाद और 06.02.2017 पर आयोजित ई. जी. एम. में सी. पी. एम. को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद, शिकायतकर्ता कंपनियों ने संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया।

मूल याचिका ताकि दो अतिरिक्त अनुरोधों को शामिल किया जा सके अर्थात् (i) टाटा संस के बोर्ड में शिकायतकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधि की बहाली; और (ii) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एसोसिएशन के अनुच्छेदों का संशोधन।

16.20 . हालाँकि, अंततः खंड (ए), (बी) और (सी) में की गई प्रार्थनाओं को दबाया नहीं गया। खंड (एफ), (क्यू) और (आर) में प्रार्थनाओं को भी इस आधार पर नहीं दबाया गया था कि वे निष्फल हो गई थीं। उपरोक्त पैराग्राफ 3.4 में हमने राहतों को निकाला है जैसा कि मूल रूप से मुख्य कंपनी याचिका में मांगा गया था और पैराग्राफ 4.11 में तालिका में हमने संकेत दिया है।

प्रार्थनाएँ अतिरिक्त रूप से की गईं और नक्काशी या तो छोड़ दी गई या संशोधित करने की मांग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.21 वास्तव में असली कारण यह है कि शिकायतकर्ता कंपनियों ने सीपीएम की बहाली के लिए दबाव नहीं डालने के लिए काफी चतुराई से उचित सोचा। कि निदेशक पद की केवल समाप्ति को कुछ ऐसी चीज के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है जो समाप्त करने या अनुदान देने के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड को ट्रिगर करेगा।

धारा 241 और 242 के तहत राहत। हनुमान प्रसाद बागड़ी और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले का इस संबंध में एक उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है। बनाम बैग्रेस सेरियल्स प्रा. Ltd.[2]।

16.22 यह याद रखना चाहिए: ((i) निदेशक मंडल में छोटे शेयरधारकों के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रावधान -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 151 के तहत हाल ही में उत्पन्न हुआ और यह केवल एक सूचीबद्ध कंपनी पर लागू होता है; (ii) कि टाटा सन्स एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है; (iii) कि टाटा सन्स के संघ के अनुच्छेद, जिसमें शिकायतकर्ता कंपनियों, सीपीएम और उनके पिता ने सदस्यता ली थी, किसी भी प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं करते हैं; (iv) कोई वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं होने के बावजूद, टाटा सन्स ने वर्ष 1980 में सीपीएम के पिता को बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल किया और उन्हें लगभग 25 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा; (v) कि सीपीएम को खुद को किसी भी वैधानिक या संविदात्मक दायित्व के संदर्भ के बिना, बोर्ड में निदेशक के रूप में फिर से शामिल किया गया था।

अगस्त, 2006; और (vi) इस तरह के शामिल होने के 6 वर्षों के भीतर, सीपीएम को आरएनटी के उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना गया और उसे कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया।

16.23 यह एक विडंबना है कि वही व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व करता है

निदेशक पद से कभी भी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण कृत्यों के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है। वास्तव में आज टाटा संस द्वारा यह स्वीकार किया जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय जो बोर्ड ने 16.03.2012 पर लिया था, वह निश्चित रूप से जीवन भर का गलत निर्णय साबित हुआ। 16.24 इसलिए, यह तथ्य कि सी. पी. एम. को हटाना केवल कार्यकारी अध्यक्ष पद से था न कि कंपनी के निदेशक पद से।

याचिका दायर करने की तारीख और इस तथ्य पर कि कानून में, यहां तक कि

2 (2001) 4 एस. सी. सी. 420 टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

निदेशक पद से हटाने को कभी भी एक दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण नहीं माना जा सकता है, धारा 241 के तहत याचिका को खारिज करने के लिए पर्याप्त था, विशेष रूप से क्योंकि NCLAT ने कुछ व्यावसायिक निर्णयों पर तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया था।

16.25 सी. पी. एम. की ओर से उसके दिनांकित 25-10-2016 के मेल को प्रेस में लीक करने और आय को जवाब भेजने में बाद का आचरण।

निदेशक के रूप में बने रहने के बावजूद, 4 बॉक्स फाइलों को संलग्न करने वाले कर अधिकारियों ने टाटा संस और अन्य समूह कंपनियों के निदेशक पद से भी उन्हें हटाने को उचित ठहराया। एक व्यक्ति जो अपने घर में आग लगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे वह नहीं मिलता है जिसे वह वैध रूप से उसका बकाया मानता है, वह किसी भी निर्णय लेने वाले निकाय (न केवल एक कंपनी के बोर्ड) के हिस्से के रूप में बने रहने का हकदार नहीं है। शायद इसी अहसास के कारण शिकायतकर्ता कंपनियों ने कंपनी को सीपीएम को हटाने और आनुपातिक मांग करते हुए एक अलग धुन गाने से रोकने के लिए अपनी मूल प्रार्थना को छोड़ दिया।

बोर्ड में प्रतिनिधित्व।

16.26 सी. पी. एम. को हटाने के निर्णय पर हमला करने के लिए

टाटा संस की अध्यक्षता में यह तर्क दिया जाता है कि (i) टाटा समूह ने उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया; (ii) वित्तीय वर्ष के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने उनके प्रदर्शन का समर्थन किया और वेतन वृद्धि और प्रदर्शन से जुड़े बोनस की भी सिफारिश की; और (iii) बोर्ड ने सर्वसम्मति से इन्हें मंजूरी दी। उनके अनौपचारिक निष्कासन से ठीक चार महीने पहले 29.6.2016 पर सिफारिशें।

16.27 सबसे पहले, उपरोक्त विवाद पूरे आधार के साथ सीधे टकराव में है जिस पर शिकायतकर्ता कंपनियों का पूरा मामला है।

खड़ा किया गया था। यदि सी. पी. एम. और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के साथ-साथ पूरा बोर्ड एक ही पर था पृष्ठ 29.6.2016 तक कि कंपनी CPM के नेतृत्व में अच्छा कर रही थी, तो कोई आरोप नहीं हो सकता है कि कंपनी के मामलों को दमनकारी या हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित किया गया था

कोई भी, अर्थात् कंपनी या अल्पसंख्यक, कम से कम 29.6.2016 तक। उस पर

इसके विपरीत यदि कंपनी के मामलों को 29.6.2016 से पहले भी दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित किया गया है, तो इसके अन्य सदस्य

बोर्ड और सीपीएम सीपीएम के प्रदर्शन की सराहना करने के लिए खुद को एक पारस्परिक प्रशंसा समाज के रूप में नहीं बना सकते थे और सीपीएम ने स्वीकार किया कि जब वे चालक की सीट पर थे तो कंपनी अच्छा कर रही थी।

16.28 ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धारा 241 के तहत एक याचिका में, न्यायाधिकरण यह सवाल नहीं पूछ सकता है कि क्या निष्कासन

निदेशक का पद कानूनी रूप से वैध और/या न्यायोचित था या नहीं। सवाल होगा [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह पूछा जाता है कि क्या इस तरह का निष्कासन कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण के समान है। ऐसे मामलों में भी जहां न्यायाधिकरण पाता है कि निदेशक को हटाना कानून के अनुसार नहीं था या तथ्यों के आधार पर उचित नहीं था, न्यायाधिकरण धारा 242 के तहत तब तक राहत नहीं दे सकता जब तक कि हटाना दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण न हो।

16.29 ऐसे मामले हो सकते हैं जहां निदेशक को हटाने का काम पूरी तरह से कानून के अनुसार किया गया हो और फिर भी हो सकता है

कुछ सदस्यों के हितों पर अत्याचार या पूर्वाग्रह करने के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा। केवल ऐसे मामलों में ही न्यायाधिकरण धारा 242 के तहत राहत दे सकता है। कंपनी न्यायाधिकरण एक श्रम न्यायालय या एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं है जो किसी व्यक्ति को निदेशक पद से हटाने के तरीके पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए, सी. पी. एम. द्वारा प्राप्त पुरस्कार

नामांकन और पारिश्रमिक समिति या निदेशक मंडल से 29.6.2016 पर, अपने मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

16.30 एक तर्क उठाया गया था कि सीपीएम का निष्कासन एक पूर्व था

टाटा ट्रस्ट और आर. एन. टी. के इशारे पर किया गया ध्यानपूर्वक कार्य और यह कि हटाना न केवल अनुच्छेद 118 के विपरीत था, बल्कि अनुच्छेद 105 (ए) के विपरीत भी था जिसे धारा179 (1) और अनुच्छेद 122 (बी) के दूसरे परंतुक के साथ पढ़ा गया था। 16.31 जैसा कि हमने ऊपर बताया है, किसी व्यक्ति को हटाने की वैधता और औचित्य कभी भी किसी न्यायाधिकरण का प्राथमिक ध्यान नहीं हो सकता है

धारा 242 के तहत जब तक कि यह कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण को आगे बढ़ाने में न हो। वास्तव में कार्यकारी अध्यक्ष का पद वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त या विनियमित नहीं है, हालांकि निदेशक का पद है। दोहराव की कीमत पर यह इंगित किया जाना चाहिए कि सीपीएम को केवल (या पदनाम के रूप में) पद से हटा दिया गया था।

कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से नहीं जब तक कि कंपनी याचिका दायर नहीं की गई। लेकिन सीपीएम ने खुद एक पूर्ण युद्ध की घोषणा करके परेशानी को आमंत्रित किया, जिसके कारण उन्हें निदेशक पद से हटा दिया गया।

16.32 यह सच है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्षय के अनुसार बोर्ड की बैठक से पहले उनसे कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का अनुरोध किया गया था। यह अधिनियम के पूर्व होने के समान नहीं है।

ध्यान किया। बोर्ड की बैठक से पहले कानूनी राय प्राप्त करने के लिए बोर्ड और बोर्ड में 8.8.2016 पर नए सदस्यों को शामिल करना, अधिनियम को पूर्व-नियोजित नहीं बना सकता है। एक सुविचारित योजना और एक पूर्व-ध्यानित योजना के बीच सीमांकन की एक पतली रेखा होती है और रेखा को कई बार धुंधला किया जा सकता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।16.33 अनुच्छेद 118, जिसके इर्द-गिर्द तर्क दिए गए थे, निम्न स्तरों को पढ़ता है:

" 118. अध्यक्ष की नियुक्ति

बोर्ड के नए अध्यक्ष के चयन के उद्देश्य से

निदेशक और जब तक टाटा ट्रस्ट कंपनी की भुगतान की गई सामान्य शेयर पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत का स्वामित्व रखते हैं और रखते हैं, तब तक इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश करेगी।

निदेशक मंडल और बोर्ड के अध्यक्ष इस प्रकार अनुशंसित व्यक्ति को निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

निदेशक, अनुच्छेद 121 के अधीन जो सकारात्मक की आवश्यकता है

अनुच्छेद 104 बी के अनुसार नियुक्त सभी निदेशकों का मतदान। हटाने के लिए एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा

वर्तमान अध्यक्ष।

चयन समिति में-(ए) तीन (3) व्यक्ति शामिल होंगे।

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से नामित, जो कंपनी के निदेशक हो या न हो, (बी) एक (1) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा और उनमें से नामित व्यक्ति और (सी) एक (1)

इसके लिए बोर्ड द्वारा चुना गया स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति

उद्देश्य।

समिति के अध्यक्ष का चयन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

न्यास द्वारा नामित व्यक्ति।

चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त रूप से नामित सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति होगी।

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट।

व्याख्या: इस अनुच्छेद में उपयोग किए गए "संयुक्त रूप से नामित" शब्दों का अर्थ होगा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट मिलकर नामितों का फैसला करेंगे। किसी भी अंतर के मामले में, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के कुल न्यासियों के बहुमत का निर्णय प्रबल होगा।

16.34 अनुच्छेद 118 का वाक्य "एक ही प्रक्रिया" पढ़ता है।

वर्तमान अध्यक्ष को हटाने के लिए पालन किया जाएगा "वास्तव में [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.35 अनुच्छेद 118 की यह व्याख्या करना बेतुका है कि एक निवर्तमान अध्यक्ष को हटाने के लिए चयन समिति का गठन किया जाना है। अनुच्छेद 121 के तहत सकारात्मक मतदान के अधिकार का सहारा लेने की आवश्यकता का अर्थ अनुच्छेद 118 के दूसरे भाग में दिखाई देने वाली "वही प्रक्रिया" है। 16.36 अनुच्छेद 105 (ए) पर दिया गया तर्क भी पूरी तरह से निराधार है। अनुच्छेद 105 (ए) बोर्ड की नियुक्ति करने की शक्ति से संबंधित है।

एक प्रबंध निदेशक, संयुक्त/उप प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक। कार्यकारी अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 105 (ए) में नहीं बल्कि अनुच्छेद 105 (बी) में पाया जाता है जो इस प्रकार है:

" बोर्ड के पास बोर्ड के अध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करने और उन्हें ऐसा पारिश्रमिक देने की शक्ति होगी जो उनकी राय में वे उचित समझते हैं।

इसलिए अनुच्छेद 105 (ए) के आधार पर तर्क गलत है।

16.37 यह तर्क भी गलत है कि हटाने से अनुच्छेद 122 (बी) के साथ पठित धारा 17 9 (1) के दूसरे परंतुक का उल्लंघन हुआ था। धारा 17 9 (1) का दूसरा परंतुक बोर्ड को किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा केवल एक आम बैठक में किया जा सकता है। अनुच्छेद 122 (ए) केवल धारा179 (1) के दूसरे परंतुक के पीछे के सिद्धांत की पुनरावृत्ति है। अनुच्छेद 122 (बी) कहता है कि बोर्ड ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आम बैठक में कंपनी द्वारा। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति का पदनाम, किसी आम बैठक में किए जाने वाले कार्यों में से एक नहीं है, या तो अधिनियम के तहत या संघ के अनुच्छेदों के तहत।

16.38 यह भी तर्क दिया जाता है कि उन्हें हटाने की कोई अग्रिम सूचना सीपीएम को नहीं दी गई थी और न ही कोई एजेंडा पहले से रखा गया था

अनुच्छेद 121 बी, जो इस प्रकार है:

" 121 बी. कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी या बोर्ड को कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस देने का हकदार होगा कि कोई भी मामला या संकल्प टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विचार-विमर्श के लिए रखा जाए।

साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

बोर्ड और यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो यह अनिवार्य होगा।

बोर्ड के लिए इस तरह के मामले या संकल्प को लेने के लिए

किसी अन्य मामले पर विचार करने से पहले, इस तरह की सूचना की अवधि के बाद आयोजित बोर्ड की अगली बैठक में विचार और मतदान करें।

या संकल्प "।

आत्मविश्वास और विश्वास की कमी। 16.40 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी। एस. पी. समूह द्वारा Ltd.[3] पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया जाता है कि निदेशक को हटाने की शक्ति कार्यालय की सहमत अवधि के अधीन है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निर्णय सामने आया

अग्नि बीमा पॉलिसी की समाप्ति। इसका निदेशक को हटाने से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन नेल्सन बनाम जेम्स नेलसोना मामले में राजा की पीठ के एक फैसले पर उक्त मामले में भरोसा किया गया था।

प्रबंध निदेशक और यह कि उनकी नियुक्ति के अनुबंध में उनकी समाप्ति का प्रावधान नहीं था, सिवाय उनके निदेशक बने रहने की शर्त के, इस न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उद्धरण को इस आधार पर

खारिज कर दिया कि बीमा पॉलिसी की समाप्ति के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। 16.41 एम. आई. बिल्डर्स प्रा. लि. में निर्णय। सीमित बनाम। राधे श्याम साहू और अन्य 3, इस प्रभाव से कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे को अवशिष्ट कार्यसूची मद "किसी अन्य मद" के तहत तय नहीं किया जा सकता है, शिकायतकर्ता कंपनियों के बचाव में भी नहीं जाएगा, क्योंकि एम. आई. बिल्डर्स में मामला नगर निगम द्वारा दी गई अनुमति से संबंधित है।

निगम एक बिल्डर को एक भूमिगत खरीदारी परिसर बनाने के लिए

3 आकाशवाणी 1965 एससी 1288

4 1914-2 के. बी. 770

5 (1999) 6 एससीसी 464 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक पार्क में। अदालत ने महापलिका द्वारा लिए गए निर्णय को उत्तर प्रदेश नगर निगम की धारा 91 और 119 का स्पष्ट उल्लंघन पाया।

अधिनियम, 1959। अतः उक्त निर्णय का कोई उपयोग नहीं है।

16.42 किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाने को दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। द.

शिकायतकर्ता कंपनियों के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने का मूल कारण सी. पी. एम. को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाना था। हालाँकि शिकायतकर्ता कंपनियों ने भ्रामक उपस्थिति बनाने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी वास्तविक शिकायत को जोड़ दिया, लेकिन शिकायत का कारण कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यालय से सीपीएम को हटाना था। निदेशक पद से उनका निष्कासन इसके बाद हुआ

मूल शिकायत दर्ज करना और वह भी वैध और उचित कारणों से और इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. धारा 241 और 242 के तहत राहत देने के लिए सी. पी. एम. को हटाने पर इतना परिश्रम नहीं कर सकता था।

न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड का आह्वान

16.43 दिलचस्प बात यह है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है, हालांकि यह किसी तथ्यात्मक आधार पर आधारित नहीं है, कि तथ्य अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर समापन

आदेश के निर्माण को उचित ठहराते हैं। लेकिन जैसा कि लोच बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था। जॉन ब्लैकवुड "", के आचरण और प्रबंधन में विश्वास की उचित कमी होनी चाहिए।

कंपनी के मामले, समापन के लिए आवेदनों की नींव पर ऊपर। " इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि "आत्मविश्वास की कमी बाहर होने पर असंतोष से पैदा नहीं होनी चाहिए-व्यावसायिक मामलों पर मतदान या जिसे कंपनी की घरेलू नीति कहा जाता है"। लेकिन, "जहां भी कंपनी के मामलों के संचालन में ईमानदारी की कमी पर विश्वास की कमी होती है, तो बाद वाले द्वारा पहले वाले को उचित ठहराया जाता है।"

16.44 न्यायालय के लॉर्ड प्रेसिडेंट की राय से एक अंश

बेयर्ड बनाम में सत्र (लॉर्ड क्लाइड) का। लोच (ऊपर) में उद्धृत लीज़ 7 'इस प्रकार है:

" एक शेयरधारक कुछ शर्तों पर अपना पैसा एक कंपनी में डालता है। उनमें से पहला यह है कि जिस व्यवसाय में वह निवेश करता है वह कुछ निश्चित उद्देश्यों तक सीमित होगा। दूसरा यह है कि इसे एक निर्दिष्ट तरीके से चुने गए कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा। और तीसरा यह है कि व्यवसाय होगा

वाणिज्यिक के कुछ सिद्धांतों के अनुसार संचालित

6 [1924] एसी 783 7 (1924) एससी 83 स्कॉटिश सुप्रीम कोर्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कानून में परिभाषित प्रशासन, जो कुछ प्रदान करता है

वाणिज्यिक ईमानदारी और दक्षता की गारंटी। अगर शेयरधारकों को पता चलता है कि इन शर्तों या उनमें से कुछ का जानबूझकर और लगातार उल्लंघन किया जाता है और

कंपनी के एक सदस्य और अधिकारी की कार्रवाई जो भारी मतदान शक्ति का उपयोग करता है, और यदि इसका परिणाम यह है कि, शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, वे उन सामान्य सुविधाओं से वंचित हैं जो कंपनी अधिनियमों के अनुपालन से उन्हें प्रदान की जाएंगी, तो मेरी राय में, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें यह न्यायपूर्ण और उचित हो सकती है।

न्यायालय के लिए कंपनी को बंद करना न्यायसंगत है।

16.45 यदि उपरोक्त परीक्षणों को लागू किया जाता है, तो सरल कारण से मामला न्यायसंगत और न्यायसंगत मानक के करीब नहीं आएगा।

कि यह वही शिकायत करने वाला अल्पसंख्यक था जिसके प्रतिनिधि को न केवल बोर्ड में स्थान दिया गया था, बल्कि उसे अध्यक्ष पद के उत्तराधिकारी के रूप में भी पेश किया गया था।

16.46 इब्राहिमी वी। वेस्टबोर्न गैलरीज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा तय की गई, उन निदेशकों में से एक, जिन्हें अन्य दो निदेशकों (पिता-पुत्र की जोड़ी) द्वारा पद से हटा दिया गया था, ने अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1948 की धारा 210 के तहत एक आदेश के लिए याचिका दायर की। हटाए गए निदेशक द्वारा मांगी गई राहत अन्य दो व्यक्तियों को खरीदने का निर्देश देने के लिए थी

कंपनी में उसके शेयर या उसे अपने शेयर ऐसी शर्तों पर बेचना जो अदालत को उचित लगे। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने समाप्त होने के लिए प्रार्थना की। प्रथम उदाहरण के न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समाप्त करने का मामला बनाया गया था, क्योंकि बहुमत शक्ति के दुरुपयोग और सद्भावना के उल्लंघन का दोषी था, जिसे भागीदारों ने एक-दूसरे को व्यवसाय में सभी भागीदारी से बाहर नहीं करने के लिए दिया था। अपील न्यायालय ने (i) कंपनी के हित में शक्ति का प्रामाणिक प्रयोग; और (ii) क्या कोई उचित व्यक्ति यह सोच सकता है कि निष्कासन कंपनी के हित में था, के परीक्षणों को लागू करके इसे उलट दिया। अपील न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि "कंपनी का वास्तविक हित" सूत्र मामले के गुण-दोष पर विचार करने से इनकार करने के लिए एक बहाना से थोड़ा अधिक नहीं होना चाहिए। " यह मानते हुए कि "समानता हमेशा न्यायालय को कानूनी अधिकारों के प्रयोग को न्यायसंगत विचारों के अधीन करने में सक्षम बनाती है, अर्थात् ऐसे विचार जो व्यक्तिगत चरित्र के हों", हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निम्नलिखित शब्दों में कुछ सावधानी जोड़ी:

" न्यायसंगत विचारों के अधिरोपण के लिए कुछ और की आवश्यकता होती है, जिसमें आम तौर पर निम्नलिखित तत्वों में से एक या शायद अधिक शामिल हो सकते हैं: (i) एक व्यक्तिगत संबंध के आधार पर गठित या जारी एक संघ, जिसमें शामिल हैं

पारस्परिक विश्वास-यह तत्व अक्सर पाया जाएगा जहां एक पूर्व-मौजूदा साझेदारी को एक सीमित कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है; (ii) एक समझौता, या समझ, कि सभी, या

शेयरधारकों में से कुछ (क्योंकि "सोते हुए" सदस्य हो सकते हैं) व्यवसाय के संचालन में भाग लेंगे; (iii) कंपनी में सदस्यों के हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध-ताकि यदि विश्वास खो दिया जाए, या एक सदस्य को -

प्रबंधन से हटा दिया गया, वह अपनी हिस्सेदारी नहीं ले सकता और

कहीं और जाएँ। "

16.47 लेकिन यह याद रखना चाहिए कि न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड की उत्पत्ति का पता साझेदारी के कानून से लगाया जाना चाहिए।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनुसार, "ईमानदारी, सद्भावना और आपसी विश्वास की अवधारणाओं" को विकसित किया गया। यह कहने के बाद, इब्राहिमी ने बताया कि अर्ध-साझेदारी या "सार में साझेदारी" का संदर्भ भी इस कारण से भ्रमित करने वाला है कि भले ही पक्ष अपने 'पूर्वाश्रम' में भागीदार रहे हों, लेकिन वे कानून में नए दायित्वों को स्वीकार करते हुए एक कंपनी के सह-सदस्य बन गए थे। इसलिए, "एक कंपनी, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, चाहे वह कितनी भी घरेलू हो, एक कंपनी है न कि एक कंपनी।

साझेदारी या यहां तक कि एक अर्ध साझेदारी "।

16.48 कि, "संघ के अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर एक न्यायसंगत बंधन लगाने के लिए, होना चाहिए कंपनी के इतिहास में कुछ या शेयरधारकों के बीच संबंध काफी अच्छी तरह से तय किए गए हैं।

16.49 लाऊ वी में। चू ", हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संकेत दिया कि" कंपनी के सदस्यों के लिए एक न्यायसंगत और न्यायसंगत समापन का आदेश दिया जा सकता है।

दो संबंधित लेकिन अलग-अलग स्थितियों में गिर गए हैं, जो हो सकते हैं या हो सकते हैं ओवरलैप नहीं "। इनमें से पहले को "फंक्शनल डेड लॉक" के रूप में लेबल किया गया है, जहां सदस्यों की प्रबंधन में सहयोग करने में असमर्थता

कंपनी के मामलों से कंपनी बोर्ड या शेयरधारक स्तर पर कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बताया कि लकवाग्रस्त प्रकार के कार्यात्मक डेड लॉक को पहली बार स्पष्ट रूप से पहचाना गया था

9 शाऊल डी. हैरिसन एंड संस पीएलसी। 1994 बी. सी. सी. 475 1 0 10 [2020] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 4656 टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

री सेलिंग शिप केंटमियर कंपनी में न्यायसंगत और न्यायसंगत समापन के लिए एक आधार। इनमें से दूसरा वह है जहाँ एक कंपनी एक कॉर्पोरेट अर्ध है।

साझेदारी और विश्वास और विश्वास में एक अपरिवर्तनीय टूटना

भाग लेने वाले सदस्यों के बीच हुआ है। इन मामलों के पहले प्रकार में, जहां एक पूर्ण कार्यात्मक डेड लॉक है, बंद करने का आदेश दिया जा सकता है, भले ही कंपनी एक अर्ध साझेदारी हो या नहीं। लेकिन दूसरे

प्रकार के मामलों में, विश्वास और आत्मविश्वास का टूटना पर्याप्त है, भले ही एक पूर्ण कार्यात्मक डेड लॉक न हो।

भागीदार एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं या उनमें से एक निश्चित रूप से दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। 16.51 हाथ में मामले में कभी नहीं था और कभी भी अर्ध साझेदारी की प्रकृति में कोई संबंध नहीं हो सकता था

टाटा समूह और एस. पी. समूह। एस. पी. समूह टाटा संस की यात्रा के बीच में ट्रेन में सवार हो गया। कार्यात्मक डेड लॉक का अनुरोध भी नहीं किया जाता है और न ही साबित किया जाता है।

16.52 भारतीय मामलों पर आते हुए, इस अदालत ने राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति निगम में फैसला सुनाया। लिमिटेड वी. नागेश्वर राव "कि के लिए

न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड का आह्वान करते हुए, निदेशकों के आचरण पर विश्वास की न्यायोचित कमी होनी चाहिए, जैसा कि माना जाता है। बहुसंख्यक शेयरधारकों और अल्पांश शेयरधारकों के बीच विश्वास की कमी ही पर्याप्त नहीं होगी, जैसा कि एस. पी. जैन बनाम में बताया गया है। कलिंग टचूब लिमिटेड, 14

16.53 बार-बार यह तर्क दिया गया कि निदेशकों के आचरण में ईमानदारी की कमी न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड का आह्वान करने के लिए पर्याप्त कारण है। नीडल में ऐतिहासिक निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना

इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। वी. नीडल इंडस्ट्रीज नेवे (इंडिया) लिमिटेड और ओआरएस। 1 5, यह तर्क दिया गया था कि कंपनी की लाभप्रदता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि न्यायसंगत और न्यायसंगत मानक पूरा किया जाता है और यह कि परीक्षण

यह नहीं है कि कोई कार्य वैध है या नहीं, बल्कि यह है कि वह दमनकारी है या नहीं।

1 1 11 [1897] डब्ल्यू. एन. 58 1 2 अंग्रेजी अदालतों का लाभ यह है कि संबंध जहाज के अपरिवर्तनीय टूटने को वैवाहिक संबंध और वाणिज्यिक संबंध दोनों में अलगाव के आधार के रूप में मान्यता दी जाती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है।

13 (1955) 2 एससीआर 1066

14 आकाशवाणी 1965 एससी 1535 1 5 (1981) 3 एस. सी. सी. 333 [2021] 12 एस. सी. आर.

16.54 लेकिन ये सभी तर्क कंपनी की प्रकृति की दृष्टि खो देते हैं जो टाटा सन्स है। जैसा कि हमने कहीं और संकेत दिया है, टाटा

सन्स एक प्रमुख निवेश धारक कंपनी है, जिसमें से अधिकांश हिस्सेदारी परोपकारी न्यासों के पास है। बहुसंख्यक शेयरधारक ऐसे व्यक्ति या निगमित निकाय नहीं होते हैं जिनके पास गहरी जेब होती है जिसमें लाभांश अपना रास्ता खोज लेते हैं यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और लाभांश घोषित करती है। न्यासों को जो लाभांश मिलता है वह अंततः अपना रास्ता खोजना है धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. को सबसे बुनियादी सवाल उठाना चाहिए था कि क्या कंपनी को बंद करना और इस तरह उन धर्मार्थ न्यासों को भूख से मारना न्यायसंगत होगा, विशेष रूप से दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण के गैर-धर्मार्थ आरोपों के आधार पर। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. का यह निष्कर्ष कि तथ्य अन्यथा न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड के तहत कंपनी को समाप्त करने को उचित ठहराते हैं, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।

17. कानून सं. 2 का प्रश्न

17.2 जैसा कि हमने ऊपर पैरा 3.4 में संकेत दिया है, शिकायतकर्ता कंपनियों ने मूल रूप से पैरा 153 (ए) से (यू) में सूचीबद्ध 21 राहतों का एक सेट मांगा था। इसके बाद, शिकायतकर्ता कंपनियों ने दायर संशोधन के लिए एक आवेदन के माध्यम से दो और प्रार्थनाओं को जोड़ने की मांग की। 10.2.2017 . जिन अतिरिक्त राहतों को शामिल करने की मांग की गई थी, वे इस प्रकार थीं: (i) टाटा संस के बोर्ड में शिकायतकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधि की बहाली और (ii) एसोसिएशन के अनुच्छेदों में संशोधन ताकि बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जा सके।

17.3 इसके बाद शिकायतकर्ता कंपनियों ने दिनांक 31.10.2017 में संशोधन के लिए एक आवेदन के माध्यम से कुछ और अनुरोध मांगे। हालाँकि, 12.01.2018 दिनांकित एक ज्ञापन द्वारा शिकायतकर्ता कंपनियों ने कुछ प्रार्थनाओं को छोड़ दिया, कुछ अन्य प्रार्थनाओं में संशोधन की मांग की और दर्ज किया कि वे कुछ राहतों पर जोर नहीं दे रहे थे। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हमें एक सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करना होगा, मूल रूप से मांगी गई राहत और परिवर्तन जो वे संशोधन या ज्ञापन के लिए आवेदनों के माध्यम से हुए थे। यह इस प्रकार है:

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

मूल रूप से मांगी गई राहत। जो राहत जोड़ी जाती है, मुख्य कंपनी में दी जाती है या इसके माध्यम से प्रतिबंधित की जाती है

31 तारीख का अतिरिक्त हलफनामा

पीटिटन

10-2017 , के लिए आवेदन

दिनांकित संशोधन 31-10

2017 और मेमो दिनांकित

12.1.2018

हलफनामे के तहत मौजूदा को हटा दें (31-10-2017)

(ए) टाटा संस के उत्तरदाता रूपांतरण का निदेशक मंडल नंबर 1 से और नियुक्त करें

ए में एक सार्वजनिक सीमित कंपनी

देखभाल करने के लिए प्रशासक

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खराब है।

आवेदन के तहत ऐसी शक्तियों के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 के दिन-प्रतिदिन के मामले (31-10 ऐसे 2017 को लेने के लिए आवश्यक हो)

निर्णयों और कार्यों में,

(एम-1): संकल्प को अलग रखें

तथ्य और परिस्थितियाँ

शेयरधारकों द्वारा पारित

वर्तमान मामला, जब तक कि

सितंबर को प्रतिवादी संख्या 1

का नया निदेशक मंडल

21 , 2017 जहाँ तक वह चाहता है

प्रतिवादी संख्या 1 का गठन किया गया है;

के अनुच्छेदों में संशोधन करें

संघों और ज्ञापन के विकल्प में

(बी) उपरोक्त प्रार्थना (ए), प्रत्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संघ के एक सेवानिवृत्त को धर्म परिवर्तन के लिए संख्या 1 के रूप में नियुक्त करें

प्रत्यर्थी कंपनी के निजी निदेशक मंडल में प्रत्यर्थी संख्या 1 के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष।

नंबर 1 और ऐसी संख्या नियुक्त करें

(एम-2): लेख को बंद/हटा दें

नए स्वतंत्र निदेशकों का

75 उसी में एक उपकरण है

पेशेवर

योग्यता,

बहुमत के हाथ

प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा

शेयरधारकों को दमन करने के लिए

उत्तरदाता का निदेशक मंडल

अल्पसंख्यक; और;

नंबर 1 ऐसा है कि ये नए

नियुक्त निदेशकों का गठन (एम-3): कंपनी याचिका के निपटान बोर्ड के बहुमत की अंतिम सुनवाई तक, प्रतिवादी संख्या 1 के निदेशक; प्रभाव और संचालन

21 सितंबर का संकल्प,

तथाकथित को रोकें

(सी)

2017 बने रहें।

सभापति "

" अंतरिम

i. ई

या उसकी उप-समिति और/या याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि जो प्रतिवादी संख्या 1 के बोर्ड के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1;

(जी-1): निर्देश दें कि के लेख

((घ) प्रतिवादी सं. प्रत्यर्थी संगठन सं. 1 14 में मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए संशोधन किया जाए ताकि

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

प्रत्यर्थी संख्या 1 का; [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई)

निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष उत्तरदाता संख्या 1 शेयरधारक

किसी भी प्रतिभूति को जारी नहीं करना जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 के निदेशक वर्तमान को कमजोर कर देते हैं।

ज्ञापन के अंतर्गत (12-01-2018)

द्वारा रखी गई चुकता इक्विटी पूंजी

प्रतिवादी संख्या 1 में याचिकाकर्ता;

प्रार्थना एम, जिसकी मांग की गई

अनुच्छेद 86,104 (बी), 118,

(च) प्रत्यक्ष उत्तरदाता सं. 1

121 और 121 ए, और एक की हड़ताली

और/या प्रत्यर्थी संख्या। 2 10 तक

अनुच्छेद 124 का भाग प्रतिबंधित है।

और 12 से 22 हटाने के लिए नहीं

निम्नानुसार:

निदेशक के रूप में उत्तरदाता संख्या 11

उत्तरदाता मंडल से

आई. एक की आवश्यकता

नंबर 1;

सकारात्मक मतदान

अधिकांश निदेशक

(जी) प्रतिवादी सं.

न्यासों द्वारा नामित,

और/या प्रत्यर्थी संख्या। 2 10 तक

जिनमें से अधिकांश

और 12 से 22 किसी भी बनाने से

शेयरधारकों को हटा दिया जाए;

लेखों में परिवर्तन

उत्तरदाता सं. 1 का संगठन

ii. याचिकाकर्ताओं को अधिकार है

जब तक कि इस तरह के परिवर्तन नहीं किए गए हैं

आनुपातिक

को

इस छुट्टी के साथ बनाया गया

बोर्ड में प्रतिनिधित्व

माननीय न्यायाधिकरण;

उत्तरदाता के निदेशक

नंबर 1;

आदेश और जाँच

(एच)

न्यासियों की भूमिका में

iii. याचिकाकर्ताओं को अधिकार है

संचालन में टाटा ट्रस्ट

सभी का प्रतिनिधित्व करना

उत्तरदाता संख्या 1 और/या टाटा

द्वारा गठित समितियाँ

समूह कंपनियों के रूप में भी

निदेशक मंडल

बोर्ड की कार्यप्रणाली

प्रत्यर्थी संख्या 1; और

उत्तरदाता संख्या 1 के निदेशक

iv द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

और/या टाटा समूह की कंपनियाँ,

तदनुसार संशोधन किया जाए।

और न्यासियों को प्रार्थना ए, बी और सी के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकें, उत्तरदाता संख्या 1 और/या टाटा पर दबाव नहीं डाला गया था। समूह कंपनियाँ;

प्रार्थनाएँ एफ, क्यू और आर

(I) एक स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति करना।

निष्फल को दबाया नहीं गया था

एक फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए ऑडिटर

विशेष रूप से उत्तरदाता संख्या 1 ध्यान दें:

((i) इनके बीच के सभी लेन-देन

श्री सी. शिवशंकरन और उनके एक पर व्यावसायिक इकाइयाँ

हाथ, और उत्तरदाता नं।

1 और विभिन्न टाटा समूह

प्रत्यर्थी संख्या 1 या

कौन सा प्रत्यर्थी संख्या 1 टाटा परामर्श सेवा सीमित v है। सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

दूसरी ओर, प्रवर्तक को विश्वास के उल्लंघन, प्रत्ययी कर्तव्यों के उल्लंघन और देखभाल के कर्तव्य का निर्वहन करने में विफलता को निर्धारित करने और उसके लिए जवाबदेही तय करने के लिए; और

प्रत्यर्थी संख्या 1 और/या टाटा समूह की कंपनियाँ जिसके द्वारा कोई अन्यायपूर्ण संवर्धन किया गया है

किसी के पक्ष में उत्पन्न इन दलों;

और इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें

माननीय न्यायाधिकरण ऐसा है कि

यह माननीय न्यायाधिकरण ऐसे और आदेश पारित कर सकता है जो आवश्यक हो ताकि उनसे वसूली की जा सके।

संबंधित व्यक्तियों को नुकसान

जाँच होनी चाहिए माननीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट

गंभीर धोखाधड़ी के लिए

का जांच कार्यालय

निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार;

अप्रकाशित मूल्य की खरीद, मांग या अधिग्रहण न करने का दायित्व संवेदनशील जानकारी दें और इस माननीय न्यायाधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि यह माननीय न्यायाधिकरण ऐसे आगे के आदेश पारित कर सके जो आवश्यक हो और/या [2021] 12 एस. सी. आर. को संदर्भित कर सके।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को इस तरह की जांच के निष्कर्ष।

(के)

प्रत्यक्ष उत्तरदाता संख्या 2 से

प्रत्यर्थी सं. 1 को उस अन्यायपूर्ण संवर्धन की राशि का भुगतान करें जो बख्तावर फ्लैट की उप-किरायेदारी के समर्पण के कारण प्रत्यर्थी सं. 2 को अर्जित हुई है, उस तारीख से उस दर पर ब्याज के साथ जो यह माननीय न्यायाधिकरण उचित समझे, जिस तारीख को प्रत्यर्थी सं. 2 को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध किया गया था।

एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करें

(एल)

एयरएशिया इंडिया द्वारा किए गए लेन-देन की फिर से जांच करना

भारत और सिंगापुर की संस्थाएं यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई आय श्री वेंकटरमण के किसी गुप्त बैंक खाते में भेजी गई है और इस माननीय न्यायाधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए; जैसे कि यह माननीय न्यायाधिकरण ऐसे आगे के आदेश पारित कर सकता है जो आवश्यक हो ताकि उनसे वसूली की जा सके।

लेखा परीक्षा को माननीय न्यायाधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। (एम)

लेखों की हड़ताल

उनकी संख्या 86,104 (बी), 118,121 और 121 ए पूरी तरह से और इसलिए

जहाँ तक प्रत्यर्थी सं. 1 के संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 124 का संबंध है, उक्त अनुच्छेद का निम्नलिखित भाग, जो है -

अपमानजनक और/या अप्रिय को हटा दिया जाना चाहिए: " ..... कोई भी। समिति उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए सशक्त है जो अन्यथा टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित हैं।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

बोर्ड यह तय करने के लिए अधिकृत है कि अनुच्छेद 104 बी के अनुसार उसके सदस्य के रूप में कम से कम एक निदेशक की नियुक्ति होगी। प्रावधान कोरम से संबंधित और जिन तरीकों से मामलों का निर्णय लिया जाएगा, उनमें क्रमश: अनुच्छेद 115 और 121 शामिल हैं, वे उत्परिवर्तन लागू होंगे।

समिति की कार्यवाही के लिए उत्परिवर्तन "। प्रत्यर्थी संख्या 1 के संघ के लेखों से; और इन अनुच्छेदों को ऐसे अनुच्छेदों से प्रतिस्थापित करें जिनकी इस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के लिए आवश्यकता हो सकती है;

उत्तरदाताओं को निर्देशित करें

(प्रत्यर्थी संख्या को छोड़कर। 4 , 10 & 11) उत्तरदाता संख्या 1 में वापस लाने के लिए, द्वारा उपयोग की गई धनराशि टाटा मोटर्स के शेयरों के अधिग्रहण के लिए प्रतिवादी संख्या 1;

प्रतिवेदिका सं।

(0)

1 व्यवसाय की किसी भी नई लाइन को शुरू करने या मौजूदा लाइनों में किसी भी नए व्यवसाय को प्राप्त करने से

इस माननीय न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना व्यवसाय और वह भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के निदेशक मंडल द्वारा एसोसिएशन के अनुच्छेद 121 को लागू किए बिना मामले पर चर्चा और निर्णय लेने के बाद ही;

(पी)

न्यासियों को रोकें

(प्र. मौजूदा चयन समिति को कार्य करने से रोकें। कोई भी आगे और/या किसी भी कार्य का निर्वहन और एक नया चयन

समिति का गठन किया जाए।

निर्देश दें कि कोई उम्मीदवार नहीं

(आर)

चयन

द्वारा चुना गया समिति का गठन [2021] 12 एस. सी. के अनुसार किया गया।

:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 118

उत्तरदाता सं. 1 का संगठन

बिना अनुमति के नियुक्त किया जाना

यह माननीय न्यायाधिकरण;

प्रत्यक्ष उत्तरदाता संख्या 1

(एस)

किसी भी सूचीबद्ध से जानकारी के भीतर संचालन कंपनियाँ

टाटा समूह;

अंतरिम और विज्ञापन प्रदान करें

(टी)

प्रार्थनाओं के संदर्भ में अंतरिम राहत

(ए) से (एस) ऊपर; और

इस तरह के और आदेश पारित करें

(यू)

कि यह माननीय न्यायाधिकरण,

न्याय का हित, डीम

समाप्त करने के लिए आवश्यक

उत्पीड़न के कार्य और

संचालन में कुप्रबंधन

प्रतिवादी नं. 1.

17.4 इसलिए, अफिदावी द्वारा पैदा किए गए सभी भ्रम के बाद

संशोधन के लिए आवेदन और ऊपर उल्लिखित ज्ञापन, जिन पर एन. सी. एल. टी. द्वारा विचार किया जाना बाकी था, वे इस प्रकार थे:

(1)

प्रत्यर्थी सं. 14 (एन. ए. सूनावाला) को रोकें

प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामलों में हस्तक्षेप करना; (राहत

खंड डी)

(2)

प्रत्यर्थी संख्या 1 (टाटा संस) को जारी नहीं करने का निर्देश दें

कोई भी प्रतिभूति जिसके परिणामस्वरूप भुगतान की गई राशि कम हो जाएगी

इक्विटी पूंजी में वृद्धि; (राहत खंड ई) उत्तरदाताओं को कोई भी परिवर्तन करने से रोकें

(3)

न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना प्रतिवादी संख्या 1 के संघ के लेखों के लिए; (राहत खंड जी)

न्यासियों की भूमिका की जाँच का आदेश दें

(4)

प्रत्यर्थी के संचालन में टाटा ट्रस्ट का

नं. 1, टाटा समूह की कंपनियों के साथ-साथ प्रत्यर्थी नं. 1 और टाटा समूह की कंपनियों के निदेशक मंडल के कामकाज में भी, और न्यासियों को प्रत्यर्थी नं. 1 और टाटा समूह की कंपनियों के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है; (राहत खंड एच)

संरक्षण सेवाएँ सीमित v. साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

फोरेंसिक का संचालन करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करें

लेन-देनों की लेखापरीक्षा और स्वतंत्र जांच और विशेष के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 का व्यवहार

ध्यान दें:

((i)

व्यावसायिक इकाइयाँ; तथा श्री मेहली मिस्त्री और उनके सहयोगी

((ख)

इकाइयाँ;

और इस माननीय न्यायाधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और जाँच माननीय द्वारा भेजी जानी चाहिए

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को न्यायाधिकरण निगमित कार्य मंत्रालय, सरकार

भारत का; (राहत खंड I)

एक निरीक्षक (लागू कानून के तहत) की नियुक्ति एस. ई. बी. आई. (निषेध) के उल्लंघन की जांच

अंदरूनी व्यापार) विनियम, 2015। (राहत खंड

जे)

उत्तरदाता सं. 2 को उत्तरदाता सं. 1 का भुगतान करने का निर्देश देना।

अनुचित संवर्धन की राशि जो अर्जित हुई है

प्रत्यर्थी सं. 2 को समर्पण के कारण

बख्तावर फ्लैट की उप-किरायेदारी; (राहत खंड) के)

पुनः जाँच के लिए एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करें एयर एशिया इंडिया द्वारा संस्थाओं के साथ किए गए लेन-देन

भारत और सिंगापुर में; (राहत खंड एल) अनुच्छेद 86,104 बी, 118,121 को पढ़ें और उनमें संशोधन करें।

और 121 ए के साथ-साथ अनुच्छेद 124 ताकि:

सकारात्मक मतदान की आवश्यकता

आई.

न्यास द्वारा नामित अधिकांश निदेशकों, जो अधिकांश शेयरधारक हैं, को हटा दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं को अधिकार है

ii.

उत्तरदाता संख्या 1 के निदेशक मंडल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व; [2021] 12 एस. सी. आर.

याचिकाकर्ताओं को अधिकार है

iii.

सभी समितियों में प्रतिनिधित्व उत्तरदाता संख्या 1 के निदेशक मंडल द्वारा गठित; (राहत खंड एम

ज्ञापन दिनांक 12-01 के माध्यम से प्रतिबंधित

2018)

(10) 31-09-2017 पर पारित प्रस्ताव को अलग रखें क्योंकि

अनुच्छेदों का संशोधन और रूपांतरण की घोषणा टाटा संस का एक निजी कंपनी में अवैध रूप से विलय (खंड एम-1 के माध्यम से अतिरिक्त राहत को शामिल करने की मांग की गई)

संशोधन के लिए आवेदन)

(11)

अनुच्छेद 75 को हटाने के लिए (अतिरिक्त राहत की मांग की गई)

के लिए आवेदन के माध्यम से खंड एम-2 के रूप में शामिल

संशोधन)

(12)

याचिकाकर्ताओं के एक प्रतिनिधि को बहाल करना

बोर्ड (अतिरिक्त राहत को खंड के रूप में शामिल करने की मांग की गई)

एफ-1 संशोधन के लिए आवेदन के माध्यम से)

17.5 अंत तक बनी रहने वाली उपरोक्त राहतों में से मैंने केवल कुछ राहतें दी, जो सरल शब्दों में इस प्रकार थीं -:

((i)

सीपीएम को हटाने और निर्देश देने को दरकिनार करना

टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य टाटा के निदेशक के रूप में उनकी बहाली

शेष कार्यकाल के लिए कंपनियाँ।

((ख)

आर. एन. टी. और टाटा के नामांकित व्यक्तियों को प्रतिबंधित करना

कोई भी अग्रिम निर्णय लेने से बचें।

(iii)

टाटा संस को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकना

शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुच्छेद 75 के तहत कंपनियों और अन्य अल्पसंख्यक सदस्यों, अपवादात्मक परिस्थितियों और हित को छोड़कर

कंपनी और वह भी कारणों को दर्ज करने और प्रभावित पक्षों को सूचित करने के बाद।

((iv)

के पंजीयक के निर्णय को दरकिनार करना

टाटा संस के निजी कंपनी में परिवर्तन को मान्यता देने वाली कंपनियां।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

17.6 इस प्रकार एन. सी. एल. ए. टी. ने शिकायतकर्ता कंपनियों (और अप्रत्यक्ष रूप से सीपीएम) चार राहत अर्थात्:

सीपीएम की बहाली;

((i)

टाटा संस को पब्लिक लिमिटेड घोषित करना

((ख)

कंपनी;

नामित निदेशकों और आर. एन. टी. को रोकना

(iii)

पहले से कोई निर्णय लेने से और

((iv)

अनुच्छेद 75 के आह्वान को रोकना, सिवाय इसके कि

असाधारण परिस्थितियों में।

अब हम देखेंगे कि क्या एन. सी. एल. ए. टी. इनमें से किसी को भी मंजूरी दे सकता था।

इन राहतों।

सीपीएम की बहाली

17.7 हटाना और बहाली दो अलग-अलग चीजें हैं। हमने सवाल का जवाब देते हुए सीपीएम को हटाने के मुद्दे पर काम किया है। कानून संख्या 1, इस संदर्भ में कि क्या यह दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण की योजना का हिस्सा था। अब हम धारा 242 (2) की रूपरेखा और पारित किए जा सकने वाले आदेशों की प्रकृति के संदर्भ में बहाली के मुद्दे पर विचार करेंगे।

17.8 जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसका मूल उद्देश्य

शिकायतकर्ता कंपनियों को टाटा संस को सीपीएम को निदेशक के रूप में हटाने से रोकना था। इसके बाद, एक चढ़ाई हुई और शिकायतकर्ता कंपनियों ने एक की "बहाली" के रूप में मांग की। शिकायतकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधि। इसके बाद, इसे बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए एक पुकार में परिवर्तित कर दिया गया।

17.9 इस पृष्ठभूमि में दोनों के समक्ष बार-बार तर्क दिया गया था

एन. सी. एल. ए. टी. और इस न्यायालय के समक्ष कि मुकदमे का उद्देश्य नहीं था सीपीएम को बहाल करने के लिए, लेकिन केवल डेनमार्क राज्य में चीजों को ठीक करने के लिए (जिसमें सीपीएम खुद 4 साल के लिए प्रीमियर था)। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने समझा कि शिकायतकर्ता कंपनियां और सी. पी. एम. वास्तव में क्या चाहते थे, हालांकि उन्होंने अपनी शिकायतों को छिपाने का प्रयास किया।

कानूनी अच्छाइयों के साथ इरादे। इसलिए, प्रार्थना न होने के बावजूद

सी. पी. एम. को या तो निदेशक के रूप में या टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के लिए, एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. पी. एम. को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष और शेष कार्यकाल के लिए टाटा कंपनियों के निदेशक के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17.10 एन. सी. एल. ए. टी. ने शिकायतकर्ता कंपनियों और स्वयं सी. पी. एम. द्वारा कानूनी रूप से संभव समझे जाने की तुलना में बहुत अधिक अनुदान देते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान नहीं दिया। टाटा संस के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में सीपीएम की नियुक्ति, शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, 01.04.2012 से 31.03.2017 तक 5 साल की अवधि के लिए होनी थी। 01.08.2012 पर आयोजित शेयरधारकों की बैठक में, सीपीएम की कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई और जनरल

निकाय ने सी. पी. एम. को अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित करने का काम बोर्ड पर छोड़ दिया। तदनुसार, बोर्ड ने 18.12.2012 पर पारित एक प्रस्ताव द्वारा 29.12.2012 से प्रभावी होकर CPM को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया।

17.11 एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय 18.12.2019 पर पारित किया गया था, जिस समय तक, की तारीख से लगभग 7 साल की अवधि बीत चुकी थी।

सीपीएम की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। इसलिए, हम यह समझने में विफल रहते हैं: (i) एन. सी. एल. ए. टी. कैसे राहत दे सकता था

जाहिरा तौर पर मांग की गई (हालांकि वांछित); और (ii) एन. सी. एल. ए. टी. का मतलब "शेष कार्यकाल के लिए" बहाली से क्या था। यह एक तय स्थिति है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद बहाली का सवाल ही नहीं उठेगा। इस संबंध में, हम राज कुमार डे बनाम तारापद डे 1 6 और मोहम्मद के निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं। गाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1. जबकि ऐसा है, यह समझ से परे है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने समाप्ति के बाद एक कंपनी के निदेशक की बहाली का निर्देश दिया, और वह भी।

उनके कार्यकाल से। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह का उपाय श्रम न्यायालय/सेवा न्यायाधिकरण द्वारा भी उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में नहीं दिया गया होगा।

17.12 वास्तव में एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. पी. एम. को न केवल टाटा संस के बोर्ड में, बल्कि टाटा समूह की कंपनियों के बोर्ड में भी बहाल करने की हद तक चला गया है, बिना वे पक्षकार हुए, उन कंपनियों के खिलाफ धारा 241 के तहत कोई शिकायत किए बिना और उनके खिलाफ कोई प्रार्थना किए बिना। इन कंपनियों ने क़ानून और अनुच्छेदों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और उन्होंने उसे हटाने के लिए वैध रूप से प्रस्ताव पारित किए हैं। उदाहरण के लिए, टी. सी. एस. ने एक अवसर प्रदान किया सीपीएम और एक आम बैठक आयोजित की जिसमें 93.11% शेयरधारकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें सार्वजनिक संस्थान भी शामिल हैं जिनके पास 57.46% शेयर हैं। किसी भी मामले में सी. पी. एम.

का कार्यकाल स्वयं आई. डी. 1 पर समाप्त होना था, लेकिन एन. सी. एल. ए. टी. ने उन्हें "शेष कार्यकाल के लिए" बहाल करने का विवादित आदेश पारित किया। अन्य कंपनियों के संबंध में जिनकी बैठक हुई थी

16 6 (1987) 4 एस. सी. सी. 398

17 (2000) 4 एस. सी. सी. 342 टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

ई. जी. एम. ने उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, सी. पी. एम. ने इस्तीफे प्रस्तुत किए। लेकिन अब विवादित आदेश के आधार पर सी. पी. एम. को उस कंपनी मंडल में भी बहाल करना होगा जिससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यही कारण है कि शिकायतकर्ता कंपनियों ने भी इसे अत्यधिक पाया है।

17.13 एक तरफ, हमें यहां टाटा बोर्ड की बैठक में स्वयं सीपीएम द्वारा व्यक्त किए गए कृतज्ञता के शब्दों (यदि कोई हो) को दर्ज करना चाहिए। सन्स ऑन 18.12.2012, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव के तुरंत बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया। सी. पी. एम. ने दिनांकित 18.12.2012 की बोर्ड बैठक में यही कहा:

" श्री मिस्त्री ने यह कहते हुए जवाब दिया कि "पिछले एक साल से

प्रत्यक्ष के तहत एक महान सीखने का अनुभव रहा है श्री रतन टाटा का मार्गदर्शन। टाटा समूह सख्त मूल्यों पर आधारित है। हम सभी उतार-चढ़ाव का सामना करेंगे, जो कुछ भी हमारे रास्ते में हो सकता है। हम अपने रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। बोर्ड श्री रतन टाटा के शानदार योगदान को मान्यता देता है और उन्हें मानद अध्यक्ष नामित करने की इच्छा रखता है। हम उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे।

महत्वपूर्ण मामलों पर।

17.14 यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि दिसंबर 2012 में उनकी नियुक्ति के समय, सीपीएम ने जो देखा और स्वीकार किया, वह एक "महान" था।

आर. एन. टी. के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में उनके पास सीखने का अनुभव था, लेकिन अक्टूबर 2016 में प्रस्थान के समय, उन्होंने जो देखा वह केवल 10 वर्षों से अधिक का एक आचरण था, जो कंपनी और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण था। एन. सी. एल. ए. टी. इस पर ध्यान देने में विफल रहा, जबकि न तो मांगी गई राहत और न ही कानून में व्यवहार्य।

17.15 ऐसा प्रतीत होता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने दलीलों में बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रार्थना के और कानून में बिना किसी आधार के बहाली की राहत दी है। ऐसा करके, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपीलार्थी पर एक कार्यकारी अध्यक्ष को मजबूर कर दिया है, जो अब अपना समर्थन करने में असमर्थ है। पुनर्स्थापना।

17.16 एन. सी. एल. ए. टी. ने बर्खास्तगी को अवैध पाया है न कि अमान्य। कानून में, बर्खास्तगी भले ही गलत और दुर्भावनापूर्ण पाई जाए, एक प्रभावी बर्खास्तगी है और हर्जाने के दावे को जन्म दे सकती है। डॉ. एस. बी. दत्त बनाम। दिल्ली विश्वविद्यालय 1 8 इस न्यायालय ने निर्णय दिया: -

18 1959

एससीआर 1236 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" पुरस्कार में कहा गया कि अपीलार्थी को गलत तरीके से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से खारिज कर दिया गया था। अब, यह इस तरह के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप नहीं है कि बर्खास्तगी का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि गलत और दुर्भावनापूर्ण बर्खास्तगी फिर भी एक प्रभावी बर्खास्तगी है, हालांकि यह हर्जाने के दावे को जन्म दे सकती है। पुरस्कार में, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी की बर्खास्तगी थी

लेकिन जैसा कि बाद में देखा जाएगा, इसने बर्खास्तगी के कार्य को शून्य नहीं माना और इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

17.17 यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 विशेष रूप से बहाली की शक्ति प्रदान नहीं करती हैं, न ही हम यह जोड़ा जाएगा कि यह अभिनिर्धारित करने की कोई गुंजाइश है कि पुनर्स्थापित करने की ऐसी शक्ति को विशेष रूप से प्रदत्त किसी भी शक्ति से निहित या अनुमान लगाया जा सकता है।

17.18 242 की उप-धारा (1) के अंत में निम्नलिखित शब्द "न्यायाधिकरण, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे" न्यायाधिकरण को ऐसे निदेशक या कंपनी के अन्य अधिकारी की बहाली का निर्देश देने की कोई निहित शक्ति प्रदान करने के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है जिसे ऐसे पद से हटा दिया गया है। इन शब्दों की व्याख्या केवल इस अर्थ में की जा सकती है कि वे ऐसा आदेश देने की शक्ति प्रदान करते हैं जो न्यायाधिकरण उचित समझता है, जहां ऐसा आदेश देने की शक्ति विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए आवश्यक पाई जाती है -

किसी भी संदेह को दूर करें और उस आदेश को लागू करें जिसके लिए शक्ति है

विशेष रूप से सम्मानित। उदाहरण के लिए, धारा 242 की उप-धारा (2) कई कार्यों को निर्देशित करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है। शब्दों के द्वारा

धारा 242 की कौन सी उप-धारा (1) समाप्त होती है, उपर्युक्त का अर्थ अंत करने के लिए ऐसे आदेश देने की शक्ति माना जा सकता है, जिन विषयों के लिए

धारा 242 की उप-धारा (2) के तहत निर्देश दिए गए हैं।

17.19 धारा 241 और 242 की संरचना न्यायाधिकरण को धाराओं को पढ़ने की अनुमति नहीं देती है, जो एक आदेश (बहाली के लिए) करने की शक्ति है जो 2018 में संशोधन के साथ या उसके बिना विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 द्वारा कानून द्वारा वर्जित है। न्यायाधिकरण एक अनुबंध को लागू करने का आदेश नहीं दे सकता है जो व्यक्तिगत पर निर्भर है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में उल्लिखित योग्यताएँ। इसके अलावा, यह वैश्य डिग्री के मामले में आयोजित किया गया है कॉलेज (ऊपर) कि सामान्य नियम यह है कि व्यक्तिगत सेवाओं का अनुबंध विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं है जब तक कि कोई व्यक्ति जिसे कॉलेज से हटा दिया गया हो।

सेवा (ए) एक लोक सेवक जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के उल्लंघन में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है; (बी) श्रम या टाटा परामर्श सेवा सीमित द्वारा बहाली की मांग करने वाले औद्योगिक कानून के तहत बर्खास्त किया गया है।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

औद्योगिक न्यायाधिकरण; और (ग) किसी वैधानिक निकाय द्वारा क़ानून द्वारा लगाए गए अनिवार्य दायित्व के उल्लंघन में समाप्त किया गया। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 17. ऊपर वर्णित अधिकारियों के विचार पर, इसलिए, यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को आम तौर पर विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और एक अदालत आम तौर पर यह घोषणा नहीं करेगी कि अनुबंध कायम है और

कर्मचारी, सेवा से हटाए जाने के बाद भी नियोक्ता की इच्छा और सहमति के खिलाफ सेवा में माना जा सकता है। हालाँकि, यह नियम तीन अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवादों के अधीन है (i) जहाँ एक लोक सेवक की मांग की जाती है।

के प्रावधानों के उल्लंघन में सेवा से हटा दिया गया

भारत के संविधान का अनुच्छेद 311; (ii) जहां एक कर्मचारी को औद्योगिक कानून के तहत बर्खास्त किए जाने पर बहाल करने की मांग की जाती है; और (iii) जहां एक वैधानिक निकाय उल्लंघन में कार्य करता है या

कानून के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन।

17.20 कानून में यह स्थिति कि व्यक्तिगत सेवाओं के अनुबंध को अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, कानून का एक दीर्घकालिक सिद्धांत है और किसी भी निहित शक्ति के अस्तित्व से विस्थापित नहीं किया जा सकता है, हालांकि वर्तमान मामले में कोई भी नहीं दिखाया गया है। इसे वैधता के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है:

" चूँकि क़ानून निर्वात में अधिनियमित नहीं किए जाते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि

संवैधानिक कानून के दीर्घकालिक सिद्धांत और प्रशासनिक कानून केवल सामान्य शब्दों के उपयोग से विस्थापित नहीं होते हैं। इसे वैधता के सिद्धांत के रूप में शैलीबद्ध किया गया है। शब्दों में कहें तो

सर जॉन रोमिली: " अधिनियम के सामान्य शब्द हैं -

कानून की पिछली नीति को बदलने के रूप में इस तरह से नहीं समझा जाना चाहिए, जब तक कि पिछली नीति को अछूता रखने के इरादे से उन शब्दों पर कोई अर्थ या अर्थ लागू नहीं किया जा सकता है। चूँकि हर नए कानून में कुछ बदलाव शामिल होते हैं

लॉर्ड रोमिली के उपरोक्त कथन को इसके साथ लागू किया जाना चाहिए

सावधानी बरतें और सामान्य रूप से उन मामलों तक सीमित रहना चाहिए जहां

लंबे समय से चले आ रहे कानून के शासन को निरस्त करने का सवाल है। ऐसी कई धारणाएँ हैं जिनका एक दुभाषिया हकदार है।

उठाने के लिए जो केवल उपयोग से आसानी से विस्थापित नहीं होते हैं

सामान्य शब्द, उदाहरण के लिए, मुकुट को बांधने का इरादा या वरिष्ठ के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का इरादा

न्यायालयों का अनुमान केवल सामान्य शब्दों के उपयोग से नहीं लगाया जाएगा। यह उसी सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है कि जब तक कि

इसके विपरीत सबसे स्पष्ट प्रावधान, संसद को नहीं माना जाता है

19 पृष्ठ 541 [2021] 12 एस. सी. आर. में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत 14 वां संस्करण।

कानून के शासन के विपरीत कानून बनाना जो 'न्यूनतम' को लागू करता है मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों तरह से निष्पक्षता का मानक। इस प्रकार

जब आदेश एक शून्य और एक प्रावधान है तो कोई आवेदन नहीं है आपराधिक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील को छोड़कर।

एक आदेश के खिलाफ अपील पर रोक नहीं है जो अदालत के पास नहीं था

बनाने की शक्ति। उसी कारण से, जब तक कि कानून

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अन्यथा प्रदान करता है

प्रशासनिक निर्णय इससे पहले प्रभावी नहीं होता है

संबंधित व्यक्ति को सूचित किया गया।

17.21 यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि चुनौती के आधारों में से एक

एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश पर, जिसे एस. पी. समूह ने अपनी अपील C.A.No में उठाया था। 2020 का 1802 यह है कि न्यायाधिकरण को बहाली की राहत नहीं देनी चाहिए थी। 2020 के सिविल अपील सी. ए. संख्या 1802 के आधार ज्ञापन के पैराग्राफ 4 में, शिकायतकर्ता कंपनियों (एस. पी. समूह) ने न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहतों की एक सारणी दी है और राहत जो न्यायाधिकरण को इसके बजाय देनी चाहिए थी। अपील के आधारों के ज्ञापन के पैरा 4 के साथ-साथ नीचे दी गई तालिका के एक हिस्से में लिखा है। इस प्रकार है:

" 4. इन निष्कर्षों पर सही ढंग से पहुंचने के बाद, इसे प्रस्तुत किया जाता है

कि एल. डी. एन. सी. एल. ए. टी. को मांगी गई राहत प्रदान करनी चाहिए थी।

संदर्भ की आसानी के लिए, एल. डी. द्वारा दी गई राहत। एनसीएलएटी

अपीलार्थियों द्वारा मांगी गई राहत, जो एल. डी. एनसीएलएटी के पास है जिसे मंजूर नहीं किया गया है और जिनसे अपीलार्थी व्यथित हैं, वे हैं

नीचे सारणीबद्ध रूप में संक्षेपित:

एल. डी. द्वारा दी गई राहत।

राहत जो होनी चाहिए थी

एल. डी. द्वारा दिया गया। NCLAT में

एनसीएलएटी

प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों का प्रकाश

और राहत की मांग की गई

एस. पी. के उम्मीदवार का निष्कासन

टाटा संस के निदेशक के रूप में समूह

आर-11 को बहाल किया जाना चाहिए

आर-11 ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि

कार्यकारी अध्यक्ष और

उनका एक बार फिर लेने का कोई इरादा नहीं

था

निदेशक, अपने शेष कार्यकाल के लिए

कार्यकारी अध्यक्ष का प्रभार और

टाटा संस के निदेशक के रूप में

टाटा समूह के निदेशक

कंपनियाँ। प्रकृति को देखते हुए

टाटा समूह की तीन कंपनियाँ

टाटा सन्स दो समूहों में से एक है

जिनका बोर्ड उन्हें हटा दिया गया था।

कंपनी और बड़ी हिस्सेदारी जो

अपीलार्थियों के पास टाटा संस में है,

यह माना गया था कि अपीलार्थी

प्रदान किया गया

आनुपातिक

बोर्ड में प्रतिनिधित्व

टाटा संस के निदेशक और

सभी समितियों में प्रतिनिधित्व

टाटा संस "। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

17.22 इस प्रकार न्यायाधिकरण द्वारा दी गई बहाली की राहत,

यह शिकायतकर्ता कंपनियों (और शायद सीपीएम) के लिए भी निगलने के लिए बहुत बड़ी गोली थी।

अनुच्छेद 75 से संबंधित राहत

17.23 अनुच्छेद 75 पर हमले के इर्द-गिर्द घूमते बड़े सवाल, विशेष रूप से यह सवाल कि क्या इस तरह के लेख की उपस्थिति को कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण माना जा सकता है। कानून संख्या 3 के प्रश्न से संबंधित अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। लेकिन हम यहां इस सीमित प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या न्यायाधिकरण कोई राहत दे सकता था, जिसका प्रभाव अनुच्छेद 75 को अनुच्छेद में भेजने पर पड़ता है।

कोमाटोज।

17.24 वास्तव में, अनुच्छेद 75 के संबंध में राहत, तकनीकी रूप से

बोलते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता था। इसका कारण यह है कि कंपनी याचिका में, जैसा कि यह मूल रूप से दायर की गई थी, अनुच्छेद 75 को चुनौती देने वाली कोई प्रार्थना नहीं थी। यह केवल 31.10.2017 दिनांकित संशोधन के लिए एक आवेदन के माध्यम से था जिसे शिकायतकर्ता कंपनियों ने शामिल करने की मांग की थी। अनुच्छेद 75 को इस आधार पर निरस्त करने/हटाने के लिए खंड एम-2 के रूप में एक प्रार्थना कि यह बहुसंख्यक शेयरधारकों के हाथों में उत्पीड़न करने का एक उपकरण है

अल्पसंख्यक। 31.10.2017 पर दाखिल संशोधन के लिए उक्त आवेदन में, शिकायतकर्ता कंपनियों ने पांच अतिरिक्त प्रार्थनाओं को शामिल करने की मांग की, जिनमें से तीन खंड एम-1, एम-2 और एम-3 के रूप में, उनमें से एक खंड एफ-1 के रूप में और अंतिम खंड जी-1 के रूप में। अनुच्छेद 75 को निरस्त करने/हटाने की प्रार्थना

मुख्य याचिका के पैरा 153 के खंड एम-2 में शामिल करने की मांग की गई थी।

17.25 लेकिन उसके बाद जो हुआ वह काफी दिलचस्प है। 12.1.2018 दिनांकित एक ज्ञापन के माध्यम से, शिकायतकर्ता कंपनियों ने "नहीं" करने की मांग की

खंड (ए), (बी), (सी), (एफ), (क्यू) और (आर) में प्रार्थनाओं को दबाएँ। इसके अलावा

उन्होंने खंड एम में प्रार्थना को प्रतिबंधित करने की मांग की, जैसा कि हमने ऊपर दी गई तालिका में संकेत दिया है। 12.1.2018 पर दाखिल किए गए ज्ञापन में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि क्या प्रार्थनाओं में एम-1, एम-2 और एम-3 शामिल हैं या नहीं।

17.26 यह सच है कि सी. पी. सी. और साक्षय अधिनियम की कठोरताएं न्यायाधिकरणों/अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों पर लागू नहीं होती हैं। ये कठोरताएँ संवैधानिक मामलों से निपटने वाले न्यायालयों पर भी लागू नहीं होती हैं (सी. पी. सी. की धारा 141 के तहत स्पष्टीकरण देखें)। 17.27 इस तरह की रियायत को उन सभी कानूनों में शामिल किया गया था जिनके द्वारा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, केवल [2021] 12 एस. सी. आर. में देरी से बचने के लिए।

न्याय का वितरण। लेकिन देरी को समाप्त करने के बजाय, इसने दलीलों और प्रक्रिया में अनुशासन को समाप्त कर दिया है।

17.28 यदि यह एक दीवानी न्यायालय है, तो 12.1.2018 दिनांकित ज्ञापन होगा

यह माना जाता है कि तब तक जो कुछ भी किया गया था, उसका स्थान ले लिया है। ऐसे मामले में, इस बात की स्पष्टता की पूरी कमी रही होगी कि ज्ञापन में प्रार्थना को प्रतिबंधित करने के बावजूद खंड एम-2 में शामिल प्रार्थना बची रही या नहीं।

खंड-एम में बनाया गया।

17.29 भले ही हम यह मान लें कि 12-01-2018 दिनांकित ज्ञापन ने केवल खंड M में प्रार्थना को प्रतिबंधित किया है न कि खंड M-2 में, NCLAT नहीं कर सका अनुच्छेद 75 को यह मानते हुए मौन कर दिया है कि इसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर लागू नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि आखिरकार, अनुच्छेद 75 केवल अनिच्छुक साथी को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से भी, इंग्लैंड और भारत में कानून एक सुरक्षित और सम्मानजनक निकास का मार्ग प्रशस्त करता है, जब वाणिज्यिक संबंध में 2 व्यक्ति सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं।

17.30 इस संदर्भ में, इस प्रकार के मामलों में न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए जा सकने वाले निर्देशों की प्रकृति पर ध्यान देना उपयोगी होगा। जैसा कि धारा 242 की उप-धारा (2) के खंड (ए) से (एम) में दर्शाया गया है। धारा 242 की उप-धारा (2) हमारे द्वारा कहीं और निकाली गई है और

यह दर्शाता है कि धारा 242 की उप-धारा (2) के खंड (ए), (बी), (सी), (ई), (एफ) और (जी) में जो सूचीबद्ध है, वह खंड (ए) के समान या उसके समान है।

1956 के अधिनियम की धारा 402 के (च) तक। धारा 242 की उप-धारा (2) के खंड (डी), (एच), (आई), (जे), (के) और (1) 2013 के अधिनियम के तहत नए परिवर्धन हैं।

17.31 मूल रूप से, जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य,

न्यायाधिकरण 2013 के अधिनियम की धारा 242 (1) के तहत एक आदेश पारित करने का हकदार है, जो 1956 के अधिनियम की तरह ही है। शब्द "न्यायाधिकरण, मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से कर सकता है

1956 के अधिनियम की धारा 397 की उप-धारा (2) के अंतिम अंग में पाई जाने वाली शिकायत, ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे, 2013 के अधिनियम की धारा 242 की उप-धारा (1) के अंतिम अंग में भी दोहराया जाता है। इन शब्दों को 1913 के अधिनियम की धारा 153सी की उप-धारा (4) के अंतिम अंग में भी जगह मिली।

17.32 यहाँ तक कि 1948 के अंग्रेजी कंपनी अधिनियम की धारा 210 भी

"न्यायालय, शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने की दृष्टि से, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।" हालांकि अंग्रेजी कानून ने कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v के तहत 'दमनकारी आचरण' से 'अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण' में एक प्रतिमान बदलाव किया।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

अधिनियम, 1985, अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 461 के तहत आदेश पारित करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला उद्देश्य लगभग समान ही रहा। धारा 461 (1) ने न्यायालय को मामलों के संबंध में राहत देने के लिए ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाया जो वह उचित समझे। शिकायत की "। अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 2006 की धारा 996 ने वही शब्द बनाए रखे।

17.33 इसलिए, उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित कानून में कई बदलावों के बावजूद, उत्पीड़न और कुप्रबंधन की शिकायत करने वाले आवेदन में एक आदेश पारित करते समय एक न्यायाधिकरण को जिस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, वह दशकों से वही रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायाधिकरण को अपने आदेश से शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना चाहिए।

17.34 दूसरे शब्दों में अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून दोनों के तहत एक आदेश का उद्देश्य, चाहे शासन हो

केवल "पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण", एक समाधान प्रदान करके शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करना है। उद्देश्य कोई उपाय प्रदान करना नहीं हो सकता है। बीमारी से भी बदतर। उद्देश्य शिकायत

किए गए मामलों को समाप्त करना होना चाहिए और अन्य हितधारकों के हितों को त्यागते हुए स्वयं कंपनी को समाप्त नहीं करना चाहिए। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि एक बार

एक समय, उत्पीड़न और कुप्रबंधन के खिलाफ राहत के प्रावधानों को शेयरधारकों के शस्त्रागार में हथियारों के रूप में माना जाता था, जो जब टेरोरेम में लगाए जाते थे, तो वास्तव में हमला करने की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते थे। हालांकि इस तरह की स्थिति निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है, उन्हें आज दूसरे चरम पर नहीं ले जाया जा सकता है जहां पूंछ कुत्ते को हिला सकती है।

17.35 न्यायाधिकरण को हमेशा इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए कि

राहत देने या निर्देश जारी करने से पहले इन प्रावधानों के तहत कौन से उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। यह इन प्रावधानों के पीछे के उद्देश्य की कसौटी पर है कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई चार राहतों की शुद्धता का परीक्षण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एन. सी. एल. ए. टी. (i) सी. पी. एम. की बहाली (ii) अनुच्छेद 75 को लागू करने के अधिकार पर प्रतिबंध (iii) आर. एन. टी. और नामित निदेशकों को पहले से निर्णय लेने से रोकना और (iv) टाटा संस को एक निजी कंपनी में परिवर्तित करने को दरकिनार करना।

18. प्रश्न 3

18.1 कानून का तीसरा सवाल जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या एन. सी. एल. ए. टी. कानूनी रूप से, [2021] 12 एस. सी. आर. के तहत कंपनी की शक्ति को मौन कर सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसोसिएशन के लेख का अनुच्छेद 75, किसी भी सदस्य से अपने शेयरों को स्थानांतरित करने की मांग करने के लिए, कंपनी को अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है।

अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद को अलग करने से इनकार करते हुए भी।

18.2 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुच्छेद 75 इस प्रकार है:

" 75. कंपनी की हस्तांतरण की शक्ति

कंपनी किसी भी समय विशेष संकल्प द्वारा यह संकल्प ले सकती है कि सामान्य शेयरों का कोई भी धारक अपने सामान्य शेयरों का हस्तांतरण करे। इसके बाद यह माना जाएगा कि ऐसे सदस्य ने इसके अनुच्छेद 58 के अनुसार अपने सामान्य शेयरों के संबंध में कंपनी को बिक्री-सूचना दी है और इन अनुच्छेदों के सभी सहायक और परिणामी प्रावधान उक्त शेयरों की बिक्री के पूरा होने के संबंध में लागू होंगे। इस तरह के प्रस्ताव की लिखित सूचना प्रभावित सदस्य को दी जाएगी। इस अनुच्छेद के

प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद के तहत एक सामान्य हिस्से को हस्तांतरित करने का हकदार है।

69 इसके ऐसे हिस्से का धारक माना जाएगा।

18.3 शुरुआत में यह बताया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता कंपनियों ने अनुच्छेद 75 से इस आधार पर कोई शिकायत नहीं की कि अतीत में इसका दुरुपयोग किया गया था और इस तरह का दुरुपयोग

कुछ सदस्यों के हितों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण करना। धारा 241 को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि कंपनी का संचालन या संचालन कुछ सदस्यों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए था। कोई एकल नहीं

मुख्य कंपनी याचिका या संशोधन के लिए आवेदन में अनुच्छेद 75 के आह्वान, दुरुपयोग की बात तो छोड़िए, का भी उदाहरण दिया गया है। इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. प्रतिबंध का आदेश पारित करके अनुच्छेद 75 को पूरी तरह से अप्रभावी नहीं बना सकता था और न ही बनाना चाहिए था।

18.4 वास्तव में, एन. सी. एल. ए. टी. पहले सिद्धांतों पर सहमत है,

कि संघ के किसी भी अनुच्छेद को अवैध घोषित करने का इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सही ढंग से एक मानदंड निर्धारित करने के बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर अनुच्छेद 75 को बेअसर कर दिया। धारा 241 (1) (ए) केवल अतीत और वर्तमान आचरण या अतीत के संबंध में एक उपाय प्रदान करती है और वर्तमान निरंतर आचरण। एन. सी. एल. ए. टी. ने भविष्य में बुरे आचरण की संभावना को कवर करने के लिए धारा 241 (1) (ए) का विस्तार किया है, जो कानून में अस्वीकार्य है।

18.5 यह कि किसी कंपनी के संघ के लेख एक अनुबंध शेयरधारक का गठन करते हैं, कंपनी कानून का आधार है। वास्तव में, अनुच्छेद 75

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

यह टाटा संस में हाल की उत्पत्ति का आविष्कार नहीं था। यह लगभग एक शताब्दी से किसी न किसी रूप में रहा है। जैसा कि हमने कहीं और बताया है, कंपनी को वर्ष 1917 में निगमित किया गया था और एस. पी. समूह ने लगभग 50 वर्षों के बाद वर्ष 1965 में शेयरों का अधिग्रहण किया। उस समय भी अनुच्छेद 75 एक अलग रूप में अस्तित्व में था। 1965 के बाद, अनुच्छेद 75 में कई दौर के संशोधन हुए, जिसमें एस. पी. समूह, सी. पी. एम. के पिता और सी. पी. एम. पक्ष थे। सीपीएम स्वयं 13.09.2000 पर अनुच्छेद 75 में किए गए संशोधन का एक पक्ष था। अपने वर्तमान रूप में अनुच्छेद केवल 13.09.2000 पर बनाया गया था और संशोधन सर्वसम्मति से CPM की उपस्थिति में और सहमति से किया गया था।

18.6 एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से एक शेयरधारक बन गया और इस तरह संघ के लेखों की सदस्यता ली और जो इच्छुक था और उन अनुच्छेदों में किए गए संशोधनों के लिए सहमति देने वाला पक्ष, बाद में उन अनुच्छेदों को चुनौती नहीं दे सकता है। यही बात न्यायालय से एक अनुबंध को फिर से लिखने का अनुरोध करने के समान होगी, जिसमें वह एक पक्षकार बन गए और उनकी आंखें खुली थीं।

18.7 ऐसा नहीं है कि सीपीएम या उनके पिता, जो लगभग 25 वर्षों तक निदेशक भी रहे, अनुच्छेद के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे या अंधे थे। 75. वास्तव में, शिकायतकर्ता कंपनियों द्वारा 31.10.2017 पर दायर संशोधन के लिए आवेदन में, अनुच्छेद 75 को चुनौती देने की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता कंपनियों ने निम्नानुसार कहा:

" ..... जहाँ तक उक्त अनुच्छेद के प्रयोग में कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था, याचिकाकर्ता यानी, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने इसे चुनौती नहीं देने का एक सचेत निर्णय लिया था।

उत्तरदाता सं। 1 और 2 अब इस अनुच्छेद के दुरुपयोग के वास्तविक और तत्काल खतरे का अनुमान लगाता है "

शिकायतकर्ता कंपनियों की ओर से उपरोक्त अभिवचन अनुच्छेद 75 को चुनौती देने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि यह एक वास्तविक आचरण से संबंधित नहीं था, बल्कि भविष्य के आचरण की संभावना से संबंधित था। धारा 241 का उद्देश्य भविष्य के संभावित आचरण के संबंध में प्रबंधन को अनुशासित करना नहीं है।

18.8 इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण के पास इसके तहत शक्ति है

धारा 242 उन अनुच्छेदों में किसी भी संशोधन को अलग करने के लिए है जो शेयरधारकों के मान्यता प्राप्त स्वामित्व अधिकारों को छीन लेते हैं। लेकिन यह आधार पर है कि संशोधन लाना स्वयं एक ऐसा आचरण था जो दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण था।

18.9 यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 75 धाराओं के प्रतिकूल था

235 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 236। हम नहीं जानते कि ये कैसे

प्रावधान लागू होंगे। धारा 235 किसी योजना या अनुबंध से संबंधित है।

हस्तांतरणकर्ता कंपनी नामक कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण शामिल है,

दूसरे को हस्तांतरणकर्ता कंपनी कहा जाता है। इसी तरह, धारा 236 से संबंधित है।

एक ऐसे मामले के साथ जहां एक अधिग्रहणकर्ता ने अधिग्रहित किया या एक साथ काम करने वाला व्यक्ति

ऐसे अधिग्रहणकर्ता के साथ 90 प्रतिशत हिस्सेदारी का पंजीकृत धारक बन जाता है।

समामेलन, शेयर विनिमय के आधार पर कंपनी की शेयर पूंजी,

प्रतिभूतियों का रूपांतरण आदि। इन प्रावधानों की कोई प्रासंगिकता नहीं है हाथ में मामला।

18.10 यहां तक कि धारा 58 (2) के इर्द-गिर्द घूमता विवाद भी पूरी तरह से गलत है।

गैरस्थायी, क्योंकि धारा 58 (2) प्रतिभूतियों या अन्य हितों से संबंधित है

सार्वजनिक कंपनी का कोई भी सदस्य।

18.11 इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. का आदेश शक्ति के साथ छेड़छाड़ करता है

एसोसिएशन के लेख के अनुच्छेद 75 के तहत पूरी तरह से उपलब्ध है

अस्थिर। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि द्वारा दी गई राहत एन. सी. एल. ए. टी. अपने आप में कानून के विपरीत है, एस. पी. समूह की 2020 की अपनी अपील सी. ए. संख्या 1802 में और अधिक मांगने की प्रार्थना एक अनुरोध के अलावा और कुछ नहीं है।

अवैधता को बढ़ाने के लिए।

19. प्रश्न 4

19.1 विचार करने के लिए कानून का चौथा प्रश्न यह है कि क्या

न्यायाधिकरण द्वारा उपलब्ध सकारात्मक मतदान अधिकारों की विशेषता

अनुच्छेद 104 बी, दमनकारी और पूर्वाग्रहपूर्ण के रूप में, विशेष रूप से इसके बाद उचित है इन अनुच्छेदों के लिए चुनौती को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया है और क्या

न्यायाधिकरण आर. एन. टी. और नामांकित व्यक्ति को निर्देश दे सकता था

निदेशक इन अनुच्छेदों के प्रभाव को लगभग रद्द कर रहे हैं।

19.2 कंपनी याचिका में, जैसा कि यह मूल रूप से दायर की गई थी,

शिकायतकर्ता कंपनियों ने पैराग्राफ 153 (एम) में हड़ताल करने का अनुरोध किया

अनुच्छेद 124 का एक भाग। ये अनुच्छेद (अनुच्छेद 118 के अलावा, जो इसे कहीं और निकाला जाता है) निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

" 86. आम बैठकों में गणपूर्ति

साधारण सभा के धारकों की आम बैठक में कोई गणपूर्ति नहीं

कंपनी के शेयरों का गठन तब तक किया जाएगा जब तक कि सदस्य

जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं उनकी संख्या पाँच से कम नहीं है।

कम से कम एक अधिकृत प्रतिनिधि संयुक्त रूप से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा नामित, जब तक कि टाटा ट्रस्ट कुल मिलाकर

उस समय के लिए भुगतान की गई सामान्य शेयर पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत

कंपनी का होना।

व्याख्या: इसमें प्रयुक्त शब्द "संयुक्त रूप से नामित" हैं।

अनुच्छेद का अर्थ होगा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट मिलकर अधिकृत लोगों को नामित करेगा।

प्रतिनिधि। किसी भी अंतर के मामले में, का निर्णय

सर दोराबजी के कुल न्यासियों का बहुमत

टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट प्रबल होंगे।

104. सामान्य प्रावधान

A. निदेशकों की संख्या

जब तक टाटा ट्रस्ट का स्वामित्व है और कुल मिलाकर कंपनी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर की भुगतान की गई सामान्य शेयर पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत, अभी के लिए

बोर्ड में निदेशकों की प्रचलित संख्या के एक तिहाई को नामित करना और इसी तरह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए नियुक्त और इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर, नियुक्त करें

निदेशक के रूप में एक अन्य व्यक्ति। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा नामित निदेशक और

सर रतन टाटा ट्रस्ट को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा

कंपनी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्याख्या: इस लेख में 'संयुक्त रूप से कार्य करना' शब्दों का उपयोग किया गया है

इसका मतलब होगा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा

न्यास मिलकर ऐसे निदेशकों को नामित करेगा। किसी भी अंतर के मामले में, न्यासियों के बहुमत का निर्णय

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन

टाटा ट्रस्ट की जीत होगी। 121. मायने रखता है कि कैसे तय किया गया।

बोर्ड की किसी भी बैठक से पहले के मामले जो आवश्यक हैं निदेशकों के बहुमत द्वारा निर्णय लेने के लिए * की आवश्यकता होगी

नियुक्त निदेशकों के बहुमत का सकारात्मक मत

बैठक में उपस्थित अनुच्छेद 104 बी के अनुसार और

वोट की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक कास्टिंग होगी वोट करें। '

** 121 ए. निम्नलिखित मामलों का समाधान किया जाएगा -

निदेशक मंडल:

(क) एक पंचवर्षीय रणनीतिक योजना जिसमें एक मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। कंपनी के प्रस्तावित रणनीतिक मार्ग, व्यवसाय और

निवेश के अवसर, प्रस्तावित व्यवसाय और निवेश

पहल और समान रूप से स्थित एक तुलनात्मक विश्लेषण

धारक कंपनियाँ, और ऐसी रणनीतिक योजना में कोई भी परिवर्तन।

(ख) एक वार्षिक व्यवसाय योजना जिसका एक हिस्सा बनने के लिए संरचित किया गया है

रणनीतिक योजना, जिसमें प्रस्तावित निवेश शामिल होना चाहिए,

अनुपात, कंपनी का अनुमानित नकदी प्रवाह और ऐसी वार्षिक व्यावसायिक योजना में कोई भी परिवर्तन " (ग) किसी भी ऋण या अन्य ऋण का वहन या नवीनीकरण।

कंपनी द्वारा, जो ऋण या उधार का कारण बनता है

कंपनी का संचयी बकाया ऋण दोगुना से अधिक होगा

इसका निवल मूल्य या जो ऋण/उधार उस समय लिया जाता है/नवीनीकृत किया जाता है जब कंपनी का संचयी बकाया ऋण

पहले से ही नहीं तो अपनी कुल संपत्ति से दोगुना पहले ही पार कर चुका है। वार्षिक व्यापार योजना के हिस्से के रूप में अनुमोदित; टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(घ) प्रतिभूतियों में कंपनी द्वारा कोई प्रस्तावित निवेश,

शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, वित्तीय साधन,

रुपये से अधिक मूल्य की कोई भी प्रकार की या अचल संपत्ति। 100 वार्षिक व्यवसाय के हिस्से के रूप में यदि पहले से स्वीकृत नहीं है तो करोड़

योजनाएँ;

(ई) अधिकृत, अभिदान, जारी या भुगतान में कोई वृद्धि कंपनी की अप कैपिटल और कंपनी का कोई निर्गम या आवंटन

कंपनी द्वारा शेयर (चाहे अधिकार के आधार पर या

अन्यथा);

(च) कोई बिक्री या गिरवी, बंधक या अन्य बोझ या

कंपनी द्वारा किसी भी टाटा कंपनी में या किसी भी हिस्से में अपनी हिस्सेदारी पर किसी भी अधिकार या ब्याज का सृजन

यदि पहले से ही वार्षिक व्यवसाय के हिस्से के रूप में अनुमोदित नहीं है

योजनाएँ;

(छ) टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला। कंपनी में या टाटा ट्रस्ट को दिए गए अधिकार

कंपनी के लेखों या शेयरधारिता द्वारा

किसी भी टाटा कंपनी में कंपनी यदि पहले से ही अनुमोदित नहीं है

वार्षिक व्यापार योजना का हिस्सा;

(ज) आम तौर पर कंपनी के मतदान अधिकारों का प्रयोग

की धारा 113 (1) (ए) के तहत कंपनी का प्रतिनिधि की आम बैठक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013

ऐसी टाटा कंपनी का कोई उपक्रम या व्यवसाय, इस तरह के प्रतिनिधि को निर्देश कि कैसे प्रयोग किया जाए

कंपनी के मतदान अधिकार।

व्याख्या: इस लेख में "टाटा कंपनी" शब्द का उपयोग किया गया है।

जैसा कि संदर्भ में अपेक्षित है, 4 में से प्रत्येक या किसी एक का अर्थ होगा।

निम्नलिखित कंपनियों के [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड , टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स

लिमिटेड, टाटा कैपिटल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड, द इंडियन होटल्स

कंपनी लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र)

लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, टाटा

कम्युनिकेशंस लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड और इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड और कोई अन्य कंपनी जिसमें कंपनी

(या इसकी सहायक कंपनियां) चुकता शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक रखती हैं और जिनका नाम अनुच्छेद 104 बी के तहत नामित निदेशकों द्वारा कंपनी को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाता है।

19.3 लेकिन 12.01.2018 दिनांकित एक ज्ञापन के माध्यम से, शिकायतकर्ता कंपनियों ने पैराग्राफ 153 (एम) में मांगी गई राहत को इस हद तक सीमित कर दिया:

((i) न्यासों द्वारा नामित अधिकांश निदेशकों के सकारात्मक मतदान की आवश्यकता, जिनमें से अधिकांश -

शेयरधारकों को हटा दिया जाता है;

((ii) याचिकाकर्ता आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे।

उत्तरदाता संख्या 1 के निदेशक मंडल में;

((ग) याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के निदेशक मंडल द्वारा गठित सभी समितियों में प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे।

और

((iv) संघ के अनुच्छेदों में तदनुसार संशोधन किया जाए।

19.4 इसलिए, शिकायतकर्ता कंपनियों द्वारा वास्तव में उस अनुच्छेद को हटाने की मांग की गई थी जिसके लिए सकारात्मक की आवश्यकता थी।

दोनों न्यासों द्वारा नामित अधिकांश निदेशकों का मतदान का अधिकार। आर. एन. टी. और न्यास के नामित निदेशकों को पहले से कोई निर्णय लेने से रोकने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। 19.5 वास्तव में, शिकायतकर्ता कंपनियां भी एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दी गई राहत से खुश नहीं हैं। पैराग्राफ 4 में दी गई तालिका में

C.A.No में उनका अपील ज्ञापन। 2020 का 1802, शिकायतकर्ता कंपनियाँ स्वयं इस प्रकार दी गई राहत में संशोधन की मांग करती हैं। यह तालिका C.A.No में अपील के आधार ज्ञापन के पैराग्राफ 4 के नीचे पाई गई है। 2020 का 1802 इस प्रकार है:

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

एल. डी. द्वारा दी गई राहत। एन. सी. एल. ए. टी. राहत जो होनी चाहिए थी

एल. डी. द्वारा दिया गया। रोशनी में NCLAT

प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों और

राहत की मांग की

चरम पर पहुँचने वाले लेखों का दुरुपयोग

आर-11 को हटाने में

दिशा नहीं होनी चाहिए

आर-2 और टाटा ट्रस्ट के नामांकित व्यक्ति i.

निर्णय लेने से बचना चाहिए

केवल नामित व्यक्ति के खिलाफ रहे

बोर्ड की बैठकों से पहले और

टाटा ट्रस्ट और आर-2 लेकिन

न्यासियों के विरुद्ध

टाटा संस की शेयरधारक बैठकें।

बहुसंख्यक शेयरधारक जो

भले ही बोर्ड में नहीं

टाटा सन्स हस्तक्षेप कर रहा था

निर्णय लेने के साथ

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

निदेशक, और इसलिए,

राहत मिलनी चाहिए थी

सभी के खिलाफ दिया गया

टाटा ट्रस्ट के न्यासी।

आगे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

ii.

इस तरह का हस्तक्षेप किया जा रहा था

अस्तित्व के आधार पर

अनुच्छेद के तहत सकारात्मक मतदान

121 , यह पूरी तरह से होगा

एक बोर्ड के लिए असंगत

प्रबंधित कंपनी यदि प्रत्येक

निर्णय

की आवश्यकता

है

नामांकित निदेशक और टाटा

बेटों लगभग एक बन जाएगा

बहुसंख्यक शेयरधारक प्रबंधित

बोर्ड के बजाय कंपनी

प्रबंधित कंपनी

के रूप में

अनुच्छेद के तहत विचार किया गया

122 (बी)। अनुच्छेद 121 ए

लेख कुछ क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हैं

जहाँ बहुमत की सहमति

शेयरधारक आवश्यक था

दिया जाना चाहिए था

प्रयोज्यता को सीमित करना था

सकारात्मक मतदान के लिए

टाटा ट्रस्ट के नामांकित व्यक्ति

इसके अंतर्गत आने वाले मामले

अनुच्छेद 121 ए और एक समान

नामांकित व्यक्ति को सम्मानित किया

गया

अल्पसंख्यक के निदेशक

शेयरधारक-एसपी समूह।

19.6 लेकिन इस तथ्य के लिए कि शिकायतकर्ता कंपनियाँ भी एक अपील के साथ आई हैं, हम आर. एन. टी. और नामित निदेशकों के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित प्रतिबंध के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर देते कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी। अब जब एस. पी. समूह राहत को बढ़ाने या संशोधित करने की मांग करते हुए एक अपील लेकर आया है

मान लीजिए, हम सकारात्मक मतदान अधिकारों की चुनौती से निपटेंगे।

सकारात्मक मतदान अधिकार

बोर्ड में निदेशकों की प्रचलित संख्या, जब तक कि न्यास के पास कुल मिलाकर, चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत स्वामित्व और स्वामित्व है। अनुच्छेद 121 में प्रावधान है कि जिन मामलों को निदेशकों के बहुमत द्वारा तय करने की आवश्यकता होती है, उन्हें अनुच्छेद 104 बी के तहत नियुक्त निदेशकों के बहुमत के सकारात्मक वोट की आवश्यकता होगी। 19.8 अनुच्छेद 121 ए में निदेशक मंडल द्वारा हल किए जाने वाले मामलों की सूची है। इसमें शामिल वस्तुओं में से एक है "कंपनी में टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी को प्रभावित करने वाला कोई भी मामला।

19.9 जैसा कि अनुच्छेद 4 के तहत तालिका से देखा गया है

C.A.No में एस. पी. समूह द्वारा दायर अपील का ज्ञापन। 2020 के 1802 में, वे अब भी सकारात्मक मतदान अधिकारों को समाप्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एस. पी. समूह ने अपने ज्ञापन दिनांक 12.01.2018 के माध्यम से सकारात्मक मतदान अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद को हटाना चाहते थे। लेकिन C.A.No में उनकी अपील के ज्ञापन के पैराग्राफ 4 के तहत तालिका के अनुसार। 2020 का 1802, शिकायतकर्ता कंपनियों ने अब सकारात्मक मतदान अधिकारों की अनिवार्यता के साथ खुद को सुलझा लिया है, लेकिन वे केवल यह चाहते हैं कि सकारात्मक मतदान अधिकार की प्रयोज्यता अनुच्छेद 121 ए के तहत आने वाले मामलों तक ही सीमित रहे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता कंपनियां चाहती हैं कि एस. पी. समूह के नामित निदेशकों को भी इसी तरह का सकारात्मक अधिकार प्रदान किया जाए।

"सकारात्मक मतदान अधिकारों की आवश्यकता" को हटाने के लिए, 12.01.2018 दिनांकित ज्ञापन द्वारा उनकी राहत को सीमित कर दिया गया। लेकिन अब वे बहुमत के लिए सकारात्मक मतदान अधिकारों के अस्तित्व के साथ ठीक हैं अनुच्छेद 121 ए के अंतर्गत आने वाले मामले, लेकिन एस. पी. समूह के नामित निदेशकों के पक्ष में समान अधिकार चाहते हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

19.11 एस. पी. समूह ने बार-बार जो रुख बदला है और अब वे जो राहत चाहते हैं, उससे संदेह पैदा होता है कि क्या यह वास्तव में सिद्धांतों पर लड़ाई है। यदि सकारात्मक मतदान के अधिकार सिद्धांत रूप में खराब हैं, तो हम नहीं जानते कि वे कैसे अच्छे हो सकते हैं, अगर एस. पी. समूह को भी प्रदान किया जाए। 19.12 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135,149,151,161 166 और 177 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, एसपी की ओर से यह तर्क दिया गया था

समूह कि 2013 के आगमन के बाद कानून में एक समुद्री परिवर्तन हुआ है

अधिनियम और यह कि आज 'कॉर्पोरेट' से एक आदर्श बदलाव हुआ है

बहुमत/लोकतंत्र 'से' निगमित शासन 'और बोर्ड की प्रत्येक कार्रवाई को निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरना होता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि निदेशकों के पास उच्चतम स्तर के कर्तव्य के साथ एक प्रत्ययी जिम्मेदारी होती है और इसे आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। एस. पी. समूह के अनुसार, निदेशक, एक बार नियुक्त होने के बाद, केवल कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, न कि अपने नामांकित व्यक्तियों के प्रति। 19.13 पहली नज़र में, ये तर्क, जो लगभग रोमांटिक आदर्शवाद की सीमा पर हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन एक गहरी जांच पर, वे जमीन पर उतरने के लिए बाध्य हैं। यदि हम निगमित उद्यमों के विकास के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि 3 समय अवधि हैं जिनके माध्यम से निगमित संस्थाओं का विकास हुआ है। पहली अवधि में, बड़े कॉर्पोरेट घरानों की स्थापना व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के धन से की गई थी

और उन व्यक्तियों और उनके परिवारों ने इन उद्यमों के स्वामित्व और प्रबंधन दोनों को नियंत्रित किया। दूसरी अवधि में, जब

व्यावसायिकता 'तारक मंत्र' बन गया, जिन परिवारों ने उद्यमों को बढ़ावा दिया, स्वामित्व बनाए रखा, लेकिन शो चलाने के लिए पेशेवर प्रबंधकों को नियुक्त किया। इस प्रकार स्वामित्व प्रबंधन से अलग हो गया। तीसरी अवधि में, सार्वजनिक मुद्दों और सूचीकरण के माध्यम से सामाजिक भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई। इससे निगमित संस्थाओं की सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई। हर बार एक ऐतिहासिक

स्थानांतरण/परिवर्तन हुआ, कानूनी शासन को एक परिवर्तन से गुजरना पड़ा, हालांकि घोंघे की गति से।

19.14 वास्तव में, कंपनी अधिनियम, 1956 में 24 संशोधन हुए। प्रमुख संशोधन पहले 1988 में और फिर

2002 , क्रमशः सच्चर की सिफारिशों के आधार पर

इराडी समिति की समिति और रिपोर्ट। 4 अगस्त, 2004 को कंपनी कार्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कंपनी कानून पर एक अवधारणा पत्र प्रकाशित किया, जिसके बाद सरकार ने डॉ. जे. जे. ईरानी 20 की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। का आदेश 20 संयोग से जे. जे. ईरानी कुछ समय के लिए टाटा संस के अध्यक्ष थे।

समिति को कुछ मुद्दों पर सिफारिशें करनी थीं, जिनमें से एक "छोटे निवेशकों सहित हितधारकों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना" था। इस समिति की रिपोर्ट को कंपनी विधेयक, 2009 में परिवर्तित कर दिया गया, जो बाद में कंपनी विधेयक, 2011 और फिर कंपनी अधिनियम, 2013 बन गया।

19.14 यह सच है कि 2013 का अधिनियम बहुत सारे बड़े बदलाव लाया। 2013 के अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक निदेशक होना आवश्यक है।

जो पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिनों की कुल अवधि के लिए भारत में रहा हो।

((ii) प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई होना आवश्यक है। (iii) कुछ सार्वजनिक कंपनियों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता होती है।

((iv) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को एक घोषणा देनी चाहिए।

बोर्ड की पहली बैठक में कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

कुछ प्रकार की सार्वजनिक कंपनियों की आवश्यकता होती है -

(v)

कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करें।

((vi) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने जाने के लिए एक छोटे शेयरधारकों के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है।

(vii) निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण शामिल होना चाहिए, जिसमें लेखा मानकों, लेखा नीतियों और लेखा अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित कुछ पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) कंपनी के निदेशक कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जैसे कि सद्भावना से कार्य करने का कर्तव्य, उचित देखभाल करने का कर्तव्य, कौशल परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय आदि।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता अनुसूची IV में निर्धारित की गई है। इसमें पेशेवर आचरण, भूमिकाओं और कार्यों और कर्तव्यों के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

(x) स्वतंत्र निदेशकों का इस्तीफा या निष्कासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(xi) स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है और वे इस बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करने के हकदार हैं। वे कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा भी कर सकते हैं और सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन कर सकते हैं।

प्रबंधन और बोर्ड के बीच।

(xii) कुछ कंपनियों के निदेशक मंडल के लिए कुछ समितियों की आवश्यकता होती है जैसे (1) लेखा परीक्षा समिति; (2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति और (3) हितधारक संबंध समिति।

(xiii) कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट के साथ कुछ कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड शामिल किया जाना है।

(xiv) कंपनी अधिनियम, 2013 के आने के बाद, SEBI विनियमों में भी संशोधन किया गया, जिसमें खंड 49 को शामिल किया गया।

निगमों के साथ अनुपालन को लागू करने के लिए सूचीबद्धता समझौता

शासन मानक।

19.15 लेकिन यह याद रखना चाहिए कि के तहत बदलाव

कंपनी अधिनियम, 2013 सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर केंद्रित है। धारा 149 (4) के तहत निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता केवल प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी पर लागू होती है। धारा 151 के तहत एक होने की आवश्यकता

19.16 जहां तक टाटा संस का संबंध है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित प्रतिबंध जारी हैं जो धारा 2 (68) के तहत अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर इसे एक निजी कंपनी बनाएं। इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए प्रावधान टाटा संस पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी टाटा संस के पास कई लोगों से भरा एक बोर्ड है जो

वे बाहरी श्रेणी में हैं। अगर विचार टाटा संस को विशुद्ध रूप से एक परिवार के रूप में चलाने का था

आर. एन. टी. को अध्यक्ष पद से हटने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी किसी भी पद से इस्तीफा नहीं देना चाहता है, सिवाय इसके कि वह [2021] 12 एस. सी. आर. से पीड़ित हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्रेन स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। जैसा कि हमने दलीलों से देखा है, टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा (1839-1904) ने की थी। इसे पहली बार 1868 में एक निजी व्यापारिक फर्म के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में

धारा 2 (13) के तहत 8.11.1917 पर एक निजी कंपनी के रूप में निगमित

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से। यह केवल 1965 में था जब एस. पी. समूह ने श्रीमती रोडाबेह साहनी नामक टाटा संस के एक सदस्य से 48 वरीयता शेयर और 40 इक्विटी शेयर हासिल किए थे। सीपीएम के पिता श्री पालोनजी मिस्त्री को एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। 25.06.1980 , हालांकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने एस. पी. समूह को निदेशक का कोई अधिकार नहीं दिया। उन्होंने दिसंबर, 2004 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, सीपीएम को 10.08.2006 पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 1868 में टाटा समूह की स्थापना के बाद से, केवल छह व्यक्ति समूह के अध्यक्ष बने हैं। जबकि उनमें से पाँच नाम जमशेदजी टाटा, सर दोराब टाटा, नौरोजी सकलतवाला, जे. आर. डी. टाटा और रतन टाटा एक ही परिवार से थे, छठे व्यक्ति अर्थात् सी. पी. एम. को 18.12.2012 के प्रस्ताव द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया था। उक्त नियुक्ति से पहले, सीपीएम की पहचान एक चयन द्वारा की गई थी

19.17 यदि निगमित प्रशासन से संबंधित तर्क की तथ्य के संदर्भ में सावधानीपूर्वक जांच की जाती है: ((i) कि एक बड़ा औद्योगिक घर जिनकी उत्पत्ति और सृजन पारिवारिक था, वे पूरे साम्राज्य का नेतृत्व सीपीएम (परिवार के लिए एक बाहरी व्यक्ति) जैसे व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार थे; और (ii) आरएनटी के उत्तराधिकारी के रूप में सीपीएम की पहचान दो टाटा ट्रस्टों के उन्हीं नामांकित व्यक्तियों

(जिन पर अब हस्तक्षेप का आरोप है) द्वारा की गई थी, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि टाटा समूह कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत (यहां तक कि एक वैधानिक मजबूरी के बिना) द्वारा निर्देशित था, न कि समूह के मामलों के प्रबंधन पर सख्त नियंत्रण द्वारा।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

19.18 धारा 135,149,151,166 और 177 के प्रावधान जिनके इर्द-गिर्द निगमित शासन से संबंधित तर्क की कल्पना की गई है, नहीं कर सकते हैं। एसपी समूह के मामले को आगे बढ़ाएँ। धारा 135 निगमित से संबंधित है।

सामाजिक उत्तरदायित्व, जो किसी भी मामले में इस कंपनी में इस तथ्य के कारण अधिक स्पष्ट है कि धर्मार्थ न्यासों के पास अधिकांश शेयर हैं। धारा 149 निदेशक होने की आवश्यकता से संबंधित है, धारा 151 छोटे शेयरधारकों द्वारा चुने गए निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रदान करती है, धारा 166 निदेशकों के कर्तव्यों की गणना करती है और धारा 177 और 178 कुछ समितियों की बात करती है। इनमें से कुछ प्रावधान जैसे कि धारा 151,177 और 178 केवल सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होते हैं। फिर भी, टाटा संस ने आवश्यक समितियों का गठन करके धारा 177 और 178 का पालन किया है।

19.19 यह तर्क दिया गया था कि एक कंपनी के निदेशक को सभी हितधारकों के लाभ के लिए कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना से कार्य करना है और वह कंपनी की तुलना में न्यासी क्षमता में है। S.P.Group के अनुसार सकारात्मक मतदान अधिकार अक्षम हैं।

नामित निदेशकों को कंपनी और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में स्वतंत्र रूप से कार्य करने से और एक बार नियुक्त होने के बाद, नामित निदेशकों की वफादारी कंपनी के प्रति होनी चाहिए, न कि केवल उन न्यासों के प्रति जो उन्हें नामित करते हैं। यह आगे तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 121,121 ए और 122 के तहत, टाटा संस को एक बोर्ड प्रबंधित कंपनी होना था और यह कि अनुच्छेद 121 के तहत प्रदत्त सुरक्षात्मक अधिकारों का उद्देश्य टाटा ट्रस्ट के हितों का ध्यान रखना था, यदि वे एक संगठन बन जाते हैं।

अल्पसंख्यक।

19.20 एस. पी. समूह के अनुसार, पूर्व-परामर्श/पूर्व मंजूरी की आवश्यकता ने निदेशकों को प्रभावी ढंग से कार्य करने से अक्षम कर दिया धारा 166 के तहत उनके प्रत्ययी कर्तव्यों ने धारा 118 (10) के तहत पालन किए जाने के लिए आवश्यक सचिवीय मानकों का उल्लंघन किया और धारा 149 की योजना को निरर्थक बना दिया, जिसमें बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों को स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता होती है।

19.21 लेकिन उपरोक्त सभी विवाद किसी भी विवाद से पूरी तरह से रहित हैं।

सार, क्योंकि वे एक बुनियादी तथ्य को नजरअंदाज करते हैं, अर्थात् टाटा संस किसी भी विनिर्माण गतिविधि या किसी भी व्यापारिक गतिविधि में लगी कंपनी नहीं है। उन दलीलों के अनुसार, जिन पर कोई विवाद नहीं है, टाटा संस एक प्रमुख निवेश होल्डिंग कंपनी है और टाटा कंपनियों की प्रवर्तक है। टाटा संस का टाटा समूह की सभी परिचालन कंपनियों में नियंत्रण हित है। प्रधान निवेश होल्डिंग कंपनी होने के अलावा, टाटा संस अपने आप में किसी भी प्रत्यक्ष व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।

क्या धारा 149 (4) में दिया गया पर्चा एक मौन स्वीकृति है कि धारा 152 (2) के तहत एक आम बैठक में नियुक्त सभी निदेशक व्यवहार में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, हालांकि उन्हें सिद्धांत रूप में ऐसा करने की आवश्यकता हो सकती है।

19.24 धर्मार्थ न्यास द्वारा नामित व्यक्ति, उस कंपनी में निदेशक होने के लिए जिसमें न्यास के शेयर हैं, एक न्यासी भी रखता है।

न्यास के साथ संबंध और अनाम लोगों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य,

उन न्यासों के बिना चेहरे वाले लाभार्थी। जैसा कि हमने अन्यत्र बताया है, निगम जगत के विकास का इतिहास दर्शाता है कि यह (i) पारिवारिक से (ii) संविदात्मक और प्रबंधकीय (iii) सामाजिक जवाबदेही और जिम्मेदारी के शासन की ओर बढ़ गया है। यही कारण है कि धारा 166 (2) पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक निदेशक के कर्तव्य के बारे में भी बात करती है, इसके अलावा (i) अपने सदस्यों के लाभ के लिए कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देना; और (ii) कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों और समुदाय के सर्वोत्तम हित में कार्य करना। यह सर्वविदित है कि कुछ उद्योग जो अपने शेयरधारकों और कर्मचारियों की अच्छी देखभाल करते हैं, वे भी प्रदूषणकारी उद्योग चलाते हैं।

इसलिए हमेशा एक टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v होती हैं। सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

संघर्ष, प्रतिस्पर्धी हितों और कानूनों के बीच रस्साकशी इन संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल नहीं कर सकती है। 19.25 कंपनियों में अधिकांश शेयर रखने वाले संस्थानों के नामांकित व्यक्तियों के लिए सकारात्मक मतदान अधिकार को हमेशा एक वैश्विक मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। वास्तव में संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 121 द्वारा प्रदत्त सकारात्मक मतदान अधिकार, अनुच्छेद के तहत न्यासों द्वारा नियुक्त निदेशकों को केवल एक सीमित अधिकार प्रदान करते हैं।

104 बी. अनुच्छेद 121 केवल उस तरीके के बारे में बताता है जिसमें बोर्ड की किसी भी बैठक से पहले मामलों का निर्णय लिया जाएगा। यदि यह टाटा संस की आम बैठक है, तो दोनों न्यासों के प्रतिनिधियों का वास्तव में अधिक योगदान होगा क्योंकि टाटा संस में न्यासों के 66 प्रतिशत शेयर हैं। इसलिए, यदि हम धारा 152 (2) को सख्ती से लागू करते हैं, तो जिन न्यासों के पास टाटा संस की चुकता पूंजी का 66 प्रतिशत हिस्सा है, वे निदेशक के रूप में अपने लोगों के साथ बोर्ड को पैक करने के हकदार होंगे। लेकिन अनुच्छेद 104 बी के तहत, दोनों न्यासों को केवल एक न्यूनतम गारंटी प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित करके कि न्यासों के पास उनके द्वारा नामित कम से कम एक तिहाई निदेशक होंगे, जब तक कि वे चुकता शेयर पूंजी के कुल में 40 प्रतिशत रखते हैं।

19.26 कंपनी अधिनियम की धारा 43 (जो 1956 के अधिनियम की धारा 86 के समतुल्य है), शेयरों द्वारा सीमित कंपनी की दो प्रकार की शेयर पूंजी को मान्यता देती है। वे हैं (i) इक्विटी शेयर पूंजी; और (ii) वरीयता शेयर पूंजी। फिर से इक्विटी शेयर पूंजी दो प्रकार की हो सकती है, अर्थात् (i) जिनके पास मतदान का अधिकार है; और (ii) जिनके पास लाभांश, मतदान या अन्यथा ऐसे नियमों के अनुसार अंतर अधिकार हैं जो निर्धारित किए जाएं।

19.27 2013 के अधिनियम की धारा 47 (1) (बी) (1956 के अधिनियम की धारा 87 (1) (बी) के समतुल्य) में घोषणा की गई है कि शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्य के अधिकार, भुगतान में उसके हिस्से के अनुपात में होंगे।

2013 अधिनियम की धारा 43, धारा 50 (2) और धारा 188 (1) के प्रावधान। धारा 43,50 (2) और 188 (1) के तहत प्रतिबंध क्रमशः (i) अंतर मतदान अधिकारों के साथ शेयर; (ii) मतदान अधिकारों के लिए अयोग्यता, एक सदस्य जिसने अवैतनिक शेयर पूंजी का भुगतान नहीं किया है; और (iii) किसी संबंधित पक्ष के साथ कंपनी द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए एक सदस्य की अयोग्यता।

19.28 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 (1) के तहत,

एसोसिएशन के लेख कंपनी और उसके सदस्यों को उसी हद तक बांधते हैं जैसे कि उन पर क्रमशः कंपनी [2021] 12 एस. सी. आर. द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

और प्रत्येक सदस्य द्वारा। हालाँकि, यह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।

19.29 टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुच्छेद 94 में है

प्रत्येक सदस्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो या छद्म रूप से, कंपनी की चुकता पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होगा। इसलिए, एक शेयरधारक या शेयरधारकों का एक समूह जो बहुमत का गठन करता है, हमेशा सकारात्मक मतदान को आरक्षित करके ड्राइविंग सीट पर रहने की कोशिश कर सकता है। अधिकार। जब तक इन विशेष अधिकारों को संघ के अनुच्छेदों में शामिल किया जाता है और जब तक वे अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, तब तक इन आधारों पर उन पर हमला नहीं किया जा सकता है।

19.30 एक निदेशक के कर्तव्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले तर्क पर आते हुए, यह आवश्यक है कि हम कंपनी, उसके कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए धारा 166 (2) के तहत एक निदेशक के कर्तव्य को संतुलित करें।

शेयरधारक, समुदाय और पर्यावरण की सुरक्षा, एक संस्थान द्वारा नामित निदेशक के कर्तव्यों के साथ, जिसमें एक सार्वजनिक संगठन भी शामिल है। धर्मार्थ न्यास। उनका 2 कंपनियों के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य है, जिनमें से एक वह शेयरधारक है जिसने उन्हें नामित किया है और दूसरा वह कंपनी है जिसके बोर्ड में उन्हें नामित किया गया है। यदि इसे समझा जाता है, तो सकारात्मक मतदान अधिकारों की वैधता के बारे में कोई भ्रम नहीं होगा। धारा 166 (2) के तहत जो निर्धारित किया गया है वह निजी हित और सार्वजनिक हित का एक संयोजन है। लेकिन एक धर्मार्थ न्यास द्वारा नामित निदेशक के लिए जो आवश्यक है वह शुद्ध, बिना मिलावट वाला सार्वजनिक हित है। इसलिए, सकारात्मक मतदान अधिकारों की वैधता के बारे में कुछ भी घृणित नहीं है।

19.31 वोडाफोन में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए

इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2 1, यह तर्क दिया गया था कि एक अल्पसंख्यक निवेशक के पास "सहभागी अधिकार हैं, जो सुरक्षात्मक अधिकारों का एक उप-संप्रदाय है" और ये सहभागी अधिकार अल्पसंख्यकों को नियंत्रक शेयरधारक द्वारा संचालन या परिसंपत्तियों के समेकन की धारणा को दूर करने में सक्षम बनाते हैं।

19.32 लेकिन वोडाफोन (ऊपर) में निर्णय पूरी तरह से अलग संदर्भ में हुआ। यह केमैन द्वीप समूह में कर उद्देश्यों के लिए एक कंपनी निवासी की शेयर पूंजी की बिक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के संबंध में एक कर विवाद था, इस आधार पर कि यह अंतर्निहित भारतीय संपत्ति रखता था। यह उस संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने स्वतंत्र का विश्लेषण किया

21 (2012) 6 एस. सी. सी. 613 टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कंपनियाँ और मूल कंपनी द्वारा निर्देशित नहीं की जानी चाहिए यदि यह सहायक कंपनियों के हित में नहीं है। 19.33 निर्णय पुन:: नीथ रग्बी लिमिटेड 22 और सेंट्रल बैंक ऑफ इक्वाडोर और अन्य बनाम कॉन्टिकॉर्प एसए और अन्य

(बहामास) 2,3, पर यह दिखाने के लिए भरोसा किया जाता है कि जबकि एक नामित निदेशक नामांकित व्यक्ति के हितों का ध्यान रखने का हकदार है, वह कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और अपने विवेक को बाधित नहीं करता है।

19.34 सवाल यह है कि (i) कंपनी के हित में क्या है, (ii) कंपनी के सदस्यों के हित में क्या है।

पूर्ण और (iii) जो एक नामांकित व्यक्ति के हित में है, वे सभी उन स्थानों पर स्थित हैं जिनकी सीमाएँ और विभाजन रेखाएँ हमेशा धुंधली होती हैं। यदि दार्शनिक बयानबाजी को एक पल के लिए अलग रखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सफलता और लाभ कमाना व्यावसायिक उद्यमों के मूल में हैं। इसलिए, बहुसंख्यक शेयरधारकों का सर्वोत्तम हित अनिवार्य रूप से अल्पांश के हित या समग्र रूप से कंपनी के सदस्यों के सर्वोत्तम हित के साथ टकराव में नहीं होना चाहिए, जब तक कि इसमें हेराफेरी या हेरफेर न हो। इस तरह का सवाल तब नहीं उठता जब अधिकांश शेयरधारक परोपकारी गतिविधियों में लगे धर्मार्थ न्यास होते हैं। यह कामना करना अच्छा है कि सृष्टि निर्माता से मुक्त हो जाए, जब तक कि निर्माता के पास हेरफेर करने का कोई नियंत्रण या क्षमता न हो। में

निगमित जगत में, निदेशकों की नियुक्ति के लिए उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करने के बाद, लोकतंत्र को एक भद्दी अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

19.35 पूर्व-परामर्श और पूर्व-परामर्श के बारे में बहुत कुछ बताया गया था

बोर्ड द्वारा निर्णय लेने से पहले ही न्यासियों द्वारा मंजूरी। लेकिन ऐसा था।

वास्तव में कुछ भी नहीं। जब भी कोई संस्थान एक होता है

शेयरधारक और बोर्ड या बोर्ड में से किसी एक की बैठक की सूचना

सामान्य निकाय जारी किया जाता है, संस्था के लिए आगामी बैठक में उनके द्वारा लिए जाने वाले रुख के बारे में एक विचार होना सामान्य है।

19.36 आर. एन. टी. द्वारा कार्यवृत्त की जांच करने के बारे में आपत्तियाँ उठाई गईं

बोर्ड की कार्योत्तर बैठकें और एक छाया के रूप में उनकी भागीदारी निर्देशक। लेकिन जैसा कि हमने कहीं और बताया है, सीपीएम ने खुद मांग की,

22 (2010) बी. सी. सी. 597 23 (2015) यूकेपीसी 11 प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति (यूके)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यकारी अध्यक्ष का पद स्वीकार करते हुए, जारी रखा

आर. एन. टी. का मार्गदर्शन। जब बोर्ड, जिसका सी. पी. एम. अध्यक्ष था,

आर. एन. टी. को मानद अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और देखने की उनकी इच्छा दर्ज की गई

उसके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आगे, यह शिकायतकर्ता के लिए खुला नहीं है

कार्यालय से उसका निष्कासन छाया-मुक्केबाजी में संलग्न हो सकता है उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियाँ, वह उसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकता है

जिन्होंने उन्हें छाया निर्देशक के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में चुना। जिस व्यक्ति ने उसी दरवाजे से प्रवेश किया है, वह पूछे जाने पर इसकी निंदा नहीं कर सकता है। बाहर निकलने के लिए।

19.37 इसलिए, सकारात्मक मतदान अधिकारों के लिए चुनौती

और पूर्व परामर्श और पूर्व मंजूरी के इर्द-गिर्द घूमते आरोप

कार्यसूची में सभी मदों के न्यासों द्वारा और आर. एन. टी. के अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष

बोर्ड पर प्रभाव या पकड़ सभी को अस्वीकार किया जा सकता है। वह छोड़ देता है।

हम एक और संबंधित मुद्दे के साथ, कानून के इस सवाल के तहत और उसी

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए एस. पी. समूह के दावे से संबंधित

बोर्ड। अब हम उसी पर जाएँगे।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए दावा

19.38 जैसा कि हमने कहीं और बताया है, क़ानून इस बात को स्वीकार करता है कि

47 (1) (बी)। धारा 152 जिसमें नियुक्ति के लिए प्रावधान हैं - निदेशकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है

किसी भी कंपनी का बोर्ड, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी।

19.39 अधिकतम सीमा, जिस पर संसद गई है

2013 के अधिनियम के तहत, धारा 151 के तहत एक प्रावधान करना है, जो "एक सूचीबद्ध कंपनी" को इतने छोटे द्वारा चुने गए एक निदेशक के लिए सक्षम बनाता है।

शेयरधारक इस तरह से और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो हो सके निर्धारित किया जाए। यद्यपि अनुभाग में एक समान प्रिस्क्रिप्शन शामिल किया गया था।

252 (1) कंपनी अधिनियम, 1956 के 2000 के अधिनियम 53 के तहत, यह नहीं था

बिल्कुल वैसा ही। आसानी से सराहना के उद्देश्य से, 1956 के अधिनियम की धारा 252 की उप-धारा (1) और अधिनियम की धारा 151

2013 अधिनियम को एक सारणीबद्ध स्तंभ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

1956 अधिनियम

2013 अधिनियम

धारा 252। न्यूनतम संख्या

धारा 151। की नियुक्ति

निदेशकों से। - (1) प्रत्येक सार्वजनिक

छोटे द्वारा चुने गए निदेशक

शेयरधारक। - ए ए सूचीबद्ध

सार्वजनिक कंपनी के अलावा अन्य कंपनी कंपनी जो ऐसी बन गई है

कंपनी में एक निदेशक हो सकता है

इतने छोटे से चुने गए

धारा 43 क के आधार पर

इस तरह से शेयरधारक

कम से कम तीन निदेशक:

(बशर्ते कि एक सार्वजनिक कंपनी

और ऐसी शर्तों के साथ और

शर्तें जो निर्धारित की जाएं।

होने पर, -

((a) पाँच की चुकता पूँजी

स्पष्टीकरण। उद्देश्यों के लिए

करोड़ रुपये या उससे अधिक;

(ख) इस खंड का एक हजार या उससे अधिक "छोटा"

छोटे शेयरधारक,

शेयरधारकों "

मतलब

ए

के शेयरधारक द्वारा चुना गया निदेशक हो सकता है

ऐसे छोटे शेयरधारक जिनका नाममात्र मूल्य इससे अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण। इस प्रयोजन के लिए अन्य राशि जो निर्धारित की जाए। इस उपखंड का "छोटा"

शेयरधारकों "

मतलब

ए

शेयरधारकों की हिस्सेदारी

बीस का नाममात्र मूल्य

एक में हजार रुपये या उससे कम सार्वजनिक कंपनी जिसके लिए यह

अनुभाग लागू होता है।

19.40 1956 के अधिनियम में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण विशेषताएं और

2013 का अधिनियम इस प्रकार है: (i) कि 1956 के अधिनियम की धारा 252 प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी पर लागू थी, लेकिन उस सार्वजनिक कंपनी पर लागू नहीं थी जो सार्वजनिक कंपनी बन गई है।

धारा 43 ए के आधार पर, जो इस प्रकार इंगित करता है कि उसके पास नहीं होगा

टाटा संस को कोई आवेदन था; (ii) इसके विपरीत, 2013 अधिनियम की धारा 151 केवल सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होती है; (iii) 1956 के अधिनियम की धारा 252 (1) के प्रावधान को लागू करने के लिए, सार्वजनिक कंपनी के पास 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी और 1000 या उससे अधिक छोटे शेयरधारक होने चाहिए; (iv) इसके विपरीत 2013 के अधिनियम की धारा 151 की प्रयोज्यता चुकता पूंजी या छोटे शेयरधारकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है; और (v) कि "छोटे शेयरधारक" शब्द की परिभाषा दोनों अधिनियमों के तहत बिल्कुल समान है।

19.41 यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि छोटेपन की कल्पना की गई है

1956 एक्ट लगभग छोटा है। 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी में कोई व्यक्ति केवल तभी एक छोटा शेयरधारक बनने के योग्य होगा जब उसके पास 1,000 रुपये या उससे कम के नाममात्र मूल्य के शेयर हों। यह अनुपात 1/2500 या 0.04% तक काम करता है।

19.42 इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1956 के अधिनियम की धारा 252 (1) और 2013 के अधिनियम की धारा 151 दोनों के तहत सुर्खियां बनी थीं।

केवल "छोटे शेयरधारकों" पर और "अल्पांश शेयरधारकों" पर नहीं

एस. पी. समूह की तरह जिसकी हिस्सेदारी लगभग 18.37% है। वास्तव में, मार्च 2016 तक एस. पी. समूह की हिस्सेदारी के इस 18.37% का मूल्य लगभग Rs.58,441 करोड़ था। यह दावा किया जाता है कि प्रासंगिक समय पर इन शेयरों की खरीद पर विचार Rs.69 था।

1991 से 2016 की अवधि के दौरान, एस. पी. समूह को कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये का लाभांश मिला था। हम नहीं जानते।

चाहे निवेश पर इस तरह का भारी लाभ और निवेश के मूल्य में वृद्धि का आसमान छू जाना भी दमनकारी आचरण के कारण हो या दमनकारी आचरण के बावजूद।

19.43 जो भी हो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार

1956 के अधिनियम और 2013 के अधिनियम दोनों के तहत एक अल्पसंख्यक शेयरधारक के लिए भी वैधानिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह केवल एक छोटे के लिए उपलब्ध है

शेयरधारक, जो एस. पी. समूह निश्चित रूप से नहीं है। 19.44 एस. पी. समूह के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार संविदात्मक रूप से भी उपलब्ध नहीं है।

19.45 इस तथ्य को महसूस करते हुए कि उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, वैधानिक या संविदात्मक रूप से या अन्यथा बोर्ड, एस. पी. ग्रुप एक बहुत ही नया विचार लेकर आया है, जिसका नाम है टाटा समूह और टाटा समूह के बीच एक अर्ध-साझेदारी के अस्तित्व का दावा।

एसपी समूह। एस. पी. समूह द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एस. पी. समूह के प्रबंधन में रहने वालों और टाटा संस के प्रबंधन में रहने वालों के बीच कई दशकों से व्यक्तिगत संबंध थे और

रिश्ता विश्वास और आपसी विश्वास का था। एस. पी. समूह के अनुसार, उन्होंने टाटा समूह के संरक्षक के रूप में काम किया जब टाटा ट्रस्ट के पास मतदान का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, यह दावा किया जाता है कि टाटा संस के बोर्ड में प्रतिनिधित्व का अधिकार और वैध अपेक्षा है।

19.46 लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी कोई रिश्ता था

अर्ध साझेदारी की प्रकृति। जैसा कि हमने कहीं और बताया है, कंपनी को वर्ष 1917 में निगमित किया गया था और एस. पी. समूह एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड बन गया।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

1965 में शेयरधारक, अर्थात् 50 वर्षों के बाद। सी. पी. एम. के पिता को वर्ष 1980 में ही टाटा संस के बोर्ड में जगह दी गई थी। इसलिए, अभिलेख में अभिवचन या प्रमाण के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि (i) कंपनी के निगमन से पहले एक पूर्व-विद्यमान संबंध था या (ii) साझेदारी की प्रकृति में एक समझौते में प्रवेश करके आधे रास्ते में एक जीवित संबंध में वृद्धि हुई थी।

19.47 वास्तव में, सी. पी. एम. के पिता को शेयरों के अधिग्रहण के 15 वर्षों के बाद 1980 में बोर्ड में शामिल किया गया था और इस तरह का समावेश इसमें नहीं था।

किसी भी वैधानिक या संविदात्मक अधिकार की मान्यता। पिता के जाने के बाद 2004 , सीपीएम को 2006 में शामिल किया गया था, न तो संविदात्मक अधिकार की मान्यता में और न ही वंशानुगत या वैधानिक अधिकार की मान्यता में।

19.48 आनुपातिक प्रतिनिधित्व के दावे को दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है। आर. एन. टी. जो अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल रहे थे

1991 से 2012 तक 21 वर्षों की अवधि के लिए टाटा संस ने वास्तव में सीपीएम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करके एस. पी. समूह को आनुपातिक से अधिक हिस्सेदारी दी। तदनुसार सीपीएम को 16.3.2012 पर कार्यकारी उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष के रूप में भी ताज पहनाया गया। सीपीएम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तब तक बना रहा जब तक कि उन्होंने 2016 में अपने ही घर में आग नहीं लगा दी। यदि कंपनी के कार्य एक तरीके से किए गए हैं या किए जा रहे हैं एस. पी. समूह के

हितों के लिए दमनकारी या पूर्वाग्रहपूर्ण, हमें आश्चर्य होता है कि एस. पी. समूह का एक प्रतिनिधि, जिसकी शेयर पूंजी का 18 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हिस्सा है, अपने शामिल होने के छह साल की अवधि के भीतर शीर्ष स्थान पर कैसे पहुंच सकता था। इसलिए, हमारा विचार है कि बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा न तो सांविधिक रूप से या संविदात्मक रूप से टिकाऊ है और न ही तथ्यात्मक रूप से उचित है।

19.49 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 163 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व वैधानिक रूप से है।

पहचाने जाते हैं। लेकिन यह तर्क पूरी तरह से गलत है। 2013 के अधिनियम की धारा 163 1956 के अधिनियम की धारा 265 से मेल खाती है। यह एक कंपनी को अपने संघ के अनुच्छेदों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार कुल निदेशकों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई की नियुक्ति के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। एकल हस्तांतरणीय वोट। सबसे पहले, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक शेयरधारकों के समूह के लिए बोर्ड में प्रतिनिधित्व के समान नहीं है, उनकी हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुपात में। यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ मतदाता अपनी पसंद के कई उम्मीदवारों को पहली पसंद, दूसरी पसंद आदि के साथ श्रेणीबद्ध करके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, यह केवल एक [2021] 12 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19.50 इसलिए, कानून के चौथे प्रश्न का उत्तर भी टाटा समूह के पक्ष में दिया जाना है और इससे संबंधित प्रति अपील में दावा किया जाना है - सकारात्मक मतदान अधिकार और आनुपातिक प्रतिनिधित्व अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

20. प्रश्न संख्या 5

20.1 विचार के लिए तैयार किया गया कानून का पांचवां सवाल यह है कि क्या टाटा संस का सार्वजनिक कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में रूपांतरण

निजी कंपनी को धारा 14 के तहत आवश्यक अनुमोदन की आवश्यकता थी

कंपनी अधिनियम, 2013 या कम से कम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43-ए (4) के तहत 2000 (जब 2000 का अधिनियम 53 लागू हुआ) से 2013 (जब 2013 अधिनियम लागू किया गया था) की अवधि के दौरान एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा की गई कार्रवाई?

20.2 जैसा कि हमने कहीं और बताया है, टाटा संस को वास्तव में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन माना जाता था कि 01.02.1975 से प्रभावी एक सार्वजनिक सीमित कंपनी बनने के लिए

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43-ए (1ए) के आधार पर। तथापि, उप-धारा (1ए) के परंतुक के आधार पर, कंपनी के संघ के अनुच्छेदों ने 1956 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधानों को बनाए रखना जारी रखा। 20.3 2000 के अधिनियम 53 द्वारा, धारा 43ए में काल्पनिक धारणा को हटा दिया गया था और निजी कंपनियों की पूरी अवधारणा सार्वजनिक हो गई थी।

इस अधिनियम 53 के लागू होने की तारीख से कंपनियां गायब हो गईं।

20.5 09.07.2018 पर, धारा 241 और 242 के तहत शिकायत को NCLT द्वारा खारिज कर दिया गया था और इसलिए टाटा संस ने पंजीयक से संपर्क किया निगमन प्रमाणपत्र में संशोधन की मांग करने वाली 19.07.2018 पर कंपनियों की संख्या। ऐसा प्रतीत होता है कि एस. पी. समूह ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. के साथ आपत्तियां दायर कीं।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

06.08.2018 पर संशोधित प्रमाणपत्र। 20.6 निगमन के संशोधित प्रमाणपत्र के मुद्दे के बारे में पता चलने पर, एस. पी. समूह ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया।

10.08.2018 सुनवाई के लिए आई अपीलों में।

20.7 एन. सी. एल. ए. टी. ने एस. पी. समूह की अपीलों को दिनांक 18.12.2019 के फैसले द्वारा स्वीकार करते हुए कंपनियों के पंजीयक की कार्रवाई की घोषणा की।

कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में दिखाने वाले अभिलेखों में आवश्यक सुधार करने के लिए कंपनी पंजीयक को एक और निर्देश के साथ निगमन के संशोधित प्रमाण पत्र को अवैध के रूप में जारी करने में।

20.8 कंपनियों के पंजीयक ने एक आवेदन प्रस्तुत किया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 420 (2) और 424 (1) को एन. सी. एल. ए. टी. नियम, 2016 के नियम 11 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें फैसले के पैराग्राफ 181,186 और 187 (iv) में की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की जाती है। इस आवेदन को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें न केवल यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कंपनी पंजीयक पर एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले में कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था, जो किसी भी

समीक्षा/स्पष्टीकरण की गारंटी देता है, बल्कि कुछ अतिरिक्त कारण भी प्रदान करता है। इन परिस्थितियों में ही 2000 के अधिनियम 53 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित 1956 के अधिनियम की धारा 43ए के इर्द-गिर्द घूमता कानून का पांचवां प्रश्न विचार के लिए उठा है।

20.9 धारा 43ए पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इसे वास्तव में 1960 के कंपनी (संशोधन) अधिनियम 65 के तहत शामिल किया गया था।

28.12.1960 . इस धारा में दो संशोधन किए गए, एक 1974 के अधिनियम 41 के तहत और दूसरा 1988 के अधिनियम 31 के तहत। अंत में, 2000 के अधिनियम 53 द्वारा, धारा 43ए को 13.12.2000 से लागू नहीं किया गया था।

20.10 धारा 43ए, जैसा कि 1960 के अधिनियम 65 द्वारा 1974 के अधिनियम 41,1988 के अधिनियम 31 और 2000 के अधिनियम 53 के तहत किए गए संशोधनों के साथ जोड़ा गया है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 43ए. निजी कंपनी बनेगी सार्वजनिक कंपनी

कुछ मामले।

(1) इस धारा में अन्यथा दिए गए प्रावधान के अनुसार बचत करें, जहां शेयर पूंजी वाली निजी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का कम से कम पच्चीस प्रतिशत किसी के पास है या

अधिक निगमित निकाय, निजी कंपनी, [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((क) जिस तारीख को और उस तारीख से

प्रतिशत पहले ऐसे निकाय या निगमित निकायों के पास होता है,

या

((ख) जहाँ उपरोक्त प्रतिशत पहले इस प्रकार रहा है।

कम्पनियों के आरंभ होने से पहले आयोजित

(संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 65), समाप्ति पर और उससे

ऐसी तारीख से तीन महीने की अवधि प्रारम्भ जब तक कि उस अवधि के भीतर उपरोक्त

प्रतिशत बीस-पाँच प्रतिशत से कम हो जाता है।

निजी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी,

इस धारा के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी:

बशर्ते कि निजी कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद भी, उसके संघ के लेखों में शामिल हो सकते हैं

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान और इसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकती है या किसी भी समय कम की जा सकती है:

बशर्ते कि उपरोक्त की गणना में

प्रतिशत, में किसी भी हिस्से का हिसाब नहीं लिया जाएगा

किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा धारित निजी कंपनी यदि, लेकिन केवल तभी, जब ऐसे शेयर के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात्:

(अ)

कि हिस्सा

((ग) बैंकिंग कंपनी द्वारा या तो उस न्यास के न्यासी के रूप में या किसी न्यास की ओर से अपने नाम पर रखा जाता है।
उस न्यास का न्यासी;

या

(ख)

कि हिस्सा

((i) मृतक व्यक्ति की संपत्ति का हिस्सा है,

((ii) मृतक व्यक्ति द्वारा वसीयत नहीं की गई है।
किसी भी निगमित निकाय को उसकी वसीयत से, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

(iii) बैंकिंग कंपनी द्वारा मृत व्यक्ति के निष्पादक या प्रशासक के रूप में आयोजित किया जाता है।
या किसी निष्पादक की ओर से अपने नाम पर या

मृतक व्यक्ति के प्रशासक,

उपरोक्त कंपनी, बैंकिंग से किसी भी समय कॉल करें ऐसी पुस्तकें और कागजात जो वह आवश्यक समझता है, उसे साथ रखें।

स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, निकाय

(1 क) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी निजी कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार, चाहे कंपनियों के आरंभ होने पर अस्तित्व में हो

(संशोधन) अधिनियम, 1974, या उसके बाद निगमित, प्रासंगिक अवधि के दौरान, 2 [ऐसी राशि जो निर्धारित की जाए] से कम नहीं है, निजी कंपनी, अपनी चुकता शेयर पूंजी की परवाह किए बिना, उस प्रासंगिक अवधि के अंतिम दिन से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर और उसके बाद बन जाएगी, जिसके दौरान निजी कंपनी के पास उक्त औसत था।

वार्षिक कारोबार, इस उप के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी

खंड:

बशर्ते कि निजी कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद भी, उसके संघ के लेखों में शामिल हो सकते हैं

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान और इसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकती है या किसी भी समय कम की जा सकती है।

(1 ख) जहां किसी सार्वजनिक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, जिसकी शेयर पूंजी हो,

एक निजी कंपनी द्वारा आयोजित किया जाता है, निजी कंपनी,

(क) उस तारीख को और उस तारीख से जिस पर उपरोक्त प्रतिशत पहली बार इसके प्रारंभ होने के बाद रखा जाता है

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974, या

((ख) जहाँ उपरोक्त प्रतिशत पहले इस प्रकार रहा है।

कम्पनियों के आरंभ होने से पहले आयोजित

(संशोधन) अधिनियम, 1974 12 एस. सी. आर. की अवधि की समाप्ति पर और उससे।

ऐसी शुरुआत की तारीख से तीन महीने, जब तक कि उस अवधि के भीतर उपरोक्त प्रतिशत न हो - चुकता हिस्से के पँचिश प्रतिशत से कम कर दिया गया

सार्वजनिक कंपनी की पूँजी,

इस उप-धारा के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है,

और उस पर इस धारा के अन्य सभी प्रावधान उस पर लागू होंगे:

बशर्ते कि निजी कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद भी, उसके संघ के लेखों में शामिल हो सकते हैं

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान और इसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकती है या किसी भी समय कम की जा सकती है।

(1ग) जहाँ कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारंभ के बाद, एक निजी कंपनी एक विज्ञापन द्वारा निमंत्रण दिए जाने के बाद जमा स्वीकार करती है, या नवीनीकरण करती है।

अपने सदस्यों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा, ऐसी निजी कंपनी, उस तारीख को और उस तारीख से, जिस दिन ऐसी स्वीकृति या नवीनीकरण, यथास्थिति, ऐसे प्रारंभ के बाद पहली बार किया जाता है, एक सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी।

कंपनी और उसके बाद इस धारा के सभी प्रावधान उस पर लागू होंगे:

बशर्ते कि निजी कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने के बाद भी, उसके संघ के लेखों में शामिल हो सकते हैं

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान और इसके सदस्यों की संख्या किसी भी समय सात से कम हो सकती है या हो सकती है। (2) इस धारा के आधार पर एक निजी कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने की तारीख से तीन महीने के भीतर, कंपनी पंजीयक को सूचित करेगी कि वह उपरोक्त के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है, और उसके बाद पंजीयक

रजिस्टर पर कंपनी के नाम पर "लिमिटेड" शब्द से पहले "प्राइवेट" शब्द को हटा देगा और इसके प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन भी करेगा। कंपनी को जारी किया गया निगमन और उसके ज्ञापन में

संघ का।

(2क) जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई सार्वजनिक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रारंभ होने पर या उसके बाद एक निजी कंपनी बन जाती है।

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की ऐसी कंपनी पंजीयक को सूचित करेगी कि वह एक निजी कंपनी बन गई है। और उसके बाद पंजीयक रजिस्टर पर कंपनी के नाम पर 'सार्वजनिक कंपनी' शब्द के लिए 'निजी कंपनी' शब्द को प्रतिस्थापित करेगा और कंपनी द्वारा आवेदन की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कंपनी को जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र और उसके संघ के ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन भी करेगा।

(3) धारा 23 की उप-धारा (3) किसी परिवर्तन पर लागू होगी।

उप-धारा (2) के तहत नाम का, जैसा कि यह धारा 21 के तहत नाम परिवर्तन पर लागू होता है। (4) एक निजी कंपनी जो इस धारा के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है, एक सार्वजनिक कंपनी बनी रहेगी।

जब तक यह केंद्र सरकार की मंजूरी से और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से एक

निजी कंपनी।

(5) यदि कोई कंपनी उप के अनुपालन में चूक करती है

धारा (2), कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी

जो चूक करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो हर उस दिन के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है जिसके दौरान चूक जारी रहती है।

(6) & (7) 1988 के अधिनियम 31 द्वारा लोप किया गया

(8) शेयर पूँजी वाली प्रत्येक निजी कंपनी,

धारा 161 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के अलावा, वार्षिक विवरणी के साथ दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित दूसरा प्रमाण पत्र पंजीयक के पास दाखिल करें, जिसमें दोनों में से किसी एक का उल्लेख हो।

(क) वार्षिक आम बैठक की तारीख से

जिस संदर्भ में अंतिम विवरणी प्रस्तुत की गई थी, या पहली विवरणी के मामले में, निजी कंपनी के निगमन की तारीख से, किसी भी निकाय या निकाय ने अपने भुगतान का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक नहीं रखा है या नहीं रखा है।

शेयर पूँजी,

(बी)।

(ग) कि निजी कंपनी के पास, उसकी चुकता शेयर पूंजी की परवाह किए बिना, प्रासंगिक अवधि के दौरान, [2021] 12 एस. सी. आर. नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी राशि का औसत वार्षिक कारोबार जिसे संदर्भित किया जाता है

उप-धारा (1 ए) या उससे अधिक में,

(घ) कि निजी कंपनी ने स्वीकार या नवीनीकरण नहीं किया

जनता से जमा।]

(9) प्रत्येक निजी कंपनी, जिसकी शेयर पूंजी है, वार्षिक विवरणी के साथ एक प्रमाण पत्र पंजीयक के पास दाखिल करेगी।

विवरणी के दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित, यह कहते हुए कि वार्षिक आम बैठक की तारीख से जिसके संदर्भ में अंतिम विवरणी प्रस्तुत की गई थी, या पहली विवरणी के मामले में, निजी कंपनी के निगमन की तारीख से,

एक या अधिक सार्वजनिक कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा नहीं रखता था।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) "सुसंगत अवधि" से तीन की अवधि अभिप्रेत है।

लगातार वित्तीय वर्ष।

(i) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारंभ से तुरंत पहले, या

((ii) जिसका एक हिस्सा इस तरह के प्रारंभ से तुरंत पहले है और जिसका दूसरा हिस्सा

तुरंत, इस तरह के प्रारंभ के बाद, या

((ग) ऐसी शुरुआत के तुरंत बाद या उसके बाद किसी भी समय;

(बी) किसी कंपनी के "कारोबार" से माल की बिक्री, आपूर्ति या वितरण या सेवाओं के कारण हुई प्राप्ति का कुल मूल्य अभिप्रेत है।

वित्तीय अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान किया गया, या दोनों

वर्ष;

(ग) "जमा का वही अर्थ है जो धारा 58 ए में है।

(10) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, कोई भी

इस धारा में किसी विज्ञापन द्वारा दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करने या जनता से जमाओं को नवीनीकृत करने के संदर्भ का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसमें स्वीकार करने का संदर्भ भी शामिल है -

विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद, या जनता के किसी वर्ग से जमा का नवीनीकरण करने के बाद और धारा 67 के प्रावधान, जहां तक हो सके, लागू होंगे, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

उस खंड में होने वाले शेयरों या डिबेंचरों के लिए सदस्यता लेने के लिए जनता को निमंत्रण में निमंत्रण का संदर्भ शामिल है।

जमा स्वीकार करने के लिए जनता से।

(11) उप-धारा (2 ए) को छोड़कर इस धारा में निहित कुछ भी इस धारा के प्रारंभ होने पर और उसके बाद लागू नहीं होगा।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 "।

20.11 इसकी शुरुआत में, धारा 43 ए में केवल एक शर्त थी

अर्थात् एक निजी कंपनी जिसमें चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 25 प्रतिशत एक या अधिक निगमित निकायों के पास था, एक सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी। लेकिन 1974 के अधिनियम 41 द्वारा, दो अतिरिक्त शर्तें शामिल की गईं। वे हैं (i) एक निजी कंपनी जिसका प्रासंगिक अवधि के दौरान औसत कारोबार निर्धारित राशि से कम नहीं है, एक सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी, चाहे उसकी चुकता शेयर पूंजी कुछ भी हो; और (ii) एक निजी कंपनी जिसकी सार्वजनिक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का कम से कम 25 प्रतिशत नहीं है, एक सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी।

20.12 1988 के अधिनियम 31 द्वारा, औसत वार्षिक कारोबार का मानदंड जो धारा 43 ए की प्रयोज्यता को निर्धारित करेगा

20.13 दो महत्वपूर्ण नियम, जो धारा 43 ए को शामिल करने की तारीख से लेकर 2000 के अधिनियम 53 के लागू होने तक बिना किसी बदलाव के जारी रहे, धारा 43 ए की उप-धारा (2) और (4) थे। उप-धारा (2) एक निजी कंपनी पर एक दायित्व अधिरोपित करती है जो एक सार्वजनिक कंपनी बन गई धारा 43 ए के आधार पर, पंजीयक को सूचित करना। ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, पंजीयक को रजिस्टर पर

कंपनी के नाम से "निजी" शब्द को हटाने और निगमन प्रमाण पत्र और उसके संगठन ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए भी नियुक्त किया गया था।

20.14 उप-धारा (4) ने घोषणा की कि सार्वजनिक कंपनी के रूप में ऐसी कंपनी का दर्जा तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह निजी कंपनी नहीं बन जाती।

कंपनी (i) केंद्र सरकार की मंजूरी से; और (ii) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

20.15 नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम नीडल इंडस्ट्रीज

नेवे (इंडिया) लिमिटेड 24, इस अदालत ने बताया (ए) कि 3 अलग-अलग हैं

24 (1981) 3 एससीसी 333 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनियों के प्रकार, अर्थात् निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां और सार्वजनिक कंपनियां मानी जाती हैं जो अधिनियम (बी) की योजना में एक अलग स्थान रखती हैं कि निजी कंपनियां, जो सार्वजनिक कंपनियां बन जाती हैं, लेकिन जो अपने लेखों में उन मामलों को बरकरार रखती हैं।

अधिनियम की धारा 3 (1) (iii) में उल्लिखित भी व्यापक रूप से और आम तौर पर अधिनियम के कठोर अनुशासन के अधीन हैं और (सी) कि हालांकि धारा 43ए कंपनियाँ उन विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकती हैं जिन्हें निजी तौर पर दिया जाता है। कंपनियां हकदार हैं, अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं जो

यह सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होगा, लेकिन धारा 43 ए कंपनियों पर नहीं। नीडल इंडस्ट्रीज में पाया गया एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि "अधिनियम की नीति, यदि कुछ भी हो, इस दिशा में इंगित करती है कि धारा 43ए परंतुक कंपनियों की अखंडता और संरचना को, जहां तक संभव हो, विभाजित नहीं किया जाना चाहिए"।

20.16 उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब 2000 के अधिनियम 53 के तहत धारा 43ए में किए गए संशोधनों पर आते हैं।

13.12.2000 से। इस अधिनियम द्वारा, धारा 43ए में उप-धारा (2ए) और उप-धारा (11) नामक दो उप-धाराएँ जोड़ी गईं।

20.17 उप-धारा (11) के आधार पर, उप-धारा (2ए) को छोड़कर धारा 43ए के सभी प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था।

2000 के अधिनियम 53 का प्रारंभ। इसका मतलब था कि 13.12.2000 के प्रभाव से, उप-धारा (2 ए) को छोड़कर पूरी धारा 43 ए समाप्त हो गई।

20.18 उप-धारा (2 ए) एक कंपनी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है, जो पहले के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है -

धारा 43 ए, लेकिन जो बाद में एक निजी कंपनी बन गई है

2000 के अधिनियम 53 का प्रारंभ, ताकि आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। इस तरह के धर्मांतरण (या घर वापसी) के लिए उप-धारा (2 ए) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है:

कंपनी पंजीयक को सूचित करेगी कि

((i)

कम्पनी फेरसँ निजी भऽ गेल अछि।

कंपनी; और

तत्पश्चात पंजीयक प्रतिस्थापित करेगा -

((ख)

रजिस्टर पर "सार्वजनिक कंपनी" शब्द के लिए "निजी कंपनी" शब्द और निगमन के प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन भी करना। संघ का ज्ञापन।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

20.19 लेकिन 2000 का अधिनियम 53 धारा 43 ए के साथ नहीं रुका। यह भी।

धारा 3 (1) (iii) को उपखंड (क), (ख) और (ग) के साथ एक अतिरिक्त उपखंड, अर्थात् घ) अंत:स्थापित करके संशोधित किया गया। धारा 3 की उप-धारा (1) के इस उपखंड (घ) खंड (iii) के तहत, संघ के अनुच्छेद

एक निजी कंपनी को किसी भी निमंत्रण पर प्रतिबंध भी होना चाहिए। इसके सदस्यों, निदेशकों के अलावा अन्य व्यक्तियों से जमा की स्वीकृति

उनके रिश्तेदार। अधिनियम 53 के तहत संशोधन के बाद धारा 3 (1) (iii)

000 इस प्रकार पढ़िए:

“ 3 (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

अभिव्यक्ति "कंपनी", "मौजूदा कंपनी", "निजी" कंपनी "और" सार्वजनिक कंपनी ", के अधीन होगी

उप-धारा (2) के प्रावधानों के अर्थ निर्दिष्ट हैं।

नीचे:

((ग) "निजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके पास

एक लाख रुपये या उससे अधिक की न्यूनतम चुकता पूंजी

चुकता पूंजी जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, और लेखों द्वारा,

(क) अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करता है, यदि कोई हो;

(ख) इसके सदस्यों की संख्या को पचास तक सीमित करता है जिसमें शामिल नहीं है

((ख) वे व्यक्ति जो पूर्व में इस पद पर कार्यरत थे। कंपनी, कंपनी के सदस्य थे जबकि उस में

रोजगार और इसके बाद भी सदस्य बने रहे हैं रोजगार बंद हो गया; और

(ग) सदस्यता लेने के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है

कम्पनीक कोनो शेयर अथवा डिबेंचर;

(घ) जमा के किसी भी निमंत्रण या स्वीकृति को प्रतिबंधित करता है

इसके सदस्यों, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्ति:

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति एक या एक से अधिक धारण करते हैं

एक कंपनी में संयुक्त रूप से शेयर, वे, के उद्देश्यों के लिए

इस परिभाषा को एकल सदस्य के रूप में माना जाए;

20.20 उपखंड (डी) वह था जिसे 2000 की धारा 53 द्वारा धारा 3 (1) (iii) में जोड़ा गया था, भले ही एक मानित सार्वजनिक की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया हो।

लेकिन यह उपखंड (घ) धारा की उप-धारा (1 सी) के अलावा और कुछ नहीं है।

ओमपेनी।

A. हालांकि धारा 43A को प्रभावी रूप से समाप्त किया जा रहा था, संसद ने

धारा [2021] 12 एस. सी. आर. की उप-धारा (1 सी) में निहित प्रिस्क्रिप्शन को बनाए रखने के लिए।

43 ए और यही कारण है कि उपखंड (डी) को धारा 3 (1) (iii) के तहत जोड़ा गया था। 20.21 लेकिन 2000 के अधिनियम 53 के तहत ऐसा करते समय एक बड़ी चूक हुई। 1956 के अधिनियम की धारा 27 (3) से संबंधित चूक। 1956 के अधिनियम की धारा 27 में इस बारे में शर्तें थीं कि किसके अनुच्छेद

गारंटी और (iii) शेयरों द्वारा सीमित एक निजी कंपनी में शामिल होना चाहिए। वह इस प्रकार है:

" 27. मामले में आवश्यक नियम

असीमित कंपनी, द्वारा सीमित कंपनी

शेयर द्वारा सीमित गारंटी या निजी कंपनी

(1) असीमित कंपनी के मामले में, अनुच्छेदों में उन सदस्यों की संख्या बताई जाएगी जिनके साथ कंपनी को पंजीकृत किया जाना है और यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी है, तो शेयर पूंजी की राशि जिसके साथ कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।

(2) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के मामले में,

अनुच्छेदों में सदस्यों की संख्या बताई जाएगी जिनके साथ

कंपनी को पंजीकृत किया जाना है।

(3) शेयर पूँजी वाली निजी कंपनी के मामले में,

धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट; और किसी अन्य निजी मामले में कंपनी, लेखों में उक्त उपखंड (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित प्रावधान होंगे।

20.22 2000 के अधिनियम 53 द्वारा धारा 27 (3) में कोई संगत संशोधन नहीं किया गया था, ताकि इसे संशोधित धारा के अनुरूप बनाया जा सके।

निजी कंपनी, धारा 3 (1) (iii) में निहित 4 शर्तों को होना था संतुष्ट। लेकिन धारा 27 (3) के तहत, यह पर्याप्त है यदि किसी निजी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में केवल 3 पर्चे शामिल हैं।

20.23 जो भी हो, संशोधन का परिणाम

2000 के अधिनियम 53 के तहत धारा 3 (1) (iii) यह थी कि एक कंपनी जो आने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v के बाद धारा 43ए की उप-धारा (2ए) का मार्ग अपनाना चाहती थी।

साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

2000 के अधिनियम 53 को लागू करना और खुद को एक निजी कंपनी में बदलना,

धारा 3 की उप-धारा (1) के उप-खंड (ए), (बी) और (सी) के साथ-साथ खंड (iii) के (डी) की कठोरताओं को पूरा करने की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, ऐसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सभी 4 शामिल होने चाहिए (i) शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध (ii) सदस्यों की संख्या पर सीमा (iii) शेयरों/डिबेंचरों की सदस्यता के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण का निषेध और (iv) सदस्यों/निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों से किसी भी निमंत्रण या जमा की स्वीकृति का निषेध।

20.24 टाटा संस के संघ के अनुच्छेदों में उपखंड (ए), (बी) और (सी) में निर्देश निहित थे, लेकिन उपखंड (डी) में नहीं। इसलिए, उन्होंने 2000 के अधिनियम 53 के आने के बाद धारा 43ए की उप-धारा (2ए) के संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया।

वह स्थिति जो 2000 के अधिनियम 53 से पहले प्रचलित थी। 2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) जो एक "निजी कंपनी" को परिभाषित करती है, केवल मूल कंपनी को शामिल करती है। 3 धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (क), (ख) और (ग) में निहित नियम। 2000 के अधिनियम 53 द्वारा उपखंड (घ) के रूप में अंत:स्थापित शर्त को धारा 2 (68) में हटा दिया गया है। 2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) इस प्रकार है:

धारा 2 (68) "निजी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसकी न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी एक लाख रुपये या ऐसी हो। उच्चतर
चुकता शेयर पूँजी जो विहित की जाए, और जो अपने अनुच्छेदों के अनुसार,

((i)

अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करता है;

((ii) एक व्यक्ति कंपनी के मामले को छोड़कर, इसके सदस्यों की संख्या दो सौ:

बशर्ते कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास एक या

किसी कंपनी में संयुक्त रूप से अधिक शेयर होने पर उन्हें इस खंड के प्रयोजनों के लिए एकल सदस्य माना जाएगा:

आगे कहा गया है कि

(क) वे व्यक्ति जो कंपनी में कार्यरत हैं;

(ख) वे व्यक्ति जो पहले कंपनी में कार्यरत थे, उस नौकरी के दौरान कंपनी के सदस्य थे और जारी रखे हुए हैं।

रोजगार समाप्त होने के बाद सदस्य बनना,

सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा; और

(iii) कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के लिए सदस्यता लेने के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है;

20.26 लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 ने एक भ्रम पैदा किया। कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में लागू हुए।

तिथियाँ (लोगों को पागल कर देना)। धारा 2 (68) जो एक निजी कंपनी को परिभाषित करती है, एस. ओ. 2754 (ई) दिनांक 12 के माध्यम से 12-09-2013 पर लागू हुई।

09-2013 . 2013 के अधिनियम की धारा 1 (3) के तहत जारी की गई इस अधिसूचना में धारा 2 (68) के लागू होने के लिए निर्धारित तिथि 12-09-2013 निर्धारित की गई है।

20.27 लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (68) के लागू होने के लिए निर्धारित तिथि, पुराने अधिनियम, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया था। के लिए प्रावधान

निरसन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 में निहित हैं। धारा 465 (1) 1956 के अधिनियम को निरस्त करती है, जो इसके तहत प्रावधानों में उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 की उप-धारा (2) उन मामलों की एक सूची प्रदान करती है जो इसके बावजूद सुरक्षित रहेंगे

1956 के अधिनियम का निरसन। धारा 465 की उप-धारा (3) यह स्पष्ट करती है कि उप-धारा (2) में विशेष मामलों का उल्लेख सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए नहीं माना जाएगा। 20.28 धारा 465 के प्रावधान, जहाँ तक वे 1956 के अधिनियम के निरसन से संबंधित हैं, 30-01-2019 पर लागू हुए।

20.29 नतीजतन, हमारे पास 12-09-2013 [लागू होने के लिए निर्धारित तिथि] से "निजी कंपनी" अभिव्यक्ति की 2 परिभाषाएँ थीं। 2013 अधिनियम की धारा 2 (68) से 30-01-2019 (वह तिथि जिस पर टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित हैं v.

साइरस

निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

1956 के अधिनियम की धारा 3 (1) के परिणामस्वरूप एक मृत पत्र बन गया

धारा 465 के तहत निरसन प्रावधान की अधिसूचना के माध्यम से 1956 के अधिनियम का निरसन)।

1956 के अधिनियम की धारा 3 (1) (iii)। दूसरे शब्दों में, 12-09 2013 को और उससे, यह सवाल कि कोई कंपनी एक निजी कंपनी है या नहीं, केवल "निजी कंपनी" अभिव्यक्ति की परिभाषा से निर्धारित किया जाएगा। 2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) में पाया गया।

20.31 टाटा सन्स के संगठन के लेखों में प्रतिबंध शामिल हैं।

वर्ष 2000 में। हालाँकि, 2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) के लागू होने के लिए निर्धारित तिथि 12-09-2013 पर और उससे, टाटा संस के संगठन के अनुच्छेद धारा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 2 (68) 2013 का अधिनियम। इसलिए, यह एक निजी था और बना हुआ है।

कंपनी।

20.32 दूसरे शब्दों में, टाटा संस की स्थिति (i) 31-01-1975 तक एक निजी कंपनी की थी;

((ii) 01-02-1975 से 12-12-2000 तक धारा 43ए के तहत एक मानित सार्वजनिक कंपनी थी;

(iii) एक ऐसी कंपनी थी जो धारा के आधार पर 13-12-2000 से 11-09-2013 तक सार्वजनिक कंपनी मानी जाती रही।

3 (1) ((iii) 2000 के अधिनियम 53 द्वारा संशोधित 1956 के अधिनियम की धारा 1 से प्रभावी; और

(iv) 12-09-2013 से प्रभावी एक निजी कंपनी की थी।

20.33 दिलचस्प बात यह है कि यह किसी के द्वारा विवादित नहीं है कि आज टाटा संस 2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) के मापदंडों को पूरा करती है। एस. पी. समूह द्वारा उठाया गया और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा स्वीकार किया गया विवाद केवल इस संबंध में है - पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया का पालन किया गया। एनसीएलएटी की राय थी

कि टाटा संस को निगमन का संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उप-धारा (2) और (3) के साथ पठित धारा 14 (1) (बी) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। एनसीएलएटी

आश्चर्यचकित था (काफी आश्चर्यजनक रूप से) कि टाटा संस 2000 से 2013 तक 13 वर्षों से अधिक समय तक [2021] 12 एस. सी. आर. में पुनर्गठन के लिए कदम उठाए बिना चुप रही।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1956 के अधिनियम की धारा 43ए (4) की शर्तें। जहां एक ओर एन. सी. एल. ए. टी. ने टाटा संस की ओर से पुनर्गठन के लिए कार्रवाई करने में "सुस्ती" पर ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के बाद कार्रवाई करने की गति पर भी प्रतिकूल ध्यान दिया।

मुख्य रूप से, धारा 14 (1) कंपनी के संघ के अनुच्छेदों में परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित है। संयोग से, धारा 14 (1) "इस तरह के रूपांतरण के प्रभाव वाले" अनुच्छेदों के परिवर्तन से भी संबंधित है। 20.35 1956 के अधिनियम की धारा 43ए की उप-धारा (1ए) के प्रावधान के आधार पर, टाटा संस के पास ऐसे लेख बने रहे जिनमें

1956 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (3) के उप-खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट मामले। हालांकि उसके पास नहीं था

2000 के अधिनियम 53 द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त शर्त, अर्थात् जनता से जमा की स्वीकृति से संबंधित शर्त, यह अतिरिक्त आवश्यकता है।

2013 के अधिनियम में गायब हो गया। इसलिए, टाटा संस केवल निगमन प्रमाणपत्र में संशोधन चाहती थी, जो कि 2013 के अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नहीं आता है। एन. सी. एल. ए. टी. ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करने के प्रयास के साथ टाटा संस के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में संशोधन करने के प्रयास को मिला दिया। चूंकि टाटा संस ने 2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) में निर्धारित मानदंडों को पूरा किया, इसलिए उन्होंने कंपनी पंजीयक के पास संशोधन के लिए आवेदन किया।

प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र केवल कंपनी की स्थिति की मान्यता है और यह अपने आप में एक नहीं बनाता है।

20.36 जैसा कि इस अदालत ने राम परशोतम मित्तल बनाम हिलक्रेस्ट रियल्टी 25 मामले में कहा है, "यह कंपनियों के पंजीयक के रिकॉर्ड नहीं हैं जो कंपनी की स्थिति निर्धारित करते हैं"। कंपनी की स्थिति संघ के अनुच्छेदों और वैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित की जाती है।

20.37 एन. सी. एल. ए. टी. का यह सोचना गलत था कि टाटा संस को 2000-2013 अवधि के दौरान कार्रवाई करनी चाहिए थी और इसकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए थी।

25 (2009) 8 एस. सी. सी. 709 टाटा परामर्श सेवाएँ सीमित v. सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

केंद्र सरकार 1956 के अधिनियम की धारा 43ए की उप-धारा (4) के तहत एक निजी कंपनी बनेगी। 2000 के अधिनियम 53 के तहत अंत:स्थापित धारा 43ए की उप-धारा (11) ने धारा 43ए की सभी उप-धाराओं को बनाया।

2000-2013 अवधि के दौरान उप-धारा (4) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली। 20.38 13.12.2000 के बाद एकमात्र प्रावधान जो बचा रहा वह धारा 43ए की उप धारा (2ए) थी। यह 1956 के पूरे अधिनियम के निरस्त होने तक 30-01-2019 तक बना रहा। उप-धारा (2ए) के दो पहलू हैं। पहला यह है कि 2000 के अधिनियम 53 के तहत "सार्वजनिक कंपनी मानी जाने" की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया गया था। दूसरा पहलू यह है कि

अतीत के अवशेषों को हटाने के लिए कुछ औपचारिकताओं का प्रिस्क्रिप्शन। 2000 से 2013 तक टाटा संस द्वारा जो किया जाना छोड़ दिया गया था, वह उप-धारा (2ए) का केवल दूसरा पहलू था, जिसके लिए 2013 अधिनियम की धारा 465 एक बाधा के रूप में नहीं खड़ी हुई थी। धारा 43ए (2ए) 30-01-2019 तक लागू रही और इसलिए टाटा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

जुलाई/अगस्त 2018 में जब धारा 43ए (2ए) अभी भी उपलब्ध थी, सन्स और आरओसी पूरी तरह से क्रम में थे।

20.39 जैसा कि इस अदालत ने डेरियस रटन कावासमानेक बनाम घरदा केमिकल्स लिमिटेड के मामले में सही कहा है, संसद ने हमेशा

एक मानी गई सार्वजनिक कंपनी के फिर से एक निजी कंपनी की स्थिति में लौटने की संभावना। हालाँकि इस न्यायालय ने 2000 के अधिनियम 53 द्वारा संशोधन के बाद धारा 27 (3) और धारा 3 (1) (iii) (d) के बीच संघर्ष पर ध्यान दिया, फिर भी इस न्यायालय ने घरदा केमिकल्स में कहा कि

संघ के अनुच्छेदों में धारा 3 (1) (iii) के उपखंड (घ) की आवश्यकता को शामिल करके, एक मानित सार्वजनिक कंपनी वापस लौट सकती है।

अनुच्छेदों में आवश्यक प्रावधानों को शामिल करके, धारा 43ए की उप-धारा (2ए) को ध्यान में रखते हुए, एक निजी कंपनी के रूप में इसकी स्थिति के लिए। सरलता से शर्तों के अनुसार, एक कंपनी जो कानून के संचालन से एक मानित सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, उसे दही या दही बनने के लिए दूध की तरह किण्वन या जमावट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए, जिसका अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है।

20.40 इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. के रूप में धारण करना पूरी तरह से गलत था।

हालांकि टाटा संस ने कंपनियों के पंजीयक के साथ मिलकर ऐसा किया 26 (2015) 14 एस. सी. सी. 277 [एस. सी. सी. रिपोर्ट में एस. सी. सी. के बीच संघर्ष के बारे में संपादक का नोट देखें। 27 (3) और सेक। 3 (1) (iii) (घ)] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ गुप्त रूप से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विपरीत।

टाटा संस द्वारा किया गया अनुरोध और कंपनी पंजीयक द्वारा निगमन प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए की गई कार्रवाई पूरी तरह से क्रम में थी। 20.41 एस. पी. समूह (आई) की ओर से यह तर्क दिया गया था कि 1995 में टाटा संस ने अधिकार मुद्दे के अधिकार को त्यागने की अनुमति दी थी।

धारा 3 (1) (iii) में निहित प्रतिबंध को हवा में फेंकते हुए बाहरी लोगों को रैंक करें (ii) कि सितंबर 2002 तक, टाटा संस ने उनसे जमा स्वीकार किए सार्वजनिक और इसलिए धारा 3 (1) (iii) का उपखंड (घ) संतुष्ट नहीं था (iii) कि कंपनी कार्य विभाग के परिपत्र के अनुसार,

यह सार्वजनिक कंपनी बन गई (v) कि वर्ष 2009 तक, टाटा संस ने कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 10 के तहत दायर किए गए प्रपत्रों में खुद को केवल एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में वर्णित करने का विकल्प चुना (vi) कि परिवर्तन ने टाटा संस की धन जुटाने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जिससे ऋण लागत बढ़ गई (vii) जिसे टाटा संस को वापस करना होगा। परिवर्तन के कारण बीमा कंपनियों द्वारा किए गए निवेश और (viii) कि परिवर्तन के कार्य में ईमानदारी की

कमी थी और यह अल्पांश शेयरधारकों और कंपनी के साथ-साथ स्वतंत्र निदेशकों के हितों के लिए भी प्रतिकूल था।

20.42 लेकिन हम उपरोक्त विवादों से प्रभावित नहीं हैं। एक बार जब कंपनी 1 से प्रभावी एक मानित सार्वजनिक कंपनी बन गई थी 2-1975 , एक निजी कंपनी के विशेषाधिकार वापस ले लिए गए और कंपनी को कानूनी रूप से अधिकार मुद्दे के तहत शेयरों के त्याग की अनुमति देने का अधिकार था। किसी भी मामले में, 1995 में जो किया गया था उसकी वैधता पर कोई सवाल नहीं था। उन्होंने सितंबर 2002 तक जनता से जमा स्वीकार किया, यही कारण है कि उन्हें उस समय एक निजी कंपनी के रूप में फिर से परिवर्तित नहीं किया गया था। एक बार "निजी कंपनी" अभिव्यक्ति की एक नई परिभाषा आई।

2013 के अधिनियम की धारा 2 (68) के तहत 12-09-2013 से लागू होने वाली एकमात्र परीक्षा यह पता लगाने के लिए लागू की जानी चाहिए कि कंपनी नए अधिनियम के तहत योजना में फिट बैठती है या नहीं। जब वैधानिक प्रावधान स्पष्टता के साथ रास्ता दिखाते हैं तो हमें विभाग या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। नियम 10 के तहत दाखिल किए गए प्रपत्रों में कंपनी का विवरण उस समय की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है और जब कंपनी कानून का लाभ उठाने की हकदार थी तो वे अवरोध के रूप में कार्य नहीं करेंगे। कि कंपनी की धन जुटाने की क्षमता अब चली गई है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड v.

सिरस निवेश पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

कि कंपनी को बीमा कंपनियों द्वारा किए गए निवेश का भुगतान करना होगा, ये सभी ऐसे मामले हैं जिनका ध्यान शेयरधारकों और निदेशकों को रखना है। अदालत के समक्ष सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण कानून के अनुसार है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि क्या यह अच्छा है।

कंपनी के लिए या नहीं।

20.43 एस. पी. समूह और सी. पी. एम. के धर्मांतरण से व्यथित होने का वास्तविक कारण यह है कि उनके अधिकांश तर्क उन प्रावधानों से जुड़े हैं जो केवल सार्वजनिक और सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होते हैं। यदि पुनः धर्मांतरण होता है, तो वे शायद बेहतर स्थिति में खड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा।

गाड़ी को घोड़े के सामने रखने के समान है। कोई व्यक्ति किसी ठोस तर्क से उत्पन्न होने वाले संपार्श्विक लाभ का हकदार हो सकता है। लेकिन कोई भी संपार्श्विक मुद्दे पर सफल होने की कोशिश नहीं कर सकता है ताकि ठोस तर्क को टिकाऊ बनाया जा सके। 20.44 इसलिए, कानून संख्या 5 के प्रश्न का उत्तर तदनुसार टाटा संस के पक्ष में दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 181,186 और 187 (iv) में अपीलार्थियों और कंपनियों के पंजीयक के खिलाफ की गई सभी टिप्पणियों को दरकिनार कर दिया जाता है।

21. निष्कर्ष

21.1 इस प्रकार ठीक है, कानून के सभी प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थियों-टाटा समूह और टाटा द्वारा दायर अपीलों के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

शेयर गिरवी रखना और इस अदालत ने यथास्थिति का आदेश पारित किया 22.09.2020 . ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बार एस. पी. समूह ने मुकदमे की निरर्थकता और आदेश की प्रकृति को महसूस किया है जिसे न्यायाधिकरण धारा 242 के तहत पारित कर सकता है। यह आवेदन के पैराग्राफ 62, [2021] 12 एस. सी. आर. में परिलक्षित होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ एस. पी. समूह ने कहा है कि वे शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने के साधन के रूप में इस तरह के वैकल्पिक उपाय की तलाश कर रहे हैं।

समूह इस न्यायालय से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित मूल्य मुआवजे के निर्धारण के प्रश्न पर जाने के लिए नहीं कह सकता है। स्वामित्व हितों को अलग करने के लिए आवेदन के पैराग्राफ 72 में जो अनुरोध किया गया है, उसके लिए विभिन्न मदों के तथ्यों पर निर्णय की आवश्यकता होती है। का मूल्यांकन एस. पी. समूह के शेयर सूचीबद्ध शेयरों, गैर-सूचीबद्ध शेयरों, अचल संपत्तियों आदि में टाटा संस की हिस्सेदारी के मूल्य पर निर्भर करते हैं, और शायद इन शेयरों की प्रतिभूति/गिरवी पर एस. पी. समूह द्वारा जुटाई गई धनराशि पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर और इस न्यायालय में, हम उचित मुआवजे पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम इसे पार्टियों पर छोड़ देंगे कि वे अनुच्छेद 75 को अपनाएं।

इस संबंध में मार्ग या कोई अन्य कानूनी रूप से उपलब्ध मार्ग। 21.5 परिणामस्वरूप, 2020 के सी. ए. No.1802 को छोड़कर सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है और एन. सी. एल. ए. टी. दिनांकित 18.12.2019 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। 2016 की कंपनी याचिका सी. पी. संख्या 82 दोनों द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर की गई थी।

एस. पी. समूह से संबंधित कंपनियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2020 की अपील सी. ए. No.1802 दायर की गई। लिमिटेड, और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड को बर्खास्त कर दिया गया है। कोई आदेश नहीं होगा

लागतों के बारे में।

टाटा संस में एस. पी. समूह के स्वामित्व हितों को अलग करने के लिए 2020 के आई. ए. No.111387 सहित सभी आई. ए. को खारिज कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस